# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या: 20

**शुक्रवार,**

**02 अगस्त 2019**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## बधाई एवं आभार

### सन्तोष, श्रीमती, माननीय सदस्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे सदन की सदस्या श्रीमती सन्तोष को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। हम सब उनके, बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, बधाई देते हैं।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 433, श्री कालूराम।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)**

श्री खुशवीरसिंह।

### सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में बाघों का पुनर्वास

**434. श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में वर्ष 2008-09 में बाघों के पुनर्वास से पूर्व बाघों के विलुप्त होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा सरिस्का से बाघों की विलुप्ति के कारणों की जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में बाघों का पुनर्वास किस वर्ष किया गया? वर्ष 2008 से 2019 तक बाघों की संख्या किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी रही? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(4) सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के बाद कितने बाघों की मौत हुई, मौत के क्या कारण रहे? क्या सरकार ने उन बाघों की मौत के कारणों की जांच करवाई? यदि हां, तो प्रत्येक की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? अभयारण्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, वन** (श्री सुखराम विश्नोई): (1) सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में वर्ष 2008-09 में बाघों के पुनर्वास से पूर्व बाघों के विलुप्त होने के कारणों एवं आगे के पुनर्वास के संबंध में वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा श्रीमान् वी.पी. सिंह (सांसद लोकसभा) की अध्यक्षता में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनायी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के पुनर्वास से पूर्व बाघों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण वन एवं वन्यजीव अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी रूप से लागू/पालना नहीं होने से बाघों को आवश्यक सुरक्षा नहीं मिल पाना, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विभाग का विरोध करने के कारण गुप्त सूचना न मिल पाना, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपने मवेशियों की बाघों से सुरक्षा के लालच में शिकारियों का सहयोग करना एवं बाघ गणना हेतु पुरानी अवैज्ञानिक एवं अप्रमाणिक पद्धति का उपयोग होने के कारण बाघों की संख्या में कमी का पता न चलना जिससे समय रहते कार्यवाही न हो सकना रहे हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 2005 में श्रीमान् वी.पी. सिंह (सांसद लोकसभा) की अध्यक्षता में सरिस्का से बाघों की विलुप्ति के कारणों एवं आगे पुनर्वास के संबंध में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बनायी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(3) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से वर्ष, 2008 में प्रथम बाघ एसटी-1 सरिस्का बाघ परियोजना अंतर्गत पुनर्वास किया गया।

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में वर्ष 2008 से 2019 तक वर्षवार बाघों की संख्या विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(4) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से 28.06.2008 को प्रथम बाघ

(राज्य मंत्री, वन)

एसटी-1 पुनर्वास किये जाने के बाद सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की मौत, मौत के कारणों की जांच रिपोर्ट संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है।

(5) सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों की मृत्यु के संबंध में विभागीय जांच में लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-4 अनुसार है।

(6) वर्तमान में प्रदेश में बाघों की संख्या का अभयारण्यवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-5 अनुसार है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने बाघों के विलुप्त होने के जो कारण बताये हैं उनमें वन एवं वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी रूप से लागू/पालना नहीं होने से बाघों को आवश्यक सुरक्षा नहीं मिल पाना है। मंत्री महोदय, क्या आपने इसमें अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है, जो आपने अपने उत्तर में माना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि 2000 से पहले बाघों के विलुप्त होने के कारण, उसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मेरा प्रश्न है कि विलुप्त होने के कारणों पर क्या आपने नियंत्रण कर लिया है?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। एक-एक प्रश्न।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, 2010 के बाद आज तक कुल 6 बाघों की सरिस्का में मौत हुई, जिनमें से 3 की तो प्राकृतिक कारणों से मौत हुई है एक 25.2.2018 को शिकार की घटना हुई...

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): आपने जो माना, उस पर नियंत्रण किया या नहीं किया?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, उत्तर तो सुनेंगे।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): एक को जहर दिया गया, वहां जो आबादी थी। एक लोहे के तार में फंस गया। उसके बाद में कोई भी घटना नहीं हुई है, बाघ बिल्कुल सुरक्षित हैं। पूरी चौकीदारी हो रही है, पूरी चौकियों पर आदमी, वन रक्षक लगे हुए हैं और जंगल बिल्कुल सुरक्षित हैं।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, उसमें मैंने पूछा क्या और जवाब आपने दूसरा दिया है। मैंने कहा कि आपने जो कारण बताये हैं कि इस कारण से बाघ विलुप्त हो गये हैं तो क्या आपने पूर्णतया उसको लागू कर दिया है? आप दो बाघों की मृत्यु का बता रहे हो, तीन बाघ मारे गये। एसटी-5, एसटी-1 और एसटी-11, तीन बाघ मारे गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): एसटी-1 14.11.2010 को, एसटी-11 19.3.2018 को और एक एसटी-5 बाघिन 25.2.2018 को तथा तीन की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सभी नेशनल पार्क में एक समान नियम लागू होते हैं? यदि हां, तो मुकुन्दरा हिल्स में आपने पूर्ण रूप से फेंसिंग करवा दी है और वहां पर....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मुकुन्दरा हिल्स की तरह पूर्ण रूप से जो फेंसिंग करवाई और वहां बाघों को पूर्णतया सुरक्षित माना है तो क्या विभाग सरिस्का में भी इसी तरह कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): सरिस्का, रणथम्भौर में किस-किस जगह दीवार बनाई है और जैसे-जैसे धन की उपलब्धता है सभी जगह फेंसिंग, दीवार बनाई जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने तीन बाघों के शिकार की बात कही है। एसटी-11, शिकार हुआ 11.4.2018 को, और आपने कहा कि गम्भीर लापरवाही की प्रारम्भिक जांच की गई, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। यह आपकी कार्यवाही कब पूरी होगी? नम्बर एक बात। नम्बर दो, इसी तरह एसटी -5, इसका शिकार हुआ 7.8.2018 को और आपने कहा कि जांच प्रक्रियाधीन है। आपने अपने उत्तर में जिन बाघों के शिकार की बात कही, उनकी जांच अभी आपने प्रक्रियाधीन रखी है तो जांच में दोषी अधिकारियों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के विरुद्ध कार्यवाही प्रमाणित होने के बाद भी आप कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, एसटी-5, मातादीन शर्मा, जनकपाल बेलदार, रामदीन गुर्जर के खिलाफ कार्यवाही की गई है और बाकी प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। एसटी-1 मारा गया, उसमें मदन सिंह....

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री मदन दिलावर। माननीय मंत्री जी, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। श्री मदन दिलावर।

## रामगंज मण्डी में कार्यरत ए.एस.आई. कम्पनी द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम का उल्लंघन

**435. श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वेतन भुगतान अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की तिथि के एक दिन पूर्व श्रमिकों व ठेका श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक की अवधि में विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में कार्यरत एएसआई कम्पनी द्वारा वेतन पर्चियां दी गईं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के सम्बन्ध में किस-किस अधिकारी द्वारा जांच/निरीक्षण कब-कब किया गया? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। कोटा कार्यालय/कारखाना प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक दी गई जानकारी के अनुसार कारखाने में कोई ठेका श्रमिक नियोजित नहीं किये गये।

वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक की अवधि में विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी में कार्यरत एएसआई कम्पनी द्वारा श्रमिकों को वेतन पर्चियां दी गईं।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) उक्त के संबंध में विभाग के निम्न अधिकारियों द्वारा जांच/ निरीक्षण किया गया:-

| **अधिकारी का नाम** | **निरीक्षण दिनांक** |
|---|---|
| 1. श्री दिनेश कुमार चौधरी, उप मुख्य निरीक्षक, | दिनांक 6.7.2010 एवं दिनांक 27.7.2011 |
| 2 श्री हरिशंकर, निरीक्षक कारखाना (रसायन) | दिनांक 6.7.2010 एवं दिनांक 27.7.2011 |
| 3 श्री अब्दुल सलीम, उप मुख्य निरीक्षक | दिनांक 31.10.2012, 15.5.2013, 29.10.2013, 29.5.2014, 05.11.2014, 13.5.2015, 28.10.2015 |

जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। उक्त अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट उच्चधिकारियों को प्रस्तुत की गयी है।

जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2011 में कितने श्रमिकों को वेतन पर्ची दी गई और उनमें से कितने श्रमिकों ने मिलान कर वेतन पर्ची और उपस्थिति से मिलने वाली राशि में अन्तर बताने वाले मजदूरों के नाम माहवार बताएं।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011-12 में 60 मजदूरों का अप्रैल में भुगतान हुआ, मई में 60 का हुआ है, जून में 59 का हुआ है, जुलाई में 57 का हुआ है, अगस्त में 57 का हुआ है, सितम्बर में 57 का हुआ है, अक्टूबर में 59 का हुआ है, नवम्बर में 57 का हुआ है, दिसम्बर में 57 का हुआ है, जनवरी, फरवरी और मार्च में 50 श्रमिकों का भुगतान हुआ है।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी में कुल कितने मजदूर कार्यरत हैं और कम्पनी में माल का लदान, पालिशिंग, कटिंग और परिवहन में कितने श्रमिक लगे हुए हैं? अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों सहित अलग-अलग बताएं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी में 2011 में 49, 2012 में 60, 2013 में 53, 2014 में 44, 2015 में 38, 2016 में 32, 2017 में 29, 2018 में 35 और 2019 में 34 श्रमिक कार्यरत हैं।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी में 35 हजार श्रमिक कार्यरत हैं और यह इसलिए छिपा रहे हैं कि उनका रिकार्ड पर नाम नहीं रखते हैं। 35 हजार से भी ज्यादा हैं ये मजदूर। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मजदूर ये ही कार्यरत हैं या और भी कार्यरत हैं? क्योंकि मजदूर, ये ठेका श्रमिक और श्रमिक को मानते हैं, मैंने मजदूर पूछा है, इसमें दोनों तरह के मजदूर आते हैं। आपने जो बताया है, यह दोनों का बताया है या एक का ही बताया है?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): आपका जो प्रश्न है वह श्रमिक और ठेका श्रमिकों का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा, वैसे तो आधे घण्टे की चर्चा सदन के अन्दर रखी है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि श्रमिक, ठेका श्रमिक और जो इनके प्रावधान हैं, वे अलग-अलग हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, वे उस कानून के अन्दर 6 वेतन कानून लागू हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, वह मैं मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्धित जो कानून हैं, कारखाना कानून और लेबर कानून, उनके अन्तर्गत बात कर रहा हूं। फैक्ट्री के अन्दर जो मजदूर हैं, उनके अलावा और भी स्टाफ होता है, ड्राइवर हो सकता है, कोई पियोन हो सकता है, कोई बागवाला हो सकता है। ये सब मिलाकर, जिन पर नियम लागू होते हैं, उनकी संख्या माननीय अध्यक्षजी, मैंने आपको बताई है। इसके अलावा, उस फैक्ट्री के अंदर खनन का कार्य हो रहा है। खनन में जो मजदूर लगे हुए हैं, उन मजदूरों का निर्धारण, संधारण केन्द्र सरकार के अधीन होता है। खनन क्षेत्र में श्रम विभाग का कोई भी कानून काम नहीं करता है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आधे घंटे की चर्चा में...

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): ठीक है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री बाबूलाल नागर।

## ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों की योग्यता

**436. श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवगठन, मनोनीत एवं निर्वाचित पदाधिकारी की योग्यता हेतु क्या मानदण्ड है?

(2) नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् कितने समय तक कार्य कर सकती हैं? इसके क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के अन्तर्गत किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच विचाराधीन है? प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 की धारा 107 के तहत कितनी सहकारी समितियों की जांच पर स्थगन दिया हुआ है? उक्त में स्थगन जारी करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

मेरे प्रश्न का जवाब पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, आप विराजिए। वे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर मान लिया उन्होंने।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): ठीक है।

**श्री अध्यक्ष**: बैठें-बैठें, मंत्रीजी बैठें।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मंत्री महोदय ने मुझे बताया है कि नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जब तक प्रश्न का उत्तर...

**श्री अध्यक्ष**: एक मिनट, बाबूलाल जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): जब तक प्रश्न का उत्तर मंत्री नहीं पढ़ेंगे, हाउस के सब लोगों की जानकारी में कैसे आयेगा। प्रश्न का उत्तर केवल और केवल उनको जाता है। हर माननीय सदस्य के पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए वह प्रश्न तभी पूछ पाएगा, जब वे जवाब देंगे, उसके बाद ही पूछ सकेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: ठीक है।

**सहकारिता मंत्री** (श्री अंजना उदयलाल): (1) विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के 500 सदस्य, 05.00 लाख रुपये हिस्सा राशि एवं 01.00 लाख रुपये अमानत राशि तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000 रुपये होना आवश्यक है। जिनकी प्रति (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 15(1) (क), राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 34(2)(II) तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए बने हुए आदर्श उपनियम संख्या 5(1)(क) में उल्लेखित सदस्यों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित हैं, वही ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवगठन हेतु मनोनीत तथा बाद में निर्वाचित पदाधिकारियों की योग्यताएं होती हैं। योग्यताओं के विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल रजिस्ट्रीकरण की तारीख से केवल तीन महीने के लिए होता है। तीन महीने की कालावधि के भीतर-भीतर नवीन संचालक मण्डल का चुनाव होते ही पूर्व में गठित संचालक मण्डल कार्य करना बन्द कर देगा। इस संबंध में निम्नांकित प्रावधान हैं:-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(1) के अनुसार ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसायटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नई समिति, जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जाएगा, के गठन के कृत्य करना बन्द कर देगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के अन्तर्गत दो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है। महला ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं जांच की प्रति (परिशिष्ट-3) पर एवं दांतरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं जांच की प्रति (परिशिष्ट-4) पर संलग्न है।

(4) दूदू विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 107 के अन्तर्गत महला ग्राम सेवा सहकारी समिति की धारा 55 की जांच आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी है। स्थगन जारी करना न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति में 3 माह के अंदर-अंदर उनके नवीन संचालन मण्डल का चुनाव होना चाहिए। मंत्री महोदय से एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन नवगठित समितियों का तीन महीने के अंदर चुनाव नहीं हुए क्या उन संचालक मंडल को भंग करके, आप प्रशासक नियुक्त करके चुनाव कराना चाहते हैं? नम्बर 2 अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: एक-एक प्रश्न काफी है।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): नवगठित सहकारी समितियों के चुनाव जो तीन महीने में होने थे, कहीं-कहीं आचार संहिता लगने के कारण समय पर चुनाव नहीं हो पाए हैं लेकिन, अब उन सभी समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी करवा दिये जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने खण्ड 3 में निवेदन किया है। मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र की दो समितियां, जिनकी जांच के संबंध में बताया है और उनकी जांच रिपोर्ट भी पेश की है, जांच रिपोर्ट के आधार पर मंत्री महोदय के निर्देश पर धारा 55 के तहत विस्तृत जांच के आदेश हुए। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के जांच अधिकारी को संचालक मण्डल के अध्यक्ष और व्यवस्थापक द्वारा समिति का रिकार्ड बार-बार नोटिस तामील कराने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया? उसके बाद सहकारी समिति के रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार द्वारा यह संतुष्ट होने पर कि ये बार-बार नोटिस तामील होने के बाद भी रिकार्ड नहीं दे रहे हैं, तो क्या 2003 के नियम 38 के तहत समिति के अभिलेख व सम्पत्ति की तलाशी, अभिकरण कब्जे में लेने के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन करने के विभाग द्वारा आदेश जारी हुए हैं? नम्बर एक। नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप लम्बा कर रहे हैं।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जो जांचें मैंने दी हैं, वह विचाराधीन हैं और परिशिष्ट पर उनका उत्तर दे दिया गया है। जांच में अगर और भी कोई बात है, आप बताएंगे तो और विस्तृत जांच करा ली जाएगी।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

(श्री बाबूलाल नागर)

मैंने स्पेशली यह पूछा है कि क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग द्वारा जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, उसकी रिपोर्ट आई, जांच अधिकारी ने नोटिस दिये और जांच अधिकारी ने वापस रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार को निवेदन किया कि बार-बार तामील होने के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर सहकारिता...

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछें।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): प्रश्न पूछ लूंगा, साहब। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार ने क्या जांच अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां रिकार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन की स्वीकृति दी है? नम्बर दो, क्या जांच अधिकारी द्वारा रिकार्ड जब्त करके न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है?

**श्री अध्यक्ष**: ऐसे दस प्रश्न थोड़े ही होंगे, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं आप, प्लीज।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जो जांच करवाई गई है, वह परिशिष्ट पर उपलब्ध है, और बाकी जो आप बता रहे हैं, उसकी जानकारी भी करके आपको बता दी जाएगी, आगे की कार्यवाही क्या हुई। बाकी, परिशिष्ट-2 और 3 में समस्त बात लिखी हुई है।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय बैठें। माननीय मंत्री जी, इनका सीधा प्रश्न है कि जिस कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार को लिखा है, वह कार्यवाही होगी या नहीं, सीधी बात है।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): नियम में जो आ रहा है, वह कार्यवाही जरूर हो जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन...

**श्री अध्यक्ष**: हो गया अब।

## प्रश्न संख्या 437

अगला प्रश्न, पृथ्वीराज।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, रामलाल मीणा।

## प्रतापगढ़ जिले के उद्‌यानिकी योजना में लाभान्वित किसान

**438 श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उद्‌यानिकी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में क्या-क्या योजना संचालित है व जिले के किसानों के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना द्‌वारा 2013 से 20 जून, 2019 तक किस-किस योजना में किन-किन किसानों को लाभान्वित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के लाभान्वित किसानों को क्या वास्तविकता में लाभ पहुंचाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**कृषि मंत्री** (श्री लालचन्द कटारिया): (1) उद्‌यानिकी विभाग के अंतर्गत वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में निम्न योजनाएं संचालित हैं:-

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - सूक्ष्म सिंचाई (PMKSY-MIS)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (RACP)

सोलर पम्प सैट

(2) उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2013 से 20 जून, 2019 तक योजनावार लाभान्वित किसानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने वाले कृषकों के खेत पर जाकर भौतिक सत्यापन किये जाते हैं। इसके पश्चात् कृषकों को अनुदान राशि का हस्तांतरण सीधे ही बैंक खाते में किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया खण्ड संख्या (1) में, जो ये विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, क्या इसमें क्राइटेरिया निर्धारित है? एससी, एसटी, ओबीसी, लघु सीमांत और इन काश्तकारों को अलग-अलग प्रकार से दिया जाता है या फिर सबका एक ही है?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये सभी योजनाएं भारत सरकार के सहयोग से चलती हैं, इसमें सब क्राइटेरिया अलग-अलग है और प्रतापगढ़ जिले में 445 किसानों को विभिन्न योजनाओं में, चारों योजनाओं में करीबन 2 करोड़ 14 लाख 90 हजार रुपये की देनदारी बकाया और इन योजनाओं का पूरा विवरण हमने उपलब्ध करा रखा है।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी, उनका प्रश्न है कि इन योजनाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के अलग-अलग वर्गों के लिए कोई टार्गेट फिक्स कर रखा है क्या?

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): इसमें अलग-अलग टार्गेट फिक्स हैं, सर। लघु सीमान्त और एससी/एसटी के लिए 70 प्रतिशत है और केन्द्रीय योजनाओं का जो हिस्सा है 70 परसेंट, उसमें 50 परसेंट भारत सरकार का है और 20 परसेंट राज्य सरकार का है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): इसमें माननीय मंत्री महोदय ने जो लिस्ट दी है परिशिष्ट1 पर, उसमें क्राइटेरिया या टार्गेट ऐसा कुछ विशेष दिख नहीं रहा है, कोई व्यक्ति विशेष और दूसरा क्या है कि प्रश्न के खण्ड-3 में जो इन्होंने कहा है कि वास्तव में लाभान्वित हुए हैं तो उस प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2013 से 2018 में जिन-जिन किसानों को लाभ दिया है, उसमें कई किसानों के नाम पर लाभ दिया लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति ने दूसरे खेत पर लगा दिया और कई जगह ऐसा हुआ है कि सब्सिडी तो दस लाख की उठाई है, जबकि वहां दो लाख का सामान ही पहुंचा है।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछें।

**श्री रामलाल मीणा** (प्रतापगढ़): तो मैं मांग करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इन सभी कामों की जांच माननीय मंत्री जी, राज्यस्तरीय टीम बनाकर और वहां के स्थानीय पटवारी को लेकर जांच बैठायें कि वास्तव में उसी के खसरे में वह यंत्र या सामान लगा हुआ है कि नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न। माननीय सदस्य, बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, यह पूछें न आप। माननीय मंत्री जी।

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विभिन्न योजनाओं में अनुदान राशि की गड़बड़ी की बात आप कह रहे हैं,

(श्री लालचन्द कटारिया)

निश्चित तौर पर पहले भी कुछ शिकायतें मुझे मिली हैं और मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच करके जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री रूपा राम।

## मकराना में पंजीकृत मदरसों में देय सुविधाएं

**439. श्री रूपा राम** (मकराना): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में कितने मदरसे पंजीकृत व कितने अपंजीकृत हैं? शहर/कस्बावार/ग्रामवार पंजीकृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत/पंजीकृत मदरसों में कितने छात्र, किस-किस कक्षा में तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना के मदरसों में छात्र अनुपात में अध्यापक (उर्दू) स्वीकृत हैं? यदि हां, तो मदरसेवाइज अध्यापकों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मदरसों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं व किस-किस स्तर के अध्यापक पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त पंजीकृत मदरसों में पर्याप्त भवन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उपरोक्त भवनरहित मदरसों में भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**अल्पसंख्यक मामलात मंत्री** (श्री शाले मोहम्मद): (1) नागौर जिले में कुल 261 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अपंजीकृत मदरसों का रिकार्ड मदरसा बोर्ड में संधारित नहीं किया जाता है।

(2) 261 पंजीकृत मदरसों में कुल 15257 छात्र-छात्राएं कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत हैं, जिनकी कक्षावार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत छात्रों के अनुपात में मदरसा शिक्षा सहयोगियों की संख्या निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है:-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

| **क्र.सं.** | **विद्यार्थियों की संख्या** | **राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से लगाये जाने वाले उर्दू शिक्षा सहयोगियों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1. | 10-35 | 01 |
| 2. | 36-70 | 02 |
| 3. | 71-105 | 03 |
| 4. | 106-150 | 04 |
| 5. | 151-200 | 05 |
| 6. | 201 से अधिक | 06 |
| | | कक्षा 6 से 8 तक कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु एक कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त मदरसे में अधिकतम शिक्षा सहयोगियों की संख्या 06 होगी। |

मकराना में कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगियों की मदरसावार सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में वर्तमान में निम्नांकित योजनाओं के तहत निम्नानुसार सुविधाएं दी जा रही हैं:-

1. आदर्श मदरसा योजना:- इस योजना के अन्तर्गत मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं।
2. मदरसा आधुनीकरण योजना:- इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग्स, अभ्यास पुस्तिकाएं, पैराटीचर स्टाफ के लिए फर्नीचर, बच्चों के लिए ड्यूल डैस्क एवं बैंच, खेल सामग्री व कम्प्यूटर्स इत्यादि सुविधाएं दी जा रही हैं।

वर्तमान में मदरसों में शिक्षा सहयोगी/पैराटीचर स्तर के अध्यापक लगे हुए हैं।

(4) नागौर जिले के 213 मदरसे स्वयं के भवन में संचालित हैं। 48 मदरसे ऐसे हैं, जो मस्जिद के भवन में अथवा किराये के भवन में संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) भवनरहित मदरसों हेतु केन्द्र सरकार की आईडीएमआई (अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास) योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

संस्थाओं को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने के प्रावधान हैं। योजनान्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भिजवाये जाते हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री रूपा राम** (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मकराना विधान सभा क्षेत्र में चल रहे मदरसों में कक्षा 6 से 8 तक बच्चों के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की क्या आपकी मंशा है? यदि है, तो कब तक और नहीं है, तो क्यों नहीं कक्षा 6 से 8 तक?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर मदरसों से हमें डिमाण्ड आती है, जहां हमारे डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मानिटरिंग आफिसर हैं, जहां-जहां हमें मांग दी जाती है, उनको हम आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर हमेशा उपलब्ध कराते हैं और यदि आपके यहां से भी कोई डिमाण्ड आयेगी तो उसको जरूर हम उपलब्ध कराएंगे।

**श्री रूपा राम** (मकराना): अध्यक्ष महोदय, मदरसा बोर्ड द्वारा कक्षा 8 से 6 तक के बच्चों के लिए पीने के स्वच्छ पानी के लिए क्या आर.ओ. का प्रबंध करने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पानी के आर.ओ. के लिए बात कही है, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वैसे हर मदरसे में पीने के साफ पानी की व्यवस्था होती है, पर यदि हमारे पास ऐसी कोई जरूरत के लिए मदरसा या हमारे अधिकारी कोई बताते हैं कि हमें यहां पर जरूरत है तो या तो मदरसा खुद अपने हिसाब से भी करता है और अभी तक आपके नागौर जिले में इस प्रकार की कोई हमारे पास डिमाण्ड नहीं आई जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो।

**श्री रूपा राम** (मकराना): अधिकारी नहीं, अगर मैं भी आकर बता दूं तो समस्या के समाधान के लिए मुझ पर विश्वास करो न, अधिकारी से क्या है?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): आप माननीय सदस्य हैं, आप जो भी सुझाव देंगे, उसको हम जरूर मानेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

## मावली के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

**440. श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र व कार्यालय संचालित हैं? उक्त में से कितने स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र कब से बंद हैं? उक्त केन्द्र कब तक प्रारम्भ कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में से आंगनबाड़ी केन्द्र किसी निजी प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाई को गोद दे रखे हैं? क्या उक्त का विभागीय निरीक्षण होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार पर प्रति बालक कितना व्यय होता है? पोषाहार की गुणवत्ता निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास** (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत 3 परियोजनाएं मावली, गिर्वा एवं बड़गांव संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र मावली के अन्तर्गत 241 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। परियोजना मावली में 182, गिर्वा में 33 तथा बड़गांव में 26 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नन्दघर योजना के अन्तर्गत 79 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान एवं भामाशाहों से एमओयू किया गया है, जिसकी आंगनबाड़ी केन्द्रवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विभागीय दिशा-निर्देशानुसार विभाग के उच्च अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। विगत वर्ष में किये गये निरीक्षणों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रति बालक प्रतिदिन पूरक पोषाहार पर होने वाले व्यय का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है। पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूहों से आपूर्तित गर्म पूरक पोषाहार को प्रथमदृष्ट्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चखकर लाभार्थियों को वितरित किया जाता है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

विभाग द्वारा प्रत्येक सैक्टर से प्रतिमाह रैण्डम आधार पर एक केन्द्र से पोषाहार का सैम्पल लेकर अधिकृत प्रयोगशाला से पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है। साथ ही, उक्त पोषाहार का निरीक्षण महिला पर्यवेक्षकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम अनुसार किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वहां आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री-प्राइमरी टीचर्स लगे हुए हैं, जहां लगे हुए नहीं हैं, वह आप कब तक लगा देंगे?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्री-स्कूल एजुकेशन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में एनटीटी टीचर्स लगाए गये हैं, जो अभी वर्तमान में अपनी सरकार द्वारा ढाई हजार टीचर्स लगाए गये हैं, जिनमें से अभी पन्द्रह सौ कार्यरत हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में भी और हम लोगों ने भी विभाग द्वारा सरकार से मांग की है और एनटीटी टीचर्स की पूरे प्रदेश भर में बहुत कमी है। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है कि कब लगाएंगे तो निश्चित तौर पर अभी एनटीटी टीचर्स की कमी है, सरकार शीघ्र भर्ती करके पूरे प्रदेश में भी और मावली में भी एनटीटी टीचर्स की व्यवस्था करेगी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

## प्रश्न संख्या 441

अगला प्रश्न, श्री राजकुमार रोत।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़।

## श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का निर्णय

**442. श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों को महंगाई सूचकांक के आधार पर निर्धारित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बेलदार, श्रमिक, खनन मजदूर, खेतीहर मजदूर तथा दुकान एवं व्यापारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने के लिए मजदूर कल्याण बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त बोर्ड का गठन कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने नाई, धोबी, हलवाई, कुंभकार आदि के कल्याण के लिए नीति बनाकर कल्याणकारी योजना लागू करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) के आधार पर दिनांक 6.3.2019 की अधिसूचना से न्यूनतम मजदूरी प्रस्तावित कर नियोजक/ कामगारों व अन्य व्यक्तियों से सुझाव व आपत्तियां चाही गई हैं। प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल के समक्ष विचार-विमर्श उपरान्त राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि की जाएगी। अधिसूचना दिनांक 6.3.2019 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) राज्य में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने के लिए राजस्थान राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल बनाया गया है, जिसका गठन दिनांक 28.1.2016 को किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, जिनको बात करनी है, वे बाहर पधारें आराम से।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (3) भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों को चार अलग-अलग कोड में विभाजित किया गया है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोड आन सोशल सिक्योरिटी भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति की संवीक्षा करने एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर राज्य में नाई, धोबी, हलवाई, कुंभकार आदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए नीति बनाकर कल्याणकारी योजना लागू करने का विचार किया जाएगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय से जानना चाहूंगा, खंड 1 में आपने न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात कही और आपने यह भी कहा कि हमने अधिसूचना जारी कर दी। परिशिष्ट-1 में आपने जो मुझे सूचना दी है, उसमें आपने अधिसूचना के बारे में दो महीने के लिए आपत्ति मांगी थी, आज चार महीने हो गये। आप इन आपत्तियों का निराकरण करके इस पर निर्णय कब कर दोगे? नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने मजदूर कल्याण बोर्ड के गठन की बात आपसे खंड 2 में पूछी और आपने मुझे उत्तर दिया है राजस्थान राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का। मेरा सवाल यह है कि क्या यह सही है कि आपके नीति पत्र के पृष्ठ 15 के क्रमांक 11 पर मजदूर कल्याण बोर्ड के गठन करने की आपने घोषणा की थी? अगर हां, तो मजदूर कल्याण बोर्ड बनाओगे या नहीं बनाओगे?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जो अधिसूचना हमने दो महीने के लिए जारी की है लेकिन बीच में आचार संहिता की वजह से इसमें देरी हुई है। जिस दिन अधिसूचना जारी होती है, लगभग उसी दिन से वह न्यूनतम मजदूरी मान ली जाती है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही समय में इसका गठन करके न्यूनतम मजदूरी घोषित कर दी जाएगी।

आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, हमारे जन घोषणा पत्र में जो हमने दिया है, उसकी हमारी मंशा है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में असंगठित क्षेत्र के बेलदार, श्रमिक, खनन मजदूरों, खेतीहर मजदूरों तथा दुकानों व व्यापारिक केन्द्रों में कार्यरत मजदूरों एवं कामगारों आदि के कल्याण के लिए मजदूर एवं कामगार कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बेलदार एवं खनन मजदूर जो कि खानों से बाहर काम करते हैं, निर्माण श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, इसके लिए राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन हमारी गवर्नमेंट के समय में ही 27.7.2009 को किया गया था। इस गठन में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसका पुनर्गठन जल्दी हो जाएगा। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा, खेतीहर मजदूरों और दुकानों व व्यापारिक केन्द्रों में कार्यरत मजदूर एवं अन्य कामगारों के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक

(श्री टीकाराम जूली)

सुरक्षा बोर्ड का गठन 2012 में, वह भी हमारी गवर्नमेंट के समय में किया गया था, जिसका पुनर्गठन 2016 में किया गया। इसमें भी गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कर पुनर्गठन की कार्यवाही शीघ्र संपादित की जाएगी।

आपने जो तीसरा मेरे से पूछा है कि नाई, धोबी, हलवाई, कुंभकार आदि सभी असंगठित, जो इन दोनों में नहीं आते हैं, उनके लिए आपने कहा है, यह असंगठित क्षेत्रों में कवर्ड होते हैं और जिनके लिए उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गई है। नाई, धोबी, हलवाई, कुंभकार आदि श्रमिकों की विशिष्ट कार्यदशाओं को देखते हुए उनके कल्याण के लिए नीति बनाकर कल्याणकारी योजना लागू करने की भी, जो जन घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने कहा है, उसकी हमारी मंशा है और जल्द ही इसको हम लागू करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मेरा तो सवाल सिर्फ इतना-सा है कि आप यह मजदूर कल्याण बोर्ड कब बना दोगे और आपने जो खुद ने नीति की बात की है, नाई, धोबी, हलवाई, कुंभकार के लिए यह कल्याणकारी नीति कब बना दोगे? आपने जिस अधिसूचना की बात की है, मैं समझता हूं कि यह खंड दो में जो आपने कहा 28.1.2016 को दुबारा जारी हुई, आपके राज में पहले जारी हुई थी, इसकी कितनी मीटिंग आपने कर ली, यह बता दो।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): देखिए, ...(व्यवधान) इसमें हंसने की कोई बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की बैठक मैं ले चुका हूं। चूंकि बीच में आचार संहिता की वजह से मीटिंगें नहीं हो पाईं और पुराने बोर्ड भंग कर दिये गये हैं, नये बोर्डों का गठन होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप तो 2016 के नोटिफिकेशन के आधार पर आपने आखिरी मीटिंग कब की, वह तारीख बता दो, बस खतम बात।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं तारीख अभी आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने वह बैठक अटेंड की है, तारीख मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। बैठक हुई है। यह नहीं है कि हमने कोई बैठक नहीं की।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मंत्री जी कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, हंसने से तो कोई मतलब नहीं है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं सदन में कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठें। अगला प्रश्न, श्री सुरेश टाक।

## ग्रामीण क्षेत्र की परिवहन सेवा सुविधा में बढ़ोतरी की योजना

**443. श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है? संभागानुसार कितनी ग्राम पंचायतें सार्वजनिक बस परिवहन से जुड़ी हुई हैं एवं कितनी पंचायतों में यह सुविधा नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल, समयबद्ध एवं मितव्ययी सार्वजनिक परिवहन सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, इस संबंध में सरकार की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पथ परिवहन निगम की विगत 5 वर्षों से वित्तीय स्थिति क्या है? निगम को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सरकारी परिवहन सुविधा में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**परिवहन मंत्री** (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से वर्तमान में कुल 8952 पंचायतें जुड़ी हुई हैं तथा 940 पंचायतें वंचित हैं। संभागानुसार सार्वजनिक बस परिवहन से जुड़ी हुई एवं वंचित पंचायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत पूर्व में संचालित ग्रामीण परिवहन सेवा के पुन: क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) पथ परिवहन निगम की विगत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति एवं प्रतिवर्ष सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में संचालित निगम वाहनों के अतिरिक्त वाहन संचालित किया जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा पीपीपी मोड पर थी और अप्रैल, 2017 में वह बंद हो गई, आपने लिखा है कि वापस चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मेरी विधान सभा में 25 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर ग्रामीण सेवा की बसें बंद हो चुकी हैं। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का मन है जिससे ग्रामीणों को आने जाने के लिए संसाधन मिले? प्राइवेट टैक्सियां अवैध संचालित हो रही हैं, उन पर अंकुश लग जाए। जान को जोखिम में डालकर यात्री उन जीपों में यात्रा कर रहे हैं, यह भी रुक जाए जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। क्या वैकल्पिक परिवहन सेवा चालू करने का आपका मन है?

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 में ग्रामीण परिवहन सेवा पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्रामीणों के विरोध के बावजूद बंद कर दी गई। जो परिवहन सेवा बंद कर दी गई उसके बाद राजस्थान में जो गांवों में यात्रा करते हैं, जो शहरों से जुड़े हुए लोग थे, उनको बहुत परेशानी हो रही है। इसी संदर्भ में हमने तैयारी शुरू की है और एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ रही है। पूरे राजस्थान का कोई भी गांव ग्रामीण परिवहन सेवा से नहीं छूटेगा। हम वापस ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने जा रहे हैं और वह जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी।

जहां तक आपके विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ को लेकर आपने पूछा, आपके विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में अभी जो बसें चल रही हैं, वह मैं आपको बता दूं कि आपके यहां पर लगभग 553 बसें वहां से गुजर रही हैं। इसके बावजूद जो आप 25 गांवों की बात कर रहे हैं, उन 25 गांवों की सूची आप मुझे उपलब्ध करा देंगे तो मैं उन 25 गांवों के लिए भी जो भी वैकल्पिक व्यवस्था, इस वक्त रोडवेज की स्थिति पिछली सरकार की गलतियों के कारण इतनी खराब है कि वह जो स्थिति बिगड़ी है, उस स्थिति के बाद वर्तमान में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हम जितना भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह हम करेंगे। अभी हमारी इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी चल रही है तो उसमें भी हम देखते हैं कि आपके यहां क्या कर सकते हैं, जो भी हो, उसकी पूरी कोशिश करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण परिवहन बस सेवा की बात कर रहा हूं, बसें संचालित हो रही हैं, शहर में से निकल रही हैं, 553 बसें आपने बताई हैं। ग्रामीण जन जीवन राजस्थान रोडवेज की सेवाओं से वंचित है, मैं उनकी सुविधा के लिए आपसे बात कर रहा हूं कि उनकी सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। इसमें एक क्लू आपको और बता देता हूं ....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बताना नहीं है, प्रश्न पूछना है आपको।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ही है। अधिकारी यह कहकर बसें बंद कर देते हैं कि रोडवेज को रेवेन्यू लोस हो रहा है जबकि यह रिपोर्ट केवल ड्राइवर और कंडक्टर के कहने मात्र से ही मान ली जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): सर, मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर के कहने मात्र से रेवेन्यू लोस होने से बसें बंद हो रही हैं? क्या सरकार इस बात की चिंता करेगी ....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। (व्यवधान) क्या इसमें आपको शक है? इतना जन कल्याण का कार्य हो रहा है, आपके इतने घोचों के बावजूद हो रहे हैं, आपने तो पीछे पड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो भी काम चल रहा है, लोग राज़ी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण परिवहन सेवा की जो बात कही है। राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर से रेवेन्यू लोस की बात को लेकर यदि आपके वहां पर बसें बंद होने की बात आ रही है। विधायकों का सम्मान करना, पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों का सम्मान करना, प्रधान, मैंबर पंचायत समिति, जिला परिषद् को यदि कोई भी ऐसी शिकायत लगती है कि उनके गांव से रोडवेज की बस रुक गयी है। सिर्फ घाटे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
के कारण किसी गांव की रोकी गयी थी तो आप मुझे सूची उपलब्ध करा दें, वहां रोडवेज की बस वापस शुरू कर दी जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल।

## किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण की उपलब्धता

**444. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर किस दर से किस-किस बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा किसानों की उक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर दस लाख रुपये तक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक तथा नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्रेडिट कार्डधारी किसान की मृत्यु, दुर्घटना व फसल नष्ट होने की स्थिति में दिये गये उक्त ऋण को माफ करने या कम करने या ब्याज माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सहकारिता मंत्री** (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत रियायती दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

राज्य के 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार सदस्य द्वारा धारित भूमि, खरीफ व रबी में बोई जाने वाली फसल के आधार पर अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृत साख सीमा अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है।

(2) जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अल्पकालीन कृषि ऋण नीति (केसीसी) में रुपये 3.00 लाख तक के ऋण अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाले क्रेडिट कार्डधारी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजनाओं में फसल खराबा अथवा दुर्घटनावश मृत्यु होने पर बीमा कवर अनुसार राशि कृषक/नामिती के खाते में प्राप्त होती है।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, जैसा कि आपने मुझे जवाब दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण (केसीसी) में तीन लाख रुपये तक ऋण का अनुदान किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, आपने देखा होगा कि किसान जब ऋण लेता है और उसकी सीमा अगर तीन लाख रुपये से ऊपर पहुंचती है, तो कहीं तो 11 प्रतिशत ब्याज लगता है और 12 प्रतिशत तक भी उसका ब्याज पहुंचा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें प्रस्ताव बनाकर भेजना चाहिए।

दूसरा, मैं सवाल करना चाह रही हूं कि खरीफ की फसल, 2018 और रबी की फसल 2018 में केसीसी के साथ फसल बीमा हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र के करवर में बी.बो.बी. बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, लाखेरी इंद्रगढ़, इन बैंकों से किसानों का फसल खराबे का क्लेम अभी तक नहीं मिला। क्या सरकार उस क्लेम को दिलाने के लिए विचार रखती है? साथ में, मेरा दूसरा सवाल है कि पहले की सरकार में यदि पति और पत्नी दोनों ही किसान हैं, तो पत्नी को भी ऋण दिया जाता था, पति को भी दिया जाता है। वर्तमान में हमने भामाशाह को इकाई बना लिया तो मेरा यह सवाल है कि महिला कृषक को आप ऋण नहीं दे रहे, यह गलत है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान में किसी महिला को किसान बनाने के लिए कभी कोई पहल नहीं करेगा। क्या महिला की जो जमीन है, उसकी जमीन पर खाद का, बीज या और किसी तरह का खर्च नहीं होगा? यह मुझे जवाब दें।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीया सदस्या ने उठाया है, उस संदर्भ में यही निवेदन है कि एक-एक परिवार को बहुत ज्यादा लाभ देने के लिए जब यह ऋण माफी की योजना लागू की गयी तो काफी परिवारों को 10-10 लाख रुपये की छूट भी मिली और कई परिवार बिल्कुल वंचित रह गये। जो परिवार दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनके

(श्री अंजना उदयलाल)

मामले में किया गया है, लेकिन हमारी प्राथमिकता महिलाओं को पहले ऋण देने की है तो महिलाओं को पहले ऋण देंगे।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): मेरा आपसे सवाल है कि क्या सरकार राष्ट्रीकृत बैंक में केसीसी से प्रति बीघा जो ऋण लिमिट निर्धारित कर रखी है, क्या उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि केसीसी पर किसान द्वारा केवल ब्याज जमा करवाने के साथ ही केसीसी की लिमिट रिनुअल कर दी जाए, क्या ऐसा मन रखते हैं? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सभी किसानों के द्वारा ऋण हेतु फाइल लगायी जा रही है, लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है। सरकार कब तक उनको ऋण वितरण करवाने की मंशा रखती है?

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): जिनको ऋण वितरण किया जाना है, वह प्रक्रिया लगातार जारी है। आज सुबह तक 100 करोड़ रुपये का ऋण दे दिया गया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह अनपार्लियामेंट्री है। माननीय सदस्य मुझे शक्ल नजर आ रही है Its not desirable. Please.

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): आज शाम तक एक हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर दिया जाएगा।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया, लेकिन मेरा लास्ट में एक और निवेदन है कि जिन सहकारी समितियों में करोड़ों रुपये का गबन हुआ है जैसे हमारे यहां रेवारपुरा की जो सहकारी समिति है, वहां पर हुआ है। किसान का क्या कसूर है? जीएसएस का अध्यक्ष है, उसको कुछ पता नहीं है, आपके सैक्रेटरी जो होते हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का गबन किया और किसान को ऋण ही नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि इसमें तुरंत प्रभाव से जांच करवायी जाए। किसानों को ऋण तो मिलना चाहिए, इसमें किसान का क्या कसूर है? यह मेरा निवेदन है।

**श्री अंजना उदयलाल** (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। जो पूर्व ऋण माफी योजना पूर्ववर्ती सरकार में की गई थी, इसमें काफी अनियमितताओं की शिकायत मिली, इसी कारण से हमने आधार आधारित सत्यापन के बाद ऋण देना शुरू किया है,

(श्री अंजना उदयलाल)

इसलिए आपकी जो शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच की जाएगी, किसी को भी वंचित नहीं रखा गया है। जिस किसान का आधार आधारित सत्यापन हो गया है, उन सबको ऋण दिया जा रहा है और दिया जाएगा।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): 000

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, प्लीज। अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न, श्री रामनारायण मीणा।

## प्रश्न संख्या 445

**(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, श्री हमीर सिंह भायल

## ऊंटों का संवर्धन एवं संरक्षण

**446. श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऊंटों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से बाड़मेर जिले में कितने ऊंट पालकों को लाभान्वित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में ऊंटों की कितनी संख्या है एवं उनके टीकाकरण हेतु क्या-क्या कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है? उक्त कार्यक्रम के तहत कब-कब किस-किस क्षेत्र में शिविर लगाकर चिकित्सा सुविधा दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? पशुवार योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिले में 3 वर्ष से अकाल की स्थिति के कारण ऊंटों को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**पशुपालन मंत्री** (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। प्रदेश में ऊंटों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

(2) प्रदेश में ऊंटों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं में बाड़मेर जिले के लाभान्वित ऊंट पालकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) बाड़मेर जिले में वर्ष 2012 की पशु गणना अनुसार 43172 ऊंट हैं। ऊष्ट्रवंशीय पशुओं में रोग प्रतिरोधक टीकाकरण सम्पादित नहीं किया जाता है, परन्तु तिबरसा/सर्रा रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सर्रा रोग से बचाव हेतु एन्टीसराल औषधियों का उपयोग किया जाता है। गत तीन वर्षो में बाड़मेर जिले में आयोजित सर्रा नियंत्रण शिविरों का स्थान एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में पशु पालकों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) प्रदेश के समस्त अभावग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान पशुओं की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग चारा डिपो एवं पशु शिविरों का आयोजन किया जाता है।

पशुपालन विभाग की पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत माह अगस्त, 2012 से पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं पशु चिकित्सा शिविरों में बीमार ऊंटों का समय पर आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क उपचार किया जा रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय जी को पूछना चाहूंगा कि आज तक कितने ऊंटपालकों को लाभान्वित किया गया है? ऊंटनी के बच्चा होने पर किश्तवार दस हजार रुपये देने का प्रावधान है। बाड़मेर जिले में कितने बाकी हैं और कितने पशुपालकों को भुगतान कर दिया है?

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जवाब में सब कुछ दे रखा है कि बाड़मेर जिले में गत तीन वर्षों में प्रजनन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 2510 ऊंटपालकों को 3340 टोडियों पर प्रोत्साहन राशि देकर तथा 934 पशुपालकों को सर्रा नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

**श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि ऊंटनी का दूध इलाज के लिए बहुत कारगर है, इस हेतु क्या सरकार जोधपुर में या बाड़मेर में दूध डिपो खोलने की इच्छा रखती है?

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मामला ऊंट और ऊंटनियों का है। शायद सदन में आज आखिरी दिन प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने बजट में जयपुर डेयरी में केन्द्र स्थापित करने के लिए पांच करोड़ की घोषणा की थी। बीकानेर में भारत सरकार का एक अनुसंधान केन्द्र है, जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेन्टर फार कैमल। यह पूरे भारत में एक ही सेन्टर है। वहां ऊंटनी का दूध तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है और यह भी माना जाता है कि वह काफी ताकतवर है और अनेक बीमारियों में कारगर है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): भामाशाह पशु बीमा योजना 2016-17 से आपने शुरू की है। 2018-19 में इस योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा हुआ है?

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): भामाशाह पशु बीमा योजना की प्रगति रिपोर्ट 2017-18 में 1286 पशुओं का बीमा किया है। 2018-19 में 246 है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो आपने परिशिष्ट '1' बताया। इसमें आपने लिखा है कि वर्ष 2018-19 में वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण बीमा कार्य नहीं हुआ। यह सही है या वह सही है?

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): नहीं 2018-19 में...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने 2018-19 का ही पूछा है, साहब।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, परिशिष्ट 'अ' आपने जो दिया है, उसमें भामाशाह पशु बीमा योजना में जो माननीय कटारिया जी पूछ रहे हैं। लिखा हुआ है 2018-19 में वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण बीमा कार्य नहीं हुआ। ये पूछ रहे हैं। आप ही के परिशिष्ट '1' का 'ब' भाग जिसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय प्रावधान नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): ऊंट और ऊंटनी का है।

**श्री लालचन्द कटारिया** (कृषि मंत्री): यह ऊंट और ऊंटनी का है, साहब। मेरे पास यह पशुओं के बीमा क्लेम का है। सारी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री अमीनुद्दीन कागजी। राजेन्द्र जी ने खतम करा दिया उसको।

## बयाना (भरतपुर) में वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

**447. श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बयाना जिला भरतपुर में वक्फ बोर्ड की भूमि है? यदि हां, तो पूर्व में कितनी भूमि आबंटित थी तथा वर्तमान में मौक़े पर कितनी भूमि उपलब्ध है?

(2) क्या उक्त भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**अल्पसंख्यक मामलात मंत्री** (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। बयाना जिला भरतपुर में वक्फ बोर्ड की 66 वक्फ सम्पत्तियां हैं, जिनका रकबा 264.01 बीघा है। वक्फ सम्पत्तियों का विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् उपरोक्त वक्फ सम्पत्तियों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परन्तु 05 वक्फ सम्पत्तियों पर 12 व्यक्तियों द्वारा लगभग 3.04 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है।

(2) जी हां। उक्त वक्फ सम्पत्तियों में से 05 सम्पत्तियों पर 12 अतिक्रमियों द्वारा लगभग 3.04 बीघा क्षेत्रफल पर अनधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य आदि किया गया है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

विभाग में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड एवं राजस्थान सरकार स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के तहत सम्पदा अधिकारी, वक्फ द्वारा बेदखली हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है। विचाराधीन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो आपने रिपोर्ट पटल पर रखी है, वह रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट ने कब आपको दी? चूंकि वर्ष 2013 से 2018 के बीच में बयाना स्थित जो कब्रिस्तान है, जो पंचायत समिति के सामने 264 बीघा जमीन है,

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

उसकी स्थिति अभी जैसा आप बता रहे हैं कि 3.04 बीघा पर अतिक्रमण है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर मेरा आपसे निवेदन है कि....

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछिए।

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): आपसे मेरा यह निवेदन है कि जो प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड के सम्पदा अधिकारी द्वारा 6 प्रकरण तो 1992 से लंबित हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, सूचना नहीं देनी है। प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न क्या है?

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): सर, मैं पूछ तो रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न क्या है?

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): प्रश्न यह है कि अभी जो अतिक्रमण हुए हैं और केस जो आपके सम्पदा अधिकारी के पास चल रहे हैं, उनका निस्तारण कितनी जल्दी होगा? और जो अतिक्रमण हैं, उन पर आपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए, यह बताने का कष्ट करें?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने इनको पूरी जानकारी दी है। सीओ के स्तर पर एक प्रकरण चल रहा है और बाकी जो प्रकरण चल रहे हैं, वह सब सम्पदा अधिकारी, वक्फ के यहां पर प्रकरण चल रहे हैं। हमने यह निर्णय लिया है, विभाग द्वारा इनका जल्दी से निस्तारण के लिए निर्देश दिये हैं। मैं समझता हूं कि जितना जल्दी हो सकेगा इस पर कार्यवाही करेंगे क्योंकि लम्बे समय से यह पैंडिंग पड़े हैं। यह कोर्ट के मामले हैं, जब तक कोर्ट से निस्तारण नहीं होता है तब तक हम निर्णय नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): वर्ष 2014, 2018 के बाद में जो अतिक्रमण हुए हैं, क्या उन पर आप मुदकमे दर्ज कराने की मंशा रखते हैं?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी तक जो भी अतिक्रमी हैं, वह

(श्री शाले मोहम्मद)

हमारे यहां चिह्नित हैं और कोर्ट के अंदर अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट के अंदर डिसीजन नहीं होता है, जैसे ही डिसीजन फाइनल हो जाएगा तो तुरंत वहां से बेदखली की जाएगी।

## प्रश्न संख्या 448

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, डा. राजकुमार।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, रामलाल शर्मा।

## सामोद के राजोला बांध के पुनर्निर्माण की योजना

**449. श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सामोद में राजोला बांध बना हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध 1995-96 में तेज बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है?

(3) क्या सरकार ने बांध के पुन: निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, वन** (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम सामोद की पहाड़ी पर एक छोटा तालाब/तलाई निर्मित है जो राजोला बांध के नाम से जाना जाता है।

(2) उक्त बांध के क्षतिग्रस्त होने संबंधित कोई रिकार्ड वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार स्थानीय जानकारी अनुसार उक्त बांध 1995-96 की तेज बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ।

(3) जी नहीं। इस संबंध में वन विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने क्रम संख्या 1 पर यह स्वीकार किया है कि जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सामोद पहाड़ी पर एक छोटा तालाब/तलाई स्थित है। दूसरे खण्ड के अंदर भी आपने

(श्री रामलाल शर्मा)

कहा कि जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार 1995-96 के अंदर यह क्षतिग्रस्त हुआ है। दो बातें आप जल संसाधन विभाग से पूछ रहे हैं। तीसरी, यह है कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पुनर्जीवित करने के लिए एस्टीमेट बनाया है तो आप तीसरे खण्ड में यह कह रहे हैं कि वन विभाग में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर यह प्रस्ताव विचाराधीन है तो मंत्री महोदय, इस इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में जो प्रस्ताव विचाराधीन है, उसको क्रियान्वित करने का मन रखते हैं?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, दोनों एक ही बात है। पुराना बांध था और बाढ़ से टूट गया। चूंकि बांध का काम वन विभाग नहीं करता है। केवल मात्र छोटे एनीकट वगैरह करते हैं। टैक्निकल हैंड आदमी नहीं हैं। अगर एजेंसी प्रस्ताव देगी तो हम नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि आप इस बात को तो कमिट करते हैं कि अगर इर्रिगेशन से प्रस्ताव आएंगे तो आप उसकी एनओसी दे देंगे?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): निश्चित दे देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचंद पारख।

## पाली में सुलभ आवास योजनान्तर्गत श्रमिकों के आनलाइन आवेदन पत्र

**450. श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में सुलभ आवास योजना में किस-किस व्यक्ति का, किस-किस स्थान से, किस-किस तारीख को आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए?

(2) उक्त में से किस-किस प्रकरण की कितने समय में स्वीकृति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में किस-किस अधिकारी द्वारा किन-किन बिन्दुओं की जांच की गई?

(4) उक्त योजना में पात्र होने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं?

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(5) क्या जांच अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड संबंधित दस्तावेज के साथ-साथ भूखण्ड पर पूर्व में मकान निर्मित है या नहीं एवं आवेदनकर्ता के अन्य स्थान पर आवास है या नहीं, की भी जांच की जानी होती है? यदि हां, तो इनमें से कौन-कौन से प्रकरण में भौतिक सत्यापन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सुलभ आवास योजना में कौन-कौन से प्रकरण, किन-किन आक्षेपों के कारण, कितने-कितने समय से लम्बित हैं एवं कौन-कौन से प्रकरण कब-कब, किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त प्रकरणों का निस्तारण सरकार द्वारा जारी निर्देश फीफो पद्धति से किया गया है?

(8) क्या यह भी सही है कि श्रमिक हित में चलाई जा रही उक्त योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें सरकार को की गई हैं? यदि हां, तो इन शिकायतों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा की गई एवं जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष महोदय, तीन मिनट बाकी हैं, साहब।

**(उत्तर जो सदन पटल पर रखा गया)**

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (1) पाली जिले में श्रम विभाग द्वारा मण्डल की निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अन्तर्गत कुल 924 आवेदन आनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनका व्यक्तिवार, स्थानवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त योजना में 156 प्रकरणों में स्वीकृति जारी की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-'1' में समाहित है।

(3) उक्त योजना आवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के नाम परिशिष्ट-'1' में समाहित है।

समस्त स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा योजना में उल्लेखित पात्रता एवं शर्तों की जांच करनी आवश्यक है। पात्रता एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(4) उक्त योजना के निर्धारित मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट-'2' में समाहित है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(5) स्वीकर्ता अधिकारी योजना के प्रावधानानुसार आवास से संबंधित दस्तावेजों की जांच करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि हिताधिकारी जिसके द्वारा उक्त योजना में सहायता हेतु आवेदन किया है, का अन्य कोई आवास नहीं है। हिताधिकारियों द्वारा निर्मित आवास का निर्माण पूर्ण होने का सत्यापन मंडल सचिव द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। भौतिक सत्यापन किये गये प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-'3' पर संलग्न है।

(6) हिताधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अपूर्ण भरे जाने पर अथवा वांछित दस्तावेज/सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में आक्षेप पूर्ति होने तक आवेदन लम्बित रहते हैं। वर्तमान में विभाग के स्तर पर 204 आवेदन एवं हिताधिकारियों के स्तर पर 552 आवेदन लम्बित हैं। हिताधिकारी के निर्माण कार्य में नियोजित नहीं रहे होने की पुष्टि होने पर अथवा पंजीयन तिथि से 6 माह पूर्ण होने की अवधि से पूर्व किये गये आवेदन, भूखण्ड अथवा आवास पर हिताधिकारी के पति/पत्नी का मालिकाना हक नहीं होने की स्थिति में अथवा हिताधिकारी का पूर्व में ही आवास होने अथवा मालिकाना हक विवादग्रस्त होने की स्थिति में आवेदनों को निरस्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पाली जिले में विभाग की टीम द्वारा 169 प्रकरणों में सोशल आडिट कराई गई जिनमें 98 पंजीकृत/लाभान्वित श्रमिक अपात्र पाये गये जो कि कुल प्रकरणों का 58 प्रतिशत है।

सुलभ्य आवास योजना में लम्बित एवं अस्वीकृत किये गये प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-'1' में समाहित है।

(7) मण्डल की समस्त योजनाओं में आवेदनों का निस्तारण फीफो पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(8) विभाग को, निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अपात्र श्रमिकों अथवा ऐसे श्रमिकों जो निर्माण कार्य में नियोजित नहीं हैं, के द्वारा आवेदन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग द्वारा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर दल गठित कर जांच करवाई गई है। विभाग द्वारा आवेदनों में अनियमितता के दोषी पाये गये 25 ई-मित्र केन्द्रों के संचालकों एवं 123 सिटीजन्स की आई.डी. बन्द की गई है तथा पंजीयन/योजनाओं के आवेदन निस्तारण में अनियमितताएं करने के क्रम में 6 विभागीय अधिकारियों, 4 श्रम निरीक्षकों, 6 मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

**(विवरण पुस्कालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी आप सीधे ही उत्तर दे दें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक ही है कि जो विभाग में पाली शहर में सुलभ आवास में प्रकरण स्वीकृत किये हैं, क्या उन स्वीकृत प्रकरणों की आप भौतिक सत्यापन की जांच आपके किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम से करवाने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं ? ताकि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मंशा रखते हैं। उच्चाधिकारियों से इसकी जांच करा देंगे।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय, कितनी अवधि में आप यह जांच करवा देंगे?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): कल ही आदेश जारी हो जाएंगे।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): एक लास्ट है। जांच में जो शिकायतकर्ता है, उसके भी व्यू आप लेने के निर्देश दें ताकि आप उनसे भी पता लगा सकें।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): शिकायत आप हमें दे दीजिए। उसके आधार पर हम जांच करा देते हैं और उसमें जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करवा देंगे।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): कितनी अवधि में जांच पूर्ण करवा देंगे?

**श्री अध्यक्ष**: अब नहीं। अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा।

## सलूम्बर उप खण्ड मुख्यालय पर परिवहन कार्यालय की स्थापना

**451. श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर जिले के सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया, ऋषभदेव, खेरवाड़ा तहसील क्षेत्रों के कितने वाहनों का पंजीयन जिला परिवहन कार्यालय उदयपुर में 3 वर्षों में किया गया? वर्षवार, तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किन-किन जिलों में एक से अधिक परिवहन कार्यालय स्थापित हैं?

(3) क्या किसी तहसील मुख्यालय/उपखण्ड मुख्यालय में भी परिवहन कार्यालय स्थापित किया गया है? यदि हां, तो उसका नाम एवं उसमें पंजीयन हुए वाहनों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

(4) क्या सरकार उदयपुर जिले के सलूम्बर उप-खण्ड मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**परिवहन मंत्री** (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): नहीं खोया, आप चिंता मत करो। आप घबराओ मत। पूरा जवाब देंगे। पूरी तैयारी है। आप चिंतित मत हो। थे म्हारा सूं जूनियर हो, जूनियर बनर ही रहो। यूनिवर्सिटी मैं बाद में आया। मान लिया यहां आप सीनियर हो। मान लिया।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष की तरफ देखकर बात करें।

**(12.00 बजे)**

**परिवहन मंत्री** (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) उदयपुर जिले के सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया, ऋषभदेव, खेरवाड़ा तहसील क्षेत्रों के वाहनों के पंजीयन की वर्षवार सूचना निम्नानुसार है:-

| तहसील | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| सलूम्बर | 2700 | 3000 | 3300 |
| सराड़ा | 900 | 1000 | 1100 |
| लसाडिया | 900 | 1000 | 1100 |
| ऋषभदेव | 2250 | 2500 | 2750 |
| खेरवाड़ा | 2700 | 3000 | 3300 |
| **योग** | **9450** | **10500** | **11550** |

(2) वर्तमान में जिन-जिन ज़िलों में एक से अधिक कार्यालय स्थापित है, उनकी सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(3) जी हां। तहसील मुख्यालय/उपखण्ड मुख्यालय में भी परिवहन कार्यालय स्थापित हैं, इनके नाम एवं इनके 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत वाहनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

| परिवहन कार्यालय का नाम | पंजीयन हुए वाहनों की संख्या |
|---|---|
| दूदू | 47853 |
| कोटपूतली | 144206 |
| चौमूं | 58107 |

(परिवहन मंत्री)

| परिवहन कार्यालय का नाम | पंजीयन हुए वाहनों की संख्या |
|---|---|
| शाहपुरा (जयपुर) | 45284 |
| सुजानगढ़ | 45557 |
| खेतड़ी | 665 |
| भिवाड़ी | 74588 |
| ब्यावर | 174489 |
| किशनगढ़ | 56191 |
| केकड़ी | 37820 |
| डीडवाना | 215673 |
| बालोतरा | 65889 |
| फलौदी | 42428 |
| आबूरोड | 41548 |
| भीनमाल | 73130 |
| शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 71708 |
| रामगंज मंडी | 91082 |
| नोहर | 49695 |
| नोखा | 22061 |

(4) जी नहीं। जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने के लिए उपखण्ड में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर कार्यालय खोले जाने का प्रावधान है। सलूम्बर उपखण्ड में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1 लाख से कम है जिससे सलूम्बर उपखण्ड में जिला परिवहन कार्यालय खोलने का विचार नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आधे घंटे की चर्चा।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका...

**श्री अध्यक्ष**: आप प्लीज बैठें, वकालत करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, आप बैठें। आधा घंटे की चर्चा, मदन दिलावर, don’t do it. Please, आप मुझे नहीं सिखाएं।

# आधे घण्टे की चर्चा

## रामगंज मण्डी में ए.एस.आई. कंपनी द्‌वारा श्रम कानूनों की अवहेलना (तारांकित प्रश्न संख्या 331 दिनांक 24.7.2019)

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 24 जुलाई को प्रश्न था, 331 प्रश्न संख्या थी। मैंने पूछा था, क्या विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में संचालित एएसआई कम्पनी द्‌वारा श्रमिकों व ठेका श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर बनाकर रखा जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का श्रमिकों व ठेका श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

इन्होंने कहा कि जी हां, रजिस्टर रखा जाता है। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी में कार्यरत ए.एस.आई. कंपनी कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत संस्थान है तथा संस्थान में कार्यरत नियमित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखा जाता है। इस संस्थान में कोई ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है।

इससे बड़ा असत्य, इस सदन को इस तरह से जवाब देना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई असत्य नहीं हो सकता।

फिर आगे लिखा है श्रम विभाग राजस्थान द्‌वारा किसी भी संस्थान के रिकार्ड का संधारण नहीं किया जाता है। वक्त निरीक्षण ही संस्थान का रिकार्ड जांचा जाता है। अत: संस्थान के श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर की प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम बने हुए हैं। नियम यह है कि उपस्थिति रजिस्टर के संबंध में फैक्टरी एक्ट, 1948 के तहत बने राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 108 के अनुसार सभी प्रकार के श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर फार्म नंबर 28 रजिस्टर के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए ताकि जब जांचकर्ता जाए तो उस रजिस्टर से मिलान कर सके कि रजिस्टर में कितनी उपस्थिति है और कितने बिना उपस्थिति के यहां पर काम कर रहे हैं पर यह रजिस्टर यहां नहीं रखा जाता है।

मैंने पूछा था, क्या श्रमिकों व ठेका श्रमिकों को उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार उपस्थिति कार्ड व साप्ताहिक अवकाश कानून के अनुसार दिया जाता है? यदि हां, तो उपरोक्त सभी श्रमिकों को गत तीन वर्षों में कब-कब साप्ताहिक अवकाश दिया गया?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, जीरो आवर है, प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): इन्होंने कहा जी हां, अवकाश दिया जाता है। नियमित श्रमिकों को संस्थान द्वारा साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। उपस्थिति कार्ड नियमित श्रमिकों को नहीं दिया जाता है, वरन् नियमित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर ही संस्थान द्वारा संधारित किया जाता है। उपस्थिति कार्ड ठेका श्रमिकों को ही दिया जाता है तथा संस्थान में कोई ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है। श्रम विभाग द्वारा किसी संस्थान का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। साप्ताहिक अवकाश के संबंध में संस्थान में श्रम क़ानूनों की अवहेलना नहीं हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा कि संधारण रखता है। मैंने यह पूछा था कि संस्थान रखता है क्या? लेकिन प्रश्न को घुमाने के लिए, इस सदन को भ्रमित करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, इस प्रकार से यह जवाब दिया गया है ताकि माननीय सदन इस बात को नहीं समझ सकें और हमारे प्रश्न को ठीक मान लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा, नहीं रखा जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, सबके टेलीफोन की आवाज आती है, या तो बाहर जाकर बात करें। सब टेलीफोन पर बात करते हैं, आवाज आती है यहां।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आप टेलीफोन जब्त नहीं करोगे, तब तक अक्ल नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, हम सब छोड़कर आते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आपकी बात मान ली उन्होंने।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1948 कारखाना अधिनियम है, उसके 151 के नियम 107 के अनुसार, कार्यालय में प्राप्त किये जाने, इनको देखने का अधिकार है, इनको रिकार्ड मंगाने का अधिकार है, रिकार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने यह कहा कि यह दिया जाना सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सदन को गुमराह करने का यत्न कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेका श्रमिकों का नियोजित रजिस्टर होता

(श्री मदन दिलावर)

है। कारखाना अधिनियम, 1948 के नियम, 1951 के नियम 81 के अंतर्गत फार्म नम्बर 13 जो रजिस्टर के रूप में संधारित रखा जाना चाहिए ताकि उसका निरीक्षणकर्ता उसका मिलान कर सके कि नियोजित श्रमिक कितने हैं और कितने काम कर रहे हैं, यह भी रखा जाता है।

यही नहीं, 20 दिनों से ज्यादा कोई श्रमिक काम करता है, तो उसका एक दिन का सवैतनिक अवकाश बनता है। रिकार्ड नहीं रखने से उनको अवकाश भी नहीं मिल रहा है। यही नहीं, कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज भी नहीं कराते, क्योंकि उसकी ईएसआई नहीं कटती है जबकि नियमों में यह प्रावधान है।

मैं पहले वेतन पर्ची के बारे में बताना चाहता हूं। मजदूर को भुगतान करने से पहले, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत, भुगतान के पहले उसको पर्ची दी जाती है, ताकि वह मिलान कर ले कि मैंने जो काम किया है, उसके अनुसार वेतन पर्ची में राशि है कि नहीं है, परन्तु वेतन पर्ची नहीं दी जाती है, इसलिए नहीं दी जाती ताकि वह मिलान नहीं कर सके और नियोक्ता ने वहां जो राशि दे दी, उस राशि को स्वीकार कर ले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा चिकित्सा के संबंध में भी निवेदन है। चिकित्सा के संबंध में भी नियम बने हुए हैं। 1948 कारखाना नियम 14 के अंतर्गत, स्वास्थ्य रजिस्टर, जो रजिस्टर नम्बर 19 में तैयार किया जाना चाहिए, वह भी नहीं रखा जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन था, इन्होंने मुझे जानकारी दी है कि कोई भी ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 35 हजार से ज्यादा ठेका श्रमिक ए एस आई कम्पनी में कार्यरत हैं। अगर टोटल रामगंज मण्डी क्षेत्र के खानों की बात करूं तो कम से कम एक लाख से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं। ए एस आई कम्पनी जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, वैसा ही और भी करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण मजदूरों का नुकसान होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि ठेका श्रमिक नहीं है, तो फिर यह लदान किससे करते हैं, पालिशिंग किससे करवाते हैं, कटिंग किससे करवाते हैं? ऐसी सारी की सारी बातें हैं।

(श्री मदन दिलावर)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में यह करते क्या हैं। वास्तविकता तो यह है कि ए एस आई कम्पनी है, यह अनआफिशियली 100x65 वर्ग फीट का एक पीस होता है, उसको किसी को दे देते हैं और उससे करोड़ रुपये पहले ही ले लेते हैं। फिर रिकार्ड में दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो कारीगर रोज देते हैं जबकि उसमें 20 कारीगर लगते हैं। 20 मजदूर लगते हैं, वह वैसे ही रोज लाते हैं। मतलब उनको बिना रिकार्ड के रखा जाता है। उनका कहीं भी रिकार्ड नहीं रखने के कारण उनका ईएसआई नहीं कटता, पी एफ नहीं कटता। एक्सीडेंट हो जाए तो उनको क्लेम नहीं मिलता है। कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं कराया जाता।

यहां माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि इस महीने में 60 मजदूर थे, इस महीने में 65 थे, यानी दो अंकों से ज्यादा मजदूर वहां नहीं बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा 35 हजार, मैं समझता हूं कि इतने लोगों का शोषण हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं, क्या यह वेतन रजिस्टर, वेतन पर्ची रजिस्टर संधारित करेंगे? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि वहां न्यूनतम मजदूरी क्या है? या पीस रेट के आधार पर काम होता है तो पीस रेट की डिटेल बताएं। चैक से भुगतान नहीं होता है तो चैक से भुगतान क्यों नहीं किया जाता है? कितने मजदूरों को 2011 में ओवर टाइम दिया गया? वह भी महीनेवार बताएं। सरकार द्वारा निर्धारित जो रजिस्टर हैं, उपस्थिति रजिस्टर है, नियोजन रजिस्टर है, चिकित्सा का रजिस्टर है, वेतन पर्ची रजिस्टर है, यह सारा का सारा संधारित कराने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? यह मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा जो कहा गया है, श्रमिकों के सम्बन्ध में बताया गया है, खनन श्रमिक हैं उनके लिए है और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों, खनन श्रमिक और फैक्ट्री श्रमिक में अन्तर है। माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उसमें मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि Business Reform Action Plan, 2017 भारत सरकार के Department of Industrial Policy and Promotion से प्राप्त हुआ था जिसके तहत Ease of doing business

(श्री टीकाराम जूली)

तथा श्रम सुधारों से सम्बन्धित शत-प्रतिशत बिन्दुओं का क्रियान्वयन राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया गया। इसके परिणामस्वरूप पूरे भारतवर्ष में राजस्थान को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। अभी 2019 के एक्शन प्लान पर कार्य चल रहा है। श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची Concurrent list में शामिल है अर्थात् श्रम सम्बन्धी विषयों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों कानून बनाकर लागू करती हैं। विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन केन्द्र सरकार द्वारा भी किया जाता है। जिन विषयों के सम्बन्ध में समुचित सरकार केन्द्र सरकार है, वहां पर श्रम कानूनों का प्रवर्तन केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। खनन ऐसा ही एक विषय है जिसमें श्रम कानूनों का प्रवर्तन केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि निम्नलिखित अधिनियमों के तहत खनन के सम्बन्ध में समुचित सरकार केन्द्र सरकार है।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): मैं खनन के बारे में नहीं पूछ रहा।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं बताना चाहूंगा - 1. “Section 2(a) -THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970,

2. Section 2(a) - The EQUAL REMUNERATION ACT, 1976,

3. Section 2(a) - THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947,

4. Section 2(a) - THE INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979,

5. Section 3(a) - THE MATERNITY BENEFIT ACT, 1961,

6. Section 2(b) - THE MINIMUM WAGES ACT, 1948”;

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठें, एक सैकण्ड।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): केन्द्र सरकार के जो एक्ट हैं, वे सारे इंग्लिश भाषा में ही हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, सीधा प्रश्न माननीय सदस्य का है, उसको समझ लें। लेबर में, कारखाना लेबर और खनन के लेबर आते हैं या नहीं? बाकी एक्ट का नहीं है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं वही बता रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: उनका सिम्पल है। उनका प्रश्न यह है कि जो आपका खनन है, खनन के अन्दर जो काम करने वाली लेबर है और कारखाने में काम करने वाली लेबर है, दोनों तरह की लेबर, लेबर डिपार्टमेंट में आती है। इनका प्रश्न यह है कि वहां पर जो लेबर काम कर रही है, उन लेबर का रजिस्टर संधारण नहीं होने से जो ठेके पर काम करने वाले आदमी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उनको वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो एक मजदूर को मिलने चाहिए, यह मोटा प्रश्न है। तो आपके नियम और कानून में, यह आपके विभाग में आता है या नहीं?

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): मैंने तो खनन का पूछा ही नहीं श्रीमान्।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं वही बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 सैक्शन मैंने बता दिये, 3 और बता देता हूं। 9 सैक्शनों के अन्दर.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: सैक्शन तो बता दिये। आप तो दूसरा बता दें सैक्शन के अलावा।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो उसके अन्दर काम हो रहा है, वह किस-किस के अन्तर्गत आता है। एएसआई, रामगंज मण्डी संस्थान के खनन करने वाले श्रमिकों के पीएफ, ईएसआई व न्यूनतम मजदूरी के बारे में आपने जो पूछा है। ईएसआई के सम्बन्ध में द एम्प्लायज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948 बना हुआ है, जिसका प्रवर्तन अधिकारी राज्य बीमा निगम के अधीन कार्यरत निरीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो कि केन्द्र सरकार के अधीन है। अभी क्लीयर हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, आप सुनिये। कानून का कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर में नाम ही अंकित नहीं है तो कानून की पालना का सवाल नहीं उठता है। आप तो मोटा-मोटा बता दें कि जो भी वहां पर खनन में काम कर रहे हैं उन लोगों का रजिस्टर वहां पर होता है या नहीं होता है? बाकी सब चीजें बाद की हैं।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): रजिस्टर होता है, सर। अब दो चीजें हैं, सर। जो कारखाना के अन्दर रजिस्टर है, वह उन्हीं का रखा जाता है, जो कारखाने के अन्दर मजदूर काम करते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बार-बार उस बात को कह रहे हैं। कारखाने का मजदूर अलग है, जो खनन काम कर रहा है उसमें सब-लैट होता है, सब-लैट करने का मतलब वह आदमी जिन लोगों से काम लेता है, उनका रजिस्टर संस्था में नहीं होता है और नहीं होने के कारण वे जो सब-लैट में काम करने वाले आदमी हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अपनी व्यवस्था इस तरह है कि क्या उस जगह पर काम करने वाले कारखाने के अलावा जो सब-लैट की लेबर काम कर रही है, सबको मालूम है कि वहां सब-लैट से काम होता है तो क्या उन सब-लैट वाले, काम करने वाले आदमियों का कोई रजिस्टर उस संस्था में होता है या नहीं होता है?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): सर, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं। ये दो अलग-अलग संस्थान हैं। एक कारखाना है, एक खनन का है।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): खनन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): जहां खनन हो रहा है उनका रजिस्टर खनन के पास है, जहां फैक्ट्री के अन्दर काम हो रहा है, उनका रजिस्टर फैक्ट्री में मौजूद है। माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि उसके रजिस्टर अपना श्रम विभाग रखता है क्या? हमने यह कहा कि हम नहीं रखते हैं, फैक्ट्री के जो स्टाफ हैं या वहां जो हैं, वहां पर वह रजिस्टर रखा जाता है। उसकी जांच हम लोग करते हैं। हम लोगों ने जांच की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना भी चाहूंगा कि वहां पर लगातार जो जांच हुई है, उसमें कारखाने की जांच हुई है। इसमें दो चीजें हमारे अण्डर में आती हैं, एक बोनस का है और एक मजदूरी का है....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय मंत्री जी, आप बैठें। कटारिया जी, आप कुछ पूछ रहे हैं?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में वहां श्रमिक काम कर रहे हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए आपके पास कोई अधिकार हैं या नहीं और आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारखाने के अन्दर मजदूर काम कर रहे हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा.....

**श्री अध्यक्ष**: आप बार-बार, यह कारखाना छोड़ दीजिए। आप एक बार जवाब दीजिये कि कारखाने के अलावा भी वहां काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? फोरगेट अबाउट कारखाना। प्लीज, मंत्री जी, आप बात को सुनें। आप इतनी बड़ी समस्या है, उसको समझें। कारखाने में काम करने वाले आदमी के लिए रजिस्टर हैं, उनको वेज मिलती है, उनका एम्प्लायमेंट का तरीका है। हजारों आदमियों से काम लिया जा रहा है। जो आदमी वहां मजदूरी कर रहे हैं, जिनके प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में सदस्यों की चिन्ता है, उनका रजिस्टर नहीं होता है। रजिस्टर नहीं होने से उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उनको किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। क्या हम इस तरह की व्यवस्था करने में विश्वास रखते हैं? सरकार की मन्शा है या नहीं है? कानून का वर्णन कर रहे हैं, वह तो उनके लिए कर रहे हैं। ये जो आदमी आपके उस कानून के अन्दर नहीं आ रहे हैं, उनके सम्बन्ध में विभाग अपना कोई विचार रखता है या नहीं रखता है, यह सबकी चिन्ता है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठें, कोई मिक्स नहीं कर रहा है। प्लीज बैठें आप। आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। सबको मालूम है कि कारखाना में एक रजिस्टर होता है, कारखाने में एम्प्लाई की एक व्यवस्था होती है जिसको आप बार-बार रैफर कर रहे हैं। यह इश्यू नहीं है। हजारों आदमी वहां ऐसे काम कर रहे हैं जो माइनिंग का काम कर रहे हैं, जो एएसआई का कारखाना है उसको रॉ मैटेरियल सप्लाई करते हैं। कारखाना कैसे चल रहा है? कारखाना चल रहा है उन रॉ मैटेरियल का काम करने वाले लोगों पर। वे जो आदमी वहां पर काम कर रहे हैं, जिन लोगों से काम ले रहे हैं उन लोगों के प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में लोगों की चिन्ता है। क्या हम उनका प्रोटेक्शन करने की व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप कारखाने की बात कर रहे हैं, कारखाने में माल क्या आ रहा है? रॉ मैटेरियल आ रहा है। क्या पत्थर ही आ रहा है, पत्थर कोई काटकर ला रहा है, काटने वालों की लिस्ट अपने पास है? यदि लिस्ट है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, कारखाने

(श्री टीकाराम जूली)

के अन्दर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं। आप जवाब सुन ही नहीं रहे हैं और उससे पहले ही बोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बोलें।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): कारखाने के अन्दर जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक चीज कहना चाह रहा हूं कि खनन जो है वह केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आता है, उसमें हमारे नियम, कानून, कायदे जरा भी प्रभावी नहीं हैं। उसके अन्दर हम कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, बैठें आप। यह सरकार का व्यू ठीक नहीं है। प्लीज अण्डरस्टैंड इट। हम कहें कि यह खनन भारत सरकार में आता है और वे जो हमारे काम करने वाले आदमी हैं, उनके प्रोटेक्शन के बारे में हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं, यह हमारा व्यू ठीक नहीं है। कानून की व्यवस्था है कि सेण्ट्रल एक्ट है, सेण्ट्रल एक्ट के अन्तर्गत यह हो, लेकिन राजस्थान सरकार को भी उनके प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में कुछ चिन्ता करके यदि नियम नहीं हैं तो नियम बनाये जाने चाहिए जिनसे उनका प्रोटेक्शन हो सके। यह सबकी चिंता है इसलिए आप बार-बार यह कहें कि यह सेंट्रल एक्ट में आ रहा है, सेंट्रल एक्ट का प्रोविजन है तो सेंट्रल एक्ट के प्रोविजन के बाद भी राजस्थान में काम करने वाला जो मजदूर है उसका एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उसको फायदा नहीं मिल रहा है। उसके साथ व्यवस्था करने के लिए सरकार को कोई न कोई नियम बनाकर उनके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करने का मन बनाना चाहिए, यह सबकी चिंता है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो चिंता जाहिर की है, वह सही है। इसके अंदर केन्द्र सरकार अभी ऐसा कानून बना रही है कि अभी जो स्थिति अपने सामने आ रही है, इसी को लेकर, जो 44 एक्ट है, उनको इकट्ठा करके चार एक्ट बना रही है केन्द्र सरकार। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, आपने खुद ने यह कहा कि यह कान्करेंट लिस्ट में होती है। कान्करेंट लिस्ट का मतलब जहां सेंट्रल भी है, वहां

(श्री अध्यक्ष)

स्टेट गवर्नमेंट भी है तो जो सब्जेक्ट कान्करेंट लिस्ट में आता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले सकती है। यदि उसके अंदर नहीं है तो मेहरबानी करके इस पर चिंता करें और चिंता करके विभाग में चर्चा करें और फिर दुबारा इसकी चर्चा कराएंगे। आज आप सबकी चिंता के बारे में सरकार ध्यान रखे, यह कहना है। यह चर्चा समाप्त हुई। अगला 131. (व्यवधान)

# सूचना

## चिमाना गांव ओसियां में हुई मृत्यु के विरुद्ध आक्रोश

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। बहुत गंभीर है और फिर जैसे ही वह पीलोदा वाली घटना हुई थी कि लोगों की एक सहनशीलता का बांध टूट जाता है और फिर कोई न कोई हिंसा में परिणत हो जाता है, उसमें पुलिस का कुछ नहीं बिगड़ता है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें पुलिस का कुछ नहीं बिगड़ता। जो लोग वहां पर लड़ते-मरते हैं, वह लोग मुकदमों में बर्बाद हो जाते हैं, दस-दस साल तक।

मैं यह कह रहा हूं कि यह जो घटना है, नवलराम की, जो 29 तारीख की घटना है और चिमाना गांव के हैं, चौकू और यह बाप एरिये में है, 29 तारीख से डैड बाडी लेकर लोग बैठे हुए हैं। ओसियां से आने वाली माननीय विधायक ने इसकी सूचना हाउस में दे दी कि इस प्रकार यह हुआ है। बाप से आने वाले विधायक ने सूचना भी दे दी और अधिकारी से भी मिल लिया। आपसे भी और मुख्य मंत्रीजी से भी मिल लिया। अभी तक भी, कल पहली बार एस.पी. और कलेक्टर जो हैं, वह पहली बार गये हैं। 29 तारीख को डैथ हो गयी, वह डैड बाडी पड़ी है, गांव के लोग उस डैड बाडी को लेकर 4 दिन से बैठे हैं, आखिर उसके बारे में कोई तो निर्णय करें, कुछ तो किसी तरह से इसको सुलझाएं, नहीं तो आगे चलकर क्या होगा कि लोग आपस में भिड़ जाएंगे और पुलिस को तो कुछ नहीं, डंडे बरसा कर मुदकमे दर्ज करके बर्बाद कर देगी लेकिन वह गांव के लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक तो उनका आदमी मरा और दूसरा न्याय के लिए वह चार दिन से वहां पर बैठे हुए हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि आप तुरंत, जो भी आपका इंचार्ज हो, चाहे तो एस.पी., कलेक्टर को भेजकर समस्या का समाधान करें ताकि लोगों को न्याय मिले और डैड बाडी का भी संस्कार हो और दूसरा जो भी उसमें मुलजिम हों यानी, सात और आठ बजे लूट होती है दिन के समय में, उसके आदमी, मुलजिम अभी तक भी नहीं पकड़े जाते हैं तो लोगों के दिमाग में एक गुस्सा तो रहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका तुरंत निर्णय करें, नहीं तो वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति है। अभी भी हजार-डेढ़ हजार लोग, लगातार चार दिन से वहां धरने पर सड़क रोककर बैठे हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा कि आपने समस्या बताई है निश्चित तौर पर इसको देखकर और जो भी अविलम्ब इस पर कार्यवाही हो सकती है, उसको करवाने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: देवनानीजी। एक मिनट, पहले देवनानीजी।

## अजमेर में बरसात से जन-धन की हानि

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल अजमेर में दो घंटे के अंदर 114 एम.एम. बरसात हुई, जिसके कारण से आस-पास की सारी कालोनियों के घरों में पानी भर गया और आज 24 घंटे बाद भी वहां पर पानी भरा हुआ है जिसके कारण से लोग न खाना पका पा रहे हैं और न बाहर निकल पा रहे हैं, सारा वहां पर जाम हो रहा है और उसके साथ सारी सड़कों पर पानी भरा हुआ है और एक मकान भी गिर गया जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

मेरी सरकार से यह अपेक्षा है कि तुरंत आनासागर के जो गेट हैं, वह खोल दें ताकि वहां से पानी निकल जाए और साथ में पम्प लगाये जाएं ताकि पानी निकल सके और उनको राहत सामग्री तुरंत पहुंचाए जिसके कारण से जन-जीवन भी सामान्य हो सके। नहीं तो कोई मकान गिर जाएगा तो फिर कहीं न कहीं और डैथ होगी, जिसके बारे में मैंने चिंता प्रकट की है, उसके बारे में सरकार तुरंत ध्यान दे और कलेक्टर को निर्देश दे।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आनासागर के गेट वगैरह खोल दिये गये हैं और उसके बाद पानी की काफी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

निकासी हो रही है और भी जो इन्होंने सुझाव दिये, उसके ऊपर सरकार गौर करेगी।

**श्री अध्यक्ष**: श्री धर्मनारायण जोशी।

## उदयपुर में नागदा डेयरी में नकली पशु आहार के कारण 62 गायों की मृत्यु

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को एक सूचना निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में केशव नगर में पिछले 20-25 दिनों में 62 गायें मर गईं और वह नकली पशु-आहार सप्लाई होने के कारण से मरीं और व्यापारी पुलिस के माध्यम से जो पशुपालक हैं उन पर प्रेशर करके कि मैं आपसे 20-25 लाख रुपये मांगता हूं और रुपये मुझे देने पड़ेंगे नहीं तो आप पर केस करूंगा। केशव नगर में नागदा डेयरी की 62 गायें पिछले 20 दिन में मर गईं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि निष्पक्ष जांच कराकर ऐसे नकली पशु-आहार बनाने वालों को दंडित कराएं।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद। 131, श्री ज्ञानचंद पारख।

# ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

## पाली नगर परिषद् में पट्टे जारी करने में की गईं अनियमितताएं

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगर परिषद्, पाली में लम्बे समय से पट्टों के प्रकरणों का निस्तारण नहीं करने के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: पहले आप एक बार जवाब सुन लें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पाली के मामले में जो पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं, इस बाबत काल अटेंशन लगाया है। मेरा उसमें निवेदन यह है कि नगर परिषद्, पाली में स्थित मानसरोवर आवासीय योजना, जिसके बाबत ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण, प्लीज। माननीय सदस्य, यह बहुत गलत परम्परा है। मिनिस्टर्स के चैम्बर्स हैं, जिनको भी मिलना है, उनके चैम्बर में जाकर मिलें, सदन में नहीं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने वैसे, मोटे तौर पर माननीय सदस्य ने खसरा नम्बर-246 के बाबत बात की है। मैं आपको दोनों, तीनों योजनाओं के बाबत बता देता हूं। खसरा नम्बर-246 के बारे में तो आपको विस्तार से बता दूंगा लेकिन जो मानसरोवर योजना है जिसमें कि 107 पट्टे भूखंडों के बांटना हैं। उसमें से 88 भूखंडों के पट्टे जारी हो चुके हैं और 6 आवेदकों के पट्टे जारी होना अभी लम्बित है, पत्रावली तैयारी पर है।

दूसरी योजना थी बसंत विहार, बसंत विहार योजना में कुल 160 भूखंड हैं। 8 भूखंडों के पट्टे जारी हुए हैं। 8 सिर्फ, 160 में से, इसका कारण यह है कि ई.ओ. के द्वारा यह भूमि राजकीय भूमि डिक्लेयर कर दी गयी है। न तो इसका कन्वर्जन हुआ और न इसका ले-आउट प्लान पास हुआ और न ही इसकी आगे कोई कार्यवाही हुई इसलिए इसमें पट्टे नहीं दिये जा सकते।

तीसरी बात यह है, जो आपने खास बात लिखी है खसरा नम्बर-246, यह 246 जो खसरा नम्बर है, यह गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके बाबत दूसरी बात यह है कि राज्य हित में मतलब, यह जमीन सरकार के नाम पर दर्ज हो चुकी है इसलिए इसमें भी पट्टे नहीं दिये जा सकते क्योंकि न तो इसका ले-आउट प्लान कभी पास हुआ और यह फिर यह नगर परिषद् से यू.आई.टी. को ट्रांसफर भी हो गयी, एक बात।

दूसरी बात यह है कि इसमें, इस खसरा नम्बर-246 में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास खसरा नम्बर-250 के जो मील सोसाइटी है, उसके आबंटन के पत्र हैं। खसरा नम्बर-246 में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास पट्टे किसके हैं? मील सोसाइटी के पट्टे वहां पर हैं तो इसलिए पट्टे नहीं दिये जा सकते क्योंकि खसरा नम्बर-250 के सारे पट्टे जारी हो चुके हैं। समस्या सबसे बड़ी यह है कि एक तो राजकीय भूमि डिक्लेयर हो गयी। दूसरा यह है कि खसरा नम्बर-246 में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास खसरा नम्बर-250 के पट्टे भी नहीं हैं। खसरा नम्बर-250 के सारे पट्टे बांट दिये जा चुके हैं तो इसलिए इसमें जो कुछ भी कार्यवाही हो सकती है, वह हो भी रही है और आगे जो लम्बित है, उसको भी जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय मंत्री महोदय, जो पहली बात आपने की है मानसरोवर योजना की उसमें 88 पट्टे जारी हुए, यह सही है पर उसके बाद में भी अभी, कुल 107 भूखंड हैं तो बाकी भूखंडों के पट्टे इसलिए

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वह नहीं दे रहे हैं कि यह फाइल माथुर आयोग को भिजवाई गयी है जनवरी, 2009 में इसलिए इसको बंद करके रख दिया जबकि माथुर आयोग में जो मूल पत्रावली गयी उसके बावजूद भी कइयों को डुप्लीकेट पत्रावली बनाकर भी पट्टे दिये हैं। जब कइयों को दिये हैं तो बाकी को भी दे दो, मैं यही कह रहा हूं, और कोई बात नहीं कह रहा हूं। कुछ को तो दे दिया। मतलब आपको वह अपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपसे तथ्य छुपा रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है।

अब दूसरा, यह जो बसंत विहार है, इसमें पहले से मकान बने हुए थे। वहां पर नगर परिषद् ने सड़क भी बनाई है, नाली है, लाइट है, पानी है, यह सिवायचक भूमि थी नहीं, सिवायचक भूमि बाद में घोषित कर दी, घोषित करने के पहले कम से कम 100 मकान बने हुए थे और यह जो आठ पट्टे जारी किये हैं, वह अभी इन दो सालों में जारी किये हैं तो ऐसा नहीं है कि सिवायचक भूमि घोषित होने के पहले कर दिये। जब अभी आपने आठ पट्टे जारी किये, आपने उनको इजाजत दी है तो सिवायचक भूमि में आपने या तो पट्टे जारी किये क्यों? या तो आप किसी को भी जारी नहीं करते। यह 25 साल से प्रकरण चल रहा है, कोई अभी नया प्रकरण नहीं है और भूखंड मात्र इसमें 2 ही खाली हैं, बाकी सारे में बंगले बन चुके हैं, एक करोड़ से ऊपर के बंगले हैं। आपने पहले भी लोगों के बहुत सारे पट्टे बनवाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके पिछले कार्यकाल में आपने जो छूट दी थी तो पाली पहले नम्बर पर आया था पट्टे पर। इतना बड़ा काम हुआ था। अब आपकी जानकारी में आ गया, आप एक बार सारा प्रकरण दिखवाओ।

तीसरा विषय, जो आप कह रहे हो, खसरा नम्बर-246 का, तो उसमें भी आपने कुछ लोगों को पट्टे दे दिये। यह कुछ वाला जो चक्कर है न, कि जिसको चाहो, उसको दे दो आप और जिसकी आपकी मंशा नहीं है, उसको आप रोक दो। मैं उसी पर अंकुश लगवाना चाहता हूं। अगर नियमों में नहीं आता है तो आप किसी को मत दो पर कोई आपसे एप्रोच करता है या कोई और कारण से ले लेता है, तो वह आपने दे दिये। इसके अलावा, डेढ़ सौ पत्रावलियां नगर परिषद् में ऐसी हैं, जिसमें नगर परिषद् ने पट्टों की राशि भर दी और राशि भरने के बाद में कोई न कोई कारण बताकर उनको पट्टे नहीं दिये जा रहे। पट्टे देने से पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी जांच होती है और जांच पूर्ण होने में यह पात्र मानते हैं तो ही यह पट्टे की राशि भरवायी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जाती है। डेढ़ सौ पट्टों में आपने राशि भरवा दी और राशि भरवाने के बाद में आपने रोकी क्यों? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

500 ऐसी फाइलें भी हैं, 500 कह रहा हूं, जो अकारण ही लापरवाहीवश पड़ी हुई हैं। नगर परिषद् में कोई रिकार्ड नहीं है। रिकार्ड संधारित करने की मंशा भी वह नहीं रखते। नगर परिषद् के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि किस-किस फाइल में राशि जमा है। जब उनको पता ही नहीं है तो पट्टे देंगे कैसे? वह आदमी चक्कर लगाता है, फाइल मिलती नहीं है। सैकड़ों फाइलें गुम हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): अंतिम मेरा विषय है। अभी आपने सरकार आते ही एक छूट दी थी कृषि भूमि नियमन की, जिसमें 31 दिसम्बर तक कोई व्यक्ति बेचान पर अपने भूखण्ड का नियमन कराना चाहता है तो उसमें आपने छूट दे दी कि बेचान पेश कर दे, नियमन कर देंगे। उसमें हुआ क्या? कई पत्रावलियों में पट्टे मिल गये पर बाद में जो आयुक्त हैं, उनके पिताजी का देहान्त हो गया, वह छुट्टी पर चले गये। फाइलें तो जमा हैं और राशि जनवरी में आये, जब जमा की। अब जनवरी में आपने राशि जमा कर दी और बाद में कह रहे हो कि 31 दिसम्बर तक छूट थीं तो जनवरी में राशि जमा क्यों की? फाइलें आपने दिसम्बर में जमा कर दी। आपने अख़बार में आपत्ति सूचना जारी कर दी तो ऐसे प्रकरणों को आपने जैसे छूट दी है, क्योंकि वह छूट बढ़ाना आपके हाथ में है, आपने दिसम्बर तक बढ़ायी है, इसको एक महीना और दे दो। सब लोगों का काम हो जाएगा, यही मेरा आपसे आग्रह है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फर्माया, बसंत विहार में 160 भूखण्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 8 को पट्टे दे दिये गये। आठ को पट्टे दे दिये गये 160 में से, मानसरोवर योजना में।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): 88 दिये हैं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कितने हैं?

**श्री अध्यक्ष**: 81 हैं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 81 नहीं है।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): 88 दिये हैं, बाकी के देने की बात कर रहा हूं मैं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पट्टे जिस वक्त दे दिये गये, उसके बाद में जब यह फैक्ट मालूम पड़ा ई.ओ. को, कि यह जमीन सिवायचक जमीन है, तो उन्होंने राजकीय भूमि के रूप में दर्ज किया और दर्ज करने के बाद में वह पट्टे बंद किये। दूसरी बात यह कि यह वैसे भी पट्टे वहां पर नहीं दिये जा सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि न तो यह जमीन कन्वर्ट हुई, न ही इसका ले-आउट प्लान पास हुआ, न ही आगे कोई कार्यवाही, जो भी संभावित कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पायी, इस वजह से पट्टे नहीं दिये गये।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मैं 131 पर बंद कर दूंगा प्लीज। नो।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष**: न, आप बैठें प्लीज। मंत्री बोल रहे हैं।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): जो इन्होंने जानकारी दी है, मैं इनकी जानकारी करैक्ट कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप सीनियर आदमी हैं।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी करैक्ट कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री बोल रहे हैं, यह कौनसी परम्परा डाल रहे हैं आप? आप सुन नहीं सकते क्या दो मिनट? फिर खड़े हो जाना। यह गलत परम्परा है।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी आपने बतायी 246, मैं 246 के बारे में आपको स्पष्ट बता चुका हूं कि 9 पट्टे वहां पर जारी हुए। 9 पट्टों के बाद में स्थिति वहां पर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भी यही बनी कि जब यह जानकारी में आया कि साहब, यह सिवायचक जमीन है तो सिवायचक जमीन की वजह से ई.ओ. ने उसको राजकीय खाते में दर्ज कर ली और दर्ज करने के बाद में बंद कर दिये, एक बात। दूसरी बात, जब राजकीय खाते में दर्ज हो जाती है तो यह वह वक्त तो है नहीं कि जब हमने 'प्रशासन शहर की ओर' चलाकर जितने भी अतिक्रमण सरकारी जमीन पर थे, उन सबको लाखों पट्टे बांटे थे। अब हालात बदल गये। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में जो तीन आर्डर हुए हैं, उन तीन आर्डर में राजकीय भूमि पर हम पट्टे नहीं दे सकते। राजकीय भूमि अगर दर्ज हो गयी और आप उसमें कहते हो कि पट्टे बांटो तो वह सम्भव नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई। प्लीज। श्री जे.पी. चन्देलिया।

## चिड़ावा में सीवरेज कार्य के बाद सड़कों की दयनीय स्थिति

**श्री जे.पी. चन्देलिया** (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि चिड़ावा शहर में जो सीवरेज लाइन डाली गयी थी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेवल्स ठीक नहीं लिये गये, जगह-जगह सड़कें टूट गयी हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है, शहर की हालत बहुत खराब है, जगह-जगह गड्ढ़े हो रहे हैं और हर समय एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। सड़कों को ठीक नहीं किया जा रहा है। दो साल परियोजना लेट हो चुकी है।

**श्री अध्यक्ष**: मान्यवर, 131, फिर उसके बाद बोलें। मंत्री महोदय।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सीवरेज का काम जो चालू हुआ चिड़ावा में, वह 31.03.2016 को हुआ और इसकी कार्यावधि सिर्फ 18 महीने थी, जिसमें काम पूरा हो जाना चाहिए था 20.09.2017 को, लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया। वह काम पूरा न होने की वजह से उस ठेकेदार के विरुद्ध 120 लाख सड़क मरम्मत के कार्य पूरे नहीं करने के कारण 41 लाख ठेकेदार पर पैनल्टी भी लगायी गयी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक सवाल इस बात का है कि मुख्य तौर पर आपने 131 में सवाल उठाया है, वह सीवरेज की प्रोग्रेस के लिए नहीं उठाया कि साहब कितनी बननी चाहिए थी और कितनी बन गयी। यह 93 किलोमीटर बन चुकी है और यह 103 किलोमीटर कुल मिलाकर बनना था, तो कोई 10 किलोमीटर की रह गयी, वह काम पूरा हो रहा है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

एस.टी.पी. बन चुके हैं वहां पर, सब कुछ हो चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि जब सीवरेज की खुदाई होती है तो खुदाई के बाद में ठेकेदार पाइप डालता है और पाइप डालकर उसको बंद करके उस पर पक्की सड़क बनाता है तो जहां-जहां पर उसने सड़क बनायी, वहां-वहां पर इस बारिश की वजह से टूट भी गयी। कई जगह आज भी देखने को मिला है कि साहब, वाकई कई स्थानों पर टूटी हुई है। उसी के लिए उस ठेकेदार पर 41 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। अब मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह काम सारा का सारा, जो भी आपने बताया है, जो समस्या आपने बतायी है, मैं उससे एग्री करता हूं कि सड़कों की हालत वाकई खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि आप यह कहो कि पूरा का पूरा, जहां पर भी सीवरेज बिछी है, चिड़ावा में सारी की सारी सड़कें खराब हैं। कुछ तीन-चार जगह, जो आपने बतायी हैं, जैसे 1.34 किलोमीटर है चीनी गोदाम से शिवालय तक और गौशाला, मंड्रेला, रेलवे स्टेशन रोड, जोगियों का मौहल्ला, मालियों का मौहल्ला, 400 मीटर सड़क स्थानीय। कई जगह सड़क की रिपेयर के लिए भी लोगों का विरोध हुआ है। विरोध इसलिए हुआ है कि वह यह कहते हैं कि जो सीवरेज की लाइन खोदी गयी है, ठेकेदार तो उसी पर काम करेगा, उसी को भरकर डामर करेगा, लेकिन वहां कहते हैं कि जब सड़क ही बनाना है तो चौड़ाई में बनाओ, पूरी चौड़ाई में बनाओ। इस विरोध के कारण भी वह काम रुका हुआ है। मैं इस काम को दिखवाता हूं और निश्चित तौर पर आपकी यह जो भी वाजिब शिकायत है, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री जे.पी. चन्देलिया** (पिलानी): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, अभी आपने आपके वक्तव्य में जो लोकेशंस बतायी हैं, लोकेशंस, वह तो उन्होंने अपने उत्तर में बतायी हैं। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि चिड़ावा शहर में जहां-जहां सीवरेज लाइन डाली गयी हैं, वहां सभी जगह सड़कें खराब हो गयी हैं। बीच में उन्होंने अगर खोदी और अगर वहां छोटी-सी स्ट्रिप डालेगा तो सड़क तो पूरी खराब हो गयी। सड़क तो उनको पूरी ठीक करनी चाहिए। दूसरा, जो पाइप का लेवल लिया है, मजदूरों ने इस तरह से लेवल ले लिया, वह लेवल ठीक नहीं है और पाइप अभी इस बरसात में नहीं, पहले ही पाइप बैठ चुके हैं, गड्ढे पहले ही हो चुके हैं, बरसात तो अब चार-पांच दिन पहले आयी है। इसके पहले से ही स्थिति खराब है। लोकेशंस

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

खाली ये ही नहीं हैं, पूरा चिड़ावा शहर खराब हो चुका है। इसलिए विनम्र निवेदन यह है कि शहर में जहां-जहां सीवरेज लाइन डाली गयी है, वहां जिस कम्पनी ने सड़क खोदी है, उस कम्पनी से तुरंत सड़क ठीक करवायी जाए। लेवल सही करवाये जाएं और दो एस.टी.पी. बनने थे, दोनों एस.टी.पी. तैयार हो चुके हैं। पिलानी रोड पर जो एस.टी.पी. बना है, उसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल काम होना बाकी था, वह भी तुरंत पूरा कराया जाए। शहर को फायदा मिले, नागरिकों को फायदा मिले। दो साल प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, इसको तुरंत ठीक कराया जाए। यही निवेदन है, थैंक यू।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई। अधिसूचना। श्री शान्ती कुमार धारीवाल, वित्त विभाग की अधिसूचना रखेंगे।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

# अधिसूचना

## वित्त विभाग

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/कर/2017 पार्ट-III-42 दिनांक 29.07.2019, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(46)वित्त/कर/2017 पार्ट-III-05 दिनांक 23.4.2019 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: गैर-सरकारी संकल्प। ढाई घंटे तक चर्चा होगी। ढाई घंटे बाद चर्चा समाप्त होगी। श्रीमती शकुन्तला रावत, गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगी।

# अशासकीय संकल्प

## गौशाला की जमीनों का तहसील स्तर पर पंजीयन

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं:-

**श्री अध्यक्ष**: आप अपना विचार भी रखें और संकल्प भी पढ़ें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 'यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार जन सहयोग से संचालित गौशालाओं के लिए जमीन, किसी भी किस्म की हो, उसका रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्री तहसील स्तर पर करने का प्रावधान करें।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारत देश में जिस तरह से देवी-देवता पूजे जाते हैं उसी श्रेणी में गाय माता का दर्जा आता है।

'ये पेड़-पौधे, इन्सां, नदी न होती तो ये प्रकृति न होती,

पूजा, पठन, पालन में गाय न होती तो ये सब जगह चर्चा न होती।'

अध्यक्ष महोदय, गाय और किसान का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। 'गौ' शब्द का और गाय शब्द का प्रयोग हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, महाभारत सभी जगह, इसके अनेकों अर्थ अपने-अपने विचार से हो सकते हैं लेकिन प्रयोग हुआ है और गौ शब्द का प्रयोग एक तरह से इंद्रियों के लिए भी माना गया है और गौ-दान को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पहले के राजा-महाराजा हों, चाहे राम जन्म के अवसर पर हो तो गाय, भूमि और धन धान दान में दिये जाते थे और ये दान ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना गया है। कई स्मृतियों में यह भी लिखा गया है कि गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी को पार करने का विधान भी है। ये हमारे भारत देश के एक विश्वास का विधान है। ग्यारस का उजमन करते हैं तो गाय माता की पूजा की जाती है, गाय दान में दी जाती है। गाय के शरीर में सभी देवी-देवताओं का वास माना गया है, निवास माना गया है। आज भी ये रिवाज है और रीति भी है कि घर में खाना बनने पर पहली रोटी गाय माता को दी जाती है।

कल जैसे हरियाली अमावस्या थी तो हमने भी कई जगह देखा कि लोग गाड़ियों में बैठकर गाय को ढूंढ़ रहे हैं और गाय को रोटियां देने के लिए जा रहे हैं। चाहे 16 दिन के श्राद्ध हों तो पहली थाली जो सजाई जाती है वह गाय के लिए ही दी जाती है।

**(12.42 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

ये हमारी भारत देश की संस्कृति है, रीति-रिवाज हैं, ये किसी ने हमारे ऊपर थोपे नहीं हैं, ये हमारी एक भावना है, भारत देशवासियों की एक भावना है। चाहे गुरू बृहस्पति का व्रत किया जाता है...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, पहला गैर सरकारी संकल्प

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, माननीय सदस्या अच्छा बोल रहीं हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि गोपालन मंत्री ने, उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि वे सदन में रहें। मेरी प्रार्थना है कि विषय की गम्भीरता देखते हुए आप निर्देश प्रदान करें, आप उनको बुलवाइये।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, गोपालन मंत्री जी, ये बैठे हैं ...(व्यवधान)

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): हम बैठे हैं सब लोग, सुन रहे हैं। (व्यवधान) गायों के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं यहां पर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): इसमें विशेषज्ञ की बात नहीं है, सभापति महोदय, मैंने बुनियादी सवाल खड़ा किया कि अगर यही रखना है इस गैर सरकारी संकल्प ...(व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सरकार विराजमान है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह रेवेन्यू से रिलेटेड है, गोपालन से रिलेटेड नहीं है ...(व्यवधान) रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हुए हैं यहां पर।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): गोपालन का मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, यह जो विषय है वह राजस्व के संदर्भ में है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो अपनी चिंता जाहिर की है, ये विषय राजस्व के संदर्भ में है, गाय की जमीन के संदर्भ में।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हां, थोड़ा पढ़कर आया करो।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): तो मैं आप लोगों की सेवा में आपके आदेशों का अनुसरण करने के लिए यहां सदन के अन्दर हाजिर हूं। अगर मेरे में कोई कमीबेशी निकले तो आप मुझे आदेश करें, मैं उसको सुधारकर और वापस आप लोगों के बीच में आऊंगा। इतना विश्वास रखो।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, इतने अनुभवी सदस्य हैं और मैटर राजस्व का है या गौ माता का है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। आपसे कम अनुभव है, आप विराजिये।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): गाय को घर में रखने से, पालने से, पूजा करने से और आजकल तो वर्तमान में वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह दर्शाया गया है कि गाय के साथ रहने से अनेकों रोगों का निदान होता है ...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): मंत्री जी कह रहे थे गाय को नहीं पूजना चाहिए ...(व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): ऐसा है कि मंत्री जी क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, आप अपने दिमाग को काम में लें तो ज्यादा अच्छा होगा माननीय सदस्य। आप अपनी बुद्धि से क्या काम लेते हैं, गाय का कितना सम्मान करते हैं, यह बीच में बोलने से, डिस्टर्ब करने का शौक है आपको ज्यादा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): इसका मतलब धारीवाल जी का दिमाग ठीक नहीं था क्या?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): +++ ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। श्रीमती शकुन्तला रावत के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): यह ध्यान रखें ये प्रश्नकाल नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। हर बात पर मैं पूछना चाहता हूं। यही नहीं पता कि प्रश्नकाल है, क्या है।

**श्री सभापति**: आप अपनी बात रखें। आप उनसे वाद-विवाद के बजाय अपनी बात रखें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, मैं बात ही रखूंगी।

**श्री सभापति**: हां। किसी का अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): जैसे ही गाय का नाम आता है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, हमारे विपक्षी भाई ऐसे बोलना शुरू करेंगे जैसे इन्होंने कांट्रेक्ट ले रखा हो कि गाय तो हम ही पूजते हैं, कि कोई स्टाम्प पर लिखकर इनके मोहर नहीं लगी हुई है, कभी ऐसा नहीं हो कि ये मोहर लगाकर नहीं चलना शुरू कर दें थोड़े-बहुत दिन में।

सभापति महोदय, इनके काल में स्थगन के जरिये, 295 के जरिये, सदन में प्रश्न के माध्यम से मैंने हरेक बार ये पांच साल तक प्रश्न किया लेकिन एक बार भी एक भी बात पर भी कोई सही जवाब नहीं दिया गया। हिंगोनिया का, इनके काल में हिंगोनिया गौशाला में सैकड़ों गाय, सभापति महोदय, सैकड़ों गायें मरीं और उन्हीं का पाप है कि ये वहां बैठ गये। (व्यवधान) और वैसे बड़े-बड़े भाषण दे देंगे, भाइयों बहनों, गाय हमारी माता है। (व्यवधान) मैं जानना चाहती हूं कि शायद ये अपनी संस्कृति को नहीं भूल जाएं। एक तो जनम देने वाली मां होती है और गाय माता होती है। जब कभी उदाहरण दिया जाता है धरती पर तो यह उदाहरण दिया जाता है, कहा जाता है...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, गम्भीरता बरतें। माननीय सदस्य, संकल्प शब्द का अर्थ यह है कि आप संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प पर भी यदि आप गम्भीर नहीं हैं तो यह क्या औचित्य है आपका और हमारा यहां बैठने का? संकल्प शब्द गम्भीर है, उस शब्द की आप गम्भीरता समझिये, किस विषय पर हो, यह इससे मतलब नहीं है। संकल्प शब्द गम्भीरता की आपसे अपेक्षा करता है कि आप गम्भीर हैं और इस विषय पर आप संकल्प ले रहे हैं।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, इनका शुरू से ही यह काम रहता है कि जब भी कोई बोलता है तो टोकना कि वह भटक जाए और इनकी ज्यादा भलाई नहीं करे। इनके जो किये हुए कर्म हैं, उनको नहीं उखाड़े, इसलिए बोलते हैं।

**श्री सभापति**: आप अपनी बात कहें। आपकी सलाह के बजाय आप अपनी बात रखेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, पिछले पांच साल में एक भी गौशाला का इन्होंने कोई भला नहीं किया और आंकड़ों में, अगर बजट देखें तो आंकड़ों में पता नहीं कितनी गौशाला गिना देंगे, कितने ही जिले

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

गिना देंगे, कितनी तहसीलें गिना देंगे। सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार ने आंकड़ों में काम किया, सभापति महोदय, धरती पर कोई काम नहीं किया गया।

कहावतें चली आती हैं कि मां के दूध का कर्ज चुकाओ, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उसी कड़ी में इस धरती पर पैदा होने वाले इन्सान को मां नौ महीने अपने खून से सींचती है और गौ-माता का दूध पीकर पालन-पोषण होता है। लेकिन इंसान भूलता जा रहा है। इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे बच्चे हों या स्टूडेंट हों, वह अपनी मां का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। अपनी मां से बात करने का क्या 10 मिनट का समय इंसान के पास है? जिस मां ने आपको दूध पिलाया, जिस मां ने आपके पैर के अंगूठे को मुंह से चूमा था, उस मां के लिए बच्चों के पास, बेटे-बेटियों के पास समय नहीं है। उनके पास मोबाइल में खेलने के लिए समय है। मां का आशीर्वाद ही है जो आपको अच्छाई सिखाता है और बुराई से बचाता है।

सभापति महोदय, उसी कड़ी में पहले देखते थे हम, कई बार गाय लेकर कई महात्मा जाते थे, तो कहते थे कि आशीर्वाद ले लो, मन की इच्छा पूरी कर लो। वह गाय ऐसे गर्दन हिलाती थी। इंसान का चरणों में झुकना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। गाय माता के चरणों में झुकें, अपनी जन्म देने वाली मां के चरणों में झुकें, अपनी दादी मां के चरणों में झुकें। यह प्राचीन काल से ग्रन्थों में लिखा हुआ है।

सभापति महोदय, आज का इंसान भाग-दौड़ में, अपने स्वार्थ में मां और गाय माता को भूलता जा रहा है। यह हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी। गाय माता का दूध भी अपनी मां के दूध के समान ही हलका होता है। जब भगवान आश्रम में गये तो उन्हें ऋषि वशिष्ठ जी ने गाय चराने के लिए भेजा था। लेकिन क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था कि उनके अंदर कर्म के भाव पैदा हों। उनके अंदर आशीर्वाद लेने के, झुकने के, कर्म करने का भाव पैदा हो। उन्हें शिक्षा-दीक्षा दी गई और साथ ही साथ यह कर्म और भाव भी सिखाये गये।

सभापति महोदय, गाय का चाहे गोबर हो, मूत्र हो, उनसे अनेकों दवाइयां बनाई जाती हैं, अनेकों रोगों में काम आता है, धूप, अगरबत्तियां बनाई जाती हैं।

**श्री सभापति**: 2 मिनट में समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, अभी मेरा तो मूल आया ही नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, जो गौ-शालाएं जन सहयोग से चलाई जाती हैं, मेरे बानसूर में महलपुर, मुंडावरा, रामपुर, हरसोरा, नीमूंचाना, नारायणपुर और एक बहरोड़ में कुडी ऋषि के नाम से गौ-शाला चलाई जा रही है। वह गौ-शालाएं तो चल रही हैं। उन गौ-शालाओं को हटाएंगे भी नहीं। उन गौ-शालाओं में हजारों की संख्या में गायें हैं। उन्हें कोई हटाने वाला भी नहीं है। जो गौ-शालाएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है पिछले पूरे 5 साल हमने आफिसों के चक्कर लगाये।

सभापति महोदय, आज जन सहयोग से जो गायें इकट्ठी करके रखी जाती हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो गांवों में एक भी किसान के फसल पैदा नहीं होगी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। किसान अपनी फसल पैदा नहीं कर पाएगा, अगर इस तरह से हो गया तो। हम भी वहां अपना बजट नहीं दे सकते कोटे से, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तहसील स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे कि उनको जयपुर तक चक्कर नहीं काटने पड़ें।

सभापति महोदय, जमीन किसी भी किस्म की हो, बंजर हो, नदी की हो, नाले की हो, गोचर हो, तालाब हो, पहाड़ हो, सिवाय चक हो, चाहे कस्टोडियन हो, अगर कोई विदेशी बड़ी कंपनी आती है, वह वहां कंपनी लगाना चाहती है तो उसको लगाने के लिए रास्ते भी बन जाते हैं और जमीन की किस्म भी बदल जाती है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): तो क्यों नहीं हमारी चलती हुई गौ-शालाओं के लिए ऐसा कानून बने, जिससे इन जमीनों का वहीं तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो सके, जिससे कि यह सुव्यवस्था हो जाए और हमारा जो फंड है, वह भी वहां पर लग सके।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): इसके लिए यह नहीं हो कि जयपुर तक चक्कर काटने पड़ें।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, मेरा पूरा विषय था।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। माननीय सदस्या, समाप्त करें।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): एक हिंगोनिया गौशाला के पीछे पिछली सरकार ने एक व्यवस्था कर दी थी कि उसके बगल में ही उनको दफनाया जाए। वहां बहुत बुरी हालत हो रही है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): उसको चैक कराया जाए जिससे कि वहां अव्यवस्था नहीं हो। इन सभी गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन कराने का कष्ट करें।

**श्री सभापति**: विराजिए। श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आसन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लंबे अंतराल के बाद गैर सरकारी संकल्प के रूप में आपने समय दिया।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन को भी कि कई ऐसे मौके होते हैं, हम अलग-अलग राजनीतिक दलों के हैं, हमारी नीति अलग हो सकती है, हमारी रीति अलग हो सकती है लेकिन जिस दिन गैर सरकारी संकल्प हो, दिवस हो, संकल्प पूरे सदन के लिए होता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने जब अपना यह संकल्प रखा, जिसमें मूल रूप से मेरा संशोधन जो मैंने मूव किया, इन्हीं के उस संकल्प के समर्थन के साथ मैंने कहा कि तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व राशि सौ रुपये के स्टाम्प शुल्क पर अंत: स्थापित की जाए। मैंने इनके ही संकल्प के साथ अपनी भावना को व्यक्त किया है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से आज पहली बार बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने गाय की व्याख्या की। धार्मिक आधार पर व्याख्या की। रामायण के अध्यायों को लेकर और किस प्रकार से गाय के अंदर कितने देवी-देवता निवास करते हैं, इसकी व्याख्या की। गौ ग्रास से लेकर सारी बात की।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को और विशेष तौर पर संसदीय कार्य मंत्री को, कि कम से कम आज एक साध्वी के रूप में जो प्रवचन बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने दिये, उन सारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रवचनों को सुनने के पश्चात् आप अपनी उस मूल अवधारणा से, जिसे इसी सदन के अंदर गाय को आपने जानवर कहकर के हमारी संस्कृति को अपमानित किया, उससे तो दूर होंगे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उन्होंने स्वयं के विचार नहीं कहे थे।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): क्या कहा है? (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): गलत बात। वीर सावरकर के लिए ही धारीवाल जी ने कहा था ...(व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वीर सावरकर की बात का उन्होंने उल्लेख किया है ...(व्यवधान) उस पर कुछ कहना हो तो बोलो। सावरकर की किताब का उल्लेख था वह ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): 000

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। विराजिए।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए। मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): फ्लोर मेरे पजेशन में है। मुझे मेरी बात कहने का अधिकार आसन ने दे रखा है।

**श्री सभापति**: एक मिनट, मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय उप नेता महोदय, मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट विराजें आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): ये +++ कहां से खड़े हो गये?

**श्री सभापति**: एक मिनट सुन लीजिए। क्या दिक्कत है? सुन लीजिए। सुन लीजिए। ये +++ कोई शब्द नहीं रहेंगे।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): सभापति महोदय, अगर मुझे ये संबोधित नहीं करते तो मैं शायद इस बात का जवाब नहीं देता।

सभापति महोदय, डिमांड्स के ऊपर जब यूडीएच और एलएसजी की डिमांड थी, तो जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया, वह सावरकर की किताब को कोट करते हुए कहा गया। मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**(13.00 बजे)**

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, रिकार्डिंग मौजूद है, आप मेरी रिकार्डिंग मंगवा कर देख लीजिए। रिकार्डिंग में, मैंने पूरा का पूरा जो कुछ सावरकर साहब ने कहा, वह, अगर उसके अलावा एक शब्द भी बोला हो तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000 ...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी। आसन पांवों पर, विराजिए आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000 ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: विराजिए आप। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। विराजिए आप।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: विराजिए आप। आसन पांवों पर।

(श्री सभापति)

शब्दों में कोई गम्भीरता नहीं, 'संकल्प' शब्द के साथ आप गाय पर चर्चा कर रहे हैं और यह गम्भीरता है आपकी? मुझे खेद है इस बात का कि 'संकल्प' जैसे शब्द के बाद में इस तरह से कर रहे हैं? राठौड़ साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। संकल्प सबके लिए है, जिस विषय पर संकल्प ले रहे हैं उस विषय पर सब हम जुड़े हुए हैं आत्मा से जुड़े हुए हैं कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, फिर यह क्या अर्थ है? मैं अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से, बार-बार नहीं कहना पड़े। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। (व्यवधान) अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको विराजिए। (व्यवधान) विराजिए। यह उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप यह मानते हैं कि संकल्प पूरा हो गया तो मैं दूसरा संकल्प लेता हूं अन्यथा ऐसे नहीं चलने दूंगा। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कोई बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए आप। आप चुप रहिए, आप हद से बाहर निकल रहे हो। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ का अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए आप। (व्यवधान)

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, प्लीज सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000 ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी। अब तक जो हुआ, जब जागो तब सवेरा। अब तक जो हुआ वह हुआ, अब आगे से आप गम्भीरता बरतें। विषय गम्भीर है और कोई किसी पर आक्षेप नहीं लगाएगा। बात सीधी संकल्प पर

(श्री सभापति)

होगी, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब सहयोग करेंगे। (व्यवधान) प्लीज।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, विराजिए। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, प्लीज आप सहयोग कीजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

**श्री सभापति**: माननीय, सहयोग करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, सहयोग करें। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) सहयोग करिए आप।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, प्लीज सहयोग कीजिए। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: यहां पर सिर्फ संकल्प पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, हद कर दी आपने। विराजिए। आसन पैरों पर। (व्यवधान) विराजिए। आसन पुन: आपसे अपेक्षा करता है, आपसे आग्रह करता है, अनुरोध करता है। (व्यवधान)

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

मेरा पुन: आप सबसे आग्रह है, अनुरोध है, आप सब माननीय सदस्य हैं। आसन आपसे अपेक्षा करता है कि आप जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर गम्भीरता से चर्चा करें। मैं पुन: आपसे अपेक्षा करता हूं, कोई बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000 ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: सिर्फ माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड़ की बात अंकित की जाएगी। (व्यवधान) आप विराजिए। परम्परा सीखिए, आप अपने आसन पर जाइए। (व्यवधान) आप आसन पर जाइए। (व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिए। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

जो भी नए माननीय सदस्य आये हैं, ...(व्यवधान) विराजिए आप। वे इन परम्पराओं से वाकिफ नहीं हैं। हर बात पर उत्तेजित होकर वैल की तरफ आना अच्छी परम्परा नहीं है। आसन बार-बार आपसे आग्रह कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, विषय गम्भीर है और कोई किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा है और कोई आक्षेप है तो मैं विलोपित करने का आदेश देता हूं।

अब सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर चर्चा होगी, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं होगी। कोई किसी पर आक्षेप नहीं लगाएगा। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं। विराजिए आप।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: विराजिए आप। मैं अलाउ नहीं करता आपको। (व्यवधान) विराजिए आप। कोई अंकित नहीं होगा। मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) अच्छी परम्पराएं डाल रहे हैं आप? सीखने के बजाय आप इस तरह से कर रहे हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, साधु प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति अगर 'साध्वी' का नाम ले ले और ...(व्यवधान) उससे अगर सदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में उत्तेजना हो जाए और मेरे भावों को दूसरी तरफ ले जाएं तो मैं मेरे 'साध्वी' शब्द को वापस लेता हूं आपकी आज्ञा से।

माननीय सभापति महोदय, मेरी बात को आगे चलाऊं उससे पहले, एक फिल्म आई थी, 'हम नहीं सुधरेंगे', वह फिल्म मेरे मित्र ने कई बार देखी जो मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए वह कब क्या बोल जाएं, उस पर मैं अब टिप्पणी भी नहीं करूंगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। सिर्फ राजेन्द्र राठौड़ का अंकित होगा।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि गाय हमारी संस्कृति और धर्म दोनों का हिस्सा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि राजस्थान में जब किसान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मैं नहीं कहता, कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि राजस्थान में जिस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार का भू भाग राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में पशु धन किसान की अर्थव्यवस्था का मेरूदंड है।

माननीय सभापति महोदय, अभी 2017 में पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना के अंदर 133 लाख 24 हजार गौवंश पशु थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश में जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है, हमें गर्व है कि राजस्थान का हिस्सा उसमें 13 परसेंट है और हमारी जो देशी नस्ल की गायें हैं, चाहे वह गिर हो, राठी हो, थारपारकर हो, काकरेज हो, ये गायों के बारे में, दुनिया के बारे में शोध कर रहे हैं और अनेकों शोधों से यह सिद्ध हो गया कि इनके दूध के अंदर जिस प्रकार के इंग्रीडिएंट्स हैं, जिस प्रकार दूध पीने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है।

माननीय सभापति महोदय, यहां बात हुई गौशालाओं की। निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने मंत्री महोदय एक सर्कूलर जारी किया था, 27.1.2018 को, इस सर्कूलर के माध्यम से जो गोशाला एक वर्ष के लिए संचालित हो, उसको भी पंजीकृत किये जाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया था। माननीय सदस्य, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं आपकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं। आपने गोशालाओं के लिए जिस भूमि की चिंता की, मंत्री महोदय, आप खुद गांव के हैं, आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मालूम है, अब से नहीं, जब 1955 में यह राजस्थान टीनेंसी एक्ट आया, उस समय से गोचर भूमि हो या ओरण भूमि हो, यह जो राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 16 है, उसमें जिन भूमियों पर खातेदारी नहीं दी जा सकती, जिन्हें आबंटित नहीं किया जा सकता, सैक्शन 16 में गोचर भूमि का भी प्रावधान किया गया था।

सभापति महोदय, यह कोई डिबेट की बात नहीं है। आप खुद गोपालक हैं, आप गांवों में देखते हैं, आज गांवों में गायों की दुर्दशा भी हम देखते हैं और इन्हीं बातों को लेकर हम दुर्दशा की चर्चा करें, हमें चिंता इस बात की भी करनी चाहिए और साधुवाद उन्हें भी देना चाहिए, जिन्होंने पूरा-पूरा जीवन गोपालक के रूप में गोसेवा के लिए समर्पित कर रखा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो गोचर ओरण है, आज तक इन गोचर ओरणों पर जितना अतिक्रमण हुआ है, चाहे वह सरकार हमारी रही हो या आपकी, मैं समझता हूं, सबसे पहले अगर गांवों में कोई भूमि अतिक्रमण का शिकार होती है तो वह गोचर की है।

गोचर के पीछे मूल भावना यह थी कि गाय हमारी सामाजिक संस्कृति का अंग है। गायों के चरने के लिए पर्याप्त भूमि रहे, इसके लिए गोचर और ओरण, इस भूमि को राजतंत्र में भी संरक्षित और सुरक्षित किया गया था। हमारे टीनेंसी एक्ट के सैक्शन 16 में सुरक्षित किया गया था, पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण उन्हीं पर हो रहा है। इस संकल्प के माध्यम से मेरा एक सुझाव है। मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि इस गोचर और ओरण भूमि का सीमांकन का एक अभियान चलाएं।

अभी नरेगा में हम कच्ची डोली बना सकते हैं, कच्ची दीवार बना सकते हैं, अनुमति है। आप नरेगा में इन सारी जमीनों का सीमांकन अगर कच्ची डोली से भी कर देंगे, और इनका कस्टोडियन कौन है, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, ग्राम पंचायत कहती है कि हमारा अधिकार नहीं है। आपको मालूम है, एक-एक पटवारी के पास आज तीन-तीन, चार-चार पटवार सर्किल हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यातायात मंत्री जी कभी अपने गांव जाते नहीं।

सभापति महोदय, आप उस जिले से आते हैं, दांतारामगढ़ वहीं है, खाचरियावास वहीं है...

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लिखता हूं खाचरियावास, ये अपने

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)
गांव का नाम नहीं लिखते हैं। मैं अपने गांव से प्यार भी करता हूं और गांव जाता भी हूं।

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं गम्भीर बात कर रहा हूं।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): आपको भी घांघू लिखना चाहिए। राजेन्द्र सिंह घांघू लिखा करें आप। ये घांघू गांव के हैं। मैं खाचरियावास लिखता हूं, आप घांघू लिखें। आज से ये राजेन्द्र सिंह जी घांघू कहलाये जाएंगे। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं और ये राजेन्द्र सिंह जी घांघू हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मुझे आपके संरक्षण की बहुत जरूरत है। ये दो बाहुबली जो पासपास में बैठते हैं...

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): राजस्थान के पहले बाहुबली आप ही रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, प्लीज। प्लीज, बोलने दीजिए।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे ऊपर अगर टिप्पणियां करेंगे तो हम क्या करेंगे, बताइए आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कम से कम गोचर और ओरण के सीमांकन को नरेगा के साथ जोड़कर हमें इसकी बात करनी चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जगपाल बनाम स्टेट आफ पंजाब आया था, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम है कि इस एक निर्णय ने इस पूरी जमीन के लिए फिर प्रतिबंधित किया था, परंतु इसके साथ-साथ सरकार ने क्षतिपूर्ति करके गोचर और ओरणों का आबंटन जो प्रारम्भ कर दिया, सबसे बड़ी बात यह भी है।

अभी पिछली सरकार के समय में सबसे बड़ी चिंता की गयी थी आवारा पशुओं और विशेष तौर पर नंदियों की और इसीलिए नंदीशालाएं खोलने की बात की गयी थी जन सहभागिता योजना में। आज आवश्यकता इस बात की है, आज मंत्री महोदय, आपके यहां जो कुल गोशालाएं हैं, वे राजस्थान में 2727 हैं और उनमें जो पंजीकृत गोशालाएं हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से आप अनुदान देते हैं, उनकी संख्या है 1363।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन गोशालाओं को जब हम अनुदान देते हैं, वह इसलिए देते हैं कि ये वहां आवारा और दूसरे पशुओं का संरक्षण करने का काम किया जाए। अगर हम इन रजिस्टर्ड गोशालाओं की समितियों को कस्टोडियन बना दें या इन गोशालाओं को स्थापित करने के साथ-साथ यह जमीन उन्हें अस्थायी तौर पर, जिसे टैम्परेरी आबंटन भी कह सकते हैं, जिसे सिंचाई विभाग वाले टीसी कहते हैं, उस आधार पर अगर उन्हें आबंटन कर दें तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जहां एक ओर यह जमीन सुरक्षित होगी, गोचर सुरक्षित होंगे, वहीं गोशालाओं के पशुओं के लिए चारा उत्पादन करने की भी बात हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं कई गांवों को जानता हूं। मैं खुद एक गांव से चलकर आता हूं और एक इलाके का प्रतिनिधित्व भी करता हूं। मेरे यहां एक गांव है डाडर। उस गांव की ग्राम पंचायत ने पूरी जितनी भी गोचर भूमि थी, गांव की ग्राम सभा में बैठकर फैसला किया कि पूरी गोचर भूमि पर जिस किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, पंद्रह दिन में उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पूरे गांव ने मिलकर अतिक्रमण हटाया और पूरे गांव ने मिलकर नरेगा में drench cum bunding जो अलाउ है, उसके चारों तरफ दीवार कर ली।

सभापति महोदय, उस पूरे गांव ने तय करके कि अब इसमें जब तक घास पूरा नहीं हो जाए, अलाउ नहीं करेंगे किसी आवारा पशु को घूमने के लिए। आज की तारीख में वहां इतना घास है कि गांव के सारे पशु आराम से तीन-चार महीने तक चर सकते हैं। ऐसा प्रयोग सभी जगह हो, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गोशालाओं के पास जमीन आबंटन नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में गांवों के लोग तय कर लेते हैं।

सभापति महोदय, आपने भोला बाबा का नाम सुना होगा, वे जहां भी कथा करते हैं, प्रण करके उठते हैं कि वहां गोशाला की स्थापना निश्चित तौर पर हो जाती है। वे भक्ति भाव से करते हैं। भोले बाबा ने जितनी गोशालाएं स्थापित कीं, गांव वाले उसी समय तय करके कोई भी गोचर भूमि पर दो गोशाला बना लेते हैं। मेरा निवेदन है कि आपके पास जितने इस प्रकार के प्रकरण आएं, जहां गोचर में, ओरण में गोशालाएं बन गयीं, आप कम से कम उन्हें तो अनुमति दें और सौ रुपये के स्टाम्प पर जो हमारे बानसूर से आने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाली माननीय सदस्या ने प्रस्ताव रखा, उनकी रजिस्ट्री हो जाए, इस पर आप निश्चित तौर पर काम करें।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को लम्बी नहीं कहूंगा, मुझे मालूम है कि यह पहला संकल्प है तथा आपने समय निश्चित किया है। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि राज्य सरकार ने सैस लगाया है और सैस में यह जो पूरी राशि है, यह पूरी राशि गोवंश संरक्षण, संवर्धन अधिभार इस नाम से, सभापति महोदय, और इस गोवंश संरक्षण संवर्धन अधिभार की एक सलाहकार समिति बनी हुई है। सलाहकार समिति मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में बनी हुई है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। उसमें आपने यह लिखा कि 31.03.2019 तक गो संरक्षण संवर्धन निधि में 302 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। मैं समझता हूं कि यह एक dedicated fund है। आपने सैस लगाया, उसमें गो संवर्धन के लिए जो dedicated fund है, मेरी जानकारी में तो 510 करोड़ है, पर सरकार के उत्तर में 302 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम जहां हम गो संवर्धन की बात करें, वहां जो यह सैस का पैसा आता है, वह आपने 9 महीने गोशालाओं को चलाने के लिए लम्बी-चौड़ी बात कही है, वह पैसा उनके पास पहुंच जाए, इसलिए मैं इनके संकल्प का समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार जन सहयोग से संचालित गोशालाओं के लिए, चाहे किसी भी किस्म की जमीन हो, उसका रजिस्ट्रेशन सौ रुपये के स्टाम्प शुल्क पर करे। इसका मैं समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री गिर्राज सिंह। श्री मदन प्रजापत।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज गौशालाओं को जमीन देने के सम्बन्ध में श्रीमती शकुन्तला जी ने संकल्प और बात रखी। उनका समर्थन राठौड़ साहब ने किया, लेकिन बात आती है और सबको चिंता भी है, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर दो-चार व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो गौमाता के ऊपर चर्चा शुरू होती है।

सवाल यह है कि गौ शालाओं की जरूरत क्यों पड़ी। एक-एक घर में सैकड़ों गायें रखते थे, घी-दूध की नदियां बहती थीं, और अपने धर्म में गौ-दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जब बहन-बेटी की शादी होती थी, तो

(श्री मदन प्रजापत)

कन्यादान में गौ दान दी जाती थी। जब गंगा के घाट पर एक ब्राह्मण को अगर गौ दान में देते, उनको सबसे बड़ा दान मानते थे। आज समय आ गया, अगर बहन-बेटी को भी गौ दान में देते हैं तो कहते हैं, पापाजी उनके एवज में मुझे पैसे दे दो। कोई गौ को दान में लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी गुरू महाराज, ब्राह्मण को कहते हैं, तो इनके बदले में चांदी की बनाकर दे दे, इनके एवज में पैसा दे दे। लेकिन बड़ी दु:ख की बात है, आज हकीकत में ओरिजिनैलिटी कह सकता हूं कि एक जमाना था जब गौ की चोरी होती थी। चाहे पाबूजी राठौड़ का इतिहास लें, चाहे वीर तेजाजी का इतिहास लें, गौ के लिए सिर कटाया करते थे, सैकड़ों में हैं, सबका नाम नहीं ले सकता हूं, जो भी महापुरुष, जिन्होंने गौ के लिए अपने प्राण बलिदान दिये, उन सबको मैं नमन करता हूं।

सवाल यह है कि एक जमाना था जब चोरी होती थी, आपस में लड़ते थे और आज देने के बावजूद भी लेने वाला नहीं है। आज धीरे-धीरे गौशाला की ओर जमाना बढ़ रहा है। सवाल गौशाला का नहीं है। सवाल गौ का है। अगर इनका, मेरा निजी सुझाव है, गौशाला भी हो और इनका स्थाई समाधान अगर कोई है तो अपन यहां से एक संकल्प लें कि हर घर में, आज से मैं एक गौ की सेवा जरूर करूंगा, यह अपना संकल्प और प्रण लेकर जाएं। जो हमारे साथी हैं, जो व्यापार में हैं, जो सर्विस में हैं, जिनको खुद को अनुभव नहीं है या घर की परिस्थिति है, अपने पड़ोसी किसान, मजदूर, उनको बोल दें कि एक अपनी गाय रखते हो, एक मेरे नाम की, आज से एक की जगह दो, एक गाय मेरे नाम से और जो भी दो-चार हजार रुपया खर्चा आयेगा, मैं मंथली आपको दे दूंगा। हजारों लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज अपन बीड़ी-सिगरेट में फालतू पैसा बहाते हैं। अन्य कई, जिनका मैं नाम नहीं लेते हुए, भारी खर्च करते हैं, अपन समझेंगे कि आज दादाजी-परदादाजी दुनिया में नहीं हैं, समझेंगे रहते हैं; समझेंगे मेरी मां नहीं है, या है; या मेरी बहन नहीं है, एक बहन ज्यादा है; दो भाई हैं, अपन तीन हैं; किसी रूप में मान लें, अगर आदमी दिल से, मन से, इनको राजनीतिक रूप नहीं लेकर, एक गौ के प्रति अगर सही श्रद्धा है, कम से कम आज अपन तो प्रण लें कि अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबके लंगर चलता है, कई खर्चे होते हैं, एक गौ अपने नाम की, कहीं भी, कोई भी सेवा करे, उनका खर्चा भी मैं दे दूं और खुद गौ की सेवा करे तो उसका लाभ तो अलग ही है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, सभी चिंता करते हैं, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तौर-तरीके अलग हो सकते हैं, मांगने के तरीके अलग हो सकते हैं, सेवा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो गाय से नफरत करता है। कोई दिल से करता है, उसको किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। आज गौशाला, एक घर में इतनी गायें होती थीं, और आज पूरे गांव में गौशाला के लिए अपन प्रेरित करते हैं। यह नौबत क्यों आई, आज गौ की सेवा करें। इसके अलावा, हकीकत, इसका राजनीतिकरण नहीं करते हुए, अपन सबका दायित्व बनता है, माननीय सभापति महोदय, यह गौशाला की नौबत बार-बार क्यों बढ़ रही है, दिनोंदिन बढ़ रही है और बड़े सक्षम लोग मैंने देखे। वह भी कहता है, एक गाय मेरी आपके गौ शाला में डाल दें। क्या सिर्फ यह साधु संतों का फर्ज बनता है कि वे गायों की सेवा करेंगे। अपन समाज में, अपन दुनियादारी में जीते हैं कि अपन गाय-मां को संतों के ऊपर छोड़ देंगे, क्या सिर्फ संत गाय का भला कर सकेंगे। अपन सबका दायित्व बनता है, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपन सबकी गौ-मां की सेवा करें। सवाल यह कहता है, सेवा और पूजा, चाहे मां-बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, मां-बाप की भी, हर बाप, हर मां बेटे से, बेटी से यह आशा करता है कि मेरा बेटा भला सपूत हो, ताकि मैं जीवन भर जीऊं, मेरी सेवा करे।

जैसे मां-बाप को सेवा की जरूरत है, उसी तरह भले ही पूजा करें, कोई एतराज नहीं है, लेकिन पूजा से पहले गौ-मां का, सेवा का अपना दायित्व है। सेवा करें, और सेवा के बाद में ज्यादा अपनी भावना है, भले पूजा करें, कौन एतराज करता है। किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज दु:ख होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं गरीब, काश्तकार और मध्यम परिवारों को, वे आज भी बेटे की स्कूल की फीस नहीं भर सकते, गरीबी में जीवन यापन करते हैं, तो भी मजबूरी में उनके दिल से मानते हैं कि चाहे मैं कितना भी परेशान हूं, लेकिन घर में वह धीणा बंद नहीं करूंगा। आज उनके बेटे असली दूध और घी खाते हैं। आज दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है, कि ऐसा कोई बाप है, हाथ खड़ा करो, जो दुनिया में मिलावटी खाने के लिए तैयार है। कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। दुनिया में अगर यह पूछ लिया जाए कि ऐसा व्यापार है, जो मिलावट से एक से सौ गुणा होंगे, एक से दस गुणा होंगे, हजारों बाप हाथ खड़े करने के लिए

(श्री मदन प्रजापत)

तैयार हैं। भाई, अपने बेटे को खिलाने के लिए कोई हाथ खड़ा नहीं करता है, और लोभ और लालच में हजारों तैयार हो जाते हैं तो अपन गहराई से समझें, माननीय सभापति महोदय, उस मुनाफे और लालच के कारण घूमता हुआ मार्केट में कहीं न कहीं, अपने बेटे के पेट में वह मिलावटी जहर जाएगा।

आज गरीब और किसान गाय की सेवा कर सकता है तो अमीर आदमी क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार के भी गरीब आदमी देखे हैं कि शानदार गौशाला चला रहे हैं, गरीब आदमी अपनी जितनी श्रद्धा है, घर में गाय की सेवा करता है, गाय की रखवाली करता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। अगर गरीब आदमी व्यवस्था कर सकता है तो अमीर आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर दुनिया में अपन प्रण लें कि एक घर में एक गाय की सेवा करेंगे तो रोड के ऊपर एक भी, चाहे गाय माता हो या गाय का बछड़ा हो, चाहे सांड हो, चाहे बैल हो, कहीं घूमता हुआ नजर नहीं आयेगा। आज मुझे दु:ख होता है, माननीय सभापति महोदय, मोबाइल में फोटो में बातें भले ही अलग करता है, गौ माता की जय हो, लेकिन मुझे उस बात का दु:ख हुआ कि नये युवाओं को मालूम ही नहीं कि सांड और बैल में क्या फर्क है। सांड में और बैल में फर्क है या बैल और सांड एक ही होते हैं, यह युवा और नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है। इससे बड़ी दु:ख की क्या बात हो सकती है कि सांड में और बैल में अंतर है। हकीकत यह बात है, यह नौबत इसलिए आई है कि दुनिया में, माननीय सभापति महोदय, अगर ऐसे भी दुनिया में बेटे हैं कि अगर मेरे मां-बाप, छोटे वाले भाई के साथ में रहने लग जाएं तो मेरा खर्चा कम हो जायेगा। यह कलयुग का असर है, माननीय सभापति महोदय, और यह गौशाला की नौबत, गायों को रोड के ऊपर घूमना, और सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है, जब अपन देखते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उस बात का भी मुझे दुख होता है, प्लास्टिक का आज संकल्प भी है। सबसे बुरा असर, सबसे घातक असर किसी के ऊपर पड़ता है तो वह गाय माता के ऊपर पड़ता है। प्लास्टिक से हजारों लाखों गायों का जीवन संकट में पड़ गया है, कई मौतें हो गईं।

अगर आज रामलालजी किसान की बात करते थे कि कुत्ते ने कहा

(श्री मदन प्रजापत)

किसान से मेरी स्थिति अच्छी है, लेकिन किसान के साथ में, मैं आज यह कह सकता हूं कि इनका रूप भले कोई कैसे भी दें, लेकिन सबसे बड़ी जिनका 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होने के बाद भी आज समाज में और दुनिया में आज जो कुत्ते के हालात हैं, उससे बुरे हालात आज हमारी गोमाता के, इससे बड़ा दु:ख क्या हो सकता है। यह स्थिति क्यों हो रही है, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, हकीकत में बात यह हो गई कि लोग मां-बाप को रखना नहीं चाहते तो गौशाला में गायों को डालने के लिए सिफारिश करवाते हैं, क्योंकि बैल की उपयोगिता कम होने के कारण, मशीनरी युग बनने के कारण न तो कोई दान में लेने के लिए तैयार है, न आज कोई चोरी होती है, न कोई रखना चाहते और समाज में बड़ा नाम करने के लिए मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं एमएलए साहब, ये 400 बीघा शहर के पास में जमीन, गांव वाले रखरखाव कर नहीं सकेंगे, हमारा ट्रस्ट है, हमें दे दो, ताकि हम देखरेख कर देंगे।

मैं धन्यवाद अपने पूर्वजों को देता हूं आगोर हजारों बीघा, ओरण हजारों बीघा, गोचर हजारों बीघा, हर गांव में ओरण, आगोर, नाडी, तालाब और जो तालाब आगोर, ओरण का कोई मालिक नहीं है...

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): उनको माननीय सभापति महोदय, कोई मना करने वाला नहीं है। जो पड़ोसी खेत में, धीरे-धीरे काम में लेता...

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): और कहावत भी है कि एक जमाना था कि दूध में से, चाहे पूत में से, आज जमाने में पानी बिक रहा है और जो ओरण, गोचर खेती में काम में लेता है...

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): उनको नरक का रास्ता मिलता है। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट माननीय, मैं अपनी बात समाज में सबसे हल्का इंसान अगर किसी को मानते हैं जो तालाब, ओरण गोचर की है...

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): मैं इनका विरोध नहीं करता हूं, जो भी जायज गोशाला है, उनका दायित्व बनता है, मदद करें।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): लेकिन इनके साथ में कई दुकानें भी हैं, जिनकी नजर गायों के ऊपर नहीं, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कई शहरों में दुकानें भी हैं, जिनकी नजर गाय के बजाय उस जमीन पर भी रहती हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): और भी पशु है, गाय माता सबके काम आये...

**श्री सभापति**: कनक्लूड करें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): 000

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आपने गैर सरकारी संकल्प पर बोलने का अवसर दिया।

**श्री सभापति**: काफी माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, समय की सीमा का ध्यान रखें। सभी बोलना चाह रहे हैं, सबकी पर्चियां आ रही हैं। आप सभी समय का ध्यान रखेंगे तो सब बोल लेंगे। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आपने इस गैर सरकारी संकल्प पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और हमारी शकुन्तलाजी जिन्होंने इस संकल्प को रखा है, मैं उनका समर्थन करती हूं और अगर आपकी जगह मुझे कोई साध्वी कहता तो मुझे गर्व होता इस बात का। साध्वी शब्द तो बहुत महान शब्द है और इसके लिए आपत्ति जताना मुझे नहीं लगता, शायद इन्होंने इतनी नहीं जताई, जितनी इनके आस-पास बैठे हुए लोगों ने इनको उकसाया। खैर कोई बात नहीं...

**श्री सभापति**: आपको रिप्लाई नहीं देना है, विराजिए आप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): पति की आज्ञा के बिना कोई साधना नहीं कर सकता, यह आप ध्यान में रखिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): साध्वी समान कहना, यह अपने आप में बहुत गर्व की बात है, महिला की गरिमा है वह..

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आसन की तरफ...

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): आप इसमें क्यों विवाद में पड़

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रहे हो, अगर कोई आपत्तिजनक शब्द बोला होता तो हम सबसे पहले होते कि किसी महिला के लिए, कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोलता तो मैं फर्स्ट होती, कहने के लिए।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, बिना बात डिस्टर्ब कर रहे हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, यह आपस की वार्ता के लिए नहीं है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): चलो, हम तो गोमाता की बात करेंगे।

**श्री सभापति**: अब गोमाता की, जिसकी भी आप करें, आसन से बात करो आप, उधर नहीं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल आसन से ही बात करेंगे। माननीय सभापतिजी, हम वास्तव में आसन से ही बात करना चाह रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा संकल्प आज हम सब पूरा सदन ले रहा है और जैसे भगवान श्रीकृष्ण जिनको पूरा संसार पूजता है और भगवान श्रीकृष्ण गौमता को पूजते थे, गोपालक थे, गाय माता को चराने ले जाते थे और गौमाता को श्रीकृष्ण भगवान के साथ में हमेशा अगर देखा जाए तो गोमाता को हम पाते हैं, चित्र के साथ में भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोमाता होती है। हमें जन्म देने वाली एक मां है और उस मां के बाद अगर किसी को स्थान देते हैं तो हम गोमाता को स्थान देते हैं। गाय का दूध, यदि डिलीवरी के अंदर कोई महिला की डेथ हो जाती है तो उस बच्चे को अगर जिंदा रखते हैं तो वह गौमाता के दूध के ऊपर ही वह बच्चा जिंदा रहता है।

यानी, गोमाता के दूध के अंदर, कितने साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किये और उस रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि दूध बहुत पौष्टिक होता है और यह दूध बहुत ही अच्छा दूध है और आज आप देखो फोरेन कंट्रीज के अंदर भी वे मांग करते हैं कि हमें काऊ मिल्क चाहिए और सब तरफ पूरे संसार के अंदर गाय की जो महिमा है वह एक पशु के नाते जो कहते हैं, यहां पर सदन के अंदर बहुत शर्म आती है इस बात को कहते हुए फिर कहते हैं कि वीर सावरकरजी की किताब में लिखा हुआ है, जबकि ऐसी कोई किताब वीर सावरकरजी की नहीं है, सारे गूगल के ऊपर हम लोगों ने सर्च कर लिया, लेकिन सदन के अंदर इस प्रकार की बात कह देना...

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं गया। माननीय सदस्य, जब विषय समाप्त कर दिया गया तो फिर उस पर बार-बार आप क्यों आ रही हैं, उनको निमंत्रण दे रही हैं आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मैं कोई निमंत्रण नहीं दे रही हूं।

**श्री सभापति**: फिर आप इस पर चर्चा नहीं करें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): विषय समाप्त है। मैं मानती हूं कि आपने यह कहा कि इस पर ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन ऐसी गलत चीजें...

**श्री सभापति**: अब आप उस पर चर्चा नहीं करें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सदन में बोल देना, यह गलत बात है।

**श्री सभापति**: जिस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई, उस पर आप बार-बार क्यों निमंत्रण दे रही हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नहीं, नहीं, मैं उस पर चर्चा नहीं करा रही हूं। लेकिन..

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): 000

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): पचपदरा से आये हुए माननीय सदस्य ने...

**श्री सभापति**: मैं आप लोगों से यह उम्मीद कर रहा था कि गाय पर बात करते, आप दिल से और दिमाग से बात करेंगे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल, उसी पर बात करेंगे।

**श्री सभापति**: आप सबको देखकर मुझे लगता है, आप सिर्फ अपनी जीभ का, केवल मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। न दिमाग लगा रहे हैं, न दिल लगा रहे हैं, इसमें। बात ह्दय से निकलनी चाहिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): दिल से निकल रही है, सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: आप सीधी-सीधी बात करिए, उस पर चर्चा मत करिए।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी...

**श्री सभापति**: आप इधर आसन की तरफ।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल आसन की तरफ, ये जो चिकित्सा मंत्रीजी सदन के अंदर बैठे हैं।

**श्री सभापति**: इनका निमंत्रण अस्वीकार करिए आप। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए आप। उनका निमंत्रण अस्वीकार करिए धारीवालजी को निमंत्रण मत दीजिए और सीधे आसन से बात करिये आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल, आपने बहुत सही कहा, माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: मैं आपके निमंत्रण को अस्वीकार करता हूं, विराजिए आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): देखिए, मैं खडी हूं। आप उनको, एक सदन में दो जने कैसे खड़े हो सकते हैं, माननीय सभापति महोदय।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): आपने इनको अलाउ ही नहीं किया और ये बोले जा रहे हैं।

**श्री सभापति**: कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मंत्रीजी ने जो कुछ कहा, वह अंकित नहीं हो, ऐसा आप डायरेक्शन दें।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): 000

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्रीजी विराजिए। माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, हमारे हिन्दू धर्म में और हमारी भारतीय संस्कृति में...

**श्री सभापति**: मैं, एक मिनट आपसे यह कहूं आप संकल्प पर बोल रही हैं?

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल, मैं संकल्प पर ही आ रही हूं।

**श्री सभापति**: सीधे-सीधे संकल्प की बात करें, आप उनसे बात करेंगी, फिर वे आपसे बात करेंगे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नहीं-नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, ये जितने भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, पहले तो आप उनको मना करें कि ये डिस्टर्ब न करें।

**श्री सभापति**: आप उधर देखिए मत, आप सिर्फ आसन से बात करिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): संकल्प को देखना, नहीं देखना, संकल्प को देखते हुए ही मैंने बात की कि मैं संकल्प पर यह बोलना चाहती हूं और बहुत अच्छा संकल्प है। लेकिन कुछ तो जो गोमाता..

**श्री सभापति**: आप फिर उधर देख रही हैं। क्यों निमंत्रण दे रही हैं आप उनको.?

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अच्छा, मैं बिलकुल इधर ही देखूंगी, इधर भी नहीं देखूंगी, इधर भी नहीं देखूंगी।

**श्री सभापति**: हां, कहीं नहीं देखना आपको, सीधे आप इधर देखिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री सभापति**: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति जी।

**श्री सभापति**: मैं सही बात कहूं आप लोगों से, मन में वास्तव में पीड़ा है, गाय की बात करो और बाहर की कोई चर्चा नहीं हो अब।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): गोमाता पर चर्चा हो रही है और हंसी-मजाक का माहौल बना रखा है।

**श्री सभापति**: अब आप सीधी बात करिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): बिलकुल, मैं सीधी बात करना चाहती हूं। हम लोगों ने जो इस संकल्प में जिस प्रकार से कहा गया कि गोशाला के लिए जो जमीन है उसकी जो रजिस्ट्री है, क्योंकि यहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर भी बैठे हैं तो यह बात सही है कि बहुत सारे गांवों में, आप जानते हैं, माननीय सभापति जी, गांव की संस्कृति यह है कि हर घर के अन्दर गोमाता रखते हैं हम और घर में गोमाता रखते हैं लेकिन कई बार इस प्रकार से हो जाता है कि घर छोटे पड़ने लगे तो गोमाता हम घर में नहीं रख पाते या फिर गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो सड़कों के ऊपर गाय छोड़ देते हैं। चारा उतना नहीं है, वह गरीब परिवार है, कैसे गाय का पालन करे तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि गोशालाएं होनी चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से उन गोशालाओं में गाय माता की हम लोग पूरी रक्षा कर सकें और पूरी उनकी देखभाल हो सके। इस दृष्टि से हर ग्राम पंचायत चाहती है कि हमारे यहां पर एक गोशाला हो लेकिन प्राब्लम यह आ जाती है समस्या यह है, माननीय सभापति जी, कि उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब जाते हैं, संस्था बनाई है, जो गोशाला चलाना चाहती है वह जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले पंचायत समिति में अपने हैडक्वार्टर पर जाएंगे तहसील मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालय से उस विषय को कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। जिला कलेक्टर उसको भेजेगा जयपुर और फिर जयपुर से वापस आयेगा। 6-6, 7-7 साल निकल जाते हैं कि वह जो गो भक्त हैं जो गोशाला चलाना चाहते हैं उन गौ भक्तों को गोशाला चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। एज ए रिजल्ट वे गोशालाएं नहीं चल पातीं, इसलिए मेरा, माननीय सभापति जी, हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी जो बैठे हैं, उनसे यह कहना है कि गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन एकदम प्राथमिकता पर होना चाहिए। हो सके तो बहुत अच्छा होगा कि कोई कैम्प लगा दें अगर आप और कैम्प लगाकर शिविर लगा कर फिर जो भी भक्त गोशाला, क्योंकि गोशाला चलाना कोई इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं आयेगा चलते-फिरते कि हमें गौशाला चाहिए, लेकिन उस गोशाला को चलाना, मन में वह भाव आना, यही अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण है आज के इस युग में। जैसा पचपदरा के माननीय सदस्य ने कहा कि जो मां-बाप को नहीं पाल सकते वे गाय माता को पालने की कहां सोच सकते हैं, इसलिए गोशाला चलाना एक बहुत पुण्य का काम है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दूसरा, मेरा विषय है कि इतनी सारी जमीन है, अब गोचर की जमीन जो रहती है, जिसको हम लोग चरागाह जमीन भी कहते हैं, उस जमीन के ऊपर अगर कोई गोशाला की परमीशन मांगता है तो वह परमीशन नहीं दी जाती जबकि इन जमीनों के ऊपर अतिक्रमण हो रहे हैं लोगों के। लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, लेकिन वह गोमाता, उस गोमाता के लिए ही वह गौचर भूमि है लेकिन उस गोमाता के लिए उस गोशाला के लिए उस गोचर भूमि को आबंटन करने पर प्रतिबंध रहता है तो मेरा, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना है कि गोचर भूमि पर जब आबंटन करते हैं तो एक नियम बना हुआ है और वह नियम है कि जितनी बीघा जमीन अगर गोचर भूमि की हम लोग गोशाला या किसी और परपज के लिए देते हैं तो उतनी ही भरपाई हम लोग दूसरी जमीन को देकर उस जमीन की करते हैं तो अगर आपकी जो गवर्नमेंट लैंड है, उस सरकारी जमीन को गोशाला के लिए नहीं दे सकते तो गोचर भूमि को गोशाला के लिए दीजिए और चरागाह के अन्दर उसका जो गरण है वह उस जमीन से कर लीजिये लेकिन गोशाला के लिए यह एक संकल्प आज हम सब मिलकर पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग सब मिलकर यह संकल्प लें कि गोमाता जो एक मां के यानी अपनी जन्म देने वाली मां के बाद अगर किसी को दर्जा दिया है तो वह गोमाता को दिया है। नवजात शिशु जो बचता है तो वह गोमाता के दूध से बचता है, उस गौमाता का आज जिस प्रकार से हाल हो रहा है क्योंकि गौशालाएं नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे गौ भक्त हैं जो गोशालाओं के अन्दर अपना योगदान देना चाहते हैं। कुछ फाइनेंशियल हैल्प देना चाहते हैं लेकिन गौशालाएं ही नहीं होतीं तो वह कहां उसको मदद करें इसलिए मैं चाहती हूं कि आज इस संकल्प को लेना चाहिए कि गौमाता के लिए गौशाला की भूमि को आबंटन करने के लिए जितना मैथड सरलीकरण कर सको, जितना उसको ईजी कर सको, उसको ईजी करिये। वह सरलीकरण हो और साथ-साथ रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाए उन संस्थाओं का और गोशालाओं के लिए जो जमीन है उस जमीन की अगर पंचायतों में कमी आती है तो गोचर की जो भूमि रखी हुई है उस गोचर की भूमि को भी गोशाला में दी जा सकती है। उसका एक प्रोविजन, उसका एक संशोधन आपके एक्ट के अन्दर करिए ताकि उस गोशाला के लिए वह जमीन दी जा सके।

माननीय सभापति जी, इसलिए मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि हम लोग हमारी संस्कृति में जो कुछ भी हमें कोई देता है उसको हमने मां माना है। धरती को भी हमने मां माना है वह अनाज पैदा करती है। गंगा मां जो नदी है लेकिन उस नदी को भी हमने मां माना है वह पवित्र जल हमें देती है और इसी प्रकार गाय को भी पशु न मानें, गोमाता मानें और गोमाता के भक्त के रूप में, एक सच्चे भक्त के रूप में यह पूरा सदन आज ये संकल्प ले कि हम सब गोभक्त बनेंगे। कई उदाहरण ऐसे हैं, माननीय सभापति जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे पहली रोटी अगर गृहिणी घर में बनाती है जब सुबह-सुबह तो पहली रोटी गाय माता के लिए निकालती है। हम बछ बारस का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, गोमाता की और बछड़े की इसलिए पूजा करते हैं कि घर में संपन्नता आये और जिस घर से गोमाता के लिए गो ग्रास निकलता है, जिस घर से गोमाता के लिए एक पैसा भी बाहर निकलता है तो वह एक पैसा दो पैसा बनकर उस घर के अन्दर उन्नति लेकर आता है इसलिए गोमाता के लिए तो कुछ भी किया हुआ बहुत अच्छा होगा। अगर आज सरकार गोमाता के लिए इस प्रकार के संशोधन करेगी तो यह बहुत अच्छा होगा। यह हमारी पूरी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा होगा और हम संस्कृति के रक्षक बनेंगे। इस प्रकार की हमारी सोच होना चाहिए और इसलिए माननीय सभापति जी, मैं यह संकल्प करती हूं कि राज्य सरकार जन सहयोग से संचालित गोशालाओं के लिए जमीन, किसी भी किस्म की हो, उसका रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्री तहसील स्तर पर ही हो, इसका मैं समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूं। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री पानाचन्द मेघवाल।

**श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं और गोमाता के ठेकेदार जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले शायद इनको मालूम नहीं, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब मंत्री थे और सिविल लाइन में इनके घर से कुत्ता चोरी हुआ था। इस देश की सोच हो चुकी है। हर व्यक्ति के घर में कुत्ता मिलेगा लेकिन गाय नहीं मिलेगी और कुत्ता भी विदेशी है। (व्यवधान) गुढ़ा साहब बोल रहे हैं राजेन्द्र सिंह जी के पास कुत्ता विदेशी है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोमाता में 31 करोड़

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

देवी-देवता निवास करते हैं चाहे सतयुग की बात करो, द्वापर युग की बात करो या कलयुग की बात करो, हम व्याख्यान देते हैं, बड़ी-बड़ी कथाएं होती हैं, साधु-संत प्रवचन देते हैं लेकिन घर पर जाने के बाद उस कथा का सारांश जो मन में आता है जो भाव जागते हैं वह सब घर पर जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, गाय की नस्ल अलग-अलग प्रकार की होती है, चाहे कामधेनु, कपला, जर्सी, गिर, मारवाड़ी, देशी कई प्रकार की नस्लों में परिवर्तन होने के बाद इस बात पर भी विवाद होता है कि गाय माता किसको कहा जाए जर्सी को, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ अगर डिबेट करोगे तो ये जर्सी को गाय मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अब वे भी दूध देती हैं। शास्त्रों में कामधेनु का अर्थ होता है, जिसके दूध से इस जीवन का निर्वहन, जीवन को जीने का एक तरीका अपनाया जाता है, वह किसी भी प्रकार की नस्ल हो सकती है और उसका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी होती है। प्रकृति ने हमें संतुलन बनाकर दिया। इतने परसेंट में पापुलेशन रहेगी, इतने परसेंट में जंगल रहेंगे, इतने परसेंट में नदियां बहेंगी, इतने परसेंट में जंगल रहेंगे, इतने परसेंट तालाब रहेंगे, लेकिन इस संतुलन को जिस प्रकार से मानव ने बिगाड़ा है आज उसी की परिणति है कि अपने-आप में हम कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है। गहलोत जी आते हैं तो बारिश नहीं होगी और वसुन्धरा जी आएंगी तो बारिश हो जाएगी। यह वसुन्धरा जी और गहलोत जी का दोष नहीं है, यह मानव स्वभाव का दोष है। मानव ने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, आज गाय की जो दुर्दशा हो रही है, पुराने राजा-महाराजाओं की बात करो या मुगल राज की बात करो, अंग्रेजों के शासन की बात करो तो उन्होंने इस जमीन को संरक्षित रखा था कि यह चरागाह जमीन है, यह बंजर जमीन है, यह तालाब है, यह तलाई है। यहां पर आबादी क्षेत्र होगा, यहां पर बसावट होगी, यहां पर बसावट नहीं होगी लेकिन जिस प्रकार से राज बदलते हैं, कब्जा करने वाले बदल जाते हैं। फिर राज बदलता है तो कब्जा करने वाले बदल जाते हैं। इन कब्जा करने वाले व्यक्तियों को हम लोगों को रोकना होगा। उसके लिए एक सख्त कानून बनाना होगा, नहीं तो आज तो हम लोग यह जो जमीन देख रहे हैं आने वाले समय में आपको कहीं जमीन नजर नहीं आयेगी, केवल गोशाला के नाम पर हम भाषण दे सकते हैं।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले पुराने शास्त्रों में और हमारे जो बुजुर्ग कहावत कहते थे कि पहले मकान में गोमूत्र से छिड़काव करके उसको पवित्र किया जाता था। पहले मकान कच्चे होते थे लेकिन दिल सच्चे होते थे। आज मकान पक्के हैं लेकिन उस मकान में आपको कहीं गोमूत्र का छिड़काव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहले मकान में खाना बनाने से पहले गोबर से चौका लगाया जाता था, उसको पवित्र माना जाता था, उसके बाद ही खाना बनाया जाता था लेकिन आज वह परम्परा खतम हो चुकी है। गोबर का चौका लगाने के बाद जब परिवार के सदस्य खाना खाने के लिए बैठते थे तो पहले गो ग्रास निकाला जाता था, आज वह परम्परा धीरे-धीरे खतम होती जा रही है। पहले मकानों के सामने लिखा होता था सुस्वागतम, शुभ लाभ, आज मकानों के सामने लिखा होता है कुत्ते से सावधान। यह हमारी परम्पराएं हैं, संस्कृति है हमारी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन परम्पराओं को, उस संस्कृति को वापस लाना होगा जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमको दी थी। आज लोगों को याद है, पहले गांव में पूरे गांव के जानवरों को चराने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। वह पूरे गांव के जानवरों को सुबह से शाम तक उस चरागाह जमीन पर, उस बंजर जमीन पर, उस तलहटी पर, उस तालाब की पाल पर घुमाकर शाम को लाता था। उस व्यक्ति को अलग से जमीन दी जाती थी, एक खेल के नाम से पानी भरने के लिए या उसको दिनभर की मजदूरी के लिए जमीन दी जाती थी। आज वह परम्पराएं खतम हो चुकीं, उस खेल की जमीन पर कब्जा हो चुका है। उन सारी जमीनों पर कब्जा हो चुका है जबकि पहले यह परम्पराएं होती थीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा गोमाता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दूध में जितने भी जींस हैं, वह एक से बढ़कर एक हैं, चाहे इसके गोबर की बात करो, इसके मूत्र की बात करो, इसके दूध की बात करो। इसके हर चीज की इंपोर्टेंस होती है, इसलिए हम गोमाता की बात करते हैं। पहले जब ऋषि मुनि होते थे गोमाता को अनाज खिलाया जाता था और गोमाता जब अनाज खाकर पोठा करती थी, उसके पोठे से जो अनाज निकलता था उसको पानी में धोकर साफ करके उसको सुखाकर उसको पीस कर उसकी रोटी बनाकर खाते थे जिससे उनके जीवन में कभी बीमारी नहीं होती थी, इसलिए गोमाता को हम पूजते हैं।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है। हम सब गोमाता पर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं लेकिन आज जो बहन शकुन्तला जी ने राज्य सरकार जन सहयोग से संचालित गोशालाओं के लिए जमीन, किसी भी किस्म की हो, को रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्री तहसील स्तर पर करने के प्रावधान का जो संकल्प लिया है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक संकल्प मात्र नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कठोर संकल्प हम सब यहां से लेकर जाएं कि जहां कहीं भी किसी भी किस्म की सरकारी जमीन हो, चाहे वह बंजर हो, चरागाह हो, तलहटी हो, तलाई हो, उन सारी जमीनों को एक अभियान चलाकर मुक्त करें। अभी भाई मदन जी कह रहे थे कि गोशाला संचालित करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बिजनेस और एक होता है सच्चे मन से सेवा करना। आज दोनों परिवेश के लोग हमको मिलते हैं लेकिन इसका आकलन हम लोगों को करना है। जो व्यक्ति गोशाला के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, उनको भरपूर सहयोग सरकार को देना चाहिए। मुझे आज आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भारत माता की जय।

**श्री सभापति**: श्री रामलाल शर्मा।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हम लोगों की संकल्प में लाटरी निकली है और ढाई घंटे अपन ने तय किया है, डेढ़ घंटा बीत चुका, हम लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा है।

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): संख्या तय कर लें कि इतने लोग बोलेंगे।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): आज नंबर नहीं आयेगा तो अगले शुक्रवार को आयेगा, यह आगे के शुक्रवार की लिस्ट बन गई है।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, बानसूर से आने वाली तेज तर्रार विधायिका श्रीमती शकुन्तला देवी जी ने जो संकल्प आज सदन में पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं शकुन्तला जी से आग्रह भी करूंगा कि विपक्ष में जिन शब्दों का और जिस वाणी का आप प्रयोग करती थीं, कम से कम एक बार तो इस सदन में वह वाणी और वह भाषा दिखा दो।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि प्रकृति ने सभी के साथ न्याय किया है लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थों के लिए उसके अनुकूल कानून बनाने का काम किया। इस सृष्टि पर सबको जीने का अधिकार है, चाहे वह पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो। लेकिन इंसान ने अपने अनुकूल कानून बनाकर उन प्राकृतिक पक्षी या पशुओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का काम किया है जो प्रकृति ने उनको विरासत में दिया है। सभापति महोदय, आज उसी का कारण है कि एक ऐसे विषय पर भी सदन में संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ गई जो हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा था। दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होते हुए हमारी संस्कृति इस प्रकार की रही है कि इस सृष्टि में सबको जीने का अधिकार है। सुबह प्रात: काल उठते ही धरती को प्रणाम करना, सूर्य उदय होने के बाद पक्षियों को दाना डालना, चीटियों को आटा डालना, गोमाता की रोटी निकालना, यह हमारी संस्कृति का और जीवन का एक हिस्सा था। सभापति महोदय, लेकिन इस आधुनिक और भौतिक युग में सब कुछ हम भूल चुके हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि अगर वास्तव में हम गायों का भला चाहते हैं, गायों की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं इस सदन में सिर्फ सकारात्मक सुझाव देने का काम करूंगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आज इस राजस्थान में ही नहीं, देश में अनेकों दुर्घटनाएं इन आवारा पशुओं की वजह से होती हैं या मैं यह कहूं कि गोमाता की वजह से होती हैं। सभापति महोदय दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है लेकिन उस वाहन के साथ-साथ कई अकाल मौतें भी वर्तमान में रोडों पर देखने को हम सबको मिलती हैं। सभापति महोदय, इसका एक मात्र निदान जो मुझको नजर आता है, अगर इन दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं या इन आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय, मेरे आपसे तीन निवेदन हैं। सबसे पहला काम आप कर दो कि जो गोचर भूमि थी, उस गोचर भूमि को आबंटन करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप तो सिर्फ उस गोचर भूमि को खाली कराकर पीएचईडी डिपार्टमेंट से एक बोरिंग कराकर ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दो कि इस गोचर भूमि में आपको जो भी चारा उत्पादन करना है, उस चारे का उत्पादन करके इस गोमाता को बचाने का काम करना है। मंत्री महोदय, यदि आपने इतना काम कर लिया तो वास्तव में गोमाता के प्रति हमारा यह संकल्प सही साबित होगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, कई दुर्घटनाएं गो तस्करी की वजह से भी हुई हैं। गो तस्करी में कई ऐसे लोग लिप्त हैं, समय-समय पर उन घटनाओं के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका यही है कि जो गोशालाएं संचालित हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको जो अनुदान अभी तक मेरी जानकारी में जो मैंने एक प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछा था, उन्होंने यह जरूर कहा है कि आने वाले वक्त में इतना रुपया हम इन गोशालाओं को आबंटन करने का विचार रखते हैं, लेकिन उस उत्तर में सरकार ने यह नहीं कहा कि पिछले 6 महीने में हमने एक रुपया भी इन गोशालाओं को आबंटन करने का काम किया है।

सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है, आज की वर्तमान परिस्थितियों में यदि हकीकत देखें तो आज इन गोमाताओं की दुर्दशा का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वह है हमारी आधुनिक तकनीकी। इस आधुनिक तकनीकी के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान के आधार पर, जो गोमाता चार बार, पांच बार, सात बार गर्भवती होती थी, सभापति महोदय, उसकी वजह से एक बार के बाद ही वह बांझ हो जाती है और उसकी वजह से सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि किसान इतनी मेहनत और पैसा खर्च करके उसको पाल नहीं सकता। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर वास्तव में अगर हम इस गोवंश को बचाना चाहते हैं तो कम से कम इसकी नस्ल सुधार की हमें आवश्यकता है। यदि नस्ल सुधार हमने किया तो मेरे ख्याल से आज भी कई किसान ऐसे हैं, जो इस गोमाता को पालने के इच्छुक हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में अगर वह घाटे का सौदा होता है तो कोई भी किसान अपने घर में गोमाता रखने के लिए तैयार नहीं है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि नस्ल सुधार की ओर भी सरकार विशेष ध्यान दे।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन आपके माध्यम से और करूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से पूरे राजस्थान में बरसात के मौसम में आप जाकर देखोगे तो चाहे टोंक के एनएच पर चले जाओ, चाहे सीकर के एनएच पर चले जाओ, हर एनएच पर आपको गायों का झुंड दिखाई देगा क्योंकि वह पानी में बैठ नहीं सकता इसलिए सारे के सारे आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। इसलिए इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और गोमाता को बचाने के लिए, सभापति महोदय, जो मैंने सुझाव दिये हैं सिर्फ उनको करने

(श्री रामलाल शर्मा)

की आवश्यकता है। नस्ल सुधार सरकार करे, गोचर जमीन को खाली कराने का काम करे और गोचर जमीन में पीएचईडी से सम्पर्क करके एक बोरिंग करा कर ग्राम पंचायतों को आप हैंड ओवर कर दें तो मेरे ख्याल से गोमाता बच सकती है। सभापति महोदय, लेकिन मुझे शंका इस बात की है कि जो सरकार राम को काल्पनिक मानती है, जो राम सेतु को काल्पनिक मानती है, मेरे ख्याल से गोमाता के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाने का काम नहीं करेगी। फिर भी मैं चाहूंगा कि सरकार इस गोमाता के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाए और बानसूर से आने वाली माननीय विधायिका ने इस सदन में जो संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गिर्राज सिंह।

**(14.00 बजे)**

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने चर्चा की और सभी ने गाय के बारे में अलग-अलग राय दी और करनी भी चाहिए। हमारे देश के अंदर गाय की पूजा की जाती है। जब हम घर में खाना बनाते हैं, चपाती बनती है तो सबसे पहले गाय के लिए बनाई जाती है। सभापति महोदय, गाय का पहला नंबर माना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम जब खाना बनाते हैं तो उसका भगवान को प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद में इंसान खाना खाता है। आज के जो हालात हैं, हकीकत में उन पर चिंता करने की जरूरत है। गाय के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब दीपावली पर हम लोग पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन हम लोग गाय की भी पूजा करते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है। काफी लोगों ने चर्चा की है और हम लोग मानते भी हैं कि गाय में सभी देवी-देवता निवास करते हैं।

सभापति महोदय, गाय की एक-एक चीज हमारे काम में आती है। गाय का गोबर हम काम में लेते हैं। मूत्र भी काम में आता है। अब तो पक्के मकान बन गये हैं। पहले जब कच्चे मकान थे तो उस घर में जब तक गाय के गोबर से लीपना नहीं करते थे, उससे पहले तो लोग खाना ही नहीं बनाते थे। शुद्ध जब ही मानते थे खाने को। आज की तारीख में गाय की जो दुर्दशा हो रही है, किसान के खेत में गाय जाती है। सुबह मैं घूमने जाता हूं तो मैं अपनी आंखों से रोजाना देखता हूं कि सुबह जब किसान जागकर खेत में जाता

(श्री गिर्राज सिंह)

है और देखता है कि गाय उसके खेत में नुकसान कर रही है तो वह कुछ नहीं सोचेगा और सबसे पहले डंडा उठायेगा और गाय के मारेगा। गाय उस खेत में से रोड की साइड में भागती है। उसी पीरियड में कोई वाहन आ जाता है और उससे टकरा जाता है तो गाय की मृत्यु हो जाती है या किसी इंसान की भी मृत्यु हो जाती है। हमें बहुत सोचने की जरूरत है और काम करने की भी जरूरत है। अगर हम सोचते ही रहेंगे, मैं जानता हूं कि 75 साल हो गये सदन में लोगों को बोलते-बोलते। हमसे पहले काफी लोग बोले होंगे। हम तो अभी तीन बार के ही हैं, सिर्फ चर्चा ही रह जाती है, चर्चा से काम नहीं चलेगा, अगर ठोस कदम उठाना है तो सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जिससे गाय के लिए व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, गौशाला नहीं होने की वजह से नंदी शालाएं हर ग्राम पंचायत पर या तहसील पर खोली जाएं। इनसे आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और वे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो जो रास्ते में से निकलते हैं, ऐसे भी काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरा तो यह मानना है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक गौशाला खोली जाए और एक नंदी शाला तहसील लेवल पर खोली जाए। गौशाला के लिए जो भी जमीन है, चाहे वह किसी भी किस्म की है, चाहे गोचर जमीन है, वह तो गौमाता के नाम से ही है, चाहे अन्य सिवायचक जमीन है, चाहे किसी भी प्रकार की जमीन है, उसके लिए एक व्यवस्था की जाए। हम जयपुर तक फाइल घुमाते हैं और कलेक्टर तक भागते हैं। यहां चक्कर नहीं लगाना पड़े। कोई पुण्य का काम करता है और चक्कर लगाता-लगाता थक जाता है। सभापति महोदय, उस काम में भी लोगों को रिश्वत चाहिए। लोग यह समझते हैं कि पता नहीं इसमें यह कितना कमा रहा होगा। कोई अच्छा काम करे तो भी लोगों को यही लगता है। जो फाइल है, वह तहसील लेवल पर ही कोई सौ-दो सौ रुपये का स्टाम्प लगाकर ही इसके लिए जमीन अलाट हो जाए।

सभापति महोदय, चारे और पानी की व्यवस्था भी की जाए। अगर हम गौशाला खोल दें और बाउंड्री करके उसको पटक दें या जमीन अलाट कर दें तो उससे गायों का भला होने वाला नहीं है। उनके लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिए। चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। चारे-पानी के अलावा हर तहसील लेवल पर एक-दो डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। वह गायों को दो दिन-चार दिन में चैक करे। इतनी

(श्री गिर्राज सिंह)

तादाद में गायें रहती हैं कि एक-दो दिन में कोई न कोई गाय बीमार होती है। बीमारी आती है तो पशुओं में ऐसा रोग होता है कि अगर एक में बीमारी आई तो वह दूसरे के भी अक्सर हो जाती है। गोचर भूमि के ऊपर बाउंड्री कराई जाए। हर पंचायत, हर तहसील में गोचर भूमि काफी है। इसकी बाउंड्री कराई जाए या तारबंदी कराई जाए जिससे उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं करे। काफी कब्जे कर लिये हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील में गोचर की काफी जमीनें हैं। लोगों ने कब्जे कर लिये हैं, उनमें खेती कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अगर हम गौशालाओं पर ध्यान देंगे तो जो लोग गायों की तस्करी करते हैं, जो आये दिन झगड़े होते हैं। कहीं पर भी जाएं तो किसी ने किसी के हाथ-पैर तोड़ दिये, किसी का मर्डर हो गया, किसी को खम्भे से बांध देते हैं। आये दिन कोई न कोई घटना होती है। इसके लिए भी मुझे उम्मीद है कि गौशाला हो जाएगी और गौशाला खुलने की वजह से जो रोजाना गौ तस्करी हो रही है, यह बंद हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कि आये दिन गांवों में किसान इस तरह से गायों के लाठी मार रहा है कि कई तो वहां पर ही गिर पड़ती हैं। ऐसी हालत हो रही है कि भूख के मारे जो पोलीथिन पड़ी है, पेपर पड़े हैं, कचरा पड़ा है, उनको गाय खा रही है। हमको विचार करने की जरूरत है। सरकार से मैं विशेष निवेदन करता हूं कि गाय के बारे में सोचें। इनके लिए मजबूती से चारे की, पानी की व्यवस्था की जाए।

किसानों के लिए भी यह बहुत बड़ी समस्या है। किसान का भी दोष क्या है? वह तो कर्जा लेकर खेती करता है और किसान को कुछ मिलता भी नहीं है। यहां पर हम चर्चा तो कर लेते हैं कि किसान के लिए ये करें, वह करें, कुछ नहीं होता है। वह तो अपने हाल पर ही जी रहा है और अपने हाल पर ही लगा है। किसान की जो चिंता है, गायों की वजह से किसान को जो परेशानी है, यह बहुत गंभीर बात है। गाय जब किसी के खेत में जाएगी, किसी का नुकसान करेगी तो वह व्यक्ति, किसान आदमी, उसकी बेचारे की सोच ही इतनी है और उसके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है तो वह इसी वजह से करता है। हालांकि गाय की पूजा तो सभी करते हैं। वह किसान भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): सभापति महोदय, पिछले वर्ष आपने देखा

(श्री गिर्राज सिंह)

होगा जयपुर के अंदर जो हिंगोनिया गौशाला थी, उसमें गाय की काफी मौतें हुई थीं। पूरे प्रदेश के अंदर जोधपुर के अंदर भी काफी मौतें हुई थीं। पिछली सरकार ने गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और ये सिर्फ पांच साल ड्रामा करते रहे। गाय के नाम पर राजनीति ये करते हैं, भगवान के नाम पर राजनीति ये करते हैं। क्या सिर्फ गाय इनकी ही है? क्या सिर्फ भगवान इन्हीं का है? मैं गारंटी से इस सदन के अंदर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी गायों की कट्टी होती है, वे सारे के सारे बीजेपी के नेता हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): नहीं हैं? तो आप एक कमेटी बना दें और इनकी जांच करा दें।

**श्री सभापति**: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। अंकित नहीं होगा।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए। चन्द्रभान सिंह आक्या।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। विराजिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए। सहयोग करिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सहयोग करिए, आप विराजिए।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, विराजिए। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे संकल्प पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज अच्छे संकल्प के विषय पर चर्चा हो रही है। गाय के विषय पर चर्चा हो रही है। गाय की क्या दशा है, क्या कंडीशन है, उस बारे में चर्चा हो रही है, गाय माता है। गाय का दूध पीने से आदमी की सभी बीमारियां समाप्त होती हैं। गौ मूत्र से कैंसर जैसी बीमारी खतम होती है। गाय के गोबर से धूपबत्ती बनती है। गाय में 36 करोड़ देवताओं का वास होता है। गाय माता के रूप में पूजी जाती है। गाय का बहुत बड़ा महत्व है।

मैं गौशालाओं की मांग करता हूं। प्रत्येक ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर एक गौशाला होनी चाहिए। नंदी शाला भी अलग होनी चाहिए। गाय को रखने के लिए अगर गौशालाएं होंगी तो आज गाय की जो दशा हो रही है, वह दशा आने वाले दिनों में नहीं होगी।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्टाम्प डयूटी का पैसा दस परसेंट के रूप में ले रहे हैं, इधर-उधर नहीं जाएं, वह पूरा पैसा गौशालाओं पर लगे, इस तरह की मैं मांग करता हूं। अभी सरकार अनुदान दे रही है, उसने नौ महीने की बात कही है। गाय को चारा, पानी, खाने की व्यवस्था तो पूरे 12 महीने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाय को खाने के लिए 9 महीने ही चाहिए। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन का अनुदान दिया जाए, पैसा दिया जाए, इससे गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी होगी।

माननीय सभापति महोदय, आज गोचर जमीन गौशालाओं के नाम पर आबंटित नहीं है। गोचर ज़मीनों को अलाट कराने के लिए लोग इधर-उधर भटकते हैं। ऐसी बहुत सी गौशालाएँ गोचर जमीन में हैं, पर वहां गौशाला के रूप में अलाट नहीं हो पा रही है। राजस्व मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा, आप गोचर जमीन पर अगर गौशाला बनाते हैं तो। पंचायत या तहसील में देते ही वह जमीन उसके नाम अलाट हो जाए, सरकार ऐसा कोई कानून बनाए, ऐसा कोई संकल्प करे। जमीन किसी भी नाम हो सकती है, बिलानाम हो, गोचर हो, सिवायचक हो, कैसी भी जमीन हो, वह जमीन अपने आप गौशालाओं के लिए आबंटन हो जाएगी तो यह बहुत बड़ा काम होगा, इससे फायदा होगा।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

गायों के हास्पिटल के लिए काफी दिक्कत रहती है। जिला हैडक्वार्टर पर आपरेशन थियेटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बीमार गायें वहां जाएं तो उनका आपरेशन हो जाए और उनकी बीमारी खतम हो जाए। इस हेतु हर जिला हैडक्वार्टर पर एक आपरेशन थियेटर बनाया जाए।

गाय और अन्य पशुओं के मरने का सबसे बड़ा कारण थैलियों का खाना है। पूरे राजस्थान में प्लास्टिक पर पांबदी हो जाए ताकि गाय व अन्य पशु थैली खाने से रुक जाएं, इससे भी हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। गायों के लिए भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा।

गौवंश कटाई होती है। गौ मांस के रूप में काफी तस्करी भी होती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे दूसरे राज्यों में कानून लाया गया है, वैसे ही अपने यहां भी एक कानून बनाएं। जो लोग गौ तस्करी करते हैं, उनको सख्त से सख्त जो सज़ा मिल सकती है, वह सज़ा दिलाएंगे, तो गौ तस्करी कम होगी। लड़ाई-झगड़े व आतंक की बातें हो रही हैं, वह भी खतम होंगी।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, राजस्थान में गौ वध के लिए कानून बना हुआ है।

**श्री सभापति**: है, पहले से बना हुआ है।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): जो आदमी, जो किसान, गाय रखता है उसको 500 रुपये महीने, हर गाय पर, अगर अपन देते हैं तो गौशालाओं की कमी भी कम होगी और किसान उसको रखने की कोशिश करेगा। इसलिए सबसे अच्छा है अनुदान के रूप में उसको 500 रुपये भी दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में गौशालाओं की बहुत दिक्कत आ रही है। जमीनों की सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सी फाइलें लगी हुई हैं भदेसर में लगी हुई है, सावा में लगी हुई है, घोसुण्डा में लगी हुई है। वह वर्षों से सरकार और तहसील के चक्कर काट रहे हैं, पर वह ज़मीनें अलाट नहीं हो पा रही हैं। बहुत से स्ट्रक्चर भी खड़े कर दिये, उसमें सरकारी पैसा भी नहीं लगा सकते, एमएलए फण्ड भी नहीं लगा सकते। आने वाले दिनों में वह जमीन गौशालाओं के नाम पर अलाट हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत अच्छा काम होगा।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार अच्छा संकल्प लाई है। गौशाला के बारे में अच्छी चर्चा हो रही है। मेरे चित्तौड़गढ़ में भी गौशालाओं के अनुदान का पैसा काफी लेट आया। पिछले तीन-चार, छह महीनों का पैसा अभी जस्ट आया ही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर महीने अनुदान उनके खाते में आ जाए। टाइम पर पैसा उनके पास आ जाएगा, तो चारे, पानी, बांटे की व्यवस्था हो जाएगी। सरकार टाइम पर उनका पैसा दे।

माननीय सभापति महोदय, गाय के बारे में विधान सभा में चर्चा हो रही है, यह बहुत शुभ काम हो रहा है। मैं सोचता हूं गाय के बारे में चर्चा करने से पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश होगी। अच्छी खुशहाली, अच्छा काम होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री मेवाराम।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा सदस्य शकुन्तला जी रावत ने गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, इसके समर्थन में बात करना चाहता हूं। सभी सदस्यों ने गाय की चिंता की। यह संकल्प राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग से संचालित गौशालाओं के लिए जमीन, किसी भी किस्म की हो, उसका रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्री तहसीलदार स्तर पर करने के लिए रखा है।

सभापति महोदय, गायों के बारे में खूब बातें हुईं। गाय को हम माता मानते हैं, पूजा करते हैं, पर गाय के बैल किसी काम नहीं आते हैं क्योंकि आज जुताई ट्रैक्टर से होती है, लोग उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं, शहरों में छोड़ देते हैं और हालात इस तरह के हैं कि जगह-जगह, चाहे शहर जाओ, चाहे सड़क जाओ, चाहे गांव जाओ, आवारा पशुओं की भरमार है। किसान उसको पाल नहीं सकता, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गायों को कैसे बचाएं इसके लिए सरकार ने भी, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पंचायत समिति लेवल पर तो गौ-शालाओं की तो घोषणा की, परन्तु इसको पंचायत लेवल पर ले जाना पड़ेगा। जितने भी ये आवारा पशु हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर पशुशाला खुले और उसमें सरकार सहयोग करे। अनुदान, जो सेस-कर लगाया, उस सेस-कर को बढ़ाना भी पड़े तो भी बढ़ाएं, पर इस पशुधन को कैसे भी बचाएं।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस गौवंश को बचाने के लिए जितनी भी गौ-शालाएं हों, इनका अनुदान नौ महीने का दिया है और जो नई गौ-शालाएं कोई खोलना चाहता है, उनके लिए माननीय शकुन्तलाजी बहुत अच्छा आज प्रस्ताव लाई हैं कि जो भी गौ-शाला खोलने के लिए आये, जैसी भी जमीन, चाहे गोचर हो, ओरण हो, चाहे किसी किस्म की हो, उसको अलाट करें। यह तहसील स्तर पर करें। उनको चक्कर नहीं काटना पड़े, रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर नहीं काटना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बाड़मेर शहर के अन्दर करीबन दो हजार आवारा पशु हैं। उनके लिए अभी नगर परिषद् से, दानदाताओं से, सभी से मिलकर गोचर भूमि 50 बीघा अलाट कराने के लिए, यहां मैं माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 25 बीघा तो कर दी तथा 25 बीघा और गोचर जमीन अलाट कर रहे हैं। उसमें पानी की व्यवस्था होगी, तारबंदी होगी, सड़क होगी, और सारी व्यवस्थाएं करके दो हजार आवारा पशु उसमें रहेंगे। शहर के पूरे, जितने भी आवारा सांड हैं, उनके लिए नंदीशाला हम खोल रहे हैं। इसके लिए पहले तो मैंने संकल्प लिया कि 51 लाख रुपये तो मेरे एम.एल.ए. फंड से दूंगा और 11 लाख मेरे खुद के उस गौशाला में दूंगा ताकि वह पशुधन बच सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा ही हर जगह अगर अपन संकल्प ले लें कि हर पंचायत स्तर पर, हर पंचायत समिति लेवल पर और हर शहर में दानदाता खूब बैठे हैं, सरकार व्यवस्था करे और दानदाताओं का, जो भी गौशाला खोलना चाहते हैं उनकी जमीन के लिए तो जब भी, जो चाहे, वास्तव में उसका उपयोग हो, यह नहीं कि कोई उसका दुरुपयोग करे। गाय बचाने के लिए, पशुधन बचाने के लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, तभी बच पाएंगी, जब उनके लिए हम यह गौशालाएं खोलें।

इसके लिए मैं दो-तीन सुझाव भी देना चाहूंगा कि आज किसानों की हालत खराब है कि वे गाय पाल नहीं सकते। नरेगा के अन्दर इतने पैसे अपन खर्च कर रहे हैं, और तालाब तथा नाड़ियां खोदने पर पैसे खर्च कर रहे हैं, खुदी हुई नालियां हैं, यह भी पता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके अगर दो गाये हैं, उनका नरेगा में एक किसान का नाम उसमें जोड़ दिया जाए, और वह राशि गायों पर खर्च करें तो गाय, एक पशुधन बच सकता है। इसके लिए कई,

(श्री मेवाराम जैन)

गौमूत्र है, इसकी खाद है, इसके लिए गोबर गैस प्लांट है, कई तरह से इन गौशालाओं में वापस गौधन बचाने के लिए पैसे की आय भी हो जाएगी और इससे पशुधन भी बच जाएगा। साथ ही पोलीथिन बिलकुल बंद करें।

मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, यही कहूंगा कि यह जो विषय है, सब्जैक्ट है, इसमें जिस तरह से चर्चा हुई, यह चर्चा इसमें होनी ही नहीं चाहिए। सबको संकल्प आज लेना है कि हम गौ, पशुधन को कैसे बचाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यहां सब मिलकर अगर हम संकल्प लेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि पशुधन, जो यह सड़कों पर है, शहरों में है, बचेगा।

माननीय सदस्य द्वारा जो संकल्प इस सदन में लाया गया है, इसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे ही कहने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी गोचर जमीन है, चाहे ओरण है, जिन पर कब्जे हो रहे हैं, इन कब्जों को खाली कराएं और पशुओं को चरने के लिए, चाहे नरेगा में हो, चाहे अन्य जगह पर हो, इनके लिए आरक्षित हो, और उनको अलाट करनी पड़े, चाहे उनके लिए आरक्षित करें, यही मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह जो संकल्प है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इसका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री तहसील स्तर पर फ्री करें, चाहे सौ रुपये के स्टाम्प पर करें और तुरन्त उसमें सीमा लागू हो कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर हो, ताकि गायें बचाने के लिए, जो भी संस्था हो, जो भी करना चाहें, वे आगे आ सकते हैं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री रामप्रताप कासनियां।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, गैर सरकारी संकल्प पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, शकुन्तलाजी रावत ने जो संकल्प पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। बेसहारा पशुधन के लिए इस हाउस के अन्दर पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं बहुत हुई हैं। सब चाहते हैं कि गौशाला खुले। गौशाला तो खुले, पर हर काम को करने के लिए इंडियन करेंसी, पैसे की जरूरत है, और उस पैसे के लिए मैंने सरकार को पूर्व में भी सुझाव दिया था।

सभापति महोदय, मैंने जब प्रथम बार शपथ ली थी, उस समय भी मैंने शपथ के अन्दर संकल्प लिया था कि जब तक इस प्रान्त में गायों का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

प्रबन्ध सरकार नहीं करेगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ तो किया, शुरुआत हुई इसके लिए मैं कोई संकोच नहीं करता। बहुत बड़ा काम है, अगर सरकार की हिम्मत है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो आप किसानों पर टैक्स लगाओ, उनकी चाहे जिंस बिके, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक लाख रुपये की जो किसान फसल बेचे उसके पचास-सौ रुपये टैक्स लगा दो, कोई किसान विरोध नहीं करेगा। अगर आप आवारा पशुओं की व्यवस्था करोगे, गांव-गांव के अन्दर जगह पड़ी है। हो सकता है कि दस गांवों में नहीं हो तो बराबर वाले पांच गांवों में बहुत जगह गोचर भूमि है, सरकारी भूमि पड़ी है। हिम्मत चाहिये, कौन मना करता है, जब पक्ष और विपक्ष, हम संकल्प लेते हैं तो इसमें जितने धन की आवश्यकता है, टैक्स लगाओ, शराब पर लगाओ, सौंदर्यीकरण के साधनों पर लगाओ। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, इनके यहां दुनिया भर का जिप्सम है, उस पर लगाओ, कैसे भी करो, टैक्स लगाओ, इस काम के लिए आपका कोई विरोध नहीं करेगा। यह बहुत बड़ा काम है। अगर सरकार यह काम कर देगी तो एक ऐतिहासिक काम होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। इस काम में अगर आप, सरकार आगे आकर, सभापति महोदय, बड़ा आदमी कोई इस काम के लिए आये तो जैसे माननीय सदस्य ने अभी घोषणा की है खुद के घर से दस लाख देने की, और कोटे से, इसी तरह से सरकार की तरफ से अगर प्रेरित करें तो पैसे देने वाले बहुत लोग बैठे हैं। उनको विश्वास होना चाहिए कि वाकई में ही गौशाला पर खर्च होगा और इस गौशाला की व्यवस्था अच्छी है तो दान देने वालों की, इस देश में, इस प्रान्त में कमी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ पांच-छह वर्ष की समस्या है अगर सरकार सही तरीके से इसको संचालन करे और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जैसे 95 प्रतिशत बछड़ी लाने वाली बात मैंने डाक्टरों से सुनी है अगर यह व्यवस्था हो जाए ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: वह सही है।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): राठी नस्ल, थारपारकर नस्ल, यह कुछ नस्लें ऐसी हैं कि ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सार्टेड सीमन यदि काम में लेंगे तो वैसे ही होगा।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): क्या?

**श्री सभापति**: सार्टेड सीमन है जो करीब 1200 रुपये का आता है। यदि यह सीमन काम में लेकर गर्भाधान कराएंगे तो बछड़ी ही होगी।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): तो मेरा आसन से यह निवेदन है कि इस संकल्प को पक्ष और विपक्ष से पारित कराएं और सरकार को हम इसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आप जो-जो चीज आवश्यक समझें, उन पर चाहे टैक्स लगाएं, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और किसान आपको जिंदगीभर याद रखेगा और गौ भी आपको जिंदगीभर याद रखेगी। जितने भी कबाड़े आपके किये हुए हैं, वह माफ करवा देगी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर भाषण बहुत होते हैं। वैसे मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं पर जब मैं भाषण सुनता हूं तो बड़े मीठे होते हैं।

**श्री सभापति**: मैं आपको सबसे ज्यादा ज्ञानी मानता हूं।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): आप गुणी हो।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): करने कराने को कुछ नहीं तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आज इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप पक्ष और विपक्ष से यह संकल्प पारित कराएं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप माइक पर बोलिए। आप माइक पर बोलिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): क्या?

**श्री सभापति**: आप माइक पर बोलिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): माइक पर ही बोल रहा हूं, साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं और माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरी राजस्थान की जनता और किसान हमारी तरफ देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के एक होते हुए भी इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो हमारा बहस करना व्यर्थ है, बहस करने से कोई फायदा नहीं है।

आज मैं आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि गौ माता के लिए और किसानों के लिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरे और भी सुझाव हैं लेकिन समय का अभाव है, मैं इधर आसन की तरफ देख रहा हूं। सुझाव बहुत हैं पैसे की कमी हो तो आप मेरे से बात करना, मैं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आपको टैक्स लगाने के सैकड़ों साधन बताऊंगा और कोई विरोध नहीं करेगा, माननीय सभापति महोदय, यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

अन्त में, मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह संकल्प पारित होना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या द्वारा गायों के हित में लाये हुए इस संकल्प में खुद को शामिल करते हुए मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गाय को इकोनोमिकली वायबल बनाने की जरूरत है। गाय की संख्या में कमी क्यों आ रही है? उसके पालन के प्रति पशुपालकों की या किसानों की रुचि क्यों घट रही है इसका सबसे बड़ा कारण है कि गाय अब प्रोफिटेबल नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, महाभारत के अनुशासन पर्व में जब परशुरामजी ने क्षत्रियों का संहार किया था तो अपने पाप को वह धोना चाहते थे तब उन्होंने ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हम ही मिले आपको?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): वह अपने पाप को धोना चाह रहे थे तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि भूमि, गाय, अन्न और स्वर्ण इनमें से मैं क्या दान करूं जिससे कि मेरे पाप धुल सकेंगे? उस वक्त वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे भृगुनंदन, आप स्वर्ण दान करो। मतलब सोने का दान करो। उस जमाने में उन्होंने यह समझ लिया था कि आगे आने वाले वक्त में... (व्यवधान)

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): आप उदाहरण तो महाभारत का दे रहे हो और नाम वशिष्ठ ऋषि का ले रहे हो तो यह वशिष्ठ ऋषि का नहीं है।

**श्री सभापति**: विराजिए-विराजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूं लेकिन इस पर बाद में चर्चा कर ली जाएगी। महाभारत का कहा है, मैंने अनुशासन पर्व का कहा है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, जो गायों का पालन करता है उस ग्वाले की आज क्या स्थिति है? हमारी अपनी जीवनशैली में कितना बदलाव आया है? एक समय था कि जिसके घर में पशु होते थे, भूमि होती थी, गाय होती थी तो लोग यह गौरव अनुभव करते थे कि हम अपनी बेटी उस घर में दे रहे हैं जिसके घर में खेती है और पशु है और आज जिसके घर में गाय और पशु है तो लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, वहां बेटी क्या पोठा उठाएगी? मतलब, हमारी बेटी क्या वहां गाय का गोबर उठाएगी? यह मानसिकता समाज की बन गई है। लोग अपनी बेटी भी उस घर में देना पसंद नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, पूजा हम करते हैं, सेवा हम करते हैं और आशीर्वाद सारा डेनमार्क चला जाता है। डेनमार्क के अंदर जो लोग दूध का पाउडर बेचते हैं, उनके घर तीस मंजिलों के हैं और जो गायों का उन्होंने परिसर बना रखा है उसकी चौकीदारी वह हेलिकाप्टर से करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाय के अंदर वह क्षमता पैदा की है, दूध देने की क्षमता। गाय को उन्होंने इकोनोमिकली वायबल बनाया है। हम छह लीटर दूध नहीं निकालते। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अमरीका में मानसिक तनाव कम करने के लिए गाय के लिपटकर, पांच-पांच मिनट का समय दे रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी एक पूर्व वक्ता ने जिक्र किया भगवान श्री कृष्ण का। आप गोकुल जाकर देख लीजिए कि आज वहां गाय से ज्यादा आपको भैंसें मिलेंगी। यदि हम बहुत व्यावहारिक बात से गायों का हित करना चाहते हैं तो हमें बहुत व्यावहारिक तरीके से सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा और माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह विनती करूंगा कि यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है। भारत का आदमी भावनात्मक रूप से गाय से जुड़ा हुआ है धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। वह हर हालत में यह चाहता है कि उसकी गाय का संरक्षण हो और भावनात्मक कारणों से जहां पर उसको जगह मिलती है, उस जगह पर वह एक बाड़ा बनाकर गायों की सेवा का काम चालू कर देता है और वह धीरे-धीरे गौ-शाला का रूप ले लेती है। (व्यवधान) आपकी बातचीत पूरी हो जाए तो फिर मैं बोलूं?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि आप गांवों में शिविर लगाएंगे, प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू करेंगे, दूसरे अभियान करेंगे, आप अध्ययन करके एक बिंदु गौ-शाला का उसमें डालें कि कोर्ट के डाइरेक्शन की पालना के भीतर जिन-जिन स्थानों पर भी वास्तविक रूप से गौ-शाला चल रही है, यदि वह भूमि उनको आबंटित नहीं हुई है तो वह भूमि वहां पर उस कैम्प में आबंटित कर दी जाए और जो माननीय सदस्य प्रस्ताव लाये हैं, उस प्रस्ताव में पूरे सदन की सहमति है। आप और जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी संशोधन दिया है, आप दोनों की भावनाओं को मानते हुए 100 रुपये के अंदर ही उसकी रजिस्ट्री वहीं पर ही करवा दें, इससे बेहतर गाय की सेवा का निर्णय नहीं हो सकता और 70 साल में यदि हमने जाने या अनजाने में भी गायों के प्रति कोई अपराध किया है तो हम सबका अपराध भी क्षमा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि राजस्थान में ढाई हजार से ज्यादा पंजीकृत गौ-शालाएं हैं लेकिन गोपालन विभाग तो ...(व्यवधान) यह क्या है? What is this? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप बोलिए। आप अपनी बात को बोलिए। आप बात करिये, मेरे से इधर बात करिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): I'm sorry, he is a Deputy Leader of the Opposition. How is he behaving?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): I'm giving some important points.

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आप वहां पर दिन में पांच-पांच बार जाकर खड़े होते हो तब तो आपको यह याद नहीं आता।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नहीं, मैं ऐसे खड़े-खड़े कभी बात नहीं करता। ऐसे खड़े-खड़े कभी बात नहीं करता। आप जब भी बोलते हैं तो सीट पर बैठकर आपको मैं पूरा सुनता हूं। पूरा आदर करते हैं आप दोनों का, मन से आदर करते हैं, मन से। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपका अनुभव हमसे ज्यादा है, यह हम जानते हैं लेकिन आप हमें भी सीखने का मौका दें।

**श्री सभापति**: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप अपनी बात पर सीधे आएं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह गोचर भूमि, ओरण भूमि, यह आरक्षण किसने किया? मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दूंगा, पंडित जवाहर लाल नेहरू को धन्यवाद दूंगा कि जब यह एक्ट बना, यह उनकी सोच थी कि हमें अपने पशुओं की सेवा कैसे करनी है। जो पशु मुंह से बोल नहीं सकते, जो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते, हम लोग अपनी लालसाओं के चक्कर में उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर दें तो उन्होंने कानूनन यह प्रावधान किया, लेकिन इसके बाद भी इतने सालों में हमने उस कानून के प्रावधान का सम्मान नहीं किया। गोचर भूमि को हम आबंटित करते रहे बिना रिएम्बर्स किये हुए, उद्योगपतियों को देते रहे, व्यापारियों को देते रहे तो हमारी उन लालसाओं को भी राजस्थान हाई कोर्ट ने आकर रोका और हमें यह आदेश दिया कि आप गोचर भूमि से आबंटन नहीं करेंगे।

अभी भी राजस्थान पत्रिका के गुलाब कोठारी जी की जो पिटीशन आयी, उसमें फिर पाश्चर लैण्ड के बारे में राजस्थान हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किया, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। कोई सरकार हो, इनकी सरकार हो, आपकी सरकार हो, मैं चुनौती देता हूं, आप अगर मंत्रीजी जवाब दें, यहां पर रख दें कि एक भी सरकार ने अभियान चलाकर किसी भी जिले में 100 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया हो। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्या की भावना का सम्मान करते हुए, उनके लाये हुए संकल्प का आदर करते हुए आप यह सुनिश्चित करें और नीचे तक अपनी इच्छा शक्ति के बल पर यह संदेश दें कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आपने किसी कलेक्टर को आज तक चार्जशीट दी? क्या आपने किसी एस.डी.ओ. को चार्जशीट दी? क्या आपने कभी यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इस गोचर भूमि पर अतिक्रमण के लिए कोई भी रेवेन्यू आफिसर रेस्पोंसिबिल है? एक रेवेन्यू का आफिसर निकलता है, वही एक्स्टोर्शन करता है, दूसरा आ जाता है तो वह कहता है कि मैंने तो अपना लूट लिया, अब तू लूट। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि जब तक आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखाएंगे, गोचर भूमि का संरक्षण नहीं किया जा सकता।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, आज मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा। 2013-14 के बजट में स्टेट बजट से पहली बार 32 रुपये बड़े पशु और 16 रुपये छोटे पशु, जो गौशालाओं में पलते हैं और जो लूले-लंगड़े पशु हैं, उनका पूरा खर्चा बारह महीने का देने का उन्होंने तब निर्णय किया और अब भी उनकी सरकार आने के बाद जो 32 रुपये पांच साल चलते रहे, उस 32 रुपये को अशोक गहलोत जी ने बढ़ाकर 40 रुपये किये और जो 16 रुपये थे, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह हमारा बहुत सौभाग्य है कि गोपालन विभाग का अलग से मंत्रालय बनाया गया है। गौपालन निदेशालय पिछली सरकार ने बनाया, पिछली वसुन्धराजी की सरकार ने गोपालन विभाग अलग से बनाया, लेकिन सवाल यह है कि गोपालन विभाग ने पांच सालों में काम क्या किया? उसका कोई आफिस नहीं, उसका कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिवाय अनुदान का पैसा बांटने के कोई काम गोपालन विभाग ने नहीं किया है। उसके लिए तो मैं उनको क्षमा करता हूं कि गायों का नाम लेने के बाद भी जो करना चाहिए था, वह आप नहीं कर पाये लेकिन, इस सरकार से मैं उम्मीद रखूंगा कि आप नीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें। औषधियों के निर्माण में, जो भी गायों से जुड़े हुए प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनके मूत्र से जुड़े हुए गोबर से जुड़े हुए आप एक इंसेंटिव पालिसी लेकर आइए। उस गोपालन मंत्रालय के माध्यम से आप शोध करिए, रिसर्च करिए, सर्वे करिए, अध्ययन करिए, सर्वदलीय कमेटी बनाइए जिससे हम राजस्थान के अंदर गायों से जुड़े हुए अलग-अलग तरह के व्यापार को प्रोत्साहन दे सकें और गाय इकोनोमिकली वायबल हो सकेगी।

यह भी हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गोपालन मंत्री हैं, वह स्वयं एक बहुत बड़े गौ-सेवक हैं। मैं कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में अंगुलियों पर गिने-चुने लोग होंगे, जो गायों की मन से, समर्पण से सेवा करते होंगे। जब मुझे जानकारी हुई कि उन्हें यह विभाग मिला है, तो हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं और उन सारे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गयीं, जो गौ-सेवा के इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

अभी मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां के माननीय मुख्य मंत्री कमलनाथ जी ने हर ग्राम पंचायत

(श्री संयम लोढ़ा)

स्तर पर गौशाला खोलने का या संचालन में सहयोग देने का निर्णय लिया। जो आपने तहसील स्तर पर किया है, अभी पंचायत समिति स्तर पर, कि हम यह नंदी गौशाला खोलेंगे। पिछली सरकार ने जिला स्तर का निर्णय लिया था, वह तो हर जिले में खोल नहीं पाये। अब पंचायत समिति स्तर का लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या निर्णय किया है और छत्तीसगढ़ ने भी इस पर विचार करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से विनती करूंगा कि हिन्दुस्तान के सारे स्टेट्स के अंदर गौशाला के संबंध में जो भी नीतियां बनी हुई हैं, जो नीतियां प्रस्तावित की गयी हैं, उनका अध्ययन करते हुए राजस्थान में भी हर ग्राम पंचायत स्तर पर गायों का संरक्षण कैसे किया जा सके, उस पर आप जरूर निर्णय करेंगे।

अब मैं, आखिरी बात कहता हूं। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन? माननीय सभापति महोदय, शेर, लॉयन और लायन किसको खा जाता है, जंगल में मिल जाए तो? सबसे पहले तो इस पर विचार कीजिए कि यदि हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हम वास्तव में गाय का भला करना चाहते हैं तो क्या राष्ट्रीय पशु गाय को नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया के अंदर, माननीय सभापति महोदय, गायों का मांस बेचने के मामले में हम पहले नंबर पर खड़े हैं, भारत पहले नंबर पर खड़ा है। क्या यह हमारी शर्मिन्दगी का विषय नहीं होना चाहिए? हम राज में नहीं हों जब तो हम कहें कि यह पिंक रिवोल्यूशन वाले लोग हैं, इनको डालर चाहिए, यह डालर के लिए गायों का मांस बेच रहे हैं। क्या आज भारत के लोग पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा गाय भारत में क्यों कट रही हैं? क्या भारत के लोग पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश से ज्यादा गाय भारत में क्यों कट रही हैं? गायों का यह कटना रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह डालर से मालामाल होकर ही हम देश का विकास कर सकते हैं, जो गायों का मांस बेचकर प्राप्त किया जा रहा है? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा माननीय मंत्रीजी से, कि वे सदन में ठोस घोषणा करें। यह नहीं हो कि माननीय सदस्य के माध्यम से आप संकल्प वापस ले लें। यह दो घंटे की चर्चा हो गयी और कहानी खतम। एक लोक कल्याणकारी सरकार से यह अपेक्षा रखने का राजस्थान के आठ करोड़ लोगों को अधिकार है कि वह जिस गौ-सेवा से अपने बचपन से, पैदा हुए जब से, मां कहती थी जा, गाय को रोटी देकर आ, उस संस्कार में पले-बढ़े लोग, पली-बढ़ी पीढ़ी है।

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारे राजस्व मंत्री नौजवान मंत्री हैं, यह किसान परिवार से आते हैं। राजस्व की मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने उन सारी किसानी परिस्थितियों का वर्णन किया था तो इनसे ज्यादा बेहतर गायों की स्थिति के बारे में, मैं नहीं समझता कि मैं समझता हूं, वह मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है माननीय मंत्रीजी से, कि इसमें एक बिलकुल ठोस आप घोषणा करें और तहसील स्तर पर ही जो माननीय सदस्य ने कहा है जमीन का आबंटन, जमीन का रजिस्ट्रेशन, इन सब बातों को करने की कार्यवाही आप सुनिश्चित करें। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री मदन दिलावर।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, जो आज संकल्प रखा है, उस पर सारा सदन सहमत है। किसी को भी इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है। मैं आसन से चाहता हूं कि संकल्प को पारित कराने का प्रयास करें ताकि वास्तव में हम राजस्थान की गौ की रक्षा भी कर सकें और इसके संवर्धन का रास्ता भी खोल सकें। मेरी तरफ से मैं अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारी पूर्ण सहमति है। जैसा भी आप और कोई संशोधन करना चाहें तो वह संशोधन कर लें। लेकिन, अगर इस संकल्प को पास कर सकते हैं तो हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, एक इतिहास बनेगा, जैसा हमारे नेता ने कहा, इसको पारित करें। बहुत अच्छी बात है, सब सहमत हैं और हमें इसको पारित करना चाहिए।

**श्री सभापति**: आप विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप अगला नाम पुकारें। प्रतिपक्ष के नेता ने जो भावना व्यक्त की है कि संकल्प को वोट के लिए रखें आप और अगर सदन पारित करता है तो मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में एक ऐसा मैसेज जाएगा, जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से हम सबकी भावनाएं आ गयी हैं, आप वोट के लिए रखें।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने बोलने के लिए इच्छा व्यक्त की है। श्रीमान् से निवेदन है कि आप उन्हें बुलाने के लिए नाम पुकारें।

**श्री सभापति**: श्री मदन दिलावर।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी तरफ से कोई नहीं बोलेगा। अगर वे बोल करके केवल इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है। हमारी तरफ से सम्पूर्ण सहमति है। आप इसको जैसा चेंज करना चाहें, इनके लिए जिस प्रकार से भी जमीन आबंटन कराना चाहें, उस पर हमारी सौ प्रतिशत आपसे सहमति है। मेरे दल की तरफ से कोई नहीं बोलेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): बताओ, बोलो न।

**श्री सभापति**: आप एक बार बात कर लें महेश जी से और उनसे बात कर लें, सीधी क्या बात कर रहे हो आप। आप बात कर लें एक बार अन्दर। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। माननीय सदस्य।

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, पूरे सदन की भावनाओं और प्रतिपक्ष...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, आप एक बार विराजिये। मैंने एक बार श्री मदन दिलावर का नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हो गया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी तरफ से सहमति है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: कोई दिक्कत नहीं तो, दो मिनट बोल लेंगे ये, ये बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं बोलना चाहते वे। नेता ने कह दिया अब क्यों बोलेंगे हम। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: जो बोलना चाहें, उसको तो बुलाओ।

**श्री सभापति**: श्री मदन दिलावर। श्री गोविंद राम।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, इसका मतलब सत्ता पक्ष इसको वोट के लिए रखने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव रखा, आप उसको खारिज कर दें। मेरा निवेदन यह है कि प्रतिपक्ष के नेता ने यह प्रस्ताव रखा है, प्रतिपक्ष के नेता प्रस्ताव करते हैं यह सदन इस संकल्प को ...(व्यवधान) इस संकल्प को वोट के लिए रखें। आप खारिज कर दें। (व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): नहीं, आप आसन से व्यवस्था दे दें कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो व्यवस्था मांगी है उसको आप खारिज करते हैं। रिकार्ड में तो चली जाए।

**श्री सभापति**: ऐसा है कि सरकार देगी जवाब तो मैं थोड़ी ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप खारिज कर दीजिए हमारा। आप खारिज कर दो।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, मैंने नाम पुकार लिया उनका। (व्यवधान)

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): यह डाई-डाउन हो ही नहीं सकता है, आप क्यों इतना अपने आपको इसमें करते हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): सभापति महोदय, राठौड़ साहब तो बोल लिए न इसलिए वे चाहते हैं कि इसको ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, विराजिये आप, विराजिये। श्री गोविंद राम।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): सभापति महोदय, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग आज से नहीं बहुत पुराने समय से गाय को बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखते हैं लेकिन काफी लम्बी चर्चा हुई प्रतिपक्ष भी बात पर सहमत हुआ कि हम लोग इस प्रस्ताव को पास करें लेकिन हम दो मिनट जरूर बोलना चाहेंगे।

दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस पशु को इतना पवित्र मानते हैं आज उसकी सबसे बड़ी दुर्गति क्यों है? चूंकि बाजार में जिस चीज की रीसेल वैल्यू नहीं होती, उस चीज की वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। आज पूरे देश में इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि हम गाय की इज्जत नहीं करते, चाहे इधर से बोले हों, चाहे उधर से बोले हों लेकिन दो-तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभापति महोदय, जब हम लोग गांवों में जाते हैं, हमारा इर्रिगेटेड एरिया है, सिंचित एरिया है, किसान खेती करते हैं लेकिन आज हालत वहां किसान और गाय की जो आपस में टकराने की है वह बहुत बुरी है। आये दिन रोड पर एक्सीडेंट, गाय और गोधे मिलेंगे। इस गाय को वोट से जोड़ना, इस तरह की बात करना यह अच्छी बात नहीं है। अगर हम गाय को मां कहेंगे तो फिर बैल को क्या कहेंगे? यह अपने आपमें एक प्रश्न है।

(श्री गोविंद राम)

आज गुजरात के अन्दर ऊना कांड हुआ, जब गाय जिसको हमारी मां कहते हैं, मैं भी बहुत पवित्र मानता हूं मैं इज्जत करता हूं। मेरे घर में गाय है फिर भी भैंस के दूध को भी लोग बहुत वैल्यू देते हैं लेकिन ऊना के अन्दर चार वाल्मीकियों ने, आप जानते हैं कि गाय माता की जब डैथ होती है तो उसको वाल्मीकि ले जाकर दफनाते हैं, खाल भी निकालते हैं। उसमें कुछ ऐसे अंश होते हैं जो मार्केट में बिकते भी हैं लेकिन उनको धर्म के नाम पर लाकर बुरी तरह से पीटना, उनका वीडियो चढ़ाना और वाल्मीकि जो वर्षों से, सदियों से हमारे घरों की सफाई करते हैं, हमें इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, वे मरी हुई गाय लाकर कोर्ट में डालने को मजबूर हो गये।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप सीधा-सीधा गाय के संकल्प पर बात करिये अब।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): सभापति महोदय, मैं आपको देश की सच्चाई की ओर ले जाना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): कि हम इनकी इज्जत करने को तैयार, हम गाय की सेवा करने को तैयार, फिर हमारी दुर्गति क्यों? उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो शकुन्तला जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं सहमत हूं कि बिलकुल सस्ते दाम पर हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए लेकिन इस बात पर तो चिंतन करो कि इस गाय की इतनी दुर्गति क्यों? क्या हम मात्र इसको वोट की दृष्टि से गाय का, गाय धर्म का नाता है और देश हमारा, हमेशा ये गाते रहेंगे?

आज अभी एक सदस्य बोले कि हमारे किसानों पर पैसा लगा देना चाहिए, टैक्स लगा देना चाहिए। माननीय, किसान की हालत यह है कि गाय टलने के बाद में वह घर रखने की स्थिति में नहीं है। जब जमीनों की रजिस्ट्री होती है, उसमें गाय के नाम पर दस परसेंट पैसा जमा होता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए जो गाय के लिए आपने गोचर छोड़ी, जो वन विभाग में पड़े हैं हमारा सुझाव है कि उसमें ट्यूबवैल बना दिये जाएं और चरागाह के रूप में किसानों को वहां नौकरी दे दी जाए, नरेगा की तरफ से पेमेंट हो जाए। लेकिन आपको सच्चाई पर आना पड़ेगा कि हम खाली गाय माता के नाम पर वोट मांगते रहें, राजनीति करते रहें और जब भैंस की बात आये तो हम करने को तैयार नहीं हैं।

(श्री गोविंद राम)

आज कितनी बड़ी बात कही है। मैं भी गया था एज ए एम.एल.ए. आसाम में घूमने, वहां गाय के बाजार लग रहे हैं। वहां जाकर कोई धरना नहीं दे रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा है और यहां अभी धारीवाल जी ने थोड़ी सी बात कह दी, सारा सदन ऊपर उठा लिया।

एक बात अभी सदन में उठी, मैं भी उसमें सहमत हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा गाय पिछले पांच सालों में कटी है, निर्यात हुआ है, टैक्स वसूला गया है और हम सब, हमारे धर्म से सम्बन्धित हैं काट कर बेचने वाले लोग, निर्यात करने वाले लोग, तो कब तक हम लोग दिखावा करते रहेंगे? इसलिए बिलकुल गाय पवित्र है, दूध अच्छा है, हम तो भैंस का भी अच्छा मानते हैं, बकरी का भी अच्छा मानते हैं। अभी एक सदस्य ने उठाया ऊंटनी का दूध, बिलकुल, शुगर के लिए कारगर दवाई है। लेकिन हम खामख्वाह उस बात को तूल देकर लोगों का रिकार्ड निकालकर वोटों में बांट दिया, इन्होंने यह कह दिया, यह अच्छी बात नहीं है।

हम सब सीनियर लोग हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं, इसलिए आप इस बात का भी संकल्प लो कि कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, ये आप दिखावा मत कीजिए क्योंकि इस देश के विकास के अन्दर कांग्रेस का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गाय का भी पैसा बढ़ाया, सब्सिडी बछड़े की भी बढ़ाई और साथ में नंदी शाला खोलने का दुस्साहस किया लेकिन हिंगोनिया में सैकड़ों की संख्या में गायें मरीं। हमारे नागौर में भी गायें मरती हैं, वहां भी गौशाला है बहुत बड़ी, उसके नाम पर मुझे याद आया कि नागौर वाले पर एक वीडियो चढ़ाया कि मुसलमानों ने दो सौ गाय मार दीं। ये क्या नाटक है, सभापति महोदय, कब तक चलता रहेगा इस देश में।

आज हम गाय की तस्करी के नाम पर मुसलमान को मार दें, मॉब लिंचिंग कर दें, यह अच्छी बात नहीं है। एक दिन हमें सच्चाई पर आना पड़ेगा। एक जमाना था यहां अशिक्षा थी, अज्ञानता थी और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि यहां पेड़ को पूजा जाता है, पशु को पूजा जाता है और आदमी को जाति के नाम पर दुत्कारा जाता है, यह भी अच्छी बात नहीं है। एक दिन

(श्री गोविंद राम)

आयेगा कि इन्सान को इन्सान मानना पड़ेगा। आज संविधान में समानता का दर्जा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गाय के नाम पर नोटंकी न हो। गांव-गांव में गौशाला के लिए, जो माता का दावा करते हैं, हम तो किसान घर से आते हैं, हमारे गांव में तो अभी जाओ गाय घर में मिलेगी, सब इज्जत करते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि गाय की बहुत दुर्गति है। इसलिए हम लोग केन्द्र से भी उम्मीद करते हैं कि वह केन्द्र में ऐसा प्रस्ताव बनाये कि कहीं भी गाय का, बीफ का निर्यात नहीं होना चाहिए। आसाम में भी गाय का कत्ल बंद होना चाहिए, गुजरात में भी बीफ की कम्पनी है, वह भी बंद होनी चाहिए। मात्र खाली हम इस नाम पर ढोंग करें, ये अच्छी बात नहीं है।

**(15.00 बजे)**

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम संकल्प लेकर जाएं कि चाहे हमारी गोचर है या कोई सी भी भूमि है, गांव-गांव में सेवा भाव से इन गायों को बचाने का काम करें। जो गाय की दुर्गति हो रही है, वह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे भी पिछली बार बदनाम किया गया। देवताओं के नाम पर इन्होंने 10 मुकदमे दर्ज किए। मैं कटारिया साहब के पास आया था। कटारिया साहब को मैं गलत नहीं मानता। इन्होंने एस.पी. से बात की। एक दलित खड़ा होकर बोला कि मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, तो मैं अम्बेडकर जयंती पर खाली इतना बोल गया था कि आप बाहुबली नहीं हो, तुम्हारे में ताकत नहीं है। आप यह करो कि जिस मंदिर में आपको नहीं घुसने दिया जाता है, वहां जाओ ही मत। लड़ने की क्षमता नहीं है। दलित कमजोर है।

**श्री सभापति**: श्री हाकम अली।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना भी ठीक नहीं है।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): हम मानकर चलते हैं कि कुछ लोग विश्वास, भरोसा रखते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर भड़का करके वोट लेना चाहते हैं।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): मैं चाहता हूं कि गाय को इज्जत मिले। उसके साथ-साथ में उन पशुओं को भी इज्जत मिले जो हमें दूध देने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर है। उसके पास में वन विभाग का इलाका है।

**श्री सभापति**: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: श्री हाकम अली। अंकित नहीं होगा। श्री हाकम अली।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: विराजिए ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए आप।

**श्री गोविंद राम** (खाजूवाला): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य। श्री हाकम अली।

**श्री हाकम अली खां** (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही एक अहम मुद्दे पर, संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गैर सरकारी कार्य की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में संचालित ऐसी गौशालाएं जो राज्य सरकार या जन सहयोग से संचालित हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार को गौशालाओं की अधिक स्थापना करनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं के लिए विशेष बजट के भी प्रावधान करने चाहिए।

इन सभी गैर सरकारी गौशालाओं की देखरेख भी सरकारी स्तर पर होनी चाहिए। जितना हो सके, सरकार को गौ वंश की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण दिये जाने चाहिए। हाल ही में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री के द्वारा बजट घोषणा में हर पंचायत समिति स्तर पर जो नंदी शालाओं की घोषणा की है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। यह जो नंदी हैं, इनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। यह जो मुख्य मंत्री जी ने नई पहल की है, इससे इन नंदियों की देखरेख की जाएगी। यह राज्य सरकार की गायों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो कि वास्तव में सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, इन गैर सरकारी संस्थाओं में सम्माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इनमें बिजली, पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराई

(श्री हाकम अली खां)

जाएं। गायों के स्वास्थ्य के लिए वहां नि:शुल्क डाक्टर, नि:शुल्क दवाइयां, नि:शुल्क चारा, यह सब सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। गौ-वंश की रक्षा करना हर भारतवासी का दायित्व बनता है।

सभापति महोदय, हमारे शेखावाटी में अब बारिश हुई है। हर साल, हर बारिश के मौसम में किसान अपनी खेती जोतता है। आवारा गायें बहुत घूमती हैं। इसकी वजह से किसान को बहुत परेशानी होती है। मैं सरकार का ध्यान इस अहम मुद्दे की ओर लाना चाहूंगा कि ग्राम के जो किसान हैं वह किसान आपस में चंदा करके अस्थायी गोशालाएं बनाते हैं, गांवों के किसान ही पानी की व्यवस्था करते हैं, गायों को चारा देने के लिए जो मजदूर होते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि हमारे इलाके में एक-एक गांव में 4-5 हजार गायें अस्थायी गोशालाओं में रखते हैं। किसान को रात्रि में अपनी फसल को बचाने के लिए खेत में नहीं जाना पड़े, इसलिए गांव वाले सभी गायों को एक जगह करके वहां रखते हैं। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी गोशालाओं को भी कुछ सहयोग करके किसान को राहत दें।

सभापति महोदय, अभी बारिश हुई, किसान ने खेत बोया और मैं पिछले रविवार को मेरे इलाके में गया था तो 4-5 सौ गायें जमा करके, हमारे वहां एक बहुत बड़ा बीड़ है, उसमें लेकर जा रहे थे। उस बीड़ में जब गायों को छोड़ते हैं तो वह गायें दिन में वहां चरती हैं और रात को जो नेशनल हाई-वे बीकानेर का गुजरता है, उस पर झुंड बना-बनाकर बैठती हैं। इससे बहुत बार रात को आमने-सामने जब गाड़ियां मिलती हैं तो गायें उनकी नजर में नहीं आती हैं और इससे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के बीच में, महीने में ज्यादा नहीं तो 20 दिन एक्सीडेंट होते हैं। इससे वहां रात को बहुत बार मनुष्यों की भी मौतें होती हैं। ऐसे एक्सीडेंटों को, दुर्घटनाओं को बचाने के लिए मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो हमारे गांवों में अस्थायी गौ-शालाएं होती हैं, इनको कुछ सहयोग किया जाए। इससे उन गायों को भी बचाया जा सकता है और किसानों की फसलों को भी बचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि पहले जो गोचर

(श्री हाकम अली खां)

भूमि गायों के लिए छोड़ी गई थी, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उन अतिक्रमणों से भी उस गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसमें यह फैसला कर लिया जाए कि वहां कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। वहां सिर्फ गायों के लिए ही वह गोचर भूमि छोड़ी गई है। वह गोचर भूमि सिर्फ गायों के लिए ही काम आये। ऐसी मेरी भावना है। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

**श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर** (विराटनगर): सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, गाय जिसको हम माता मानते हैं, हमारे हिन्दू धर्म में गाय की बहुत पूजा हम करते हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्य लगभग इस बात पर सहमत हैं। जैसा कि अभी फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि सड़कों पर पूरे दिन, पूरी रात गायें बैठी रहती हैं। बाजारों में पूरे दिन घूमती रहती हैं। गाय की जो दुर्गति आज के दिन हुई, वह कोई सोच भी नहीं सकता।

सभापति महोदय, गाय दूध तो हमेशा से देती थी और आज भी दे रही हैं लेकिन इस देश में गाय वोट देने का काम भी करती है। गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। गाय की दुर्गति जो बीजेपी के शासन में हुई, वह आप सब लोगों को पता है। कांग्रेस के शासन में गौ-शालाओं को अनुदान दिया जाता था। उस अनुदान को कम कर दिया गया। हिंगोनिया गौ-शाला में हजारों गायें मरीं। कोई सुनने वाला नहीं था। सवाई माधोपुर में हजारों गायें मरीं। वहां भी कोई सुनने वाला नहीं। वहां की गौ-शालाओं में बीमारी के कारण, कोई सुनने वाला नहीं था। आपका मंत्री यह कहता था कि मेरे पास अनुदान देने के लिए पैसा नहीं है। गौपालन मंत्री यह कहते थे कि मेरे पास नाम का ही विभाग है। अनुदान देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, लगभग हर गांव में गोचर भूमि है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गोचर भूमि को कम करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप किसी भी प्रयोजनार्थ गोचर भूमि को लेंगे तो उसके बदले आपको सिवायचक भूमि देनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, पूरा सदन इस बात पर सहमत है कि गोचर भूमि सिर्फ गायों के प्रयोजन के लिए रखी गई है तो क्यों न हमारी सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर...

**श्री सभापति**: श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा पेश संकल्प पर चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप संकल्प पर चर्चा समाप्त कर रहे हैं, हम सबकी तरफ से मांग है कि इतने महत्वपूर्ण संकल्प पर सत्ता पक्ष ...(व्यवधान)

## विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

### राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस पर मतदान कराएं।

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इस पर मतदान कराएं। वी वांट वोट, सभापति महोदय। (व्यवधान) वी वांट वोट, सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, वी वांट डिवीजन, डिवीजन, ...(व्यवधान) वी वांट डिवीजन माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, वोट कराओ न आप। (व्यवधान) कितना अच्छा संकल्प है, हम तो इनके समर्थन में खड़े हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): हम तो आपके समर्थन में खड़े हैं बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, गौ प्रेमी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं ये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक बार विराजिए आप, प्लीज। सहयोग करें, प्लीज। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मतदान कराइए इस पर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिए। चर्चा समाप्त हुई। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। (व्यवधान)

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, वोट कराओ।

**श्री सभापति**: चर्चा समाप्त हो गई, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपको बोलना है इस बिल पर?

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, संकल्प लेकर आये हैं, इस पर सबने चर्चा में भाग लिया, सब चाहते हैं कि यह संकल्प पारित हो। आप संकल्प को पारित करवाइए। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): संकल्प पारित हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सारा सदन इस पर सर्वसम्मत है, इसको आप पारित करवाइए। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, इस संकल्प के लिए सारा सदन एक साथ है, एकजुट है, इसको क्यों नहीं आप पारित करवा रहे हैं? (व्यवधान)

## बहिर्गमन

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको समय से पहले ही कहा था कि अगर वास्तव में सरकार की मंशा है कि इस संकल्प को जिस पर सबकी भावना एक-सी है, इसको पास कराया जाए। (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि अगर इसको आगे के लिए छोड़ देने का मतलब यह है कि अगले एक साल बाद फिर इस विषय पर चर्चा आयेगी, इसका मतलब एक साल तक इन गायों के लिए या गौशालाओं के लिए सरकार की जमीन देने की मंशा नहीं है, यह प्रकट होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं और मेरा दल वाक आउट करते हैं।

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसमें जमीन आबंटन का और कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (ऊर्जा मंत्री): तहसील लेवल पर वैसे ही हो रही है। (व्यवधान) केवल मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रस्ताव में कहीं भी जमीन वगैरह आबंटित करने का नहीं है। केवल रजिस्ट्री तहसील स्तर पर हो, यह प्रस्ताव है, वह वैसे ही हो रही है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)**

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता भदेल। श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) श्री बिहारीलाल।

(श्री सभापति)

श्री अभिनेश महर्षि। श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान) प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 के राजस्थान अधिनियम संख्या 43 की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वितीय परंतुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'पांच हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक ऐसी रकम देने का दायी होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए' के स्थान पर, अब अभी जो मैंने नया जो संशोधन पेश किया है उसमें है कि 'दस हजार रुपये प्रतिदिन देने का दायी होगा'। इसकी वजह यह है कि मोटे तौर पर प्रति माह पांच हजार रुपये मासिक देने का जो प्रावधान था वह बहुत मामूली बात थी, बहुत छोटी रकम थी और मंत्री लोग जो बाद में मंत्री नहीं रहते थे, वह बंगला अपना खाली नहीं करते थे, फर्नीचर नहीं देते थे, कार तक नहीं लौटाते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह संशोधन मेरे द्वारा लाया गया है। जिसमें यह अब संशोधन हो गया कि प्रतिदिन दस हजार रुपये का उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि कोई खास बात इसमें है नहीं, इतनी सी बात है कि वह तुरंत खाली करवा लिया जाए, दो महीने का तो वैसे भी टाइम दिया जाता है, एक मंत्री को, जब वह मंत्री नहीं रहता है। दो महीने में वह अपने शासकीय निवास और फर्नीचर और राजकीय कार सरकार को वापस लौटा दे लेकिन दो महीने के अंदर-अंदर भी अगर वह नहीं लौटाता है तो उस पर दस हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा, यही एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, उसके बावजूद भी अगर दस हजार रुपया नहीं देता है तो फिर आथोराइज्ड आफिसर इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह इस बात के लिए उससे जबरदस्ती उससे खाली करवाये। वह किसी भी प्रकार की फोर्स को साथ में लेकर उसको खाली करवाये। प्रतिरोध अगर वह करता है तो प्रतिरोध के लिए भी इसमें प्रोविजन दिया गया है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसे 'मंत्री' की हैसियत दी गई हो। कोई भी मंत्री, यानी मंत्री हैसियत वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह कैबिनेट का मैम्बर हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे मंत्री का जिसका दर्जा दिया हो वह सब लोग भी इसमें

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

शामिल किये गये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें इसीलिए यह काम किया गया है कि कई लोग जबरदस्ती कब्जा करके रखते हैं और जो मंत्री बनते हैं, उनको निवास वक्त पर उपलब्ध नहीं होता तो उनकी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनको वक्त पर निवास मिल जाए, वह अपना काम सुचारु रूप से करे और किसी प्रकार की कानून की अवहेलना न हो, इसलिए मैं यह संशोधन लेकर आया हूं।

**श्री सभापति**: इसे विचारार्थ लिया जाए?

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 विचारार्थ लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, 1956 के बाद यह पहला अवसर है जब इस एक्ट की धारा 5 के अंदर सरकार संशोधन लेकर आई है। इन्होंने जिस तरह से अपने कथन और कारणों में लिखा है, यह देखा गया है कि भूतपूर्व मंत्री उनको आबंटित शासकीय निवास विहित कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी खाली नहीं करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप सहित बहुत से लोग हैं जो अलग-अलग कालखण्ड के अंदर मंत्री रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से हम सब आरोपित हो गये कि हम अपने निश्चित समय में मकान खाली नहीं करते, इसके लिए एक्ट लेकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे बात दूसरी है। यह बिल यूं ही नहीं आया, आनन-फानन में नहीं आया, अगर आप जाओगे तो लोक सभा के चुनाव में जो परिणाम सामने आये, उसके बाद जो असंतोष हुआ, यह बिल इसलिए लेकर आया गया है कि सत्ता पक्ष अपने सदस्यों को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हम यह बिल लेकर आये हैं। आप मंत्रिमंडल में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, क्योंकि माननीय सदस्य जो अब मंत्रिपरिषद् से बाहर हैं, उनके मन में शंका है कि अगर मंत्री बना भी दिया तो न घर होगा तो उनको यह एक तरह से लालच देने के लिए ...(व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): फर्जीवाड़ा अगर कहीं देखना हो तो राठौड़ साहब के पास चले जाओ। बिना सिर पैर की बात, बिना तुक की बात, कमाल है, हद है, हर बात पर बोलना है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इसके पीछे जो हिडन एजेंडा है, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नेता प्रतिपक्ष पर यह बात लागू हो मान लो, जिधर आपकी नजर है तो फिर आप क्या कहेंगे? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कुहनी के गुड़ लगाना कहते हैं इसको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फर्माएं, मैं इसलिए कहता हूं, इस बिल के अंदर ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: कुहनी के गुड़ लगाना बोलते हैं इसको। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अंदर...

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): राठौड़ साहब, कोई ढंग की बात बोलिये। विधान सभा का समय खराब राठौड़ साहब जैसा वक्ता कर रहा है। अच्छी-अच्छी बातें करते-करते अचानक ही पता नहीं कहां चले गए?

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, विराजिए।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): सभापति जी, सुन लीजिए आप। बार-बार क्यों खड़े होते हैं आप? थोड़ा आराम किया कीजिए। अच्छा रहता है। आप सुन लें पहले। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिए। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): बैठ जाएं आप। (व्यवधान) आप चिंता न कीजिए सभापति जी की। बैठ जाएं, चिंतित न हों। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): सभापति महोदय, ये ऐसा नहीं कह सकते आसन को। मेरे फूफाजी को कैसे कह सकते हैं आप ऐसे? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बैठिए आप। प्लीज, सहयोग करें। श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, पहले तो मुझे संरक्षण दें आप। मैं निरीह-सा आदमी हूं, पूरा सदन जानता है। ये दो जने जब बोलते हैं, मैं कांपने तो वैसे ही लग जाता हूं।

**श्री सभापति**: पूरा राजस्थान इस बात को जानता है कि आप एक-दूसरे को संरक्षण दे रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आपने कभी देखा होगा, जब ये खड़े होते हैं तो मेरा शरीर हिलने लग जाता है, मैं पहले घबरा जाता हूं और मैं डीरेल हो जाता हूं अपने विषय से। मैं अपने विषय को उन तर्कों के साथ रख नहीं पाता, इसलिए मुझे पहले संरक्षण प्रदान करें।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजस्थान के सबसे शरीफ आदमी हैं ये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, आप मुलाहिजा फर्माएं, धारा 5- राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956, मतलब 1956 के बाद कितना समय गुजर गया, पुल के नीचे से कितना पानी आ गया, सरकारें बहुत-सी आयीं और सरकार के गठन को छह महीने हो गये, अब सरकार कौन-से मंत्री का मकान खाली कराना चाहती है? मेरा आरोप है, इसके पीछे हिडन एजेंडा है। यह कुहनियों के गुड़ लगाने वाली बात है। आपके दल में असंतोष है, लोक सभा चुनाव में आप जीरो पर आउट हुए हैं इसलिए आप अपने लोगों को साधने के लिए यह बिल लेकर आये हैं। मेरा निवेदन है कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्री रामलाल शर्मा।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि यह हम सब माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरे ख्याल से कोई भी इस सदन का सदस्य रहा हो, उसके अंदर कम से कम इतनी इंसानियत बची हुई है कि वह इस प्रकार के कृत्य कभी नहीं करेगा, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये जो बिल लेकर आये हैं, पूर्व में जो मंत्री रहे हैं और भविष्य में जो मंत्री रहेंगे, उन सबकी प्रतिष्ठा के ऊपर एक प्रश्नचिह्न है। सभापति महोदय, मेरा विचार है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस बिल पर कोई सहमति न दे।

**श्री सभापति**: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, भावना शायद सरकार की अच्छी हो सकती है कि समय पर मकान खाली हों। इसमें किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जो समयावधि तय की गयी है, उस पर अगर फिर से सरकार विचार करे तो ठीक रहेगा। कारण क्या है? कई बार हमारी विधान सभा ऐसे समय स्थगित हो जाती है जब किसी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं सोचता हूं कि एक महीना तो जब हम विधायक से विधायक बदलते हैं, उसमें भी कई बार हमें दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं, तब जाकर अपना सामान समेट पाते हैं।

यह जो अवधि आपने तय की है, आपकी भावना ठीक हो सकती है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि मकान समय पर खाली होना चाहिए, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जो अवधि आपने तय की और वह भी दस हजार रुपये प्रतिदिन, यह पहली बार इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि इसके पीछे भावना क्या है? न तो आप कभी किसी कारण से, बीमारी या किसी भी और कारण से, मान लें कोई तुरंत दो महीने में खाली नहीं कर सके, उसकी कोई पारिवारिक परेशानी होगी तो आप प्रतिदिन दस हजार रुपये क्या ले सकेंगे?

अब तक तो जिन लोगों ने खाली नहीं किये, उनसे जो कुछ भी आपके अधिकार प्राप्त हैं न, उसका भी आप किराया वसूल नहीं कर सके। जो आपके नियम से बनता है, अब तक के कानून के तहत भी आपको अधिकार प्राप्त है, उनमें से एक भी व्यक्ति जिसने देर से खाली किया हो या जिसने समय पर खाली नहीं किया हो, उससे आपने एक नया पैसा भी सरकारी खाते में अगर डलवाया हो अब तक, जब से विधान सभा बनी है, तो वह उदाहरण आप बता दीजिए। कभी सम्भव नहीं है। चाहे आपके कहने से, चाहे मेरे कहने से या उसके रिक्वेस्ट करने से हम सारा का सारा जितना भी दंड है, उसे माफ करके उसकी छुट्टी कर देते हैं।

मैं सोचता हूं कि इतना कठोर कानून एकदम बनाकर उसकी पालना करा देंगे दस हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, यह सम्भव नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। खाली कराने के बारे में मेरा कोई भिन्न मत नहीं है। जरूर खाली होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, लेकिन इतना ही आग्रह है कि रोजाना दस हजार रुपये, उसे अगर आप चाहते हैं कि दो-तीन महीने पैनल्टी लगाते हुए भी उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें, सम्भव हो तो। पहले ही दिन से आप इतना कठोर बन जाएंगे तो यह कानून कभी न कभी आपके और मेरे गले में आ पड़ेगा और उसकी पीड़ा आप और हम सब भुगतेंगे। मेरा इतना ही सुझाव है। इस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।

**श्री सभापति**: श्री वासुदेव देवनानी जी।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, हमेशा पांच साल के बाद विधान सभा का गठन होता है और नया मंत्रिमंडल बनता है। नये मंत्रियों को आवास मिलने चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन कई

(श्री वासुदेव देवनानी)

बार वह जो मंत्री रहा हुआ व्यक्ति होता है, वह मान लें विधायक भी बनकर आया, विधायकों को आवास कई बार दो-दो महीने तक आबंटित नहीं होते। आपकी गृह समिति देर से बनती है, फिर गृह समिति का आबंटन होता है तो दो महीने इतना अल्प समय है कि उस व्यक्ति को...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): खुद के लिए तो कर ही नहीं सकते हैं न चर्चा, आप उनके लिए कर रहे हैं।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, विराजिए आप।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। आपको खतरा हो सकता है मुझे नहीं है। उस समय यह दिक्कत आ सकती है कि दो महीने बाद आपने दस हजार रुपये प्रति दिन रखा।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): अगर दो महीने बाद नयी सरकार बन जाए तो?

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): यह एक अलग विषय है। देखिए, कहां तो पांच हजार रुपये प्रति माह। उसका 60 गुना एकदम से बढ़ाना। यह कहीं भी न्यायोचित नहीं लगता। खाली होने चाहिए। या तो सूची लाइए कि आज तक किस-किसने खाली नहीं किये। आपने 1956 के बाद से आज तक कितनों से पैसा वसूल किया? हां, पैसा वसूल न करके सारे पुराने और वर्तमान मंत्रियों को एक ही कैटेगरी में हम खड़ा करके कि ये खाली नहीं करते, यह जो हम समाज में वातावरण देना चाहते हैं, आरोपित करना चाहते हैं आमजन में, यह इस सदन के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए उचित नहीं है। यह एक तरह से सबके प्रति निंदा है, अविश्वास है। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। इसे हम यदि जनमत जानने के लिए महीने-दो महीने के बाद दोबारा सोचकर लाएं तो कोई आफत नहीं मचेगी। मेरा यह सुझाव है कि इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 की धारा 3 में जिस प्रकार यह कहा गया कि भूतपूर्व मंत्री जो हैं, उन्हें आबंटित शासकीय निवास की जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कालावधि समाप्त होने के बाद यानी दो महीने तक का जो उन्हें टाइम पीरियड है, जैसे ही वे पूर्व मंत्री बन जाते हैं तो गवर्नमेंट चेंज होते ही दो महीने का समय, यह बहुत कम होता है, क्योंकि एमएलए के रूप में जब नया मकान उसे आबंटित होता है तो उस नये मकान में सामान शिफ्ट करना, सही कहा हमारे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कि मुझ से पूर्व बोल रहे थे कि हम लोगों को क्वार्टर अलाटमेंट में पहली बात तो यहां से देरी होती है। उसके बाद जो अलाटेड क्वार्टर होता है, उसकी रिपेयर वगैरह में समय लगता है। मुझे लगता है कि एक तो समयावधि को दो महीने से बढ़ाकर तीन महीने किया जाए। जो पहले पांच हजार रुपये लेते थे महीने के और अब पांच हजार से दस हजार रुपये प्रतिदिन के ले रहे हैं तो वे दस हजार रुपये प्रतिदिन का लेना यानी भावना तो इनकी सही है कि खाली होना चाहिए और यह बात बिलकुल सही है कि कोई भी पूर्व मंत्री हो या पूर्व विधायक हो तो उन्हें जो रेजीडेंस as a minister or as a MLA मिला था, वह खाली कर देना चाहिए समय पर, लेकिन अगर नहीं होता है तो जो पैनल्टी है, वह इतनी ज्यादा भी न हो कि दस हजार रुपये प्रतिदिन तक की हो। इस पर भी एक बार फिर से विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ये दोनों चीजें हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, नियमों में संशोधन की जो बात इन्होंने रखी है, उसके लिए अच्छा होता कि मंत्री जी यह भी कहते कि ऐसे इतने मकान हैं, जो आज तक खाली नहीं हो पाये। इसका भी उल्लेख उन्हें साथ-साथ करना चाहिए था। बिल लेकर आये, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में कुछ facts and figures भी रखते कि इस बिल को लाने के पीछे क्या कारण हैं कि इतने लोग हैं, इतने मिनिस्टर्स, इतने एमएलए या किन लोगों ने आज तक नहीं खाली किया और इतना ड्यू है गवर्नमेंट का कि जो इनसे पेमेंट लेने हैं और जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापति जी, एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जैसा अभी मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा और इसमें भी लिखा है कि अगर कोई विलम्ब करता है, अगर ये सारी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पैनल्टीज चार्ज करने के बाद भी वह खाली नहीं करता तो उस स्थिति में इन्होंने लिखा कि इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो परिस्थितियों में आवश्यक हो यानी इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या बल का प्रयोग कर सकेगा, यह बात समझ में नहीं आयी तो इसे क्लीयर करें। क्या कोई मसल पावर की बात की जा रही है? मतलब, ये कहते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर लॉज कराएंगे या इस प्रकार की कोई बात लिखते तो समझ में आता। इसके अन्दर यह लिखा है, "इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो परिस्थितियों में आवश्यक हो।" यानी यह संशोधन की जरूरत है। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस बिल के अन्दर बहुत सारी त्रुटियां दिख रही हैं इसलिए इस पर एक बार फिर से 6 माह के लिए जनमत जानने, प्रवर समिति में भेजें, जनमत जानें। माननीय सभापति जी, इस पर पुन: विचार करके फिर से बाद में इसको सदन में लाया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री सभापति**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस संशोधन विधेयक पर मुझे बात कहने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस पवित्र सदन ने अनेक प्रगतिशील कानून पारित किये। यही वह पवित्र सदन है जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया। यही वह पवित्र सदन है जिसने देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार देने का कानून पारित किया। यही वह सदन है जिसने पंचायती राज की संस्थाओं में सबसे पहले पिछड़ों को, महिलाओं को अधिकार देने का कानून पारित किया। आज प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के अन्दर प्रिवीपर्स खतम करने का क्रांतिकारी निर्णय किया था। जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की कैबिनेट ने इस विधेयक को पूरा पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो इन्दिरा गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए जो धाराएं इसमें गलत जोड़ी गई हैं, उन धाराओं को हटाने का भी साथ में प्रस्ताव लेकर आते। माननीय सभापति महोदय, यह जो राजस्थान मिनिस्टर्स सैलेरी (अमेंडमेंट) बिल है इसके प्रोविजन 7-खख की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 'पूर्व मुख्य मंत्रियों को

(श्री संयम लोढ़ा)

सुविधाएं- (1) ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित बनाये जाएं, कोई व्यक्ति, जो पांच वर्ष की अबाधित अवधि के लिए राजस्थान का मुख्य मंत्री रहा है, अपने शेष जीवनकाल में - (क) उसी श्रेणी के और उन समान सुविधाओं और रियायतों सहित किसी सरकारी निवास का, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई मंत्री हकदार है, जो ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर या तो जयपुर में या राजस्थान में किसी अन्य जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा;' आप पद पर नहीं हैं, पर कैबिनेट मंत्री के बराबर मकान हासिल करेंगे जयपुर में या जिस जिले में आप रहें। 'परन्तु यदि ऐसा सरकारी निवास आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं है या यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी निवास का उपयोग नहीं करता है तो उसको नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी नियत मासिक रकम की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी;' क्या नये जमींदार हैं? क्या राजस्थान की जनता के माथे मांगते हैं? एक माननीय सदस्य को जो सुविधा मिल रही है उससे ज्यादा सुविधा किसी भी पूर्व मुख्य मंत्री को क्यों देना चाहते हैं? वह भी तब, जब उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह बिलकुल गलत है, गैर कानूनी है और उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट खतम कर चुका है।

आगे मैं इसका (ख) पार्ट पढ़ूंगा- '(ख) राज्य के भीतर या बाहर, यात्रा के सम्बन्ध में परिवहन के लिए अपने स्वयं के उपयोग हेतु या उसके परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु, जैसाकि नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक राजकीय कार का; (ग) ऐसी सीमा के अध्यधीन रहते हुए, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने सरकारी निवास पर संचार की समस्त सुविधाओं सहित दूरभाष के उपयोग का; (घ) उसके सरकारी निवास पर, राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति से परामर्श करके, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जैसाकि नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित संख्या और प्रवर्गों के सचिवालयिक और अन्य कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराए जाने का, अर्थात्:- एक निजी सचिव का, एक निजी सहायक या आशुलिपिक का, एक लिपिक ग्रेड फर्स्ट का, दो सूचना सहायकों का, एक चालक का, तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का,.....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं टोकना नहीं चाह रहा पर आज जो बिल यहां सदन के सामने है उस बिल की परव्यू में कह रहे हैं क्या ये? (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपने वह पाप किया है दो साल पहले। किस बात का? 70 साल जरूरत नहीं पड़ी किसी पूर्व मुख्य मंत्री को यह सुविधा देने की?

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री संजय शर्मा** (अलवर शहर): 000

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री। श्री शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) विराजिये, अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं होगा। श्री शांती कुमार धारीवाल। अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: विराजिये, समाप्त करें। समाप्त करें। अंकित नहीं हो रहा है। श्री शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान)

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं किसी को।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, सहयोग करें। सहयोग करें। अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं किसी को। अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये। श्री शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है किसी का भी। विराजिये आप। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा माननीय सदस्य। श्री शांती कुमार धारीवाल। प्लीज, सहयोग करें। आसन पैरों पर है। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, सहयोग करें। विराजिये आप। श्री शांती कुमार धारीवाल।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, सहयोग करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिये, प्लीज सहयोग करें। विराजिये, आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर। मंत्री महोदय, आसन पैरों पर। विराजिये। आप सब सहयोग करें। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं। श्री शांती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सहयोग करिये आप। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, विराजिये आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री सभापति**: विराजिये। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) धारीवाल साहब। श्री शांती कुमार धारीवाल। अंकित नहीं होगा। बिल पारित कराएं।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): 000

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): 000

**श्री सभापति**: श्री शांती कुमार धारीवाल। अंकित नहीं होगा किसी का।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं चलेगा। विराजिये आप। मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये आप। प्रभारी मंत्री। (व्यवधान)

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

**श्री सभापति**: आप बोलिए। अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

श्री रघु शर्मा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति**: पधारिए, पधारिए। श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़। विराजिए। अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़। विराजिए आप, अलाउ नहीं कर रहा हूं। आसन आपके निर्देश से नहीं चलेगा। विराजिए आप, सहयोग करिये, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, सहयोग करिये। श्री राजेन्द्र राठौड़। विराजिए, विराजिए, शांति रखिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 विचारार्थ है। मूल रूप से सभापति महोदय, यह जो संशोधन आया है, यह संशोधन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 11 और 12 के बीच में 11क को इन्सर्ट करने के लिए आया है। सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, जिस उद्देश्य के साथ यह लाया गया है जिसका जिक्र उद्देश्य और कारणों के कथन में मंत्री महोदय ने उल्लेखित किया है। मैं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उसमें लिखा है ''राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाए जाने का कोई उपबंध नहीं है, जहां वह उक्त अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जान बूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या जहां कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बने रहना, विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है। इसलिए पूर्वोक्त परिस्थितियों में कुलाधिपति को, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलपति को हटाये जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।'' यानी, मूल रूप से मंत्री महोदय, आप जो यह संशोधन लेकर आये हो 2005 के अधिनियम में, जो 11क आप इंसर्ट कर रहे हो, उसके पीछे आपका मंतव्य यह है कि कुलपति को हटाने के लिए प्रावधान नहीं थे, 2005 के एक्ट में, उसको हटाने का आप प्रावधान लेकर आये हैं और उसके साथ ही, सभापति महोदय, ये लिखते हैं जांच के निलम्बित रहने के दौरान कुलपति के निलम्बन के लिए और ऐसी जांच के दौरान कुलपति के पद पर कृत्यों की पालना किए जाने के लिए अंतरिम आदेश करने हेतु उपबंध बनाये जाने प्रस्तावित हैं। यह इसलिए, सभापति महोदय, कि जांच के नाम पर आप कुलपति को निलम्बित भी करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह सदन दो दिन पहले साक्षी रहा है, हमने विश्वविद्यालय की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया और उसके अंदर, सभापति महोदय, विश्वविद्यालय की विधियां (संशोधन) विधेयक में जो हमने संशोधन किया, एक साथ राजस्थान के 11 विश्वविद्यालय के अंदर, हमने कुलपति की अर्हताएं क्या होंगी, उसको लेकर यह संशोधन पारित किया कि कुलपति के रूप में नियुक्ति किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आधार और संस्थानिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिबद्धता की उच्च स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं होगा। ये हम 11 विश्वविद्यालय के अंदर लेकर आये हैं और ठीक इसी तरह का एक संशोधन तकनीकी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 में लेकर आये।

मंत्री महोदय, आप संशोधन लेकर आये, बिलकुल ठीक बात है और मुझे याद आ रहा है, जब इन पर तकनीकी शिक्षा मंत्री उत्तर दे रहे थे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, ये जो आपका स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है यह भी यूजीसी के अंडर में है। सभापति महोदय, यूजीसी के अंदर 13 जून, 2013 का नोटिफिकेशन है, मंत्री महोदय जिसके लिए प्रतिबद्धता है, जितनी भी इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत सारे विश्वविद्यालयों में एकरूपता के लिए एक माडल एक्ट हो सबमें, कुलपति की अर्हताएं निश्चित हों, इस चीज को लेकर यह अमेंडमेंट लेकर पहले हम आये, और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय जो यूजीसी ग्रांट कमीशन का नोटिफिकेशन है 13 जून का, उसमें 30, वाइस चांसलर- “possession of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as vice-chancellor. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician with a minimum of ten years of experience as Professor in a University or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.” यानी, अगर यूजीसी के अंदर यूजीसी ग्रांट कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, मंत्री महोदय, आपने बड़ी फुर्ती की, यह पहला एक्ट है, 2005 के एक्ट को मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी तरह पढ़ा, उसमें कहीं भी कुलपति की स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, अर्हताएं क्या होंगी, जिस प्रकार की अर्हताओं के लिए अब ये संशोधन हमने कल ही किये हैं, जिसमें तीन-चार शब्दों के साथ आपने बड़ी वाहवाही लूटी, बड़ी जोर से सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचरण, संस्थानिक प्रतिबद्धता, आपने कहा हम इनके लिए प्रस्ताव लेकर आये हैं।

मैं पूछना चाहता हूं मैं 2005 का पूरा एक्ट पढ़ा और अब जो आप संशोधन लेकर आये हैं, इसको पढ़ा। यह पहला मौका होगा, जब किसी भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक्ट के अंदर स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति की अर्हताएं क्या होंगी, उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं, अब आप ये पारित करवा लोगे, पारित भी हो जाएगा, अब डिग्री भी जाएगी, अब डिग्रियां लेने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब उनको परमीशन नहीं देगा, तो ये डिग्रियां लेकर वे विद्यार्थी क्या करेंगे क्योंकि आप इस कुलपति की नियुक्ति किस प्रकार करना चाहते हो, उसकी प्रक्रिया भी आपने इंद्राज नहीं की। आपके यहां सर्च कमेटी भी नहीं बनेगी, आपके यहां सलेक्शन कमेटी भी नहीं बनेगी तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे मंत्री महोदय कि आप ये जो लेकर आये हैं, सिर्फ हटाने के लिए कोई

**(15.48 बजे)**

**(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

बात नहीं, ब्रूटल मैजोरिटी है, हां और न के अंदर अभी आप इसको पारित करवा लोगे, पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस कुलपति को नियुक्त करना चाहते हैं, मनोनीत करना चाहते हैं, चयन करना चाहते हैं, उसकी एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? आप उसको क्यों छिपाना चाहते हो, आपके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? अपने चहेते को आप राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति तो बना दोगे, बिना डाक्टर के किसी को भी बना दोगे आप, इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, यह अमेंडमेंट, ये खोटा अमेंडमेंट है। सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट के पीछे सरकार यूजीसी की सारी उन गाइडलाइन को दरकिनार करना चाहती है। ये अगर इसी तरह पारित हो गया, अब देख लें, बाकी लेकर आये हैं, जो मैं साथ में लेकर आया हूं।

सभापति महोदय, उसके अंदर दोनों चीज लेकर आये हैं, विश्वविद्यालय विधियों का संशोधन के अंदर आपने जहां धारा 3 (2) के अंदर क्वालिफिकेशन की बात कही, उसके बाद आपने धारा 5 (1) के अंदर आपने कुलपति हटाये जाने की चर्चा की एक समग्र बात है, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और उसके बाद अब ये, सभापति महोदय, कई लोग प्रिविलेज्ड हैं, बैठे-बैठे आदेश दे दिया, इनको ये अच्छी तरह पता है कि जब ये बैठे-बैठे बोलते हैं तो मैं घबरा जाता हूं कोई जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं जानना चाहूंगा पर यह सदन जानना चाहता है कि आप जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, कुलपति को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हटाने का अमेंडमेंट तो ले आये आप, पर कुलपति की बेसिक, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी मंत्री महोदय यह जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय, 2005 का एक्ट, मैंने पढ़ा है, रिकार्ड पर मेरी बात चली जाए, अगर 2005 के एक्ट के अंदर आपने कुलपति की क्वालिफिकेशन वहां तय की होती और उसके बाद अगर आप यह एक्ट रिमूवल के लिए लेकर आते तो मुझे कुछ नहीं कहना। बड़ी लंबी-चौड़ी बहस करवा दी आपने दो दिन तक सक्षमता, काम्पीटेंस, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता क्या-क्या शब्दों के लिए, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप बड़े अच्छे मेरे मित्र भी रहे हो, पर मंत्री के रूप में आप पहली बार एक बिल को पायलट कर रहे हो, मैं बधाई देना चाहूंगा। पर यह ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी आपके नियंत्रण में नहीं है आप, मंत्री महोदय, डाक्टर भी लिखते हो फिलोसफी के अन्दर डाक्टरेट कर रखी है आपने, कम से कम इस ब्यूरोक्रेसी को आप एक तरह से दण्डित करने का काम तो करो। यह खोटा बिल डा. रघु शर्मा से पायलट करवा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, आप यातायात मंत्री जी से परामर्श कर लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें ताकि आपको कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। मंत्री महोदय, उन ब्यूरोक्रेट्स को, जिन्होंने आपको अंधेरे में रखकर, मैं पूछना चाहता हूं कि बेसिक क्वालिफिकेशन के बिना यह बिल लेकर के आये हैं सिर्फ हटाने का, मैं इसका विरोध करता हूं, मंत्री महोदय।

**श्री सभापति**: माननीय श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। आप तो माननीय Deputy Leader of the Opposition, you have been one of the best Health Minister, I have seen.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आपने मुझे अलंकृत किया, उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। मैं इनको भी ऐसा देखना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

**श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इस बिल को जनमत जानने के लिए भेज दें।

**श्री सभापति**: माननीय श्री अभिनेश महर्षि।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस स्वास्थ्य बिल के बारे में बातचीत की है। इससे पूर्व भी कुलपतियों को हटाने के लिए बिल आये हैं। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब लोग चिन्तित रहते हैं, लेकिन सभापति महोदय, यहां तो किसी व्यक्ति विशेष को कुलपति बनाने की और किसी व्यक्ति विशेष को कुलपति से हटाने की चिन्ता है सिर्फ।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, उप नेता जी सही कह रहे थे कि यदि आपकी चिन्ता इस बात के लिए होती और राजस्थान भर के खाली पड़े अस्पतालों के अन्दर यदि चिकित्सक वहां पर नियुक्त कर दिये जाते, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर दिया जाता तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते। इस सदन में हमने यह सीखने की कोशिश की कि सदन नियम, कायदे, कानून से चले लेकिन मैं पिछले एक महीने से लगातार देख रहा हूं कि कुछ लोग चाहे सदन के अन्दर कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो भी बात करेंगे और कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण यदि आसन पैरों पर हो तो भी वे अपनी बात में मशगूल रहेंगे। बहुत सीनियर लोग भी खड़े होकर के जब सभापति महोदय या अध्यक्ष महोदय आसन पर होते हैं तो हमें यह सिखाया गया कि जैसे ही सभापति महोदय खड़े हो जाएं, आप तुरंत बैठ जाया करें, लेकिन हम लोग क्या सीख लेंगे आप लोगों से जो लोग प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, कई तो यह मानते हैं कि हम बैठे-बैठे बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हमारी आवाज इतनी सशक्त होगी कि कोई दूसरा बोल ही नहीं सकेगा। लेकिन मैं माननीय सभासदों, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि राजस्थान की पूरी जनता आपको चुनकर भेजती है क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग? हम लोग यहां नियम, कानून-कायदे बनाने के लिए आये हैं, हम लोग महत्वपूर्ण संशोधन लेकर के आते हैं जो संशोधन जनता से जुड़े हुए होते हैं। इसके ऊपर यह सही कहा है कि यह अधूरा संशोधन है, इसके अन्दर क्वालिफिकेशन के लिए किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है और जब तक क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं होगा, पहले यह तो कह दिया गया था कि दस साल तक जो प्रोफेसर रहेगा वह यूनिवर्सिटी का कुलपति बनेगा। लेकिन यहां तो यह है ही नहीं कहीं पर भी। पूरा एक्ट पढ़ लिया गया। पूरा बिल पढ़ लिया उसके बाद में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार कुलपतियों को कठपुतली बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही काम क्यों करना चाहती है? ट्रोमा सेन्टर बंद पड़े हैं, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं बार-बार इस सदन के माध्यम से कहता हैं। आईसीयू में आग लग रही है। बच्चे मर रहे हैं, नवजात छोटे-छोटे बच्चे मर रहे हैं। यह बिल लेकर आते जो सरकारी नौकरी के अन्दर डाक्टर रहते हुए यदि वह किसी तरह की कोई लापरवाही करता तो उसको दण्डित करने का काम करते, लेकिन आपकी कलम में वह ताकत नहीं है। सही कह रहे थे, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि आपका एक आदेश मानने को ब्यूरोक्रेसी तैयार नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकारी अधिकारी आपकी बात को मानते नहीं हैं। यह सरकार पंगु बनकर रह गई है। ऐसे संशोधन लेकर आएंगे तो क्या सरकार जनता के अन्दर अच्छा संदेश देगी?

सभापति महोदय, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स के सभी रिक्त पदों को भरो, चिकित्साकर्मियों के पदों को भरो, ट्रोमा सेन्टर्स, ...(व्यवधान) संविदाकर्मी आज भी रो रहे हैं। सरकार के वर्तमान बड़े-बड़े मंत्री संविदाकर्मियों के यहां गये थे, उन्होंने कहा था कि आपको हम नियमित कर देंगे। आज जब तक आप इस बारे में फैसला नहीं लोगे, संविदाकर्मियों के बारे में कोई बिल लेकर के आते तो अच्छा लगता। आप सरकार की कठपुतली बनाने के लिए कुलपति के लिए बिल लेकर आ गये और वह भी आधा-अधूरा बिल लेकर आ गये।

मैं कहना चाहता हूं एक और मेरे माननीय सदस्य बहुत जोरजोर से बोल रहे थे। वे भूल गये हीरालाल जी देवपुरा जब पूर्व मुख्य मंत्री की हैसियत से मकान के अन्दर रहते थे। वे भूल गये जब जगन्नाथ जी पहाड़िया पूर्व मुख्य मंत्री की हैसियत से रह रहे हैं। माननीय गहलोत साहब पूर्व मुख्य मंत्री की हैसियत से रहे और भी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, वे भी रहे हैं, ...

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बिल क्या है, चर्चा क्या हो रही है।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में, माननीय मंत्री महोदय, आपको अधिकार नहीं है। आप बैठ जाइये।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको यह अधिकार है क्या?

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, बिलकुल अधिकार नहीं है आपको। आप बैठ जाइये।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी आये हो चार दिन पहले। आप कौन होते हो अधिकार के बारे में बात करने वाले? आपको तमीज होनी चाहिए।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): आप इस तरह से डरा नहीं सकते।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, संरक्षण कीजिये।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किसको क्या अधिकार है, ये बताएंगे मेरे को यहां पर। (व्यवधान)

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): सभापति महोदय, किसी भी मंत्री को बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। जब मंत्री जी बोलेंगे, मंत्री जी अपने उत्तर में कोई भी बात कह दें, लेकिन यह बात बोल नहीं सकते हैं।

**श्री सभापति**: कृपया सब्जैक्ट पर बोलें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): मैं सब्जैक्ट पर बोल रहा हूं। सभापति महोदय, आपको यह अधिकार है। आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन बीच में खड़े होकर के कोई भी माननीय सदस्य और माननीय मंत्री बोलेगा तो यह बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब बातें वे कहें जो जनता के हित की हों लेकिन वे सरकार को सुहाती नहीं हों तो सरकार के चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार के कोई भी नुमाइन्दे हों, उनको अच्छी नहीं लगती है और हम बुरे लगने लग जाते हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, हम तो आपकी कलम से भर्ती हुए लोग हैं जो आज आप लोगों ने बोलना सिखाया था लेकिन जब संरक्षण नहीं हुआ तो आज हमें इस तरह से बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन सत्य को सत्य कहेंगे। मैं यह जो बिल लाया गया है इसको जनमत जानने के लिए भेजने का आग्रह करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: माननीय श्री बिहारीलाल।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 रखा

(श्री बिहारीलाल)

और उसका उद्देश्य है कुलपति को हटाना। माननीय सभापति जी, there are many defects in this bill like, composition of enquiry committee not given, what will happen when the government or chancellor protect the corrupt VC or punish the VC for political reasons and so-and-so? यह बहुत बड़ी बात इसमें है। This provision of removal should have an inbuilt check and balance to ensure that the honest VC is not punished and dishonest VC is not protected by either government or Chancellor or both. In some cases, the government and chancellor may act like head and tail of the same coin for the consideration of the political or/and personal reasons.

**(16.00 बजे)**

Therefore, there must be a third force to play a role in removal or protection of VC. Here is that the Vidhan Sabha is the only third force available, and also to provide opposition to play a correct role regarding the Vice-Chancellor. In this context, the following provisions may be most suitable for dealing with the issue of VC removal the following should be added to the existing bill-

For the purpose of inquiry and opportunity for accused Vice-Chancellor for pleading his/her innocence, the composition of the inquiry committee and the procedure will be as follows-

The four-member inquiry committee shall be constituted under the chairmanship of a sitting/or retired judge of Supreme Court/High Court, a member/chairman of MCI (or National Medical Commission when it comes into effect), one member from among the RPSC Chairman/member and a former Vice-Chancellor of a medical university of another state.

The accused Vice-Chancellor will be given the opportunity to plead innocence before the inquiry committee and also

(श्री बिहारीलाल)

an opportunity for an appeal before the Vidhan Sabha against the report of the inquiry Committee.

The resolution for removal of Vice-Chancellor on the basis of inquiry report will be passed by Vidhan Sabha by special majority, i.e. supported by two-thirds of the members present and voting the majority of the total strength (200) of the house.

On the basis of this resolution, the council of the minister will advise chancellor to remove the Vice-Chancellor. The Chancellor shall have the power to send it (advice) back to the council of minister for its reconsideration. In case of pending of such advice at the table of Chancellor for three months (in the first instance or in the second instance after re-consideration of the council of minister), the state govt. will have the authority to execute the voice of the Vidhan Sabha directly. Under such circumstances, state govt. will ask the registrar to take care of the duties of the Vice-Chancellor. If Vice-Chancellor in such cases dis-obeys the Vidhan Sabha, then he/she may be prosecuted by Vidhan Sabha for its contempt. हम सबका यह आग्रह है कि जो सुझाव माननीय मंत्री जी को आपके मार्फत हमने रखे हैं, उनको इसमें शामिल करते हुए इसको जनमत के लिए परिचालित किया जाए, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने आज इस महत्वपूर्ण मेडिकल हैल्थ यूनिवर्सिटी के बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैंने परसों भी यह कहा था जब विश्वविद्यालयों की बात हुई और शिक्षा के मंदिरों की बात हुई कि शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविदों का यह मंदिर है और जिस तेज गति से सरकार बिल लाने में लगी हुई है, कहते हैं कि शुरुआत यदि सही हो जाए तो पूरे पांच साल ठीक चलते हैं। यह सरकार पहला बिल जो को-आपरेटिव अमेंडमेंट का लाई थी और उसमें जो स्वार्थ जुड़े हुए थे, उसके बाद से लगातार एक-एक बिल का आप घर में बैठकर अगर अवलोकन करें तो, सभापति महोदय, हम कर क्या

(श्री अशोक लाहोटी)

रहे हैं? राजस्थान विधान सभा का पूरा सदन बैठकर एक कुलपति को एक बाबू का रूप देने में लगे हुए हैं। कुलपति जैसा एक सम्माननीय पद और मैं याद दिलाना चाहता हूं जिस पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के पूर्व नेताओं को याद करो कि उन्होंने शिक्षा के इन मंदिरों के बारे में क्या-क्या उल्लेख किये। उन्होंने क्या-क्या बातें नहीं कही। उन्होंने इनकी स्वायत्तता के लिए क्या-क्या नहीं किया और इस देश में 50 साल के शासन के दौरान इन विश्वविद्यालयों का मान सम्मान बढ़ाने का काम और स्वायत्तता देने का काम किया तो आपकी ही पार्टी के पूर्वजों ने किया था, हम तो बाद में आये हैं। लेकिन आज आप उन पर ही मिट्टी फेर रहे हो, उस पर पानी ढोल रहे हो। इतना ही नहीं, आप परसों जो बिल लाये, उसमें कुछ अलग बातें लिखीं, आप आज जो बिल ला रहे हो उसमें कुछ अलग बातें लिखी हैं।

सभापति महोदय, यह किस दौर में बिल आ रहा है मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अच्छा होता यह मेडिकल पर बिल लाने से पहले स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातों को मजबूत करके बिल लाते। राजस्थान की जनता को कुछ देकर यह बिल लेकर आते। इन शिक्षकों को कुछ देकर बिल लाते। इन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ करके यह बिल लेकर आते। जो पद खाली पड़े हैं उन शिक्षकों की भर्तियों के लिए, कर्मचारियों की भर्तियों के लिए लाते। रिसर्च के नये आयाम स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों में कुछ नये सुझाव लेते। यहां कुछ शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए बिल लाते। शोध व व्यावसायिक अभ्यास के लिए बिल लेकर आते। पिछड़े छात्रों के उत्थान के लिए बिल लेकर आते। मेडिकल की सुविधा के लिए बिल लेकर आते। मेडिकल की बात आई तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि पांच दिन पहले जेके लोन हास्पिटल में आग लगी। सभापति महोदय, हम सबको शर्म आने की बात है कि राजधानी के एक हास्पिटल के आईसीयू में आग लगती है और रातों रात उन 25 बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि वहां पर प्लास्टर झड़ गया था, ए सी में पानी टपक रहा था, एक बच्चे की मौत हो जाती है और हम सदन में एक मिनट भी उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, केवल एक बार आग नहीं लगी, लगातार चार घटनाएं आग की हो गईं। ओटी और आईसीयू जैसी जगहों पर पांच बार प्लास्टर झड़ने की घटना हो गई। सभापति महोदय, आप तो खुद

(श्री अशोक लाहोटी)

चिकित्सक हैं। आप उस दिन सुझाव दे रहे थे, मैं समझता हूं कि यह मानवीय संवेदनाओं का सबसे बड़ा केन्द्र है। मैं देख रहा था कि मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मानवीयता विहीन विज्ञान, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा था मानवीयता विहीन विज्ञान। मैं समझता हूं कि यह मानवीयता विहीन विज्ञान का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि इतनी-इतनी घटनाएं हो जाएं। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले आग लगी, तब आपने कहा था कि हम जल्द से जल्द जांच कर लेंगे। जांच रिपोर्ट आ गई, आपने कहा मैंने जांच नहीं पढ़ी। फिर सात दिन बाद आपने कहा मैंने जांच पढ़ ली। इसमें जो डाक्टर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और फिर 14 दिन बाद, मैं समझता हूं चिकित्सा मंत्री जैसे मजबूत मंत्री, जिन पर हमको गर्व है वह हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, ऐसे दबाव में आ सकते हैं। आखिर किसका दबाव है? मंत्री जी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी जांच हो गई और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और फिर जांच कमेटी बदल दी गई।

सभापति महोदय, मैं इस बिल की यदि बात करूं तो तीन दिन पहले जो शिक्षा के मंदिर थे, उन मंदिरों पर जब बिल लाया गया तो उसमें कई शब्दों का उल्लेख किया गया जो अभी हमारे वरिष्ठ नेता राजेन्द्र जी राठौड़ ने रखे थे। उस दिन यह उल्लेख किया गया कि महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के कुलपति को 10 साल का अनुभव होना चाहिये। इस हैल्थ यूनिवर्सिटी में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हैल्थ यूनिवर्सिटी में तो कोई पढ़ता ही नहीं है। हैल्थ यूनिवर्सिटी में मर्जी आये जिसको बना सकते हैं। उन्होंने उस दिन यह कहा था महाविद्यालयों में आचार्य के रूप में 10 साल का अनुभव चाहिये। प्रतिष्ठित शोध होना चाहिये। हैल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, किसी शोध की आवश्यकता नहीं है। हमारे मंत्री महोदय भी शोध करके आये हुए हैं लेकिन हैल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखा कि प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। यहां अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लिखा सक्षमता होनी चाहिये, हैल्थ यूनिवर्सिटी में सक्षमता की जरूरत नहीं है। सत्यनिष्ठा होनी चाहिये, यहां सत्यता की कोई जरूरत नहीं है, यहां किसी भी झूठे व्यक्ति को बिठा सकते

(श्री अशोक लाहोटी)

हैं, यह आप खुद इस बिल में कह रहे हो। सांस्थानिक प्रतिबद्धता होनी चाहिये, यहां किसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हैल्थ यूनिवर्सिटी में कुछ है ही नहीं। तो सभापति महोदय, फिर यह बिल लाकर सदन का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है?

इतना ही नहीं, इस बिल में आपने यह लिखा कि ऐसी जांच करने के पश्चात्, सभापति महोदय, जब कोई बिल लाया जाता है तो वह डिफैक्टिव नहीं लाया जाता, यह सदन का समय खराब हो रहा है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता के पैसे से यह सदन चलता है। ऐसी जांच करने के पश्चात्, कौनसी जांच? जांच कमेटी कौन होगी? इस सदन में जब आप खड़े होते हो तो आप कहते हो आसन पैरों पर है, सब बैठ जाते हैं, यानी आप सर्वोच्च हैं। तो जांच कमेटी कौन है? कोई जांच कमेटी का खुलासा नहीं। जैसा मैंने परसों भी कहा था कि एक रिटायर्ड न्यायाधिपति के अंडर में एक जांच कमेटी होनी चाहिये। रिटायर्ड कुलपति भी उसमें होना चाहिये, आरपीएससी का मैम्बर भी होना चाहिये और मंत्री महोदय, आपकी इच्छा हो तो विधान सभा के एक-दो सदस्यों को भी डाल दो आपके चहेते कोई हों तो। कोई न कोई हो तो सही, रेस्पोंसिबल हो। यह तो आपने लिख दिया कि उसको सुनवाई का अधिकार होगा लेकिन कहां पर होगा? कमेटी आपने बनाई नहीं, कहां पर सुनवाई का अधिकार होगा? सुनवाई का अधिकार विधान सभा में हो। विधान सभा उस एक्ट को पारित करे और कुलपति को हटाने या लगाने का जो आप संशोधन लेकर आये, वह विधान सभा पारित करके कुलाधिपति के पास भेजे।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपने एक्ट में यह भी लिखा है कि राज्य सरकार के परामर्श से, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूजीसी हो चाहे हमारे कुलाधिपति हो, कुलाधिपति को अधिकार है वह कंसल्टेशन से नहीं करेगा, वह आपकी एडवाइज पर कर सकता है और इसकी धारा में दिया भी है कि ‘consultation’ word should be removed which should use the word ‘advice’ क्योंकि हम अपना सुझाव दे सकते हैं और आज तक यही होता था।

सभापति महोदय, आपने कहा कि कुलपति को जब हटाएंगे, आपने 2 ‘क’ में यह लिखा कि उनके कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था। जब आपने उनको चोर मान लिया, उसको बेईमान मान लिया, उसके ऊपर कोर्ट

(श्री अशोक लाहोटी)

आफ कंटेम्प्ट लगा दिया, उस पर इन्क्वायरी लगा दी तो फिर यह मेहरबानी किस बात की? जब आपने हटाने का निर्णय कर लिया, आपने कमेटी फर्म कर दी, आपने चोर मान लिया तो यह लाभ किस बात का, फिर यह दया क्यों? सभापति महोदय, एक्ट दया और मेहरबानी से नहीं चलते। जब आप एक्ट बना रहे हो तो इसको फुलप्रूफ बनाओ।

दूसरा, आपने कहा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, मैं आज फिर वही बात दोहरा रहा हूं, सभापति महोदय, यह विनिर्दिष्ट व्यक्ति कौन है? यह विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहां से आया? आप कुलपति किसको बनाना चाह रहे हैं, खोल क्यों नहीं रहे, डर क्यों रहे हैं? आपकी सरकार है, आपका बहुमत है, पांच मिनट बाद आप हाथ ऊपर करवाकर हां पक्ष जीता, यह कहने वाले हो। हम वोटिंग मांगेंगे तो भी आप देंगे नहीं। जो पहली बार हमने एक महीने में देखा है। लेकिन इतना डर किस बात का? आप खुलकर कहें कि हमारे कार्यकर्ता को बनाएंगे, आप खुल कर कहें कि हमारी पार्टी के लोगों को बनाएंगे, आप खुलकर कहें कि बिना योग्यता के बनाएंगे, आप खुलकर कहें कि बिना मापदंड के बनाएंगे, आप खुलकर कहें कि अपने रिश्तेदार को बनाएंगे, आप खुलकर कहें कि हम सिफारिश पर बनाएंगे। आपको डर किस बात का लग रहा है? आप एक्ट भी ला रहे हैं, भले भी बन रहे हैं और ऐसी कौन-सी आफत हो रही है कि इस सेशन के हर दिन में पांच-पांच एक्ट लाए जा रहे हैं। सब डिफेक्टिव एक्ट लाए जा रहे हैं, कुलपति को हटाने के लाए जा रहे हैं, कुलपति को लगाने के लाए जा रहे हैं। आपका शासन पांच साल है, यह डर क्यों बैठ गया? हम आपके साथ कुछ नहीं करने वाले। कर्नाटक कांड के बाद इनके मन में डर बैठ गया, सभापति महोदय। इनको लगता है जो लाना है फटाफट ले आओ, पता नहीं, अगला सत्र किसका आये, किसका नहीं आये? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सदन में कि ये एक्ट आप ला रहे हैं और इसका प्रयोग हम आपके खिलाफ करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि विधेयक लाने के पीछे इनकी मंशा तो ठीक नहीं है। उचित होता, अच्छा होता कि जितने भी प्रोफेसर के पद खाली हैं, उनको भरने

(श्री मदन दिलावर)

के लिए बिल लाते, इसमें प्रतिबद्धता दिखाते। विश्वविद्यालय में और मेडिकल कालेजों में और भी कई कमियां हैं, उनको ठीक करने की बात करते। पर्याप्त जांच की मशीनें होतीं। कई जगह पर हम देखते हैं कि एमआरआई की जांच के लिए जाते हैं तो एक-एक, दो-दो महीने की तारीख देते हैं, तीन-तीन महीने की तारीख देते हैं। जब तक तो रोगी मर ही जाए। उस जांच का क्या अर्थ है? जब तीन महीने के बाद जांच आयेगी तो उस जांच का क्या अर्थ है?

माननीय सभापति महोदय, इनके पास प्रोफेसर्स नहीं हैं, डेमोंस्ट्रेटर्स नहीं हैं, इनके पास जो पर्याप्त साधन होने चाहिए थे, वे नहीं हैं। यहां तक कि स्थिति देख लीजिए कि हास्पिटल में डिलीवरी पेड़ के नीचे करानी पड़ती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की खेड़ारूद्धा पीएचसी है। वहां पर एक गरीब महिला डिलीवरी कराने गयी तो पहले तो उसको बैड पर लिटा दिया। फिर कहा उठो और उठाकर उसको बाहर कर दिया और बाहर करने के बाद उसकी डिलीवरी एक पेड़ के नीचे हुई। जब इनके पास डिलीवरी कराने के लिए व्यवस्था नहीं है तो केवल अपने कुलपति को लाने या नहीं लाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं यानी कि काम-धाम तो कुछ करना नहीं है। इनके व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान दिलाना है, पर्याप्त वेजेज दिलाना है, इसलिए यह सब नाटक कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की व्यवस्थाएं ही नहीं हैं, जो होनी चाहिए।

सीएचसी की बात करें तो सीएचसी में डाक्टर्स नहीं हैं, विशेषज्ञ डाक्टर्स नहीं हैं, महिला डाक्टर्स नहीं हैं। ट्रोमा वार्ड जहां बनने चाहिए, नहीं हैं। ट्रोमा हास्पिटल्स हैं तो उनमें डाक्टर्स नहीं हैं। यह सारे के सारे पद भरने चाहिए थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे यहां चार सीएचसी हैं। चार सीएचसी में मुश्किल से यदि टोटल करें, डाक्टर्स की गिनती करें तो 12-13 से ज्यादा नहीं हैं जबकि होने चाहिए लगभग 45 डाक्टर। पैरा-मेडिकल स्टाफ तो लगभग सारा ही खाली पड़ा हुआ है। वहां डाक्टर रात को रहते ही नहीं हैं। कई लोग रात को आते हैं और वहीं अस्पताल प्रांगण में ही अपना दम तोड़ देते हैं। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? किस प्रकार का बिल ला रहे हैं? क्या इनको दिखाई नहीं देता है कि हमारे हास्पिटल्स की क्या स्थिति है? मैं चाहता हूं कि हास्पिटल्स की स्थिति सुधारें। मैं इस विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय श्री सुमित गोदारा।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। यह जो विधेयक संशोधन का मैंने देखा तो मुझे आभास हुआ कि जिस तरह राजस्थान में यूनिवर्सिटीज का हाल हुआ है, उसी तरह हमारे आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ सर्विसेज का होने की शुरुआत कर दी है। जिस तरह शिक्षा का स्तर राजस्थान में गिरा, आरयूएचएस जो एक बड़ी काम्पीटेंट यूनिवर्सिटी, जिसका पूरे भारतवर्ष में अच्छा नाम है, यह जो आप संशोधन लेकर आ रहे हैं 2005 के अधिनियम संख्या 1 में नई धारा 11क का अन्त:स्थापन जिसमें कुलपति को हटाया जाना, जिसमें आपने लिखा है कि राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जान बूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, कुलपति को हटाया जा सकेगा।

राजस्थान में यह एक शुरुआत कर रहे हैं आप। जो डाक्टर्स अच्छे सेवा करने वाले यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं और आरयूएचएस जिसने पूरे भारत में अपना नाम किया है, आप उसको खराब करने का, पोलिटीसाइज करने की यह शुरुआत है। यदि आप इसमें गंभीर होते तो छात्र-छात्राओं की जो फीस बढ़ाई है आपने, उसको कम करने के लिए सरकार गंभीर होती। पूरे राजस्थान में मेडिकल छात्र-छात्राएं धरने पर बैठे हैं। सरकार गंभीर होती, उनकी फीस आपने कितनी बढ़ाई है? माननीय मंत्री जी, गौर कीजिए और आपकी सरकार कहती है हम जनता का, छात्र-छात्राओं का हित देखते हैं। हित देखते हैं तो पूरे राजस्थान में सरकारी मेडिकल कालेज में छात्र-छात्राएं धरने पर हैं, उसका ध्यान रखते। आप अगर गंभीर होते तो मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए बिल लाते। आज आप देखें सीनियर डाक्टर्स क्लासेज ही नहीं ले रहे हैं। आप फाइनल एमबीबीएस में जाएं, उनकी प्रैक्टिकल क्लासेज नहीं हो रही हैं। आप जाकर देखें कहां से हम डाक्टर तैयार कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, आप तो खुद डाक्टर हैं। आप इसकी गंभीरता समझते हैं कि जब फाइनल एमबीबीएस में छात्र-छात्राएं प्रैक्टिकल क्लासेज में नहीं जाएंगे तो कहां से अभ्यास होगा, कहां से सीखेंगे। इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

(श्री सुमित गोदारा)

इतना समय हो गया, आठ महीने हो गये, कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई। गंभीरता दिखाई कि कुलपति को कैसे हटाया जा सके? कैसे सरकार उस पर कब्जा कर सके? ताकि वह हमारे व्हिम्स एंड फैंसीज और हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी हमारी चले। यह आपका उद्देश्य है।

आप अगर गंभीर होते तो कितने मेडिकल कालेज के छात्र-छात्राएं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 13 गवर्नमेंट मेडिकल कालेज और कितने प्राइवेट मेडिकल कालेज जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, हजारों छात्र-छात्राएं, जो सबसे बढ़िया टेलेंट अपने राजस्थान का है, भारत के हैं, उनके भविष्य का आप सोचते। कितना मेंटल प्रेशर वह बच्चे झेल रहे हैं। आप उनकी क्लासेज में, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाते, आप आगे प्रयास करते, क्लासेज लगाते। बीकानेर में अभी मेडिकल छात्रा ने सुसाइड किया। पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कितने मेडिकल छात्र-छात्राएं सुसाइड कर रहे हैं जो हमारे भारत की क्रीम है, सरकार यह प्रयास करती कि ऐसा नहीं हो, साइकोलोजी की क्लासेज लगाएं, ऐसे डाक्टर्स वहां लगाएं, सीनियर डाक्टर्स देखें। सरकार भी गंभीर हो परंतु सरकार ने तो पोल छोड़ी हुई है। कोई ध्यान नहीं है। मंत्री जयपुर बैठे रहते हैं, अधिकारी यहां बैठे रहते हैं। कालेज चल रही है, आप जाकर देखिए, क्लासेज नहीं लग रही हैं। कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे हम छात्र-छात्राएं तैयार कर रहे हैं जो देश का भविष्य है। इसको देखने से आपका मूल उद्देश्य तो यही लग रहा है कि आप कहीं न कहीं जो एनआरआई सीटें, पेमेंट सीटें हैं, उस पर कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि हम अपना हाथ इतना मजबूत कर लें कि कुलपति को हम जैसा चाहें वह वैसा नाचे, यही आपका संशोधन लाने का मूल उद्देश्य है।

आप गंभीर होते माननीय मंत्री जी तो बीकानेर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल का पद खाली पड़ा है, आप उसे भरते, जो सबसे बड़ा पद है। आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आप अगर गंभीर होते तो हमारे बीकानेर शहर में 150 करोड़ से बना हुआ सुपर स्पेशलिटी सेंटर शुरू करते लेकिन आपने सिर्फ कि फीता चिकित्सा मंत्री वहां जाकर काटें, इसलिए उन लोगों को आपने सेवाएं नहीं देने दीं। आज हम सेवाओं से महरूम हैं। 150 करोड़ का सेंटर बना हुआ है। आप ट्रोमा सेंटर की बात करते हैं, कहां से ट्रोमा सेंटर, आपके पास डाक्टर्स ही नहीं हैं। सरकार के पास विजन ही नहीं है कि किस तरह हम स्पेशलिस्ट

(श्री सुमित गोदारा)

डाक्टर्स तैयार करें। आपकी सोच हो कि हम डाक्टर्स तैयार करें, ट्रोमा सेंटर में डाक्टर्स लगाएं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यदि आप गंभीर होते तो पीजी सीटें, जो डेजर्ट कोटा है, जहां तीन साल करने पर बच्चे को पीजी में फायदा मिलता है एडमिशन में। पीएचसी पर आप उन्हें लगा रहे हैं तो आप सीएचसी पर भी उनको लगाएं ताकि आपकी सीटें भरेंगी और जो लड़के-लड़कियां हैं, डाक्टर्स हैं, वह ज्वाइन करेंगे। एक तो चिकित्सा सेवा मिलेगी और डाक्टर्स पूरे होंगे। परंतु आपने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आप तो सबसे पहले लेकर आये संशोधन कि कुलपति हमारे हाथ में रहे और हम उसे चलाते रहें, डाक्टर्स को नचाते रहें। जिस तरह यूनिवर्सिटियों का राजस्थान में हाल-बेहाल हुआ शिक्षा में, वह सबके सामने हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, इस संशोधन के द्वारा आप राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं की कब्र खोद रहे हैं। यह राजस्थान के चिकित्सा इतिहास में काला दिन मनाया जाएगा। इस संशोधन के द्वारा, विधेयक के द्वारा आप राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको पूरा का पूरा जनता में भेजकर तीन महीने जनमत जानकर इसको लागू करने का प्रयास करें और जो गलतियां हैं, उनको सुधारें। कुलपति के बारे में आपने जो निर्णय लिया है, उसको पुन: वापस लिया जाए ताकि वह इंडिपेंडेट बाडी जो इतने साल काम करती आई है, वह आगे भी काम करे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह।

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): सभापति महोदय, चर्चा आज भी चल रही है, दो-तीन दिन पहले भी चली कि कुलपति को हटाने का कानून नहीं होना चाहिए। मैं सदन में बोल नहीं रहा हूं, न मन था, लेकिन जो हालात देख रहा हूं, यह विडम्बना है, इधर बैठने पर हम कुछ और बोलेंगे और उधर जाने के बाद कुछ उलटा और बोलेंगे। एक परम्परा बन गई है।

मुझे वह दिन याद है, इसी सदन में, कुछ माननीय सदस्य उस वक्त मौजूद थे, जब आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी उच्च शिक्षा मंत्री थे। कालीचरण जी मुस्कुरा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के समय एक घंटे तक मैंने आरोप लगाये थे। मुझे इस बात की खुशी है, गर्व

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

होता है, तत्कालीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदनमल जी बैद ने आगे की सीट से पीछे जाकर मुझे कांग्रेचुलेट किया था कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार मेरे जैसा कंजूस व्यक्ति आपको बधाई देने आया है, कि आपने जो आरोप लगाये हैं, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने एक-एक आरोप को सही स्वीकार किया खड़े होकर।

मेरे बोलने के बाद, हमारे परम मित्र कालीचरण जी सराफ ने भी वो के वो सारे आरोप दोहराये, जो रिकार्ड पर हैं। उन गंभीर आरोपों के बाद, आसन से व्यवस्था हुई कि उस कुलपति को आप हटा क्यों नहीं देते। कालीचरण जी गवाह हैं। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने खड़े होकर कहा था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं हटा सकूं। आसन ने स्वीकार किया इस बात को, कि यदि इतने बड़े गंभीर आरोप हैं तो आपको हटाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, मैं नहीं हटा सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है। विडम्बना, पूरा हाउस स्तब्ध रह गया। तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत ने खड़े होकर कहा कि हम सब गवर्नर के पास चलें, यह कहने के लिए कि कुलपति को हटाओ। उसके बाद वह कुलपति नहीं हट सका। कालीचरण जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा?

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सही कह रहे हैं आप।

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): वैसी परिस्थिति में भी कुलपति नहीं हट सका। उस कुलपति को हटाने के लिए सदन के दोनों पक्ष सहमत थे। मैं भी सहमत था और कालीचरण जी भी सहमत थे, आमने-सामने बैठकर। तब कानून नहीं बना सके। उन परिस्थितियों से जूझने के लिए हर बार सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि, चाहे हटाने का कानून स्वास्थ्य मंत्री लाएं, चाहे आदरणीय शिक्षा मंत्री लाएं, विरोध करेंगे क्योंकि विरोध करना है। मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर, आप झेल चुके हो, वे ही परिस्थितियां आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं झेलें, इस बात के लिए यदि कानून आता है तो हमको सहमत होना चाहिए। आपने समय दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह नियम, जो संशोधन लाये हैं, निश्चित रूप से, अभी हमारे पूर्व सदस्य कह रहे थे। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वाइस चांसलर को हटाना पड़े। इसमें मेरा कहना है, आप सबसे पहले इसके सेवा नियम तो बनाओ। जब से यह यूनिवर्सिटी बनी है, तब से इसके सेवा नियम ही नहीं बने हैं। इसके कुलपति बनाने के लिए कोई योग्यताएं होंगी, योग्यताएं डिफाइन नहीं हैं। अभी जो वाइस चांसलर है यह 2010 से 2012 तक, इनको अतिरिक्त चार्ज मिला। अतिरिक्त चार्ज के बाद 2012 से 2014 तक यह वाइस चांसलर रहे। फिर 24 जनवरी, 2017 तक वाइस चांसलर रहे। फिर नौ दिन तक डिविजनल कमिश्नर को चार्ज दे दिया गया। फिर 02 फरवरी, 2017 को वापस इन्हीं को वाइस चांसलर बनाया गया। एक ही व्यक्ति पिछले 9 साल से आज वाइस चांसलर है, 9 साल वाइस चांसलर के बाद अब आपको तुरंत ध्यान आया कि हटाया जाना चाहिए। अब हटाने के लिए आप नियम बंधन बना रहे हो। नियम में लिखा है कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर, यह रिपोर्ट राज्य सरकार कहां से प्राप्त करेगी? इसका कोई प्रावधान नहीं है। क्या चिकित्सा मंत्री अपने आपसे रिपोर्ट करेंगे या किसी डाक्टर से करवाएंगे? क्या अपने मनमाने ढंग से करेंगे? रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं कोई प्रोवीजन हो। जांच कौन करेगा, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है।

पहले यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा हुई। आपने एकेडेमिक यूनिवर्सिटी के नियम पारित किये। दो टैक्नीकल यूनिवर्सिटी के बारे में पारित किया। आप आज हैल्थ का पारित कर रहे हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में सरकार चुप है, क्योंकि वहां वाइस चांसलर नये बनाने हैं। उसके लिए 6 वर्ष का प्रोवीजन रख रखा है। यूजीसी में 10 वर्ष का है। किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं, जो हमको जंचेगा, वह हम करेंगे। आप कर सकते हो, बहुमत है। लेकिन आप मनमाने ढंग से तो नहीं करोगे। किसी को भी निलम्बित कर दोगे। हर डाक्टर, हर वाइस चांसलर के ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी कि श्रीमान् जी, अगर आप ने मेरा कहना नहीं माना तो आप हटा दिये जाओगे। एक व्यक्तिगत निष्ठा के आधार पर कुलपति नियुक्त होंगे तो राजस्थान की हैल्थ का क्या होगा। इसकी जरा चिंता की जानी चाहिए। मनमाना ढंग नहीं चलता। सरकार नियमों से चलती है। अच्छा होता, सरकार यदि रिपोर्ट प्राप्त करना चाहती है, किसी को हटाना भी चाहती है, तो आप एक कमेटी बनाते।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उस कमेटी के अंदर एक लीडर आफ द हाउस का प्रतिनिधि होता, एक लीडर आफ अपोजिशन का प्रतिनिधि होता, एक गवर्नर का प्रतिनिधि होता, यह तीन लोग मिलकर यदि रिपोर्ट देते, तो वह रिपोर्ट निष्पक्षतापूर्ण होती। यह तो मनमाने ढंग से रिपोर्ट हो गई, मुझे हटाना है, हटा दो। एकेडेमिक का पारित किया, आज ध्यान आ गया कि जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया, कि यह निकाले उससे पहले ही मैं इस्तीफा दे दूं। यानी इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करके हम राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं, इस पर जरा विचार किया जाना चाहिए।

इसमें यह होना चाहिए था कि चिकित्सा मंत्री का सारा ध्यान राजस्थान की चिकित्सा के सुधार में जाता। हास्पिटल में सुधार होता। क्या हो रहा है एसएमएस में? रोज आ रहा है कि कार्डियोलोजी के आईसीयू की छत गिर रही है, कभी दूसरे डिपार्टमेंट की गिर रही है। कल अजमेर का जेएलएन हास्पिटल तालाब बन गया। वहां पर वार्डों में पानी भर गया। इस प्रकार की परिस्थिति को सुधारने का करते। केवल केकड़ी को जिला हास्पिटल बनवा दो, 9 में से 8 डाक्टर वहां नियुक्त कर दो, केकड़ी सब कुछ नहीं है। आप केकड़ी के मंत्री नहीं हो, आप राजस्थान के मंत्री हो। जरा विचार करो। हम सब आपके साथ हैं। आप राजस्थान का विचार करके राजस्थान के हास्पिटल में करो।

जहां तक इस हैल्थ यूनिवर्सिटी का सवाल है, यहां क्या हाल है? पैरामेडिकल कोर्सेज की मान्यता, आपने कोर्स शुरू कर दिया, उसकी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपने मान्यता नहीं ली। आज विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसको किस प्रकार से मान्यता मिलेगी। काउंसिल ने कह दिया कि आप योग्य नहीं हो तो क्यों नहीं आप व्यवस्था के साथ चलते हो? इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हम वहां ध्यान नहीं देकर, इस समय केवल यह कि किस तरह वाइस चांसलर हमारा कठपुतली बने, वाइस चांसलर मेरी मनमर्जी से बने, वाइस चांसलर जी-हुज़ूरी करे वह बने, जो सैल्यूट मारे, वह बनें। इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हम क्वालिटेटिव चाहते हैं। हैल्थ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। राजस्थान के सारे मेडिकल कालेजेज उसके साथ जुड़े हैं। वहां कई प्रकार के प्रोफेसर्स हैं लेकिन इसमें कोई प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं, जिसको चाहो उसको बना लो।

(श्री वासुदेव देवनानी)

साथ में चिंता करते तो पिछले दिनों, छात्र हड़ताल पर हैं, उनकी चिंता करते कि क्यों हड़ताल पर हैं। उनकी फीस बढ़ गई, आपने 14 हजार की जगह 43 हजार तिगुनी फीस कर दी। राजस्थान का गरीब से गरीब विद्यार्थी जो कि मेडिकल में मैरिट से आ रहा है, उसकी तो फीस नहीं बढ़ाते, लेकिन आपने उसकी फीस बढ़ा दी। इन समस्याओं पर विचार करते कि हास्पिटल अच्छे बनें। जनता को स्वास्थ्य का अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन आपने उधर ध्यान नहीं देकर केवल कुलपति, देखा देखी दूसरे विश्वविद्यालय में कर लिया, एकेडेमिक में, इसलिए हमारे यहां भी हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप पास तो कर दोगे। हां होगा और हो जाएगा। लेकिन उससे भला होने वाला नहीं है। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा यदि आप इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए करेंगे। उसके समय के अनुकूल सदन की एक समिति बनाएंगे, जिसमें पक्ष और विपक्ष के, दोनों हों। ऐसी विधान सभा की समिति, किस प्रकार वाइस चांसलर हटाये जाएं, उस पर विचार करें। बिना किसी मीन मेख के निष्पक्षतापूर्ण वातावरण के अनुसार नियम बंधन बनें तो मुझे लगता है कि शायद अपन सही दिशा की ओर चल पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मैं एक बार पुन: आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने का सदन स्वीकार कर ले, तो निश्चित रूप से राजस्थान की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रिनाउण्ड यूनिवर्सिटी है। इसका पूरे भारत में कोई नाम है। हमारे सारे मेडिकल कालेज जुड़े हुए हैं। चिंता करते तो जोधपुर की, जहां के मुख्य मंत्री हैं। उनके साथ जुड़े हुए हास्पिटल में सारे कार्यवाहक अधिकारी लगे हुए हैं वहां पर परमानेंट अधिकारी लगाओ। यानी हास्पिटल्स का वातावरण सुधरे, मेडिकल कालेजेज की पोस्ट्स भरी जाएं, इस प्रकार का ध्यान देने के बाद, और वाइस-चांसलर के सेवा नियम बनें, उसके बाद हटाने की बात तब करो, जब कोई सेवा नियम हों। जब सेवा नियम ही नहीं हों तो आप पहले से ही हटाने की सोच रहे हो, यह उचित नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कह रहा हूं, इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाए। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री अविनाश।

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने राज्य सरकार द्वारा और माननीय चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रस्तुत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने आज इस सदन में यह संशोधन विधेयक पेश किया। हम सबको पता भी है, चूंकि राज्य सरकार के पास बहुमत है और उस बहुमत के आधार पर कुछ देर बाद में इस संशोधन विधेयक को पारित भी करा लिया जाएगा लेकिन फिर भी इस संशोधन विधेयक पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। यह जो 2019 का संशोधन विधेयक है, इसका मूल विधेयक, 2005 और उसके बाद में 2013 के अन्दर भी, 10 अप्रैल, 2013 को भी एक अधिनियम लाया गया, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013, उस अधिनियम के अन्दर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2005 के राजस्थान अधिनियम संख्या 01 की धारा 11 में संशोधन किया गया, जिसमें कुलपति के बारे में लिखा गया कि वह पूर्णकालिक वैयक्तिक अधिकारी होगा, कुलपति की पदावधि उस तारीख से ...(व्यवधान)

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): माननीय सभापति महोदय, सैटिंग कर रहे हैं।

**श्री अविनाश** (जैतारण): उस विधेयक के बारे में 2013 के संशोधन में, कुलपति के बारे में उसकी पदावधि का भी वर्णन किया गया कि वह पांच वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु से पहले, जो भी होगा, उसके बारे में लिखा गया। उसके वेतन भत्तों के बारे में भी बहुत विस्तृत संशोधन किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह सरकार की राजनीतिक भावना को दर्शाता है। मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष से बहुत इत्तफाक रखता हूं। उन्होंने अभी कहा कि कुलपति को हटाये जाने के सम्बन्ध में यह जो संशोधन विधेयक लाया गया, अच्छा तो यह होता कि पूरे राजस्थान के

(श्री अविनाश)

बिगड़ते चिकित्सा हालात के बारे में आपने कुछ संशोधन किये होते, कुछ ऐसे प्रयास किये होते।

मैं बताना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हैं, आपने उनको भरने का प्रयास नहीं किया। पूरे राजस्थान के अन्दर डिलीवरी के लिए आज भी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां ग्रामीण इलाके के लोग रहते हैं। आज डिलीवरी के लिए जिस हास्पिटल में जाते हैं, वहां महिला गायनिक नहीं हैं, वहां जेन्ट्स डाक्टर्स लगे हुए हैं। वहां डिलीवरी कराने के लिए महिला को शर्मसार होना पड़ता है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान के अन्दर आपातकालीन सेवाओं के रूप में 108 खटारा गाड़ियां पड़ी हैं। जहां भी दुर्घटना होती है, समय पर पहुंच नहीं पाते, उसका खामियाजा उस एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्ति को उठाना पड़ता है।

माननीय मंत्री महोदय, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे आपकी कार्यशैली पर कोई शंका नहीं है लेकिन बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जैतारण हास्पिटल के बारे में आपसे थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि वह उपखंड मुख्यालय का एक मात्र महत्वपूर्ण हास्पिटल है, उसमें ओ.पी.डी. पिछले कई वर्षों से जो पांच-छह सौ के करीब रहती थी, आज डाक्टर्स के ट्रांसफर की वजह से वह ओ.पी.डी. डेढ सौ के अन्दर-अन्दर रह गई है। क्या कारण हैं? मैंने बार-बार आपसे निवेदन किया था कि आपके सी.एम.एच.ओ. आपको गलत इंफोर्मेशन देते हैं। वे कहते हैं कि इस हास्पिटल में इतने डाक्टर कार्यरत हैं।

**(16.34 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

आप वस्तुस्थिति एक बार वहां पता कीजिये, आपको असली हालत का पता लगेगा। आज जब कोई मां, बहन, बेटा, गरीब आदमी इलाज के लिए जिस हास्पिटल में आते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता है। इलाज के अभाव में अगर वे दम तोड़ देते हैं तो आज इस आजाद हिन्दुस्तान के 70 वर्षों के बाद भी इससे शर्मनाक, घटिया बात कोई नहीं हो सकती है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में सब-सेन्टर बने हुए हैं। उनके अन्दर अभी नर्सेज नहीं हैं। नर्सेज के बिना आज

(श्री अविनाश)

भी हास्पिटल्स बंद से पड़े हैं। मैं आपका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं अपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के नाम पर लाखों रुपये की फीस वसूली की जाती है। एक गरीब आदमी का बेटा मेडिकल कालेज में प्रवेश लेना चाहता है, मगर अधिकतम फीस की वजह से उस मेडिकल कालेज में प्रवेश लेना उसके लिए सम्भव नहीं हो पाता है।

मैं बहुत अदब के साथ में, बहुत सम्मान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम को, इस संशोधन विधेयक को छह महीने के लिए जनता का जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि उसके बाद में, मुझे पता है कि आप लोग इसको भेजोगे तो नहीं और इसको पारित करवा दोगे। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने आपके ध्यान में यह बात लाई है, कृपा करके पूरे राजस्थान के अन्दर चिकित्सा सुविधाओं में ऐसा विस्तार करें, ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, जिससे कोई भी गरीब आदमी इलाज से महरूम नहीं हो सके। इन शब्दों के साथ में, क्योंकि मैं ईमानदारी से कहता हूं, किसी बात के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं, जिससे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। लेकिन इन शब्दों के साथ में कि मेरे अन्दर से एक-एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है, जिसे ईमान कहते हैं। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में मेडिकल सर्विसेज में जो भी परेशानी आ रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हुए एक बार पुनः यह कहते हुए कि आपने जो यह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया, इसको छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। एक बार पुन: माननीय सभापति महोदय का मुझे अवसर देने के लिए बहुत -बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री रामप्रताप कासनियां।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, इस बिल को, जितनी मेरी सूझ-बूझ है, समझ है, मैं यह समझ पाया हूं कि मेरे जैसे विद्वान को यह नियुक्ति देने का काम सरकार कर रही है। अब आप स्वयं देखो। यानी लुहार का काम सुनार से करवाने का प्रयास सरकार कर रही है। यह उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवा के अन्दर अगर आपको सुधार करना है तो जो बच्चे मैरिट में आकर एस.एम.एस. में पढ़ रहे हैं, मेरे पास, सभापति महोदय, कम से कम बीस लड़के आये और यह कहा कि हमारी फीस छह गुना बढ़ा दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि सूरतगढ़ मेरा विधान सभा क्षेत्र है। सूरतगढ़ के अन्दर आज हास्पिटल की हालत है, बहुत ही दयनीय है। वहां मिलिट्री छावनी है, हवाई-अड्डा है, केन्द्रीय फार्म है, थर्मल है, श्री सीमेन्ट है। फिर भी हास्पिटल की हालत यह है, माननीय सभापति महोदय, वहां पर ट्रोमा सेन्टर को खुले हुए छह वर्ष हो गये, अगर कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो बीकानेर रैफर करते हैं, गंगानगर रैफर कर देते हैं। महिला डाक्टर नहीं है, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। दवाई सरकार मुफ्त में देने की बातें तो बहुत कर रही है, पर हमारे वहां सूरतगढ़ में तो दवाई मैंने बहुत ही कम मिलते हुए देखी है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आपके लिए च्यवनप्राश की जरूरत है, दवाई की जरूरत नहीं है।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): हैं, जी, क्या?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपको च्यवनप्राश चाहिए, दवाई नहीं चाहिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): मुझे दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए, यह तो ऊपर वाला बतायेगा।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): च्यवनप्राश तो मैं ही भिजवा दूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): च्यवनप्राश भिजवाओ आप तो।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): इनको च्यवनप्रकाश चाहिए आपको +++ चाहिए, जिसके लिए आप बिल लेकर आये हो।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, आप तो जब से पैदा हुए हो, तेल लगाकर ही पैदा हुए हो, +++। कल्याणसिंह जी कालवी के टाइम से मैं देख रहा हूं, किस तरह +++ में आपने पीएच.डी. हासिल की है। मुझसे बहस कर रहे हो इस बारे में।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): वह डिलीट हो गई है।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): यहां पर सब अपनी मेहनत से आते हैं, कोई चमचागीरी से नहीं आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बदलने के बाद यह बास्बार बिल लाने की जो प्रथा, बिल खोदने की जो प्रथा है, यह न्यायसंगत काम नहीं है। यह काम सरकार जो कर रही है, बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात होगी, इस बिल से यही साबित होगा और मेरे जैसे विद्वान को वी.सी. बनाओगे तो परिणाम सोच लो कि क्या होंगे?

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी समय है, आप इस बिल का थोड़ा-सा अध्ययन करो। मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं, मैंने भी इसमें बात देख ली। मैंने संज्ञा दी थी न कि लुहार का काम सुनार से मत करवाओ। यह बहुत ऊंची संस्था है, इस संस्था के अंदर नैतिकता, निष्ठा, यह शब्द तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल है न, इनमें शब्दों का जाल ऐसा है, मेरे तो यह समझ की ही बात नहीं है, पता नहीं यह कहां से ढूंढकर लाते हैं इस तरह के शब्द? आम आदमी इन शब्दों के जाल में फंस जाता है और कोई इनको पढ़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता तो बिल बनाते समय यह अंग्रेजों वाली प्रथा छोड़ो और इस देश की भाषा स्पष्ट हिन्दी यूज करो जो कोई समझ में तो आये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने चहेते व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लेकर आई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सूरतगढ़ के बारे में मैंने यह निवेदन किया कि वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं। थर्मल, श्रीसीमेंट, मिलिट्री छावनी, केन्द्रीय फार्म, पशु फार्म है तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आये दिन दसों एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पर कोई सार-संभाल करने वाला डाक्टर नहीं है। जो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

भी मरीज एक्सीडेंट होकर आता है, उसको वह रैफर करने का काम करता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन संशोधनों में कुछ नहीं है बिल खोदने में कुछ नहीं है। आप जनता की सेवा करो और जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, उसकी पूर्ति करो ताकि आपको, मंत्री महोदय, लोग याद रखें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं फिर सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अनपढ़ व्यक्तियों को नियुक्त मत करो। अनपढ़ तो नहीं होगा पर आपका जो पैमाना है, वह इस बिल में आपने बताया नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने दस वर्ष के अनुभवी व्यक्ति का जिक्र किया है, इस बिल में आपने तो सत्यनिष्ठा और यह दो-तीन शब्द रटे-रटाये हैं, वह इसमें लिखे हैं। आपको तो सिर्फ यही काम करना है, आपकी सोच ही लंबी नहीं है, आपने यह सोच लिया कि हमें पांच वर्ष का मौका है, इसमें जो भी जिसको, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाना है, वह पहुंचायें और पांच ही, माननीय सभापति महोदय, मैं गलत कह गया, मैं इधर-उधर से बातें सुनता रहता हूं तो ज्यादा मुझे समय भी नहीं लगा। माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

**श्री सभापति**: धन्यवाद। श्री संयम लोढ़ा।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पीलीबंगा भेज दिया जाए?

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): पीलीबंगा छुड़वा दी।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता जो उसके प्रभाव में नहीं आये। कोई कम आते हैं और कोई ज्यादा आते हैं। यहां तक कि हम अपनी धार्मिक सभाओं में भी देखेंगे तो हमें बहुत साफ दिखेगा कि पैसे का प्रभाव किस तरीके से बढ़ रहा है। समाज में पैसे को सम्मान मिल रहा है, पैसे को आदर मिल रहा है और वही कारण है

(श्री संयम लोढ़ा)

कि जिसने चारों तरफ से हमारे हर संस्थान को प्रभावित किया है, हमको प्रभावित किया है।

हम हमारी यूनिवर्सिटीज पर नजर डालें तो मेडिकल यूनिवर्सिटी उनसे बेहतर मालूम पड़ती है। दूसरी यूनिवर्सिटीज में आप देखिए कि किस तरह से अपाइंटमेंट हो रहे हैं, क्रिमिनल वाइस चांसलर बन रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन गये फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गये। हाई कोर्ट को उनके पावर सीज करने पड़ रहे हैं। ऐसे भी वाइस चांसलर हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त जांच हो गयी, लोकायुक्त ने जांच प्रमाणित कर दी, सरकार के पास विचाराधीन है और जो मुझसे पूर्व वक्ता क्वालिटी और शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे थे, मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में नोन पीएच.डी. को वाइस चांसलर लगाने का काम भी हम ही लोगों ने किया और बार-बार कहने के बाद भी हमने अपने उस आदेश को विदड्रा नहीं किया। चाहे सदन हो, सदन से बाहर हो, राजस्थान हाई कोर्ट ने जब डंडा किया तो उस गलती को सुधारने का अवसर हुआ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज में चिकित्सक का बहुत सम्मान है और पुरानी बात कहूं तो लोग उसे भगवान के रूप में देखते हैं और बहुत से चिकित्सकों ने अपनी मेहनत से इस तरीके की प्रतिष्ठा हासिल की अपने मरीजों के दिल में कि जब यह पता लगता था कि फलां डाक्टर साहब आ गये घर देखने के लिए तो उसकी आधी बीमारी खतम हो जाती थी। यह सम्मान और प्रतिष्ठा चिकित्सकों ने अपनी मेहनत से पाई है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी का कि राजस्थान सरकार को यह भी पता नहीं होगा कि उसके कितने डाक्टर कहां हैं, कितने कहां डेपुटेशन पर चले गये, कितने राजस्थान से बाहर कहां चले गये, कितने नौकरियां छोड़ गये, कितने कागजों में हैं और कितने प्राइवेट हास्पिटल खोलकर बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह महकमा इतना बड़ा है कि मंत्रीजी तक तो बातें ही नहीं आतीं, पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा, इतना फैलाव है इस महकमे का इसलिए यह बहुत मेहनत का काम है इन सारी चीजों को ठीक करने का। मैं कोई दोषारोपण नहीं करूंगा पूर्ववर्ती सरकार पर और न इस सरकार पर लेकिन यह विभाग ऐसा है कि जो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हैड हो,

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहे पोलिटिकल हैड हो, दोनों से यह बहुत मेहनत की अपेक्षा रखता है, बहुत गहरी प्रतिबद्धता की अपेक्षा रखता है। जब तक वह उस जुनून से नहीं लगेंगे कि हमें इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो हम ठीक करने में सफल नहीं हो सकते।

कई माननीय सदस्यों ने बहुत सी घटनाओं के बारे में अपनी बात यहां पर रखी है कि हम क्या-क्या नहीं देख रहे हैं? हमारे बच्चे जिनका मैरिट पर प्राइवेट मेडिकल कालेज में एडमिशन होता है, उनको क्या भुगतना नहीं पड़ रहा? शाम को पांच बजे तक इतनी तारीख को बैंक गारंटी जमा करवाओ या एप्रूव प्रोपर्टी के पेपर्स लाओ, नहीं तो एडमिशन कैंसिल और वही सीट बाजार में बिक जाएगी। हमारे यह प्राइवेट मेडिकल कालेज, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सेवा नहीं दे रहे, सेवा दे रहे हैं लेकिन हमारे नये विद्यार्थियों के लिए वह एक दुकान बन गये हैं, वह एक मार्केट बन गये हैं और बहुत से ऐसे डाक्टर जो खुद प्रतिष्ठित हैं, अच्छा हास्पिटल चला रहे हैं, उनकी समाज में अपने मरीजों में प्रतिष्ठा है, अब वह इसको एक पैतृक व्यवसाय के रूप में लेते हैं तो उस हास्पिटल में अपने बेटे को बैठाना है तो क्या तरीका है? प्राइवेट मेडिकल कालेज में जाओ, दाम तय करो, बच्चे को एडमिशन करवाओ और अपना पैतृक व्यवसाय की तरह मेडिकल का काम है, वह उसके हवाले कर दो।

माननीय सभापति महोदय, इन सारी स्थितियों को भी बदलने की जरूरत है। अभी मुझ से पूर्व कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी, स्वायत्तता का क्या होगा? लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पिछली सरकार में हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ क्या हुआ था? क्या-क्या उनके पीछे नहीं किया गया, किस-किसको नहीं लगाया गया? पूरे चारों तरफ इस तरह का वातावरण बना दिया कि वह एक बहुत बड़े अपराधी हैं और उनको भयभीत होकर अपना पद-त्याग करना पड़ा। तब आपने नहीं सोचा कि एक संवैधानिक संस्था की आटोनामी क्या होती है? हमारा कहना मानो और नहीं मानो तो जाओ। यह उदाहरण आपने स्वयं ने प्रस्तुत किये हैं इसलिए यह परिस्थितियां बनी हैं तो उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका आप अमेंडमेंट लेकर आये हैं, अपनी स्थापना के समय, जहां तक मेरी जानकारी है, अच्छे लोग इसके वाइस चांसलर रहे हैं। डा. पी.पी.एस.माथुर, डा. अशोक पानगड़िया, डा. शशि सिंघवी और अभी भी जो वाइस चांसलर हैं, उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। यह संशोधन आप लेकर आये हैं, वह उस पृष्ठभूमि में लेकर आये हैं, जो चारों तरफ विश्वविद्यालय के माहौल को लेकर बन रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें इस मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम करना है। राजस्थान को डाक्टर्स की बहुत जरूरत है। हमारे जितने भी मेडिकल कालेज हैं, आज उनकी क्या स्थिति है? जब भी मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की टीम अपना निरीक्षण करने आती है, हम विवश होते हैं। अपने हास्पिटल से डाक्टर को उठाकर वहां बिठाते हैं, वहां के डाक्टर को वहां ले जाते हैं। दो महीने रखते हैं, फिर हटाते हैं जिससे हमारी क्लियरेंस हो जाए। ऐसे वक्त में किसी ऐसे आदमी का लाना राजस्थान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। वहां पर एक नये आदमी को लाएं जिसका एम.सी.आई. में कोई लिंक ही नहीं हो। एम.सी.आई. में कोई सम्पर्क ही नहीं हो। प्रधान मंत्री के द्वारा घोषित देश भर में जो 75 मेडिकल कालेज वे खोलने वाले हैं 40-60 रेशो में, हमें उसका लाभ उठाना है, राजस्थान की जनता को उसका लाभ उठाना है। अभी भी आपकी सरकार की, पिछली सरकार में भी और अब भी, एम.सी.आई. की क्लियरेंस कितनी जगह की बाकी है? वहां पर जिनकी कनेक्टिविटी है एम.सी.आई. में, वे ही इन चीजों को तुरंत क्लियर कराकर ला सकेंगे और एक चर्चा से इस तरह का माहौल बन गया सदन में, कि जैसे यह अमेंडमेंट इस बात के लिए लाया जा रहा हो कि फलां ने कोई बहुत बड़े कारनामे कर दिये, बहुत बड़े भ्रष्टाचार कर दिये और बस इसके पारित होते ही यह तो रिमूवल होने वाला है। जो चोर होंगे, वह अपने आप सरेंडर कर देंगे। जिनको यह मालूम होगा कि हम रगड़े जाएंगे, हम रगड़ जाएंगे, वह अपने आप इस्तीफे दे देंगे क्योंकि यह तो पता चल ही गया कि सरकार के पास पावर आ रही है। अगर कमजोरी होगी तो नहीं रहेगा और कमजोरी नहीं होगी तो हम उनकी क्षमता से काम ले सकेंगे और इस एक्ट में, यह जो यूनिवर्सिटी है, यह स्टेट के द्वारा फाइनेंस है। इसका पूरा खर्चा राज्य

(श्री संयम लोढ़ा)

उठाता है। अगर दस साल वाला प्रोविजन न भी रखा प्रोफेसर का, तब भी यह स्टेट का लुक-आउट है कि वह क्या करता है और मूल रूप से जब यह एक्ट लाया गया था 2005 में, उस समय सस्पेंशन का पावर उसमें था, प्रावधान था, लेकिन बाद में पिछली सरकार में इसको विलोपित किया गया। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इसको बदला गया और इस प्रावधान को समाप्त किया गया और अब जो प्रावधान आप रिमूवल का लेकर आये हैं, मैं तो फिर आपके माध्यम से विनती करूंगा कि रिमूवल के बजाय आप फिर पुराने वाले सस्पेंशन के प्रावधान को लाते तो ज्यादा अच्छा था, जिसके माध्यम से अगर कोई गलत करता है तो आपका काम भी हो जाता, वह भी कर सकते थे आप। लेकिन, अब आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें प्रारम्भिक तैयारी करनी है। आप जिन-जिन जगहों पर मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं, अभी उसकी प्रारम्भिक तैयारी भी नहीं है। इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति का आपको यथावत लाभ लेना चाहिए और फिर आप ही के द्वारा अपोइंटेड थे, चलते रहे। ठीक है, सिस्टम के अंदर कई चीजें होती हैं। कोई ब्यूरोक्रेट अगर मुख्य मंत्री कार्यालय में इफेक्टिव हो और उसकी सिफारिश हो जाए तो पांच साल का एक्सटेंशन भी हो जाता है तो आपको उसी संदर्भ में लेना चाहिए कि उनकी सिफारिश से वह एक्सटेंशन मिला है, पर उस काबिल आदमी का चयन भी आपने ही किया था। इसलिए उनकी सेवा का भी आप लाभ लेते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री गिरधारीलाल।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह सरकार यह विधेयक ला रही है, कुलपतियों के बदलने से कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। आप देख रहे हो एम.बी.बी.एस. कालेजों में मेडिकल के छात्र लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. छात्रों की 2017 में वार्षिक फीस 5 हजार थी। उसमें सरकार ने बेहद वृद्धि करते हुए 2018 में 5 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी। माननीय सभापति महोदय, प्रति वर्ष फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी जिससे लगातार राजस्थान के अंदर एम.बी.बी.एस. के छात्र हड़ताल पर चल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है इस विधेयक के द्वारा, सदन के द्वारा कि जो गरीब छात्र आते हैं, गांव से आते हैं, कमजोर तबके से आते हैं, जो साल में 5 हजार रुपये की फीस, अब 50 हजार से 55 हजार, तो हम किस मुंह से विधेयक पर विचार करेंगे। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, जो अभी अध्यादेश आ रहा है, निश्चित रूप से गरीब छात्रों के हितों को देखते हुए आप फीस वृद्धि वापस लेंगे। इसी प्रकार एन.आर.आई. के कोटे के नाम से एम.बी.बी.एस. की सीटें 20 प्रतिशत का रिजर्वेशन रखा जा रहा है, उसको भी कम किया जाए। इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की उस मेडिकल कालेज से संबंधित चिकित्सकों को सभी प्रकार की जांच पूर्णत: नि:शुल्क करवायी जाएं। हर मेडिकल कालेज में स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स तथा जिम हो जिससे तनाव की स्थिति कम रहे। माननीय सभापति महोदय, 2017 के पश्चात् मेडिकल कालेज की फीस कालेज में भी बढ़ायी और छात्रावास में भी बढ़ायी। पूर्णत: सरकारी मेडिकल कालेज कोटा, अजमेर तथा उदयपुर में इस वर्ष घोषित सभी सीटें रिजर्वेशन कर रखी हैं, कम की जाएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री बलवान पूनियां।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री बलवान पूनियां)

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर लंबी चर्चा चल रही है। हम भी यह चाहते हैं कि आज जो राजस्थान प्रदेश के हालात हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालयों के वी.सी. बदलने के जो संशोधन आ रहे हैं, चाहे एकेडमिक में आये हैं, चाहे तकनीकी में आये हैं, चाहे स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, यह उचित नहीं रहेगा। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि जैसे सदन में चर्चा चलती है और दो-तीन दफा गंभीर आरोप लगे हैं कि आपकी प्रशासन पर पकड़ कमजोर है तो शायद इससे पकड़ तो मजबूत होगी और होना भी चाहिए। अगर राज की, सियासत की पकड़ प्रशासन पर मजबूत नहीं होगी तो शायद ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ-साथ, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, जो हमें आज करनी जरूरी हैं। राजस्थान की मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा नामचीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन, आज हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं, जिन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को गंभीरता से काम करना पड़ेगा। सिर्फ इस बिल से हमारा काम नहीं चलेगा। इस बिल से तो हम प्रशासनिक काम कर सकते हैं, लेकिन जनता को जो जन -सुविधा हमें देनी है, उसके लिए हमें लार्ज स्केल पर फण्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यह पालिसी भी बनानी पड़ेगी, बीकानेर में जैसे एक बच्ची ने आत्महत्या स्ट्रेस में आकर की है और यहां वाली बच्ची, जिसने जयपुर के हास्टल में आत्महत्या की थी, उसका तो मैं गवाह हूं, मैं शाम को जाकर आया था। उसकी फैमिली का यह कहना था कि बच्ची पर इतना दबाव था और सारे रेजीडेंट डाक्टर यह बात कह रहे थे कि काम का इतना दबाव रहता है, इस मेडिकल कालेज में पेशेंट का इतना दबाव है जिसकी वजह से हम सारी चीजें एडजस्ट कर नहीं पाते।

**(17.00 बजे)**

इसलिए हमें लार्ज स्केल पर सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये चीजें पटरी से उतर जाती हैं, मंत्री महोदय कह भी रहे थे, बात चल रही थी कि इस बिल के पक्ष में हैं या खिलाफ लेकिन जब चर्चा इस बात की आ जाती है कि यह बिल इस संदर्भ से लाया जा रहा है कि राजस्थान में मेडिकल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो साथियों ने अपने-अपने इलाके की असुविधाओं का जिक्र भी किया है।

मैं समझता हूं कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में खास करके दो-तीन मोटी-मोटी चीजें हैं। जो हमारे बड़े मेडिकल कालेज हैं, वहां तो पेशेंट का दबाव है, जैसे एस.एम.एस. हास्पिटल है, पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर है, मैं इन दो

(श्री बलवान पूनियां)
हास्पिटलों में गया हूं, जहां के ट्रोमा सेन्टर भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जहां पेशेंट्स को बैड नहीं मिल पाते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे आज के दिन दिख रही है पूरे राजस्थान में, वह यह है कि हर जगह ये मांग उठती है कि हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक नहीं हैं, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है, प्रसव के टाइम हम आज भी राजस्थान में डाक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। उसकी वजह से लोग प्राइवेट हास्पिटल में जा रहे हैं। प्राइवेट हास्पिटल में जाने से लोगों का भारी शोषण हो रहा है। इस विधेयक में इस संशोधन के साथ-साथ अगर यह संशोधन भी आते कि निजी हास्पिटलों में और निजी विश्वविद्यालयों में सरकार किस तरीके से शिकंजा कसेगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात ओर इंगित करना चाहूंगा कि आज प्राइवेट हास्पिटल में डिलीवरी 95 परसेंट सिजेरियन होती हैं, वह इसलिए कि सरकारी हास्पिटलों में और सरकारी मेडिकल कालजों में हम यह सुविधा देने में नाकाम हैं इसलिए सरकार इनकी व्यवस्था गम्भीरता के साथ करेगी।

नम्बर दो। कई बार जब हम डाक्टर की मांग करते हैं कि ग्रामीण हास्पिटलों में डाक्टर लगाइये, तो सामने से सी.एम.एच.ओ. पूछता है कि कौनसा चाहिए, चाइनीज चाहिए, रशियन चाहिए कि यूक्रेन वाला चाहिए। पहले तो यह सुनते थे कि एम.बी.बी.एस. चाहिए या एम.डी चाहिए या लेडीज के लिए गाइनोकोलोजिस्ट चाहिए। अब ये चाइनीज, यूक्रेन ये कौनसी डिग्री है? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो थोड़ा पढ़ा-लिखा हूं इस मामले में। ये जो डिग्रियां लगातार बढ़ रही हैं, इसके बजाय हम चाहते हैं कि राजस्थान में ही प्रशिक्षित किया जाए ताकि यहां के लोगों के शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में हमारे भावी डाक्टर यह बात जान पायें इसलिए राजस्थान की सरकार इस बात पर भी गम्भीरता से चर्चा करे।

मैं सारे साथियों की राय से सहमति जताऊंगा कि आज जो राजस्थान प्रदेश में हड़ताल चल रही है, डाक्टर्स की जो फीस बढ़ी हुई है, इसको सरकार वापस लेने का काम करेगी।

एक सबसे बड़ी बात कि डी-फार्मेसी किये हुए जो लड़के हैं, जिनको नया मेडिकल स्टोर खोलना है, नशे की गोलियां रोकने के लिए यह तर्क दिया

(श्री बलवान पूनियां)

जा रहा है हनुमानगढ़ जिले में मेरी सी.एम.एच.ओ. से बात हुई, फिर फार्मेसी के यहां जयपुर में कोई अफसर बैठते हैं कि सर, हम नये मेडिकल स्टोर इसलिए नहीं खोल रहे कि नशे की गोलियां बेचेंगे। अगर डी-फार्मेसी किये हुए बच्चे मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे गांव में या शहर में तो एक तो उनके रोजगार का क्या होगा, दूसरा फिर उसके लिए दूसरी अर्हताएं क्या हैं, दूसरी योग्यता क्या है, कोई मेडिकल स्टोर खोलने के लिए? यह बात भी मैं आज इस राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में कहना चाहूंगा।

दूसरी बात, मैं यह चाहता हूं कि इन सारी बातों को नोट कराते हुए मैं मेरे जनमत जानने के प्रस्ताव को, संशोधन को वापस लेता हूं और इस बिल के पक्ष में।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर हमें बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

इसमें जो संशोधन प्रस्तावित हैं वे संशोधन 11(क) कुलपति को हटाये जाने के संदर्भ में हैं और इसमें लिखा है 2005 के अधिनियम संख्या 1 में नई धारा 11(क) का ये अंत:स्थापन है और उसी के अन्दर ये संशोधन कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, हमारे जो चिकित्सा मंत्री जी हैं वे बड़े विद्वान हैं और जब वे प्रतिपक्ष में थे पिछली बार तो उस समय बड़ी बातें करते थे कि मंत्रियों को कहते थे आप लोग ये पढ़कर नहीं आये, अधिकारियों ने ये किया ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: ये नहीं थे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अच्छा, सारी। ये तो रहे नहीं। (व्यवधान) ये उस समय तो बड़ी बातें करते थे न कि हम लोगों को ये करना चाहिए, जो इनके प्रतिपक्ष के थे वे बड़ा इंगित करते थे। अब, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि ये थोड़ा सा बिल को वाचन कर लेते, इसको प्रोपर शेप में, जिस वे में इन्होंने इसको रखा है, 2005 का इन्होंने ये संशोधन किया है। अब

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

संशोधन क्या है कि 2005 के अन्दर, जो इन्होंने इसमें लिखा है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ द वीसी क्या होगा, इसके बारे में 2005 में भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं। दो दिन पहले हायर एजुकेशन का, टैक्निकल एजुकेशन का बिल आया था उन सब बिल्स के अन्दर वे सारी चीजें लिखी थीं कि अगर हम कुलपति को हटायेंगे तो उसके पीछे हटाने का क्या कारण होगा, वह किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हो। अभी मुझ से पूर्व कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने ये बात कही कि वीसी को इसलिए हटना पड़ा कि उनका दस साल का अनुभव नहीं था एज ए प्रोफेसर, तो वह क्वालिफिकेशन है। अब क्वालिफिकेशन ही नहीं दी है, आपने सिर्फ लिख दिया कि हम हटायेंगे। किसको हटायेंगे, क्यों हटायेंगे, हटाने के पीछे क्या कारण रहेगा, तो कुछ तो होना चाहिए। इसलिए साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं। सिर्फ हटाना मतलब किसको लाना चाहते हैं? मतलब जो इनके बिलकुल यस मैन बन कर रहें, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इनकी बात को मानें या फिर कोई तो उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि इस क्वालिफिकेशन के व्यक्ति को हम लाएंगे इसलिए हमें ये हटाने का पावर चाहिए।

दूसरा, इससे आता है कि जैसे अभी श्रीमाधोपुर के हमारे माननीय सदस्य श्री दीपेन्द्र सिंह जी ने यहां पर बात कही, बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि 1994 के अन्दर एक कुलपति के अगेंस्ट में हम सब लोग एक हो गये थे कि इस कुलपति ने बहुत भ्रष्टाचार किया, इसको हटाया जाना चाहिए तो विरोध के नाम पर हम लोग यहां पर विरोध करने के लिए बैठे हैं इस बिल का, ऐसा नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भ्रष्ट कुलपति हो तो उसको एज इट इज कन्टिन्यू करो, उसको हटाना चाहिए लेकिन उसको हटाये जाने के पीछे ये मंशा हो कि हां वह भ्रष्ट है और उसको हटाया जा रहा है, ये बात समझ में आये। यहां तो ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि कुलपति को हटाने के पीछे क्या कारण होगा, यह कहीं पर भी कुछ अंकित नहीं है। सिर्फ इसमें मैं इस लाइन को कोट करना चाहती हूं 2005 की लाइन और अभी इन्होंने जो संशोधन दिया है, माननीय सभापति जी, उन दोनों में अन्तर क्या है। इसमें कुलपति को हटाने के संदर्भ में यह लिख है, मैं 11क को पढ़ूंगी, पूरा तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें भी कहीं पर भी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें यह जरूर लिखा है कि 62 साल से कम आयु का व्यक्ति होना चाहिए, वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा, यह-यह उनका होगा, उसकी मृत्यु, त्याग

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पत्र हो जाएगा तो उसकी जगह पर किसको लगाया जाएगा, तो यह लिखा है कि शासन सचिव को उसकी जगह पर कुछ समय के लिए लगाया जा सकता है। यह सारी क्वालिटीज तो लिखी हैं और साथ-साथ यह लिखा है कि, 'यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेंगे।' यानी 2005 का जो यह विधेयक है उसमें यह कहा है कि कुलाधिपति को ये अधिकार होगा कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस आती हैं, जहां पर वे विश्वविद्यालय के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार है। इसमें ये संशोधन क्या कर रहे हैं कि, 'यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वे उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा।' यानी यह जो लाइन एड की है वे राज्य सरकार से परामर्श होने के बाद उसे हटा सकेंगे।

हमारे श्रीमाधोपुर के माननीय सदस्य ने जो बात कही थी वह तो समझ में आ रही है कि उस परिप्रेक्ष्य में कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो हटा देंगे। माननीय सभापति जी, अब राज्य सरकार की यहां मंशा ठीक नहीं लग रही। राज्य सरकार की मंशा इसलिए ठीक नहीं लग रही है कि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज का पिक एण्ड चूज कर रही है। हायर एजुकेशन और टैक्निकल यूनिवर्सिटी की ऐसी हमारी तेरह प्लस दो पन्द्रह यूनिवर्सिटीज का लेकर आये, 11 तो पहले वाली हायर एजुकेशन की, इन्होंने वर्तमान इस कार्यकाल में जो अभी दो यूनिवर्सिटी बनायीं वह और प्लस दो टैक्निकल यूनिवर्सिटी और अब मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेकर आये। अभी और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्यों नहीं, उन सब स्टेट यूनिवर्सिटीज का आप एक साथ लेकर आ गये, अलग-अलग बिल्स हर स्टेट का यूनिवर्सिटी का ले आते। लेकिन इनकी मंशा सिर्फ यही है, माननीय सभापति जी, यह अगर होती कि सारे कुलपति के लिए इस प्रकार का हमारे हाथ में डंडा हो कि हम लोग चाहें जिसको हटा सकें लेकिन ये इस मंशा से लेकर आये कि कौनसे कुलपति हमारे फेवरेबल हैं, कौन कुलपति हमारे फेवरेबल नहीं हैं और कौन कुलपति बिलकुल हमारे उसमें चलेंगे और कौन हमारे यस मैन बनकर नहीं चलेंगे, उसको हटाना। एक तो इस बारे में मैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसकी बहुत भर्त्सना करूंगी कि एजुकेशन के माहौल के अन्दर इस प्रकार की सोच अगर किसी भी सरकार की होती है तो वह ठीक नहीं होती है। एक तो क्वालिफिकेशन नहीं दी और ऊपर से इन्होंने हटाने की जो बात कही, उसमें राज्य सरकार का, पहले भी कुलाधिपति को हटाने का अधिकार था। अब राज्य सरकार उसके अंदर एंटर होकर, पूरी तरह से कुलाधिपति के पावर्स को भी कम करना इसमें दर्शाया जा रहा है। कुलाधिपति करेंगे लेकिन अल्टीमेटली वह कब करेंगे, गवर्नमेंट कहेगी तो कुलाधिपति को करना है। यानी कुलाधिपति की पोजिशन को इन्होंने इसमें डाउन किया है। यह इससे साफ झलक रहा है, जो वास्तव में किसी भी स्टेट के लिए हितकर नहीं होगा। आप एक गवर्नर जो कि कुलाधिपति होते हैं, उनकी पोजिशन को आपने डाउन किया है। उनके पावर्स को आपने सीज किया है। गवर्नमेंट उसके ऊपर हावी होकर, अगर गवर्नमेंट कहेगी तो कुलाधिपति को ऐसा करना होगा। उनसे परामर्श करने के बाद ही कुलाधिपति एक्शन ले पाएंगे, यह इसमें बड़ा क्लियर तरीके से इन्होंने डाला है।

सभापति महोदय, दूसरी बात, जिस तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में इन्होंने कहा, लेकिन माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, जिनके अंदर मेरे से पूर्व भी कहा और मैं भी कहना चाहूंगी कि मुंह मांगे तरीके से वहां उनसे फीस ली जाती है। उन लोगों के जो एडमिशन हो रहे हैं, वह किस प्रकार से हो रहे हैं? क्या-क्या वहां पर गलत प्रेक्टिस चल रही है? उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। क्यों नहीं, यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी एक्ट लेकर आ रही हैं?

एक तरफ आप हटाने की बात कर रहे हो कि हम कुलपति को हटाएंगे। पहला तो इनका यह होना चाहिए कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज हमारे स्टूडेंट्स को लूटने का काम कर रही हैं, उनकी स्टडीज को इफेक्ट हो रहा है। जो यह सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वह जो उनका काम है, वह पढ़ाने के बजाय लूटने का काम कर रही हैं। एक तरह से दुकानें खुली हैं जहां पर पढ़ाई कम और कितना हम ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे ले सकें, उस स्टूडेंट से मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से, उससे वह सारी चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसकी ओर क्यों नहीं जा रहे हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहूंगी कि यह जो लेकर के आये हैं कुलाधिपति को हटाने का, इसमें तो कोई न कोई वेस्टेड इंट्रेस्ट दिख रहा है।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कुलाधिपति नहीं कुलपति है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सोरी, सोरी, कुलपति को। कुलपति को हटाने की जो बात लेकर आये हैं, उसमें तो आपका वेस्टेड इंट्रेस्ट दिख रहा है लेकिन ये अगर आप लेकर के आते, तो आप वास्तव में राजस्थान की जनता की भलाई करते।

आप रैगुलेटरी एक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर लाइए। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। सभापति जी, आपके पास भी आते होंगे। ये सिफारिशें कराते हैं। किसकी सिफारिश? एडमिशन की नहीं। वह सिफारिश इस बात की कराते हैं कि मैं पास हो गया। मेरी मार्क्स सीट नहीं मिल रही है। मेरा रिजल्ट डिक्लियर नहीं हो रहा है। इनर एग्जाम्स में मुझे पूरी तरह से मार्क्स नहीं दिये गये। मुझे पीछे रखा गया। यह सारी चीजों की शिकायत इसलिए आती है कि मैंने बराबर पैसा नहीं पहुंचाया। मुझसे इतना पैसा मांगा गया था, नहीं दिया, इसलिए मेरी मार्क्स शीट रोक दी। यह हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।

मेडिकल के स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के माता-पिता यह सोचते हैं कि मेरा बेटा डाक्टर बनेगा, कितने सपने वह संजोते हैं, वह सारी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कालेजेज के अंदर जाकर, जब तक उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी लेकर नहीं आएंगे, जब तक उनके ऊपर इस प्रकार का कोई शिकंजा नहीं कसेंगे, तब तक यह हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक तो बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में इस बिल के अंदर, कुछ भी अंकित नहीं है कि कुलपति का क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होगा। इसके अंदर कुलपति को हटाने का, राज्य सरकार से परामर्श करने के पीछे जो मंशा है, वह मंशा भी इसमें कहीं जाहिर नहीं की गई है। इसके पीछे क्या मंशा है? यह राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए। राज्य सरकार उस पर हावी होकर अपनी मनपसंद का कुलपति लगाना चाहती है। यह सारी चीजें इससे झलकती हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि इस बिल को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें। जनता का जनमत जानने के बाद ही सदन के अंदर लाया जाए तो यह ठीक होगा अदरवाइज हम लोग यह सब बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। जल्दबाजी में की हुई कोई भी चीज कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देती। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री बलजीत यादव।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो इस बिल में जो कुलपति को हटाने की शक्तियां सरकार के पास हों, हास्पिटलों पर कंट्रोल सरकार का हो, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मेरा यह मानना है कि अगर सरकार का ही कंट्रोल नहीं रहेगा, जनता की चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन तो करता हूं लेकिन एक सुझाव भी मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी को देना चाहता हूं कि आप खुद भी एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं मैं समझता हूं कि आपके ध्यान में भी यह बात होगी कि प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, यह किस तरह से स्टूडेंट्स का शोषण कर रहे हैं। कई स्टेट्स में ऐसा हुआ कि इनके ऊपर कंट्रोल किया गया।

सभापति महोदय, एक साल की फीस ली, उसके बाद उससे 2-2 साल की बैंक गारंटी मांगी जाती है। बैंक गारंटी तभी मिले, जब आपके पास इतनी प्रोपर्टी हो जिससे बैंक आप पर फेथ कर सके, बैंक को विश्वास हो कि मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। ऐसे में कोई गरीब आदमी, कोई गरीब का बेटा अगर डाक्टर बनना चाहे तो मैं समझता हूं कि उसके लिए इम्पोसिबल बात है। अगर इस बिल में यह भी रखा जाता कि हम उनके ऊपर नकेल कसेंगे तो निश्चित रूप से जनता को और ज्यादा फायदा होता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं कि वह खुद जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं इस चीज

(श्री बलजीत यादव)

को भी समझेंगे और इस दिशा में भी सरकार कुछ सोचेगी। कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी।

मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। गलत लेकर आ गए बिल, आप मनमर्जी का कुलपति लगाओगे, आप यह करोगे, वह करोगे, यह एक फैशन हो गया। सत्ता में वह होते हैं तो आप मजाक उड़ाते हैं। सत्ता में जब वह हैं तो आप मजाक उड़ा रहे हैं और गरीब आदमी मारा जा रहा है। राजस्थान की जनता मारी जा रही है और हम भी मारे जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको अहसास ही नहीं होता है कि हम खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विपक्ष का धर्म हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में यह हो गया कि सत्ता पक्ष कोई भी काम करे, कितना भी अच्छा करे, हम उसका विरोध करेंगे, यही हमारा धर्म है, विपक्ष कोई भी सुझाव दे, कितना भी अच्छा सुझाव दे तो सत्ता पक्ष यह मानता है कि हमारा धर्म है कि हम इनके सुझावों को ठोकर मारें।

मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष और पक्ष, संविधान निर्माताओं ने जब यह व्यवस्था रखी होगी तो यह इसलिए रखी होगी कि कोई भी व्यक्ति सर्व गुण सम्पन्न नहीं होता। अगर व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न होता तो देवता होता। हर व्यक्ति में कमी होती है और हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है। इसके कारण से न तो सरकार को अहंकार होना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं। कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। हमें विपक्ष के किसी सुझाव की जरूरत नहीं। न तो उनको ऐसा अहंकार होना चाहिए और न विपक्ष को ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा काम तो सिर्फ उसका विरोध करना है।

सभापति महोदय, ब्यूरोक्रेसी राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान में हावी होती जा रही है। एमएलए के लिए कहते हैं कि चीफ सैक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकाल एमएलए का है। आप एमएलए की हालत देखो, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर से ज्यादा जनता थानेदार को बड़ा मानने लगी है। कोई भी सरकार हो, अगर होम मिनिस्टर खड़ा है और इधर थानेदार खड़ा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जाकर के पहले थानेदार के नमस्कार करता है। यह हालत हो गई है। कोई भी सरकार हो, मैं मौजूदा सरकार पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं या पहले वाली पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं। यह हिन्दुस्तान में हो गया है, सब जानते हैं। इस सदन

(श्री बलजीत यादव)

में बैठा हुआ हर एमएलए अपनी हकीकत जानता है, लेकिन बोलना नहीं चाहता, कोई भी आदमी बोलता नहीं है। हालत क्या होती जा रही है? मैं तो हर ऐसे बिल का समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। यहां फैशन चल गया है, मैं देखता आ रहा हूं, बस कंट्रोल छोड़ दो, सरकार का कंट्रोल हटा दो। यह कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के पास में जा रहा है और वह ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, यह हम सब जानते हैं। कोई कह देते हैं कि नेता करोड़पति है, एमएलए करोड़पति है, एमएलए को मैं जानता हूं कि एमएलए की क्या हालत है। उनकी हालत मैं भी जानता हूं। माननीय सभापति महोदय, एमएलए नहीं बना था तो मैं सोचता था, मैं सोचता था उस सदन में जाऊंगा, एमएलए बन गया, प्रदर्शन करता हूं, धरने करता हूं, घेराव करता हूं, वहां जाऊंगा, उस विधान सभा में बोलूंगा तो बोलते ही कोई एक्शन होगा क्योंकि उस विधान सभा में बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, यहां पर तो कोई मंत्री बयान दे दे तो उस मंत्री को ही यह पता नहीं होता कि मैं क्या कहकर आया हूं, अगर कोई दूसरा सवाल कर दे तो उसको नहीं पता कि मैं क्या कहकर आया हूं। मतलब यहां मैंने बोला, कितने मुद्दों पर बोला।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, खतम कर रहा हूं। कितने मुद्दों पर बहस सुन रहा हूं। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि इस सदन में एमएलए बोलता है, चर्चा हो रही है, चर्चा तो हम करते हैं लेकिन कोई उस चर्चा को गम्भीरता से नहीं लेता। मैं यह जानना चाहता हूं, मैं यह जान नहीं पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि विधान सभा में कोई एमएलए बोला तो उस पर कुछ होता है क्या या वैसे ही एनर्जी वेस्ट होकर राज़ी होकर चला जाता है कि आज मैं विधान सभा में बोल आया हूं। लेकिन बोलने से कुछ होगा क्या? उसका कुछ हो तो बोलूं नहीं तो फिर बोलना बंद करें, क्यों एनर्जी वेस्ट करें, जनता में जाएंगे, दो-चार मरे-खरे पर जाएंगे, दो-चार ब्याह में जाएंगे, कुछ वोट पकाएंगे। अब बोल-बोलकर होना क्या है फिर?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, हम जनता को जाकर कह देंगे कि बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर

(श्री बलजीत यादव)

विनती है कि पहले हुआ जो हुआ, किसने क्या किया, मैं नहीं जाता किसी के ऊपर दोषारोपण में, मैं कहता हूं, मौजूदा सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप कुछ नया करें, कुछ अलग करें, प्रशंसनीय करें और कुछ ऐसा करें कि जनता यह कहे। हां, हमने कांग्रेस को सत्ता में भेजकर अच्छा काम किया, यह आपको जनता कहे। यह मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं और निश्चित रूप से गरीब, मजदूर, किसान और पीड़ित लोगों की आपको दुआ मिलेगी, यही मैं कहना चाहता हूं। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, मेरा मन किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं सच बात कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, बात यह है कि आदमी देखे कि मैं कहूं नहीं, नहीं तो मेरी कमजोरी झलकेगी, जानता हर कोई है कि हो क्या रहा है, कैसा लोकतंत्र का, जनता का शासन है। जनता तो बेचारी को अंग्रेजों ने ठोका, अब यह भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट ठोक रहे हैं, हकीकत तो यह है माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, यह बात तो मैं भी कहना चाहूंगा कि प्राइवेट कालेजेज की जो हालत है, पास होने के बाद इन्टर्नशिप कर लेते हैं, उसके बाद भी छह-छह महीने उनसे बेगार करवाते हैं और उन्हें एनओसी नहीं देते। इसको आवश्यक रूप से ध्यान में लेना चाहिए। वह गरीब बच्चे जो एक-एक पैसे के लिए तरसते रहते हैं और एनओसी के अभाव में न तो अपना कहीं दूसरी जगह काम कर सकते है, न और कुछ कर सकते हैं, इसको आप गम्भीरता से लीजिए, मैं भी आपसे स्वयं इस बात को कहना चाहता हूं।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): बिहार वगैरह कई स्टेट ने कर दिया है तो राजस्थान में भी हो सकता है। मंत्रीजी आप करो, जनता आपको दुआ देगी।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में चिकित्सा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 2005 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विनियम 2005 के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह से याद होगा कि 2005 में सरकार किसकी थी। यह आरयूएचएस, इससे सम्बद्धता प्राप्त 250 चिकित्सा संस्थान वर्तमान में

(श्री रघु शर्मा)

संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी चिकित्सा संस्थानों की सम्बद्धता को लेकर निरीक्षण, परीक्षा आयोजित करना, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दायित्व है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का स्वयं का एक मेडिकल कालेज भी है, 500 बैडेड हास्पिटल भी है और एक डेंटल कालेज भी है।

माननीय सभापति महोदय, इसका जब मूल अधिनियम बना था 2005 में, उस मूल अधिनियम की धारा 11 में उप धारा 7(पी) उसके अंतर्गत आरयूएचएस के वाइस चांसलर को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने के मामले में अपने पद से हटाए जाने का प्रावधान था। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम प्रतिपक्ष के लोग हैं, आप ही की सरकार के टाइम में यह सब काम हुआ, हटाने का प्रोविजन भी आपने ही रखा था, बाद में यह 2013 में इसको हटा दिया गया था तो मैं समझता हूं कि आज आपके विचार बदले हुए क्यों हैं, यह मेरे समझ में नहीं आता है।

माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई अनुभवी आदमी हो, काम्पिटेंट आदमी हो, क्वालीफिकेशन उसकी अच्छी हो, लेकिन आप मुझे यह नहीं समझा पाए कि जिसके पास अनुभव हो, जिसके पास क्वालीफिकेशन हो, जिसके पास काम्पिटेंस हो, यह क्या जरूरी है कि वह गलती नहीं करेगा? यदि वह गलती करेगा तो उसकी गलती रोकने के लिए आपके पास प्रावधान हैं या नहीं है? यह भी तो आपको समझाना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सा मंत्री रहे हैं, आपने कह दिया कि कोई क्वालीफिकेशन ही नहीं है, इसके अपोइंटमेंट का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, अभी तो मैं बताऊंगा आपको कि इसकी क्वालिफिकेशन भी है, प्रोसीजर भी है, ऐसे सदन को गुमराह करना उचित नहीं है। यह जो हम संशोधन लेकर आये हैं वह पारदर्शिता की दृष्टि से लेकर आये हैं। न तो किसी के बारे में हमारे मन में यह है कि इस व्यक्ति को हटाना है और उसको लगाना है। नियम बने हुए हैं हर चीज के, सारी प्रोसीजर तय हैं, क्वालिफिकेशन तय है, उन क्वालिफिकेशन और मापदंड पर कुलपतियों का चयन होता आया है, नई बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें कुलपति की नियुक्ति है, उसका स्पष्ट प्रावधान है लेकिन उसके रिमूवल के

(श्री रघु शर्मा)

कोई प्रावधान नहीं हैं। जैसे हमारे पूर्व स्पीकर साहब और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दृष्टांत आपके सामने रखा। कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो सरकार हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती। माननीय सभापति महोदय, यही लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता हो रही है, अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह जो प्रोविजन अब किया गया है, यह व्यापक दृष्टिकोण को रखते हुए ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रोविजन हम रखने जा रहे हैं और इसमें अगर मान लो कुलपति दोषी पाया जाता है, किसी से गलती हुई है, अनियमितता हुई है, दोषी पाए जाने के बाद ही तो कोई कार्यवाही होगी इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। अनावश्यक रूप से कोई आदमी किसी को नहीं हटा रहा है। जांच होगी, बाकायदा प्रक्रिया तय होगी, कोई अनियमितता सामने आती है तो निलम्बित किये जाने का प्रावधान है, निलम्बन के दौरान वह अपने पद से जरूर निलम्बित हो जाएंगे, उनको परिलाभ मिलते रहेंगे लेकिन जांच का उद्देश्य तो पूरा होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ण पक्षधर है। जो निरंकुशता, अनियमितता, पक्षपात, ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं, तभी कोई कार्यवाही करनी पड़ती है। कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता हो, मान लो जो आर्डिनेंस बने हुए हैं विश्वविद्यालय के उनके अकोर्डिंग वह एक्ट नहीं करे, तब जाकर कुलपति को हटाने की बात आती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी दो जगह सरकारें हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एक जगह है महाराष्ट्र और दूसरी जगह है अरुणाचल प्रदेश, दोनों जगह आपकी ही सरकार है मेरे खयाल से। दोनों जगह कुलपतियों को हटाने के सेम प्रोविजन्स आज भी विद्यमान हैं, आप स्टडी करके देख लेना उनको।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात कही। यह राज्य पोषित विश्वविद्यालय है और इसमें राजस्थान सरकार के जो नियम हैं, वाइस चांसलर के अपोइंटमेंट के वह लागू होते हैं, क्वालिफिकेशन भी वही है, क्वालिफिकेशंस के लिए मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूं, आपको थोड़ी दिक्कत नहीं हो तो, The Vice-Chancellor shall be whole time paid Officer of the University...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): कौनसे एक्ट में लिखा हुआ है, मेरे पास दोनों एक्ट हैं।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सवाल जवाब कर रहे हैं, मेरा जवाब सुनो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मेरा सीधा-सा स्पेसिफिक सवाल है।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप भी मेरे को धैर्यपूर्वक सुनें। आपने क्वालिफिकेशन पूछी थी, मैं वह क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं ..(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): किस एक्ट में है, बताओ न आप?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल बता रहा हूं, बैठिए आप।

"No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician in the field of medical education having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization."

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): किसमें लिखा है यह?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): पर्ची का लिखा हुआ नहीं मानते क्या आप?

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए आप।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बात सही है कि यह दस साल के अनुभव की जो बात है, यह यूजीसी के द्वारा निर्धारित है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मंत्री महोदय, मैं आपको बिलकुल टोकना नहीं चाहूंगा, मैंने जो कोट किया 2013 को University Grant Commission का सर्कुलर...

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह 18.07.2018 को यूजीसी की जो गाइडलाइन्स आयी हैं...

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 2013 में ही आ चुकी थीं।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यूजीसी की जो

(श्री रघु शर्मा)

गाइडलाइन्स आयी हैं, उसमें दस साल का एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर, यह उन्होंने निर्धारित किया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप तो मुझे यह बता दें कि आप यह जो बिल लेकर आये हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 2005 में, 2008 में, 2019 में कहीं हैं तो बताएं आप। सीधी बात बताएं न।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने इन्हें बता दिया...

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री सभापति**: प्लीज, नहीं, नहीं, इंटरवीन नहीं करें आप। माननीय सदस्या, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, अभी और भी स्टेजेज बाकी हैं। आसन आपको बार-बार कह रहा है, आप सुन नहीं रही हैं, ये गलत परम्पराएं हैं। अभी और भी स्टेजेज हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप मोदी जी के सर्कुलरों को क्यों नहीं मानते हैं?

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, विराजें। श्री रघु शर्मा, आप जारी रखें।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बात सही है कि आरयूएचएस ने ये जो यूजीसी की गाइडलाइन्स हैं दस साल की, इन्हें अभी फालो नहीं किया है। (व्यवधान) यह तो मैं कह रहा हूं न। फिर वही बात। आप बोलने ही नहीं देते हैं किसी को। मैं आपकी उसी बात पर आ रहा हूं...

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, आप आसन से बात करेंगे।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जहां तक सलेक्शन की बात है, वह कैसे होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स सलेक्ट होते हैं, वही का वही प्रोसीजर है।

“The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

(श्री रघु शर्मा)

a. one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;

b. the Director General, Indian Council of Agriculture Research or his nominee;

c. one person nominated by the Chancellor; and

d. one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee."

यह प्रोसीजर है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी तो अनावश्यक ही किसी भी प्रक्रिया में, ये खुद भी इस डिपार्टमेंट के मंत्री रहे हैं...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मंत्री जी, ये अंग्रेजी समझते ही नहीं हैं।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय, विराजें आप।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह छोटा-सा संशोधन है। कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है और जिस तरह माननीय सदस्यों ने, क्योंकि चिकित्सा विभाग की डिमांड हो चुकी थी एक दिन पहले, आज मुद्दे पर बात नहीं करके इसे डिमांड का दिन बना दिया। बात सिर्फ एक छोटे-से संशोधन की थी कि वाइस-चांसलर को हटाने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर माननीय कुलाधिपति को अधिकार होना चाहिए और वही हम लेकर आये हैं आज।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के कुलपति को हटाने बाबत प्रावधान किये जाने हेतु राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया जाकर राज्य विधान सभा में इस सम्बन्ध में संशोधन अधिनियम पारित कर धारा 11 (क) जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त विधेयक को जनहित में पारित किया जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आपने सही कहा, जनमत जानने के लिए आपने खुद ही ने प्रस्ताव कर दिया।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): डिवीजन, डिवीजन, सभापति महोदय। (व्यवधान) We want division. (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। सभापति महोदय, डिवीजन कराइए। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सभापति महोदय, बहुत सारे हां पक्ष के लोग भी यही चाहते हैं।

**श्री सभापति**: खण्डश: विचार। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): डिवीजन कराइए, साहब।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): यह हमारा अधिकार है।

**श्री सभापति**: आपका अधिकार और भी आयेगा आगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, यह छोटी बात नहीं है।

**श्री सभापति**: आगे आपका अधिकार आयेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जब प्रक्रिया आगे चल गयी। अभी और भी स्टेजेज हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया। बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के ये वाइस चांसलर बनाकर राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं।

**श्री सभापति**: अभी फैसला हो चुका। आगे बात करना आप इस पर। श्री अशोक लाहोटी। खण्डश: विचार।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैंने पहले भी जनमत के समय यह बात कही थी और अभी भी वापस वही संशोधन मैं देना चाह रहा हूं कि जहां यह 'परामर्श' शब्द लिखा हुआ है, उसकी जगह 'Advice' शब्द करें। मेरा यह सुझाव है। सुझाव शब्द को जोड़ें।

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे खारिज किया जाए।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री अशोक लाहोटी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मैं पारण पर बोलना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सदस्य को अधिकार है बोलने का।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): सिर्फ दो मिनट लूंगा, मैं। सभापति महोदय, अभी जब जनमत जानने के लिए परिचालित करने की चर्चा हो रही थी, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी और पोजिटिव बात कही थी। मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर, पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर। बिलकुल ठीक है, उस घटना का मैं भी साक्षी हूं। माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब भी थे, माननीय सराफ साहब भी थे, मदन दिलावर जी भी थे, बहुत लोग थे और इसलिए पास तो आप इसे करा ही लेंगे। हटाने का पावर सरकार ले रही है। बिलकुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।

मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि विश्वविद्यालय एक बहुत ही ग्रेसफुल, गरिमामय संस्थान होता है और उसका कुलपति बहुत गरिमामय पद होता है और उसे चयनित करने का भी एक बहुत गरिमामय रास्ता हमने तय किया है। अब वह चाहे उच्च शिक्षा मंत्री जी जो दो-तीन बिल पास करवा कर, उनके बारे में समझ लें, आप या चिकित्सा मंत्री जी के बारे में समझ लें, जिस गरिमामय पद के लिए, जिस गरिमामय संस्थान के लिए, जिस गरिमामय तरीके से हमने चयन का तरीका निकाला है, मेरा सरकार से निवेदन है, इस कानून के पास होने के बाद और जो कानून बाकी सब पास करवा चुके, उनके बारे में जब नियम बनाने बैठें तो मेहरबानी करके उसे हटाने के नियम भी बहुत गरिमापूर्ण तरीके से बनाए जाएं और व्यवस्थित तरीके से बनाए जाएं। केवल क्षणिक लाभ और शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए वह काम नहीं हो जाए, इसका अवश्य ध्यान रखा जाए। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

**श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): 000

**श्री सभापति**: विराजिए आप, अंकित नहीं हो रहा है। जरूरी है आपका बोलना?

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019। श्री रघु शर्मा।

# विधेयक पर विचार

## सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, सदन में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विज्ञापन, माननीय मंत्री महोदय, अभी आपके दूध के दांत टूटे नहीं हैं, सदन में नए हो, इसलिए कह रहा हूं। यह प्रक्रिया है, जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो संशोधन प्रस्ताव जिस वरीयता से मूव होते हैं, जो पहले करता है, उसका पहले नाम लिस्टेड हो जाता है, कोई दूसरा करता, दूसरा हो जाता है इसलिए मैं वरिष्ठ हूं, इसमें कोई मेरा प्रिविलेज नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अब सदन के अंदर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार हो रहा है। मंत्री महोदय मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कुछ पुरानी स्मृतियां, कुछ पुरानी यादें बहुत लम्बे समय तक चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हों, एक आवाज में, एक कोने से आप चलते थे, एक कोने से हम चलते थे और मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय की जीवटता आप में आज भी है। आज आपने बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार कर लिया, राजस्थान चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति के लिए आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को अडोप्ट नहीं किया और आपने हिम्मत से स्वीकार किया, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 10 साल प्रोफेसर के अनुभव की बात कही है। आप उसको रेज नहीं करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): वही बात कर रहा हूं, प्रोफेसर वाली ही बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, इस राजनीति के अंदर जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे, जो मजबूती के साथ..

**श्री सभापति**: शांति रखें, शांति रखें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): ब्यूरोक्रेट के द्वारा जो चूक की गई है, उसके बारे में सदन को बताएंगे तो मैं समझता हूं कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य की जो पीड़ा थी, ऐसी पीड़ा होती रहेंगी।

सभापति महोदय, आज जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय लेकर आये हैं, मैं इसके पक्ष में ही अपनी बात कहूंगा, निश्चित तौर पर यह बात सही भी है कि जिस प्रकार की हमारी जीवन प्रणाली है, जीवन पद्धति है और हमारी जीवनशैली कुछ ऐसी है।

सभापति महोदय, कुछ बीमारियां जाने-अनजाने हमारे इस जीवनशैली और जीने के तौर-तरीके से हमारे पास आ जाती हैं। अभी मंत्री महोदय को ध्यान होगा, अभी फैक्ट शीट 2018 इंडिया जारी हुई थी, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, मंत्रीजी, उसमें लिखा था कि इस देश के अंदर 10 लाख लोग ऐसे हैं, हर साल जो तंबाकू जनित कैंसर के रोग से काल कवलित होते हैं। सभापति महोदय, उसके अंदर यह भी लिखा था, मंत्री महोदय, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के अंदर हर वर्ष 50 हजार लोग इस तंबाकू जनित कैंसर से पीड़ित होकर काल कवलित होते हैं और अगर मैं देखूं तो 136 लोग सुबह से शाम हो जाए और अगर मैं घंटों के हिसाब से कहूं एक घंटे के अंदर 5 लोग तंबाकू जनित रोग से ग्रसित होकर कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीडि़त होकर दुनिया से विदा करते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी चिंता की बात है।

मंत्री महोदय, आप जिस विभाग को देख रहे हैं, अधिकारियों ने आपको यह भी बताया होगा कार्डियक वैस्कुलर डिजीज है, उस कार्डियक वैस्कुलर डिजीज के अंदर जब कोई व्यक्ति तंबाकू का प्रयोग धूम्रपान के द्वारा करता हो या गुटखे या दूसरे के द्वारा करता हो, ये जो आपके कार्डियक वैस्कुलर डिजीज है, इसमें 48 परसेंट लोग ऐसे हैं, जो इसका कारक बनते हैं, इस बीमारी के ग्रसित होने के लिए और, सभापति महोदय, एक गैस्ट सैकण्ड एक सर्वेक्षण हुआ था। उस सर्वेक्षण के अंदर यह बात आई थी कि राजस्थान के अंदर 22.2 फीसदी पुरुष और 3.7 फीसदी महिलाएं धूम्रपान करती हैं और धूम्रपान रहित ये आंकड़ा देखें, सभापति महोदय, धूम्रपान रहित तंबाकू का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेवन चाहे चबाकर करो वह है, 22 परसेंट पुरुष और 8 परसेंट महिलाएं और अगर मैं कुल मिलाकर इसको देखूं, हां, इसी से मैंने लिया है, जो आप दिखा रहे हैं।

मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कई बार आप ये लिटरेचर मेरे पास भेज देते हो, मैं पढ़ने-लिखने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं पढ़ भी लेता हूं। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इनका कुल प्रतिशत अगर मैं निकालूं तो राजस्थान के अंदर 39 प्रतिशत पुरुष और 9 परसेंट महिलाएं किसी न किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन करती हैं और ये तंबाकू धूम्रपान हुक्का जिसके बारे में आप लेकर आये हैं।

आज, सभापति महोदय, चैरिटी बिगेन फ्रोम होम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी पूर्णतया गुटखा मुक्त हो गए हैं, आप बिलकुल सेवन नहीं करते और पूर्व चिकित्सा मंत्री भी मैं समझता हूं आपने भी छोड़ दिया है तो, सभापति महोदय, ये मुझे डराते हैं।

**श्री सभापति**: ये लड़ाते नहीं, आपमें ऊर्जा भरते हैं बोलने के लिए। बिना ऊर्जा के आप बोल नहीं सकते, इसलिए आप ऊर्जा लेते हो वहां से।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, राजस्थान के अंदर सर्वेक्षण हुआ था 2009-10 में भी इसी गैस्ट फर्स्ट के अंदर, सभापति महोदय, यह सुखद बात है। उस समय जो सर्वेक्षण हुआ था राजस्थान में उसमें 32.3 फीसदी लोग राजस्थान में किसी न किसी तरह से तंबाकू का सेवन करते थे, जो 2016-17 के सर्वेक्षण में कम होकर 24.7 परसेंट हो गए, परंतु फिर भी प्रतिदिन 136 लोगों का इस बीमारी से मरना हमारे लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात है।

सभापति महोदय, तंबाकू में निकोटीन है, इसमें 40 से ज्यादा ऐसे घातक रसायन हैं, जो फेफड़े में, मुंह में, पेट में कैंसर करते हैं, हृदय रोग करते हैं। सभापति महोदय, आप भी कई बार सफर करते हैं, ये जो पैसिव स्मोकर हैं, एक आदमी जब सिगरेट पीता है एक बटा तीन धुआं अंदर लेता और दो बटा तीन धुआं बाहर, तो धुआं बाहर छोड़ता है, वह पड़ोस में बैठा व्यक्ति इनहेल करता है, पैसिव स्मोकर भी बहुत लम्बे समय से हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा, हां, राजस्थान के अंदर जो सामाजिक मान्यता है, सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें तंबाकू का सेवन एक आम बात हो गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, आज आप जो संशोधन लेकर आये है। यह संशोधन आप 2003 के एक्ट में लेकर आये, 2003 के एक्ट में धारा 4 में संशोधन लेकर आये, धारा 12 में संशोधन लेकर आये हो, धारा 13 में लेकर आये हो, धारा 21 में, धारा 27 में और इन सारी धाराओं में आप कहीं 'क', कहीं 'ख', इसको इंसर्ट कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप जो 2003 की धारा 3 में संशोधन लेकर आये हो, बड़ी गंभीर बात है। सभापति महोदय, क्लाज ईई जोड़ रहे हैं और उसमें ईई के अंदर, सभापति महोदय, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं उसमें लिखा हुक्का बार से ऐसा स्थान अभिप्रेत है यानी हुक्का बार की डेफिनेशन कर रहे हैं, जहां लोग किसी सामुदायिक हुक्के से सभापति महोदय, सामुदायिक हुक्का वह होता है मेरे गांव के अंदर मौत मौसर पर या मेरी गांव की चौपाल पर, हमारा रामू काका है, पूरा हुक्का भरकर सुबह बैठता है, वहीं मेरे चाचा-भाई दूसरे लोग भी आकर पीते हैं, उस एक हुक्के से लोग पीते हैं, उसे सामुदायिक हुक्का कहते हैं हुक्का बार से ऐसा स्थान अभिप्रेत है मंत्री महोदय, ये आपका पढ़ रहा हूं मैं, जहां लोग किसी सामुदायिक हुक्के से या नारगील से जो व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाता है, तंबाकू का धूम्रपान करने के लिए एकत्रित हुए आपने डेफिनेशन की, मुझे कोई एतराज नहीं पर मैं यह पूछना चाहता हूं यह जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मेरे गांव के अंदर, मेरी चौपाल पर बैठा मेरा काका, मेरा भाई किसी मौसर पर, किसी मौत के ऊपर जो हमारी सामाजिक मान्यता है, राजस्व मंत्री यहां पर हैं नहीं, उनके यहां हेरोइन की मान्यता है, माननीय नावां से आने वाले उप मुख्य सचेतक, मैं आपसे कह रहा हूं हरीश जी, आप ये बता दो, हम सब लोग बैठे हैं, मैं यह बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं कि अगर आप और हम सब लोग अपने गिरहबान में झांककर देखें तो कौन अपने में से है, जिस घर के अंदर कोई ऐसा मौका आया हो और अपने गांव के अंदर तंबाकू गलाओ जी, कई बार तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, आपको मालूम है कई बार विदेश मंत्री महोदय की बात को लेकर पूरे देश में विवाद उठा था, मतलब यह एक तरह से सामाजिक मान्यता है और मंत्री महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं.....

**श्री हरीश चौधरी** (राजस्व मंत्री): वह केसर थी। मारवाड़ में केसर कहते हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, यह जो मारवाड़ की केसर है जिसको आप मारवाड़ में केसर कहते हो, मेरे यहां उसको तम्बाकू कहते हैं। मंत्री महोदय, आप यह डेफिनेशन लेकर आये हो, मुझे सैकण्ड करेंगी माननीय सदस्या, अभिप्रेत मतलब....

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): सभापति महोदय, केसर का मामला उठा था या उठाया था।

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मुझे इस बारे में लम्बी कोई बात इसलिए नहीं कहनी, मैं यह कह रहा हूं कि इस डेफिनेशन के अन्दर आपका इंस्पैक्टर जाएगा, आप कहोगे कि मैंने आगे कहा है कि जहां भोजन है वह अलग बात है, आप वह संशोधन लेकर आये हो, मैं इस डेफिनेशन के आधार पर मेरे गांव की चौपाल में, इसीलिए मैंने कहा कि जन और मत, यह जनमत की बात, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आप जरा शांत भाव से मेरी बात सुनो। जब आप दतचित्त होकर सुनते हो न तो उसमें कुछ सार भी निकलता है। यह जन और मत, जब तक ये दोनों तैयार नहीं होंगे, इस सामाजिक अभिशाप से जो रोज, हर दिन 135 लोगों को काल-कवलित करता है, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। आप यह संशोधन लेकर आ गये। देखिये, इसके कई कारण हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एलएल.बी. में सीनियर था, मैं तो पढ़ता था इसलिए कानून की खामियां मैं पकड़ लेता था। अब मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता था कि उस समय पढ़ाई किस प्रकार की होती थी पर कानून की बारीकियों का समझना, एक मंत्री के रूप में, बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जो संशोधन आप लेकर आये हो, वह संशोधन अगर पारित हो गया तो निश्चित तौर पर अनर्थ हो जाएगा, इंस्पैक्टर राज बढ़ जाएगा।

दूसरा, मंत्री महोदय, आप यह जो संशोधन लेकर आये हो, यह सैण्ट्रल एक्ट में लेकर आये हो। सभापति महोदय, तीन लिस्ट बनी हुई हैं। यह जो हमारा सेवंथ शिड्यूल है, एक सैण्ट्रल लिस्ट है, केन्द्र कानून बनाएगा, एक स्टेट लिस्ट है, राज्य कानून बनाएगा और एक कन्करेंट लिस्ट है जिस विषय पर राज्य और केन्द्र दोनों कानून बना सकते हैं। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उत्तर दें तो इसको स्पष्ट करें। क्या आर्टिकल 246 (1) के अन्दर जो आपकी सैण्ट्रल लिस्ट है, जिसको पहली सूची कहते हैं, उस सूची में सैण्ट्रल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिस्ट की एंट्री 84 है, उसमें इस तम्बाकू का उल्लेख किया गया है इसलिए 2003 में यह सैण्ट्रल एक्ट बना जिसमें आप संशोधन लेकर आये। अब सैण्ट्रल एक्ट में आप संशोधन लेकर आये हो तो आप एक आर्टिकल 254 और पढ़ लो। सभापति महोदय, आर्टिकल 254 यह कह रहा है, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब जवाब दें, मुझे गर्व है कि आप बात को समझते भी हो और यह जो मैंने कहा कि आर्टिकल 246 (1) के अन्दर सैण्ट्रल लिस्ट का सब्जैक्ट है, एंट्री 84 के अन्दर तम्बाकू का नाम दर्ज है और 2003 में एक्ट इसीलिए बना पर अब आप इसमें 254 पढ़ लो। आर्टिकल 254 यह कहता है- संसद द्वारा बनायी गई विधियां और राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गई विधियों में असंगति होती है तो, सभापति महोदय, मुलाहिजा फर्माएं आप, अगर दोनों में असंगति हो तो संसद द्वारा बनायी गई विधियों के प्रावधान ही प्रभावी होंगे, राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधियां उस विरोध के मात्र तक शून्य होंगी।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, यह आर्टिकल यह कह रहा है कि आप जो अमेंडमेंट लेकर आये हो, चूंकि यह सैण्ट्रल सब्जैक्ट है, सैण्ट्रल लिस्ट का है, यह कहीं शून्य तो नहीं हो जाएगा? मैं निवेदन करूं, आप और क्या कर सकते हो, आप बड़ी फुर्ती से कह रहे हो कि हम कल ही हुक्का बार बन्द कर देंगे, कैसे कर दोगे आप? कौनसा अधिकार है आपको? संविधान से तो आप और हम सब बंधे हुए हैं। आप मुझे यह बता दें कि इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, इसको आर्टिकल 254 (2) के अन्दर प्रेसीडेंट कन्सेंट के लिए भेजेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि निश्चित तौर पर यह जन और मत दोनों को तैयार करके आप इसको लेकर आएं। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि यह सामाजिक अभिशाप है। राजस्थान में जितने प्रतिशत लोग इस तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं न कि आप तो बाबाजी बैंगन खाएं और दूसरों को दें उपदेश, मतलब आप और हम सब लोग, सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर अगर साफगोई से बात पूछो तो 70 फीसदी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिन्दगी में किसी न किसी समय में, किसी न किसी दौर में गुटखे का इस्तेमाल किया होगा। सभापति महोदय, पद्मश्री के लिए इनका नाम भेजा जा सकता है, पांच आदमी हैं। सभापति महोदय, जब हम लोग, जिन्होंने गुटखे का इस्तेमाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया, माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने गुटखे का इस्तेमाल किया, इनको छोड़ने में 9 साल लगे, पूर्व चिकित्सा मंत्री को गुटखा छोड़ने में साढ़े 17 साल लगे और हम अचानक यह कानून बनाकर ले आये। अब गांव की चौपाल के अन्दर जो कोई भी आदमी हुक्का पीयेगा उसकी डेफिनेशन हमने सैक्शन 3 में ईई जोड़कर कह दिया कि अभिप्रेत है कि जहां सामुदायिक हुक्के से कुछ लोग पीयेंगे वे सारे के सारे हुक्का बार की डेफिनेशन मैंने इस प्रकार से कर दी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी बात पर अगर सदन गम्भीर है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन बातों पर अपने को सहमत होना चाहिए। आज बानसूर से आने वाली माननीय विधायिका का नाम +++ हो गया क्योंकि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस पर मतदान के लिए आपसे अलग विचार रखते हुए भी हम मर-मिटने के लिए तैयार हो गये, हम बाहर चले गये, बहिर्गमन कर दिया हमने। इसी तरह, सभापति महोदय, यह सदन साक्षी रहेगा, अगर इस प्रकार के कानून को बनायें, निश्चित तौर पर बनायें।

**श्री सभापति**: आपने जो माननीय विधायक के लिए +++ होने का कहा है उसमें आप संशोधन कर दें, जिन्दाबाद बोलिए क्योंकि +++ शब्द मैं अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं मेरी बात यह कहकर समाप्त कर रहा हूं कि मैंने जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 3 आर्टिकल अलग-अलग कहकर, सैण्ट्रल लिस्ट की बात करके बात कही वह, नम्बर दो, आपने जो धारा 3 ईई के अन्दर जो संशोधन लेकर आये हो उस अभिप्रेत के अन्दर सामुदायिक हुक्के के अन्दर आप मेरे जैसे गरीब आदमी को, गांव की चौपाल पर बैठने वाले मेरे रामू काका को पकड़ने जाओगे तो रामू काका का ही कमाल है इस बार लोक सभा के अन्दर। मैं जाकर कहूंगा रामू काका कि अब आपके हुक्के को गांव की चौपाल में गुड़गुड़ाता पाया गया तो आपको गिरफ्तार करने के लिए इंस्पैक्टर आयेगा इसलिए यह गुनाह मत करो, इसको जनमत के लिए तैयार करें। मंत्री महोदय, मैं अंतिम बात यह कहूंगा कि आप पदयात्रा पर निकल जाओ, आप केकड़ी से पदयात्रा चालू करो इस जनजागरण के लिए और हम आपका जगह-जगह स्वागत करेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

**श्री सभापति**: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री अशोक लाहोटी।

# विधेयक पर विचार

## सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं इस बिल पर आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल राजस्थान की विधान सभा में आया है और बिल ही नहीं आया राजस्थान के लाखों लाख नौजवानों से जुड़ा हुआ विषय आया है सभापति महोदय। इस विषय पर जब मैंने ध्यानाकर्षण लगाया, उस समय माननीय मंत्री जी भी अध्यक्ष जी के कमरे में थे और इन्होंने कहा, मंत्री जी, मैं तो आपकी ही तारीफ कर रहा हूं, अब तो आप थोड़ी मेहरबानी करो। मंत्री जी ने कहा कि इस पर मैं बिल लेकर आ रहा हूं और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था कि इस पर बिल आये। मैं मंत्री जी का और सरकार का भी इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के लाखों लाख नौजवानों से जुड़ा हुआ बिल है।

सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मैं थोड़ी सी बात यह रखना चाहूंगा कि हुक्का या तंबाकू या जितने भी तरह के तंबाकू उत्पाद हैं ये आज का प्रचलन नहीं है। लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व से हमको इसके सबूत मिलते हैं। 1920 के दशक में धूम्रपान और कैंसर के बीच के सम्बन्धों पर पहली बार इस विश्व में रिसर्च शुरू हुआ। उसके बाद 1950 में इसकी दुबारा चर्चा शुरू हुई और 1980 के दशक में इस धूम्रपान और कैंसर के सम्बन्धों को

(श्री अशोक लाहोटी)

आपस में को-रिलेट करके इसकी रिसर्च हुई कि धूम्रपान के कारण कैंसर पैदा होता है। सभापति महोदय, इसके बाद 2002 में एक अमेरिकन रिसर्च में सामने आया कि इस धूम्रपान से, उस समय सिगरेट के पैकेट ज्यादा प्रचलन में थे, एक सिगरेट के पैकेट पर 41 अमेरिकन डालर का खर्चा आता है। उन्होंने कहा कि इससे होने वाली बीमारियों पर सरकार को इतना खर्च करना पड़ता है कि उसके पूरे स्टेट की और वहां पूरी नेशनल कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर था वह लगभग 41 डालर पर-सिगरेट पैकेट उनका उस समय कैलकुलेट हुआ। लेकिन आज जो धूम्रपान की दर है वह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2030 तक डब्ल्यूएचओ ने जो भविष्यवाणी की है कि लगभग 10 मिलियन लोग प्रतिवर्ष धूम्रपान से मरेंगे। यह डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है सभापति महोदय।

**(18.00 बजे)**

इतना ही नहीं, WHO का दावा है कि 21वीं सदी में 20वीं सदी से दस गुना ज्यादा लोग इस कैंसर से पीड़ित होंगे और इससे उनकी डैथ होगी। सभापति महोदय, यह जो रिसर्च में आया इसके बाद भारत में नये अध्ययन से यह खुलासा हुआ कि भारत में पिछले 17 सालों में एक तिहाई से ज्यादा लोगों का इसमें इजाफा हुआ है और धूम्रपान करने वालों की तादाद 10.8 करोड़ हो गई है और लगभग 2.9 करोड़ यानी 36 प्रतिशत इसकी बढ़ोतरी हुई है।

सभापति महोदय, यह गंभीर समस्या पूरे देश में उत्पन्न हुई है। मैं यदि हमारे प्रदेश की बात करूं तो हमारे प्रदेश की स्थिति यदि नशे की हम बात करें तो पिछले साल का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल के आंकड़े में हमारे यहां पर लगभग 6.25 लाख का नशा हर घंटे पकड़ा गया और यह आंकड़ा केवल तब है, जब मैं आपको जयपुर का एक आंकड़ा दे रहा हूं कि जयपुर में पिछले वर्ष में ब्राउन शुगर दो किलो, हेरोइन 1.15 किलो, स्मैक 8.18 किलो, चरस 10.1 किलो, अफीम 53,447 किलो, गांजा 43,313 किलो और डोडा पोस्त 1,03,000 किलो पकड़ा गया। यानी यह आंकड़ा केवल तब है, जब जयपुर जैसी जगह में केवल 45 स्थानों पर यह तस्करी का सामान पकड़ा गया।

सभापति महोदय, यहीं नहीं रुकता, यह चिन्ताजनक स्थिति तब है, अभी थोड़े दिनों पहले एक फिल्म आयी थी 'उड़ता पंजाब' के नाम से। यह

(श्री अशोक लाहोटी)

'उड़ता पंजाब' वही उड़ता पंजाब थी जिस उड़ता पंजाब में पंजाब के नौजवानों का जिस प्रकार से नशे की तरफ कदम बढ़ा और उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव जो था वह पूरा उस नशे के नाम पर, उस उड़ता पंजाब फिल्म के नाम पर पंजाब का चुनाव लड़ा गया। यह पूरे पंजाब के चुनाव का परिदृश्य था। उड़ता राजस्थान जैसी स्थिति आज लगभग-लगभग जयपुर जैसे शहरों में देखने को मिलती है और यहां पर जो एक रिसर्च आया है कि जयपुर की किसी भी पान की थड़ी पर जाकर आप पुड़िया या माल बोलो तो गांजे का पैकेट हाथ में पकड़ा देते हैं। यह हाल आज नशे का है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह केवल एक ही नाम से नहीं है। इसमें बीड़ी, सिगरेट, सिगार, गुटखा, ब्रेटेक्स पाइप, रोल योअर ओन वेपोराइजर इत्यादि यह सब चीजें इसके नशे में इस बिल के अन्तर्गत आती हैं। जब हुक्के की मैं बात करूं तो यह एक अमेरिकन और जर्मन रिसर्च है क्योंकि सबसे पहले हुक्का वहीं आया था कि एक हुक्का, जो हमारे नौजवान यह जो युवा पीढ़ी पीती है वह सौ सिगरेट के बराबर है। मैं आज इस सदन में इंगित करना चाहूंगा कि इससे पहले जयपुर के कमिश्नर बी.एल. सोनी जी ने इस हुक्के को एक कमिश्नरेट के आदेश से बंद किया था। कई सालों तक बंद रहा। बाद में कानून की लचर व्यवस्था से वह जयपुर में हुक्का दुबारा बिकना शुरू हुआ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी पहल बहुत अच्छी है। आपकी मंशा पर कोई शक नहीं है, मंत्री महोदय, लेकिन यह जो बिल आपका है, इस बिल में कुछ खामियां हैं, उन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह ध्यान दिलाना इसलिए चाह रहा हूं, मंत्री महोदय, कि यह हुक्का और सिगरेट की लॉबी बहुत स्ट्रोंग लॉबी है। मैं लॉबी इसलिए कह रहा हूं कि एक अमेरिकन रिसर्च में साफ लिखा है कि अमेरिका में एक ऐसा रिसर्च भी हुआ, जब पूरी दुनिया में हुक्के और इस पर बैन लगाने की बात हो रही थी तब काटो नामक एक इंस्टीट्यूट ने वहां पर यह कहा कि हुक्का पीने से लोग जल्दी मरते हैं, इससे सरकार को फायदा होगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं उठा पायेंगे इस तरह का एक रिसर्च वहां पर हुआ और जब उस रिसर्च की वहां पर बहुत ज्यादा उस पर बैन लगाने की बात आई, काटो इंस्टीट्यूट पर बैन लगाने की बात आई तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार करके सार्वजनिक माफी मांगते हुए लिखा कि यह अध्ययन का

(श्री अशोक लाहोटी)

कार्यभार किसी तम्बाकू कंपनियों ने दिया था। यह भयानक गलती थी और पूर्णरूप से बुनियादी मानवीय मूल्यों की उपेक्षा थी और यह अस्वीकार्य है। यह उसी काटो इंस्टीट्यूट ने फिर दुबारा कहा।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बिल में मैंने एक संशोधन दिया था हालांकि वह संशोधन मैं बताना चाहूंगा कि वह संशोधन मेरा इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि आपने संशोधन हिन्दी में दिया। यह बिल इंग्लिश में था। फिर मैंने वह इंग्लिश में दे दिया तब भी वह रिजेक्ट कर दिया। अब यह मंत्री जी का प्रभाव था या मेरी किस्मत ठीक नहीं थी पर, सभापति महोदय, मैं यह कहूं कि वह संशोधन यह था, केवल मैं उस संशोधन को पढ़ना चाहूंगा और, मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मैंने इसमें यह लिखा था, Selling of cigarettes, tobacco and pan masala should be strictly prohibited on the kiosks or shops selling any other items like grocery stores, tea stalls or pan shops. यह जो पान की दुकान पर, किराने की दुकान पर और थड़ियों पर जो सिगरेट और हुक्का और इस तरह का सामान मिलता है, उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगना चाहिए। यह कहां पर मिले These products are highly... मैं हुक्के की तो बात ही नहीं कर रहा केवल सिगरेट और उसकी These products are highly injurious for all and that should be sold on separate Kiosks. It is a clear indication of its harms and ill effects.

**श्री सभापति**: संक्षेप में करें, माननीय सदस्य।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): उसी पर हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं। The kiosks or shops advertise clearly pictures and posters of the same. The allotment of these Kiosks shall be under Kiosks Allotment Law कि पान की दुकान पर सिगरेट का बिकना भी इस बिल में यदि हम जोड़ते, मैंने यह कहा था कि आपका अमेंडमेंट-2 और (ee) के बीच में यह जो आपने दोनों का यह जो (ड.ड.) के बीच में मैंने कहा था कि इसके बीच में इसको जोड़ें कि पान की दुकान पर सिगरेट नहीं मिले, थड़ी पर सिगरेट नहीं मिले। सिगरेट के लिए अलग से कियोस्क हों।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, संक्षेप में करें।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): वही सब्जैक्ट है, हुकुम।

**श्री सभापति**: संक्षेप में करें। 16 माननीय सदस्य बोलेंगे। तीन घंटे और चाहिए बोलने के लिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): दो ही मिनट और ले रहा हूं, सभापति महोदय। दो ही मिनट लूंगा। इसके बाद मैंने यह कहा, मंत्री महोदय, इसमें आपने हुक्का बार शब्द जो लिखा है, अच्छा होता कि हम इसमें पूरा हुक्का ही क्लियर कर देते। यह बार शब्द हटा देते और हुक्का यदि आप लिख देते। हुक्के पर प्रतिबंध यदि आप लिख देते तो यह हुक्का बार भी सामने आता। इसमें आपने एक जगह लिखा है, 'इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी स्थान जिसमें भोजनालय सम्मिलित है।' इस चीज का कहीं कोई फायदा नहीं उठा ले, सभापति महोदय, क्योंकि आपने यह लिखा है कि भोजनालय सम्मिलित है, इसको कोई यह भी समझ सकता है कि भोजनालय में तो हुक्का बार अलाउ नहीं है, बाकी जगह हुक्का अलाउड है। इसकी थोड़ी सी विस्तार से, मंत्री जी, आप और व्याख्या कर दें और इसको जुड़वा दें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा उचित होगा कि यह हुक्का बार पूर्णतया प्रतिबंध है। यह हम कर दें तो मैं समझता हूं कि शायद राजस्थान के नौजवानों को बचाने के लिए जो आपका सोच है, वह वाकई यह रहेगा।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): यह भोजनालय की जगह और एक जो माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब ने कहा उसको आप जरूर क्लियर कर दें वर्ना कल जो अख़बार में आयेगा वह यह हुक्का बार बंद होने का तो आयेगा ही आयेगा, उसके साथ ही साथ, यह भी आयेगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता का हुक्का पानी बंद। यह चौपाल के हुक्के का विषय नहीं है, यह उस हुक्के बार का विषय है, जो राजस्थान के नौजवान को उड़ता राजस्थान बनाने की दिशा में चल रहा है। यही मेरा आपसे निवेदन है, बाकी मैं पूर्ण रूप से इस बिल के समर्थन में हूं और यह बिल पूरी तरह से पास आपको करना चाहिए लेकिन इन प्रावधानों के साथ करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें जनमत जानकर इन प्रावधानों को जोड़ा जाना चाहिए। यह मेरा सजेशन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री बिहारीलाल। माननीय सदस्य, संक्षेप में कहेंगे बात।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी का, सरकार का आभार इस विधेयक के लिए सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद पर प्रतिबंध के लिए आप यह विधेयक लाये हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़े संत हुए गुरू जम्बेश्वर भगवान। उन्होंने 29 नियम दिये। 25वां नियम है, तम्बाकू न पीना, न खाना। उस आस्था के विषय से जुड़ा हुआ पूरे प्रदेश के नौजवानों के लिए फायदेमंद युवा पीढ़ी हमारी खोखली न हो, युवा हमारा मजबूत रहे क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है, उसके लिए माननीय मंत्री जी आप और आपकी सरकार यह बिल लाये उसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद और इस बिल में जो अभी इस सदन के अमिताभ बच्चन उपनेता प्रतिपक्ष ने बातें कहीं उसके बाद ज्यादा बचता नहीं है। माननीय सभापति जी, दो ही मिनट लगेंगे।

**श्री सभापति**: रिपीट नहीं करें। संक्षेप में कहें अपनी बात।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे की बात करते हुए उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। उस सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत में 26.7 करोड़ लोग तम्बाकू का उपभोग करते हैं और सबसे बड़ी चिन्ताजनक बात है कि साढ़े पांच हजार बच्चे नौजवान प्रतिदिन तम्बाकू उत्पादों का सेवन शुरू करते हैं। आप यह बिल लाये हैं। इन सब बातों को रोकने में बहुत-बड़ा मददगार साबित होगा और राजस्थान में 13.2 प्रतिशत लोग धूम्रपान के रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। राजस्थान में 38.8 प्रतिशत लोग, सैकिण्ड एडिक्ट आफ स्मोक, जिसको पैसिव स्मोक कहा, के शिकार होते हैं जिनमें 37 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं। यह बड़ी चिन्ताजनक बात है, माननीय सभापति जी, और राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 250 नये लोग तम्बाकू की लत का शिकार हो रहे हैं। राज्य में किशोरों में तम्बाकू का सेवन करने की औसत आयु 17 साल और किशोरियों में यह आयु 14 साल है। यह बेहद गम्भीर और चिन्ताजनक बात है। इसमें जो आप 3 नंबर बिन्दु पर, माननीय मंत्री जी, संशोधन लाये हैं, '2003 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 में नयी धारा-4क का अन्त:स्थापन' इसमें आपने प्रावधान किया है, 'इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात पर कोई भी व्यक्ति या स्वयं किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी स्थान जिसमें भोजनालय सम्मिलित है, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा, नहीं चलायेगा।' इसको आप जैसा माननीय सदस्य अशोक जी ने कहा उसमें पूरा संशोधन करने की कृपा करें कि भोजनालय का कोई अलग अर्थ न लगा ले और इसी के साथ, "to ensure effective im-

(श्री बिहारीलाल)

plementation of proposed section 4(a)- banning, opening and running of hookah bar/s specially in eating house. It would be appropriate to add another amendment by removing provision for creating smoking areas especially in restaurants mentioned in the proviso, section 4, of the Central Act" माननीय मंत्री जी, सेंट्रल एक्ट जिस पर आप संशोधन लाये हैं, उसमें यह लिखा गया है कि रेस्टोरेंट बार में एक अलग से स्मोकिंग एरिये का प्रावधान किया गया है। इस बिल में आप वह भी शामिल कर लें कि किसी भी रेस्टोरेंट बार में कोई भी स्पेशल एरिया अलग से नहीं होगा जिसमें स्मोकिंग अलाउड हो, ऐसा भी इसमें एक संशोधन आप लाएं।

दूसरा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हुक्का बार को व्यापक करते हुए इसमें टोबेको और नान टोबेको, फ्लेवर्ड और नोन फ्लेवर्ड को भी शामिल करें तो यह एक व्यापक रूप में आपका संशोधन रहेगा। माननीय मंत्री जी, आपसे एक आग्रह है सिगरेट और तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए आज एक नया उपाय निकला है 'ई सिगरेट' जबकि WHO कहता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इसके लाभ के कोई सबूत नहीं है। यह कहीं भी इस लत को छोड़ने में सहायक नहीं है। इसलिए इस संशोधन में ई सिगरेट को भी आप शामिल करें। आज नई पीढ़ी तंबाकू छोड़ने के उपाय के रूप में इसको करती जा रही है जबकि WHO यह कहता है कि यह किसी तरह से लाभकारी नहीं है। विश्व के बड़े-बड़े देश, बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने भी इसको किसी तरह से लाभकारी नहीं माना है, एक तरह से इसको भी एक लत माना है, एक बीमारी माना है। इसको भी इसमें शामिल करने का आप प्रावधान करें।

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान के नौजवान को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए और वह इस नशे की लत में खोखला न हो, उसके लिए आप बिल लेकर आये, आपका बहुत-बहुत साधुवाद लेकिन इन अमेंडमेंट के साथ, जो संशोधन हमने दिये हैं, इसको जनमत के लिए परिचालित करके जनमत से भी इसमें सुझाव और संशोधन लेकर व्यापक स्तर पर इसको लाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री अभिनेश महर्षि।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 के इस संशोधन पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। नशे की लत के कारण हमारे देश का नौजवान खोखला होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नशे की प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगनी चाहिये, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नशे से बीमार हुए लोगों के इलाज और उनके पुनर्वास पर सरकारों का कितना खर्चा होता है, नशे के जो पदार्थ बेचे जा रहे हैं उनसे जितनी आय नहीं होती है, उससे ज्यादा उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। नशे में कई सारी चीजों को शामिल किया गया है, चाहे तंबाकू से बनने वाले नशे की चीजों को ले लें, चाहे हुक्का को ले लें या अन्य कोई नशीले पदार्थ को ले लें। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया कि किसी भी पान की दुकान पर चले जाओ, किसी भी थड़ी पर चले जाओ, जहां पर आप जाकर बात करते हैं कि माल दे दो तो गांजे की और नशीले पदार्थ की पुड़िया, जो पुड़िया के रूप में भी प्रचलित है, वह पुड़िया हमारे सामने आ जाती है।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल में एक तो हुक्का बार पर प्रतिबंध है या हुक्के पर ही प्रतिबंध है, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। हुक्का बार में रेस्टोरेंट के ऊपर जो हुक्का चलेगा, उसको बंद करेंगे या जैसा कि उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे गांवों में प्रचलन में है कि वहां गांव के गुवाड़ में हो या गांव के घर की गुवाड़ी में हो, वहां पर लंबी सी एक डोर के साथ में हुक्के को प्रचलन में लाया जाता है और जो रेस्टोरेंट में हुक्का चलता है, उन दोनों में क्या अलग चीज है, उसके ऊपर भी इसमें प्रकाश डालने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे स्वयं का यह विचार है कि इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिये। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बल्कि जितनी भी तरह की नशीली चीजें हैं, उन सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिये, यह मेरी व्यक्तिगत रूप से मान्यता है। जितना कठोर से कठोर कानून बना सकते हैं, वह कठोर कानून बनना चाहिये जिससे इस देश की युवा पीढ़ी का जो भविष्य खोखला होने की गर्त में जा रहा है, उनके ऊपर अंकुश लगे। माननीय सभापति महोदय, टाटा मैमोरियल के कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे यहां 90 परसेंट जो केसेज आते हैं, वह सब इस धूम्रपान की वजह से, गुटखे की वजह से और इन नशीले पदार्थों की वजह से आते हैं। वह सब

(श्री अभिनेश महर्षि)

के सब युवा लोग जो आते हैं, जो विज्ञापन होता है, उस विज्ञापन के प्रभाव में आकर नशे की लत में जकड़ जाते हैं। सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बिल में ऐसा प्रोविजन करना चाहिये कि विज्ञापन पर न केवल फोटो देकर हम संतुष्टि कर लें बल्कि इस विज्ञापन को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिये। किसी भी नशीले पदार्थ का विज्ञापन बैन कर देना चाहिये जिससे हमारे नौजवान जो इससे आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण खतम हो जाए और वह परिवार बच जाए जो नशीले पदार्थ से होने वाले नुकसान से प्रभावित होता है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार एक लाख करोड़ रुपये सालाना तंबाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए और पुनर्वास पर खर्च करती है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, जबकि तंबाकू से होने वाली आय मात्र 17 हजार करोड़ रुपये है। यह कोई लाभ का सौदा नहीं है। इनका युवाओं के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका क्या फायदा है? हमें इस बिल में यह संशोधन करना चाहिये कि यह नशे की प्रवृत्ति वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सबके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा कि हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की बात तो इस बिल में कही गई है लेकिन मैं विनम्रता के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि दूसरा बहुत बड़ा भयावह रूप शराब का है। यदि आप शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं तो जो शराब की बार हैं, इन बार्स पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि शराब के ऊपर भी पूर्ण शराबबंदी करनी चाहिये।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात को समाप्त करता हूं। यह मुद्दा ऐसा है जिससे देश की युवा पीढ़ी जर्जर स्थिति में जा रही है। यह जो हुक्का बार को बंद करने की बात है...

**श्री सभापति**: अब रिपीटिशन हो रहा है, समाप्त करें आप। श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): इसके साथ-साथ, शराब की बार पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का

(श्री अभिनेश महर्षि)

मौका दिया, हालांकि बहुत सारी चीजें थीं जिनको और भी बोलना चाहता था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री वासुदेव देवनानी।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को राजस्थान में लागू करने के संदर्भ में और संशोधन के लिए जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, वास्तव में यह विधेयक समसामयिक है। आज जिन परिस्थितियों से देश और राजस्थान गुजर रहा है, उसमें यह तंबाकू उत्पाद पर विचार करना और उस पर प्रतिबंध के लिए उचित कदम उठाना आज आवश्यक है। मैं कहता हूं तंबाकू का दूसरा नाम जहर है और यह विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, जर्दा, चिलम, हुक्का, गुटखा, तंबाकू वाला पान, यह सब स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले हैं। आज इन सबसे प्रभावित होकर जवान लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि इसमें जो निकोटीन है, वह निकोटीन कितना जहरीला है। इसमें 28 प्रकार के कास्नोजेनिक तत्व हैं जो निश्चित रूप से कैंसर की ओर बढ़ता है और इससे फेफड़े, मुंह, गला, पेट, किडनी, सबमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और आज हमारे देश में और राजस्थान में कैंसर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। निकोटीन से क्षणिक तो लगता है कि कोई ऊर्जा आती है लेकिन निकोटीन से जितना नुकसान होता है, उसकी कल्पना के बारे में आप मेडिकल के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। फिर इसके साथ कार्बन मोनोआक्साइड भी है। वह कार्बन मोनोआक्साइड शरीर में आक्सीजन को कम करता है और जब आक्सीजन कम होगी तो दिमाग, फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे और शरीर कमजोर होता जाएगा। निकोटीन में एक और बीमारी है, वह बीपी को बढ़ाता है। जब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट अटैक की संभावनाएं भी निश्चित रूप से बढ़ती हैं और यह कार्बन की मात्रा शरीर में थक्के पैदा करती है जिससे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। इस प्रकार तंबाकू एक जहर है और दिन प्रतिदिन इन उत्पादों के प्रति जवानों में लत बढ़ती जा रही है और कैंसर अपने देश में महामारी के रूप में आ चुका है। कैंसर में 90 परसेंट मुंह का कैंसर आजकल ध्यान में आता है। यूथ में मुंह और गले का कैंसर, भले ही आप सिगरेट के

(श्री वासुदेव देवनानी)

ऊपर या तंबाकू उत्पाद के ऊपर एक फोटो लगा देते हैं, उस फोटो को जवान देखता भी है, लेकिन जानते हुए भी कि इससे ये चीजें होने वाली हैं, फिर भी वह उसका उपयोग करता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने पहले छोटे शब्दों में कहा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर इसको बड़े शब्दों में रखा, फिर उसमें फोटो रखा, लेकिन फिर भी यह लगातार बढ़ता जा रहा है। यह ठीक है कि पिछले दिनों जब से सार्वजनिक स्थानों पर इसका पीना कम हुआ है, तब से देश में भी इसकी खपत कम हुई है। 2009-10 में तो 38.6 प्रतिशत था और इस समय 28 परसेंट वयस्क इसका उपयोग कर रहे हैं। फिर भी 28 परसेंट की यह संख्या बहुत ज्यादा है।

बीच में 2003 के अधिनियम में बात की गयी है कि स्कूल, कालेज के नजदीक दुकानदार खुलेआम इसको नहीं बेच सकते, शिक्षा मंत्री जी चले गये। आज भी स्कूल और कालेज की सौ मीटर की दूरी पर इसको बेचने की मनाही की हुई है, लेकिन फिर भी खुलेआम बिक रहे हैं। स्कूल से निकलते हैं, नौजवान हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वहां से जाकर तुरंत खरीदते हैं, जिसके आधार पर एक बार लेने के बाद उसके अंदर जो लत लगती है, वह कभी नहीं छूटती है। 2003 में उसमें यह भी लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगाया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तंबाकू का उत्पाद नहीं दिया जाएगा। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा भी जाकर सिगरेट भी ले लेगा, तंबाकू का उत्पाद भी ले लेगा, गुटखा भी ले लेगा, इस प्रकार से देश में प्रतिदिन 2700 लोगों की मृत्यु इसके कारण हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जो सरकारी संस्थान हैं, वहां पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि हुक्का-बार बिल लाये, लेकिन यह अधूरा है। जब तक पान मसाला और गुटखा दोनों पर आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तब तक इसका पूरी तरह असर नहीं होगा। हुक्का बार में तो जो लोग बार में जाएंगे, उनके लिए प्रतिबंध होगा, वहां पर नहीं ले पाएंगे। बार में जाने वाले कुल कितने प्रतिशत होंगे? नौजवान जाते हैं, लेकिन ओवरआल जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो हुक्का बार में कम जाएंगे।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): जिस प्रकार से पान मसाला लेते

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं। मुंह से फेंकते हैं और जिस प्रकार से गुटखे का असर बढ़ता जा रहा है और इस समय जिस प्रकार के विज्ञापन दिये जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि सबसे पहले इनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगे। मैं समझता हूं कि जर्दा खाना भी, कम से कम जो विधान सभा परिसर है और संस्थाएं हैं, कम से कम उसके सदस्य या लोग या आने वाले कर्मचारी यह तो यहां पर संकल्प ले लें कि हम जर्दा नहीं खाएंगे। पान मसाला, गुटखा नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पीएंगे, इस प्रकार करेंगे। नहीं तो इस ई-सिगरेट और हुक्का-बार पर प्रतिबंध से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर तब पड़ेगा जब गुटखे, पान मसाला और तंबाकू वाले पान पर प्रतिबंध लगाएंगे। इन सब पर प्रतिबंध लगाकर हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे, नहीं तो हार्ट अटैक जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं। आज 56 परसेंट हार्ट अटैक इससे हो रहे हैं। बीच में फैलाया कि ई-सिगरेट में निकोटिन कम होता है, लेकिन ई-सिगरेट में निकोटिन की मात्रा अधिक है, उससे और ज्यादा नुकसान है। इस प्रकार के प्रतिबंध आप पूरी तरह लगाएं, मेरा आपसे आग्रह है कि तंबाकू और पान मसाले पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। आप जब तक यह नहीं करते, अधूरा विधेयक पारित करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप इसको लाएं तब तक तीन महीने के लिए जनमत के लिए परिचालित करें। इसके लिए सम्पूर्ण रूप से विधेयक लाएं, हम सर्वसम्मति से पारित करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे, राजस्थान से बुरी लत हट जाएगी, हमारा युवा निखर कर आयेगा, उसकी प्रतिभा बढ़ेगी और देश का युवा बहुत बड़ा साधुवाद देगा।

**श्री सभापति**: विराजिए। श्री नारायण सिंह देवल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ये जो विधेयक लाये हैं, हम सब लोग उसके पक्ष में हैं, परंतु कुछ न कुछ कमियां हैं। प्रदेश के अंदर यदि तंबाकू के ऊपर सम्पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए तो यह राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा धूम्रपान की शिकार हो रही है। दुनिया में हर छह सैकण्ड में एक व्यक्ति की मौत तंबाकू के कारण होती है, हमारे देश में

(श्री नारायण सिंह देवल)

हर घंटे में 137 लोगों की मौत का कारण तंबाकू है। इससे रोजाना करीब 2739 लोगों की मौत हो रही है। हमारा देश आदिकाल से सांस्कृतिक विरासत वाला देश रहा है। इस देश में किसी भी कालखंड में नशे को स्वीकार नहीं किया गया। हमारा देश दूध, दही, मक्खन, घी और अन्य पौष्टिक चीजों के लिए जाना जाता है।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दी में सिगरेट का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, बाद में भले ही लोगों ने इसको धूम्रपान दंडिका का नाम दे दिया है। हिन्दी शब्दकोश में आज भी इसका कोई नाम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सिगरेट का आविष्कार 1880 में अमेरिका के जैम्स बुकानन ड्यूक ने किया और इसको एक कारोबार के रूप में स्थापित किया। आज भी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो महंगी सिगरेट है, जो विदेशों से आती है। एक सिगरेट पीने से पीने वाले के पास जो व्यक्ति बैठा है, उसकी चार मिनट की उम्र कम होती है और एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की 11 मिनट उम्र कम होती है। सिगरेट का जो नुकसान है, हम सब लोग जानते हैं, गले का कैंसर, लीवर, मुंह का कैंसर, याददाश्त कमजोर होना, ये सारी बीमारियां हैं।

**श्री सभापति**: संक्षेप में करें, माननीय सदस्य।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में जो मजदूरी करने जाता है, दिन के 200 रुपये कमाता है तो 50 रुपये का गुटखा खाता है, तो इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। राजस्थान में जो प्रतिवर्ष जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उससे अधिक बीमारी के ऊपर खर्च हो रहा है। भारत में 26 करोड़ 70 लाख लोग तंबाकू या इससे बने हुए उत्पादों का सेवन करते हैं। तंबाकू या उसके उत्पादन से देश को प्रतिवर्ष 17 हजार करोड़ रुपये की इनकम हो रही है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। सारा का सारा रिपीट हो रहा है। श्रीमती चन्दक्रान्ता मेघवाल, चन्द्रकान्ता मेघवाल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): दो मिनट, सभापति महोदय। बीमारी पर जो खर्चा आ रहा है, वह अनुमानित 1 लाख 4 हजार 500 करोड़ हो रहा है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य सारा रिपीट हो रहा है।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): नहीं हो रहा साहब, बोल तो मैं रहा हूं।

**श्री सभापति**: विराजिए। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए जो विधेयक लाया गया, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: आप भी अपनी बात संक्षेप में ही कहना, आपको भी जाना है। आपको भी गांव जाना है, तीज का त्यौहार है, आपको भी जाना है। आज सिंजारा है इनके।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, देखा जाए तो तबाही का खौफ मंजर यह नशा है, क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये सब बातें पढ़ने को मिलीं, देखने का मिलीं। जब कोटा से यहां राजधानी जयपुर की धरती पर आयी तो लगातार अनेकों जगह से कभी-कभार स्टूडेंट्स से भी बातचीत हुई। पूर्व में विधायकपुरी में रहती थी, तो वहां भी मुझे मौहल्ले के लोगों ने बताया कि बहन जी, सरकार एक तरफ तो नशा मुक्ति के केन्द्रों के लिए सहयोग करती है। कभी-कभी आप लोग भी उन्हें सजेस्ट करते हो कि इस तरह के केन्द्र लगाइये। नशे से मुक्ति पाइये, लेकिन हालत यह है कि जयपुर शहर का ऐसा कोई भी मौहल्ला नहीं होगा, कोई थाना नहीं होगा, जिसके नजदीक.. अगर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के नजदीक भी चले जाएं तो वहां पर भी आपको ई-सिगरेट मिलेगी और हुक्का बार का जो चलन चला है, वे सब चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गत बार जब संकल्प पारित हुआ, उस समय मैं खुद बोली थी कि इस नशे को राजस्थान की धरती से जड़ से खतम किया जाए। मैं 2017 में बैठी-बैठी अख़बार पढ़ रही थी, मैंने अख़बार में पढ़ा कि पंजाब के अंदर जिस तरह के आंकड़े निकल कर आये, वहां पर एक मूवी बनी थी, उड़ता पंजाब। निश्चित तौर पर वहां की सरकार ने चिंता की कि कहीं न कहीं इस नशे की वजह से यह जो पंजाब हरा-भरा है, यह पंजाब नहीं उजड़ जाए। उसी के बाद वहां की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सम्माननीय राठौड़ साहब बोल रहे थे, उनकी चिंता जायज है क्योंकि हम देख रहे हैं, हमारा ग्रामीण जीवन है। सामाजिक सरोकार के जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, आज भी हमारे ग्रामीण इलाक़ों में हुक्के का चलन है, वह स्थानीय स्तर पर लोग करते हैं। इसमें आप जो नियम लेकर आये हैं, हमें इसमें एकदम क्लियर कर देना चाहिए कि ये हुक्का बार वह हुक्का बार हैं जो जयपुर में चल रहे हैं, राजस्थान की धरती पर चल रहे हैं। हमारी जो नयी जनरेशन है, उनके जीवन को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है। जो युवा परिवार को संबल प्रदान करता है, जो युवा परिवार को पालता-पोसता है, आज उसके क्या हालात हो रहे हैं? हम कहीं पर भी चले जाएं, हर परिवार में यह चिंता मिलेगी कि हमारे बेटे को गलत लत लग गई। उसे हुक्के की लत लग गई, उसे सिगरेट की लत लग गई, उसे शराब की लत लग गई। सम्माननीय लाहोटी जी अभी बोल रहे थे तो मैं उनको यही बोल रही थी कि आपने ये प्रावधान किया है, इसमें कि जो आपका तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा जो भी है, इसी में हम हुक्का बार को भी जोड़ेंगे यानी जो सज़ा उसके लिए होगी, वही सज़ा इसके लिए होगी। मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने बताया इसलिए मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहती। यह जो हुक्का है, इसमें कितना निकोटीन है। आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें डाले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं किसी के घर गई थी एक बार..

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): बिलकुल साहब, समाप्त कर रही हूं। वहां हुक्का बार पड़ा हुआ था क्योंकि उनका हास्टल था। मकान में बच्चे रहते थे। हम गये किसी के पैर की लगी और वह हुक्का नीचे गिर गया। जैसे ही एक छोटी-सी चुहिया वहां से गुजरी, उस चुहिया ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। आप देख लीजिए उसमें जो लिक्विड भरा हुआ था, उसमें जो कोयला यूज होता है, आज देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इस देश को धुआं मुक्त करने के लिए गैस कनेक्शन वितरण किए। हुक्का बार में ऐसी क्या चीज है? उसमें जो कोयले लगे रहते हैं, वह धुआं हमारी श्वांस नली को खतम कर देता है। हमारे फेफड़ों को खतम कर देता है। हमारे दिल को खतम कर देता है। सारी चीजों पर इफैक्ट पड़ता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करिये। श्री कालीचरण सराफ।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): एक मिनट, साहब। आधा मिनट का समय दीजिए।

**श्री सभापति**: एक-एक बात रिपीट हो रही है। समाप्त करें। श्री कालीचरण सराफ।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): यह हिन्दुस्तान, यह राजस्थान महिलाओं के त्याग के लिए जाना जाता है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए। एक-एक बात रिपीट हो रही है।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): बड़े दुःखी मन से बोल रही हूं कि जयपुर के अंदर मेरी एक बच्चे से बात हुई। कल हमारी सम्माननीय ममता जी ने खाना दिया था, वहां गई थी।

**श्री सभापति**: हुक्का बार की बात सभी लोगों ने बोल दी। समाप्त करें आप।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): मैं उसी पर बोल रही हूं। मैंने एक बच्चे से बातचीत की। एक पान की थड़ी थी, मैंने कहा भैया तुम यहां खड़े हो, पैट्रोल पम्प के पास, वहां हमने देखा हुक्का रखा हुआ था।

**श्री सभापति**: पैट्रोल पम्प का नाम मत लो आप यहां पर।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): उसने यह भी कहा कि एक वीक में इस तरह की खुली हमें छूट दी जाती है कि अगर साथ में...

**श्री सभापति**: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। श्री कालीचरण सराफ।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 जो प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक के माध्यम से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है यह

(श्री कालीचरण सराफ)

निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी में निरंतर विशेष रूप से प्रदेश के शहरों में और कस्बों में हुक्का बार का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है और हमारे वयस्क और युवा पीढ़ी के लोग इसमें निरंतर आकर्षित हो रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। परंतु मेरा यह मानना है कि केवल हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाना, ये आपका आधा-अधूरा प्रयास है। यह बिल यदि जैसा आपको जानकारी है कि 2003 से 2008 के बीच में जब आप लोगों की सरकार थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि गुटखा मिक्स जर्दा यानी जर्दा और गुटखा मिक्स यदि होगा तो उस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। लोगों ने क्या किया जो गुटखा के उत्पादक थे या जो जर्दा बनाते थे, उन्होंने उसके अलग-अलग पैकेट बनाकर, पाउच बनाकर, अब पान पराग, पान मसाला, रजनीगंधा ये अलग और तुलसी जर्दा ये अलग। ये अलग-अलग बेचने लग गये और उसका परिणाम क्या हुआ कि लोगबाग तुलसी का पाउच खरीदते हैं और रजनीगंधा का पाउच खरीदते हैं, फिर दोनों को मिक्स करते हैं, फिर खा लेते हैं। जो हमने प्रतिबंध लगाया था, उसका कोई मतलब नहीं निकला।

आज केवल हुक्का बार, हमारे देवनानी जी सही कह रहे थे कि हुक्का बार में तो कम लोग जाते हैं। परंतु ये जो पान की थड़ियों पर, स्कूल-कालेज का नियम तो बना हुआ है कि उसके 100 गज की दूरी पर इस प्रकार का सामान नहीं बिकेगा। परंतु आज आप कहीं पर भी चले जाएं जो बड़ी स्कूल हैं, चाहे एसएमएस है, चाहे विद्याश्रम है, जितनी भी बड़ी स्कूल और कालेज, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कालेज, कामर्स कालेज, जितने भी कालेज और स्कूल हैं, सबके बाहर पान की थड़ियों पर आज गुटखा भी मिलता है और वहां मेंड्रेक्स, चरस, गांजा सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। मेरा यह कहना है कि आप जल्दबाजी में जो यह बिल लाए हैं, यह आधा-अधूरा बिल है। आपको तो पता है, आपने भी गुटखे का सेवन किया है और मैंने भी किया है। पांच मौत जो होती हैं हमारे देश में, उसमें से दो मौत तंबाकू के कारण होती हैं। जैसा हमारे चूरू से आने वाले विधायक बता रहे थे कि 136 मृत्यु केवल राजस्थान में प्रतिदिन तंबाकू के कारण होती है। सबसे बड़ी बात यह है, हम कहते हैं कि इसको कैसे बंद करें क्योंकि इससे हमें राजस्व प्राप्त होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे हमें 600 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त होता

(श्री कालीचरण सराफ)

है और राजस्थान में इस पर हम खर्चा करते हैं, जो बीमारियां होती हैं, इनके कारण, उस पर हम खर्चा करते हैं 1160 करोड़ रुपये। 1160 करोड़ रुपये इन बीमारियों को रोकने के लिए और जो बीमार हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम लोग खर्च करते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में प्रदेश को नशामुक्त करना है तो आप सिगरेट पर, आप हुक्का बार पर, आप गुटखे पर, तंबाकू पर रोक लगाएं। एक जो नई चीज ई-सिगरेट इन्होंने लगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अभी एक स्टेटमेंट आया है, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि यह जो दावा किया जाता है, इसके सेवन से नुकसान नहीं होता है, यह बिलकुल गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ई-सिगरेट जैसे उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर कोई विश्वास नहीं करे। यह जो ई-सिगरेट है, उससे उतना ही नुकसान होता है जितना कि सिगरेट से होता है। मेरा यह कहना है कि आधे-अधूरे बिल से काम नहीं चलेगा। आप इस बिल को अभी तो जनमत जानने के लिए परिचालित करें और सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दे के पाउच, नशीली चीजें गांजा, चरस जो यह बिकते हैं, इन पर और ई-सिगरेट पर सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। एक अच्छा-सा बिल लेकर के आएं तो हम निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे और आपका बिल यहां पर सर्वसम्मति से पारित करवाएंगे। अभी इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

**श्री सभापति**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने 'THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2019'' पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, कानून पर कानून आते रहते हैं लेकिन समाज की मानसिकता नहीं बदलती कि कुछ नहीं होने वाला। कानूनों की कमी नहीं है। सरकार ने इस बिल का स्टेटमेंट दिया है ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स, उसमें लिखा है- ''health hazards are not only to the young generation'' क्या वास्तव में हमें लोगों के

(श्री संयम लोढ़ा)

स्वास्थ्य की चिंता है? क्या हम चारों तरफ गठित होता हुआ नहीं देख रहे हैं? जिस शिक्षण संस्था को हमने प्रतिबंधित कर रखा है कि इससे इतने मीटर की दूरी पर सिगरेट की दुकान नहीं होगी, उसी संस्थान के भीतर स्कूल का मास्टर, स्कूल के विद्यार्थियों से सिगरेट मंगवाकर उनके सामने पी रहा है। यह सब परिस्थितियां इतने साल में क्यों बनीं? आप कहीं भी जाकर चलते हुए हुक्का बार का अवलोकर कर लें सबसे ज्यादा डाक्टर्स आपको उस हुक्का बार में मिलेंगे।

पूरी तरह यह जानकारी होने के बाद कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं नहीं समझता हूं कि डाक्टर्स की कोई भी पार्टी बिना इसके होती होगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, हम जब तक, पहले जब बच्चे स्कूल में जाते थे तो टीचर तरह-तरह की मोरल स्टोरीज सुनाता था। बच्चों में एक अलग तरह का जज़बात पैदा करता था, एक अलग की भावना पैदा करता था। एक मोरल एजुकेशन शिक्षक के माध्यम से स्टूडेंट तक जा रही थी। पर अब वह सब हमने डेस्ट्राय कर दी।

**श्री सभापति**: सही बात है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आज स्मैक, ड्रग्स, विदेशी सिगरेट, विदेशी सिगरेट में केमिकल, क्या हमारे चारों तरफ नहीं बिक रहा? कौन सी ऐसी पंचायत है जहां अनआथोराइज्ड शराब की दुकान नहीं चल रही। आपने इसमें अधिकार दिये हैं, ड्रग्स इंस्पैक्टर को, फूड इंस्पैक्टर को, सब इंस्पैक्टर पुलिस को। आपने एक कमाई का नया रास्ता खोल दिया। हर शराब की दुकान से पैसा बंधा हुआ है। जो मिलावट करते हैं, वह पहले जाकर स्वास्थ्य विभाग से इंस्पैक्टर से बात करके, तय करके आते हैं। वह जब एश्योरेंस दे देता है, तब वह मिलावट चालू करते हैं। जब तक पूरी तरह से मानस नहीं बनेगा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

राजस्थान के होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सैक्रेटरी ने, ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको नोटिस इश्यू किया और बुलाया कि आप तंबाकू को कंटीन्यू क्यों कर रहे हो, बंद क्यों नहीं करते आप, जब यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो। तब उन्होंने आकर उनको यह स्टेटमेंट दिया कि हमें 1226 करोड़ रुपये की रेवेन्यू इससे मिल रही है। इस कारण हम नहीं कर सकते तो सरकार का यह दोहरा रूप समझ में नहीं आता। हुक्का बार, आप यह लगा भी

(श्री संयम लोढ़ा)

दोगे, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एक थानेदार को ही तो मैनेज करना है। एक बार में आप जो हुक्का देते हैं, जिस भी जगह चलता है, वह 1500 रुपये चार्ज करता है। दिन भर में कितने ही आते होंगे। आपका यह फाइन उसके लिए क्या मायने रखता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, सरकार को राजस्व का लालच छोड़ना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य की हमें फिक्र है। हम 1150 करोड़ रुपये कैंसर और दूसरी बीमारियों के इलाज पर, जो तंबाकू और उनसे पैदा होती है, उस खर्च को बचाकर 1226 करोड़ रुपये की रेवेन्यू को फोर गो करेंगे, उस इच्छा शक्ति के साथ जब आप आएंगे तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीसी मीणा होते थे, उन्होंने 3 अप्रैल, 2012 को कंट्री में पहली बार हुक्का बार बेन किये थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीआरपीसी सैक्शन 144 के तहत उन्होंने यह आर्डर किया था। आज वह इफैक्ट में नहीं है। देश के अंदर हमसे पहले जो राज्य लाए, गुजरात पहला स्टेट है, जिसने इस हुक्का बार को बेन किया। महाराष्ट्र में 2018 में हुक्का बार बेन हुए कारण क्या था कि कमला मिल्स में हुक्का बार चल रहा था और आग लग गई। आग लगी और 12 से 14 लोग उसमें मर गये। चारों तरफ से जो जन आक्रोश पैदा हुआ, जन चेतना पैदा हुई, सरकार को बाध्य होकर हुक्का बार बेन करने का प्रपोज करना पड़ा। लोग हाई कोर्ट में गये। बाम्बे के सुनील चड्ढा, कार्निवल रेस्टोरेंट कोरा गांव पार्क मुम्बई पुणे से और चार और लोग पुणे के हाई कोर्ट गये। इसमें एक लीगल पाइंट है, यह सैंट्रल एक्ट है। अब उसमें आपकी अमेंडमेंट की, आपको नया सैक्शन जोड़ने की पावर है या नहीं है, यह अभी ज्युरिस्डिक्शन में है कोर्ट के क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन राजस्थान में, जब तंबाकू को बेन करने के बारे में आर्डर पास करने की स्थिति में थे तब उन्होंने खुद ने इस बात को कोट किया कि यह संघीय सूची का विषय है। इसलिए उन्होंने आर्डर पास नहीं किया कि इसमें भारत सरकार को पूछना पड़ेगा, उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि इसमें एक लीगल पाइंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट काम्पीटेंट है कि नहीं, सैंट्रल एक्ट में नया सैक्शन जोड़ने के लिए। मुम्बई हाई कोर्ट में भी इसकी हियरिंग चल रही है। सरकार की सोच अच्छी है। ठीक है, बुरी चीज है तंबाकू पीना, हुक्का पीना।

(श्री संयम लोढ़ा)

बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। क्षणिक आनंद उनको भले ही मिलता हो, क्षणिक नशा भले ही मिलता हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए घातक है। जब पूरा सदन आज इस रूप में कह रहा है कि यह स्वास्थ्य के लिए बुरी चीज है, इसको प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्यों नहीं वह ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे लोक चेतना के प्रसार में, बच्चों को जाग्रत करने के प्रसार में, हम सब लोग माध्यम बन सकें। समाज के अंदर यह धारणा बनी हुई है कि कानून बनने से कुछ नहीं होगा, इस धारणा को खतम करने की जरूरत है। लोगों को यह ढंग से समझाने की जरूरत है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

मैं तो माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि अभी सदन में दो दिन बाकी हैं। सोमवार को और हाउस चलेगा। आप सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव भारत सरकार को पारित करें कि पूरे हिन्दुस्तान में तंबाकू को प्रतिबंधित करें। तंबाकू की खेती प्रतिबंधित करें। इस तंबाकू की खेती मात्र से राजस्थान में लाखों हैक्टेयर फ़र्श खराब हो गया, बर्बाद हो चुका। कम से कम एक करोड़ हैक्टेयर।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि यह बिल तो आपका ठीक है, इससे रोकथाम में कुछ न कुछ मदद ही मिलेगी। लेकिन इसकी प्रभावी मोनीटरिंग की जरूरत है। मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, वह मैं वापस लेता हूं।

**श्री सभापति**: श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सिगरेट और अन्य तंबाकू (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 मैं इसका स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छी सोच है। परन्तु मुझे शंका है, पहले कई जगहों पर तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगा रखा है, नियम भी बना रखे हैं, कानून भी बना हुआ है, क्या हम उसकी पालना करवा पा रहे हैं? तंबाकू उत्पाद स्कूलों के आस-पास भी नहीं बिकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं बिकेंगे, उनका सेवन नहीं करेंगे, परन्तु इसकी पालना नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है,

(श्री मदन दिलावर)

कि जो नियम बना रखे हैं, उनकी पालना करने के लिए कम से कम, जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन पर तथा सार्वजनिक स्थानों पर तो उनकी पालना करा लें। यानी पूर्णतया भौतिक रूप से प्रतिबंध हो जाए। आज भी हम स्कूलों में देखते हैं कि अधिकांश अध्यापक-अध्यापिकाएं खाती रहती हैं। वहां का प्रिंसिपल खाता रहता है।

**श्री सभापति**: यह बात सही है।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): डाक्टर्स खाते रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ खाता रहता है। जब पैरामेडिकल स्टाफ व शिक्षक खाते हैं तो स्कूल में आने वाले छोटे-छोटे बच्चे व पैरामेडिकल के पास आने वाले मरीज यह समझते हैं कि यह पढ़े-लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, यह चिकित्सा के जानकार हैं, शिक्षा के जानकार हैं, शायद यह खाने से कुछ लाभ तो होता ही होगा, इसलिए हम भी क्यों नहीं यह चालू कर दें, इसलिए उनको देखकर वह चालू करते हैं। यहां विधान सभा में भी हम बहुत लोग इसकी बात कर रहे हैं लेकिन हम भी उसका सेवन करते हैं। क्या हम अपने आप पर इसका प्रतिबंध नहीं लगा सकते? क्या इस विधान सभा के परिसर में प्रतिबंध नहीं लगा सकते? यदि ताकत है, हिम्मत है और ईमानदारी से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो तो सबसे पहले जो कानून बना हुआ है, नियम बने हुए हैं, उनकी पालना करवा लेंगे तो बेहतर होगा।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इनके सेवन करने से क्या होता है, एक तो पुरुषों में नपुंसकता आती है, अधिकांश विमंदित बच्चे पैदा होने की संभावना रहती है। यही नहीं, कई प्रकार के कैंसर की चर्चा तो मैंने पहले की है। कई प्रकार के कैंसर की चर्चा की है, मुंह का कैंसर हो जाता है, कभी हार्ट की प्राब्लम हो जाती है, शरीर के कई अंगों का कैंसर हो जाता है, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि खाने वाले के दांत कैसे दिखते हैं, यानी बात करने वालों को भी ऐसा भद्दा-सा लगता है, इसको देखने में। जगह-जगह थूकते हैं तो उसके थूक में, थूक के कारण जो उसके शरीर में बीमारियां होंगी, वे बाहर जाती हैं, बाहर जाती हैं तो जमीन पर गिरती हैं, जब वहां से आदमी गुजरते हैं, निकलते हैं तो उन पर भी उसका दुष्प्रभाव होता है। उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं।

(श्री मदन दिलावर)

यदि हम ईमानदारी के साथ जर्दा उत्पादन पर बने हुए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नया कानून लायें, क्योंकि कानून केन्द्र सरकार का है, आप उसमें थोड़ा-बहुत संशोधन कर सकते हैं, देख लेना तो फिर कम से कम उसकी पालना तो करवा लें। नहीं तो फिर यह जो आप ला रहे हो, यह हुक्का बार पर प्रतिबंध, यह केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ला रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो प्रतिबंध लगायें, सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि इससे हमारे शरीर की ताकत भी कम होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उतनी क्षमता से नहीं कर पाते, उतनी दक्षता से नहीं कर पाते। उतनी दक्षता से नहीं कर पाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, जो युवा लोग खाते हैं तो उससे युवा कमजोर होते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। जिस देश का युवा कमजोर होता है, वह देश भी कमजोर हो जाता है, और कमजोर देश के ऊपर कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी गुलाम बना सकता है, इसलिए जो युवाओं की ताकत को कमजोर करता है, या अपने आपको कमजोर करता है, वह देश का भी नुकसान करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो युवाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, जो इस ताकत का क्षरण करता है, नुकसान पहुंचाता है, ऐसी सारी चीजों को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। जो प्रतिबंधित नहीं करता है या यदि मैं सेवन करता हूं तो मैं देश का नुकसान कर रहा हूं, एक तरह से देश का दुश्मन हूं। इसलिए हमको देश का दुश्मन नहीं बनना है, देश को सहयोग करना है, देश को ताकतवर बनाना है, देश को मजबूत बनाना है तो फिर हम सबको इस पर प्रतिबंध करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा इससे इनकम होती है। लगभग 1200 करोड़ राजस्व प्राप्त होता है। 136 लोग रोज मरते हैं। क्या 1200 करोड़ रुपये इनकम करके 136 लोगों की हत्या कराना हमको मंजूर है? एक भी व्यक्ति की हत्या कराने में कितना पाप लगता है तो हम 1200 करोड़ रुपये कमाने के लिए 136 लोगों की हत्या हम चला करके कर रहे हैं, यह सरकार कर रही है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, सब इसके दोषी हैं। मैं चाहता हूं कि 1200 करोड़ की कमाई की बातें छोड़ दो, इन 136 लोगों को

(श्री मदन दिलावर)

मरने से बचा लो। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि रोज 136 लोगों के जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, बिलखेंगे, इधर-उधर डोलेंगे, बिना मां-बाप के हो जाएंगे, उनको आप बचा लें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, पैसे के लोभ में न पड़ें, रुपये कमाने के चक्कर में न पड़ें, इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो फिर आपकी कमाई क्या हुई। आपको दिखाई देता होगा रजिस्टर में, दिखाई देता होगा खाते में, लेकिन वास्तव में आपकी कमाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको छह माह के लिए परिचालित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती किरण माहेश्वरी। प्रभारी मंत्री।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाए।

**श्री सभापति**: सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया।

प्रभारी मंत्री।

## विधेयक पर विचार

### सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रस्तुत विधेयक है, इसका मूल उद्देश्य जो हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनको बड़ी उम्मीद के साथ शहरों में, उप नगरों में, उनके पेरेन्ट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, यह जो विधेयक हम लाये हैं, सिर्फ और सिर्फ हुक्का-बार को प्रतिबंधित करने के लिए है, एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अनेक सवाल यहां खड़े किये, लेकिन यह जो आज हुक्का-बार का प्रचलन बढ़ा है, प्रचार यह किया जाता है

(श्री रघु शर्मा)

कि इसमें निकोटिन नहीं होता है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, धुआं तो होता है। यह धुआं नौजवान पीढ़ी के शरीर में जाता है, लंग्स में जाता है, अनेक तरह की बीमारियां पैदा करता है, तो इस बात की आवश्यकता समझी गई कि हुक्का-बार को प्रतिबंधित किया जाना हमारी नौजवान पीढ़ी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह राज्य में आज के समय की आवश्यकता है। इसीलिए यह विधेयक आज हम लेकर आये हैं। पेरेन्ट्स को मालूम पड़ता नहीं है। बच्चे में बुरी लत लगना शुरू हो जाती है। पहले यह बोल दिया कि निकोटिन नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे वह धूम्रपान का शिकार होता जाता है, तो इस चिंता से, क्योंकि राजस्थान में हमने परिकल्पना की थी कि रोगमुक्त राजस्थान हो, नशामुक्त राजस्थान बने। उस दिशा में राजस्थान की युवा पीढ़ी को इस खतरे से बचाने के लिए हम यह विधेयक लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, धुएं के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं, उनके बारे में तो हमारे पूर्व विद्वान चिकित्सा मंत्री ने बता ही दिया, मैं भी वापस रिपीट करूं ठीक नहीं है। लेकिन हमने हमारे जन घोषणा-पत्र में, जो अभी दिसम्बर में चुनाव हुए हम लेकर आये थे कि हम हुक्का-बार के संचालन पर, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगायेंगे। इस प्रतिबंध लगाने से राज्य सरकार द्वारा जो उपचार पर व्यय किया जाता है, वह कम होता है। अभिभावकों की बच्चों के भविष्य के प्रति जो चिंता है, उसमें कमी आयेगी और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से नौजवान पीढ़ी को मुक्ति भी मिलेगी। ऐसा सोचकर हम लोग यह विधेयक लेकर आये।

बहुत लम्बी-चौड़ी बातें आप लोगों ने कीं और कई स्वागत योग्य सुझाव भी थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह तो कहना ही पड़ेगा कि पिछले पांच साल में अगर इस दिशा में आप लोग प्रयास करते तो शायद आज यह स्थिति नहीं आती। पूरे पांच साल में नशे के प्रवृत्ति को रोकने के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगर कोई कदम उठाया गया हो तो वह आपको सामने लाना चाहिए था कि आपने यह किया। चूंकि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तंबाकूयुक्त गुटखा पदार्थों पर प्रतिबंध हमारी सरकार ने लगाया। जर्दा सेवन, जर्दा पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए राज्य में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही भी की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित भी किया गया है। शिक्षण संस्थाओं के सौ

(श्री रघु शर्मा)

गज के दायरे में इस तरह के उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र के सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत अब तक कुल 285561 उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही की गई है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कानून लाना एक अलग चीज है और मास-अवेयरनैस, वह भी एक बहुत बड़ी चीज है। जब तक हम आम व्यक्ति के दिल में इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी नहीं पहुंचा पायेंगे, चाहे पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे हमारे अन्य प्रचार माध्यमों से हो, तब तक कानून के माध्यम से हम यह सोच लें कि हम इन दुष्प्रभावों को रोक पायेंगे, यह मुझे नहीं लगता है, इसलिए सभी माननीय सदस्यों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने चिंता व्यक्त की है, इस पूरे विषय के ऊपर, उसी तरह से राजस्थान में एक वातावरण बनना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को हम नशे की लत से बचा सकें।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कई वैधानिक सवाल संवैधानिक प्रावधानों के बारे में उठाये। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपकी शंकायें हैं, वे बिलकुल सत्यता से परे हैं। पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में विधान सभा द्वारा शब्दश: यही संशोधन किये गये हैं, जिनकी प्रति मेरे पास मौजूद है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। (व्यवधान) माननीय आप सुन लीजिये, उन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2017 में और 2018 में अपनी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अत: यह प्रस्तावित संशोधन पूर्णतया संविधान के दायरे में है, संवैधानिक है, किसी प्रकार की शंका आप नहीं रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018 की फैक्ट शीट के अनुसार लगभग प्रतिवर्ष विश्व भर में 80 लाख लोग, और हमारे अपने देश में 10 लाख लोगों की मृत्यु इन्हीं कारणों से होती है।

**(19.00 बजे)**

देश में जो मृत्यु होती हैं उनका 9.5 प्रतिशत वह तंबाकू जनित रोगों से होती हैं। माननीय सभापति महोदय, इस अनुमान के अनुसार राजस्थान में लगभग 50 हजार से अधिक लोग तंबाकू के पदार्थों के सेवन से मृत्यु के ग्रास में समा जाते हैं। तंबाकू के कारण जो डिजीज होती हैं, वह तो सबने बता ही दी। वर्ष 2016-17 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 24.7 प्रतिशत अर्थात् लगभग 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।

(श्री रघु शर्मा)

तंबाकू के कारण होने वाले रोगों से हमारा युवा वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने जन घोषणा पत्र के बिंदु 24 के 19.4 पर युवाओं में नशे की लत रोकने हेतु कारगर कदम उठाएंगे, का संकल्प लिया था।

माननीय सभापति महोदय, जन घोषणा पत्र में की गयी घोषणा को पूरा करने के लिए राज्य में हुक्का बार संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध की कार्यवाही हेतु यह जो विधेयक है 2019 का, यह प्रस्तुत किया गया है।

प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं वर्षगांठ पूरा राष्ट्र मना रहा है और सर्वोदय दिवस के अवसर पर 30 जनवरी, 2019 को हमने नशा मुक्ति के अभियान की जोधपुर से शुरुआत की। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ 13 लाख 98 हजार युवाओं ने एक दिन में नशा मुक्ति की शपथ ली जो कि नशे को रोकने के लिए राज्य सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है।

माननीय सभापति महोदय, डब्ल्यू.एच.ओ. ने अभी दुनिया में 33 संस्थाओं को इसके लिए रिवार्ड दिया। उसमें राजस्थान पूरे देश की एक मात्र राज्य सरकार है, जो राजस्थान को उन्होंने नशा मुक्ति के प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने नशे को रोकने के लिए, अभी ई-सिगरेट की भी यहां पर चर्चा हुई। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि30 मई, 2019 से राजस्थान में ई-सिगरेट पर भी हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): ई-सिगरेट क्या होती है, थोड़ा बता दीजिए।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत ज्यादा परेशान मत रहा करो। युवाओं में ईसिगरेट के बढ़ते प्रचलन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ईसिगरेट के स्वास्थ्य में पड़ने वाले प्रभाव का विशेषज्ञों से अध्ययन करवाया गया। विशेषज्ञों की समिति के अनुसार ई-सिगरेट के सेवन से व्यक्ति में अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स एवं अन्य विषैले पदार्थ अपने शरीर में चले जाते हैं और इन पदार्थों से हृदय-घात, फेफड़ों के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ई-सिगरेट के उपभोग से

(श्री रघु शर्मा)

निकोटिन के अतिरिक्त कैंसरकारी formaldehyde उत्पन्न होते हैं। यह ई-सिगरेट के बारे में एक तरह से जब हमने इसको प्रतिबंधित किया तो एक ही रात में जो छापा मारा स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तो 10-10 लाख रुपये के ई-सिगरेट के जखीरे हमने जब्त किये हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग गंभीर नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा है कि हर चीज का समाधान कानून से होता तो देश में इतने कानून बने, माननीय सभापति महोदय, अब तक तो सारी स्थितियां नियंत्रण में हो जानी चाहिए थीं। मास-अवेयरनैस भी इसके लिए बहुत जरूरी है। हमारी नौजवान पीढ़ी को जो संस्कार परिवार में मिलते हैं, अगर वहीं पर संस्कारित करके हम भेजें, दूसरा संस्कार जहां पर वह अध्ययन करता है, बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करता है, वहां पर अगर पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि बच्चों से सिगरेट अगर अध्यापक मंगाने लग जाएगा तो इससे ज्यादा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? माननीय सभापति महोदय, यह सब पहलू ऐसे हैं, जो चिंतनीय पहलू हैं और जिन पर हमको विचार भी करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब तो हो गया, और क्या बाकी है?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और भी बोलूं?

**श्री सभापति**: हो गया।

प्रश्न यह है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

**खंडश: विचार**

खंड- 2 से 7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खंड- 2 से 7 स्वीकार किये गये।

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खंड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, पारित कराएं।

## विधेयक का पारण

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्री जितेन्द्र सिंह।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, करीब-करीब सारी चर्चा हो चुकी है लेकिन I'm the only doctor in this House. So, it's my moral duty. Deputy Leader of the Opposition...

**श्री सभापति**: आपकी तरफ से कोई एक्सपर्ट कमेंट आ जाए।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): मैं शार्ट में बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, Bebout मेडिसिन के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने टोबैको के लिए कहा, तंबाकू के लिए कि "tobacco is such a witch, which lick the throat and bytes lungs and heart." यानी, यह तंबाकू इस तरह की डायन है जो गले को काटती है और हृदय और फेफड़े को खाती है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बार जर्मनी में जाने का मौका मिला, माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजीशन, मैं म्यूनिख मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे दुभाषिया जो यूनिवर्सिटी का कैम्पस दिखा रही थी तो एक डिपार्टमेंट जो पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बाहर मैं खड़ा हुआ था तो वहां पर लिखा हुआ था डिपार्टमेंट आफ, ऊपर तो वह जर्मन में था, वह मैं नहीं जानता, नीचे लिखा हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ चरकोलोजी। मैंने दुभाषिया से पूछा, वह एक लेडी थी, मैंने कहा कि मैडम, it should be the Department of Serology. वह मुझे देखकर हंसने लगी, यह बीस वर्ष पहले की बात है, उसने कहा कि well, Charak was a great Physician of India and in the Honor of Charak's, we have named our department as Department of Charakology. मुझे मन से बहुत खुशी हुई कि कम से कम उस देश में जहां चरक सुश्रुत, चरक ने उस समय आज से मैं समझता हूं कि हजारों साल पूर्व इसका उन्होंने, hazards of tobacco बताया।

माननीय सभापति महोदय, मैं शार्ट में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लंबी चौड़ी, दो-दो माननीय फार्मर हैल्थ मिनिस्टिर बैठे हैं, प्रजेंट हैल्थ मिनिस्टर सामने बैठे हैं and they have gone all the data's. तीन, दो तो फोर्मर हैं और एक प्रजेंट हैं।

**श्री सभापति**: वैसे तो वह सुपरलेटिव डिग्री है।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, Hindustan is a house of tobacco smokers. 12 करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अंदर टोबैको स्मोकर्स हैं और पूरी दुनिया का विवरण आपने दे दिया कि 60 लाख लोगों की डैथ हो जाती है लेकिन मुझे जो मेरे जेहन में बात गुजरी, माननीय सभापति महोदय, मैं मेडिकल कालेज में था, I'll take little more time, Sir, और डाक्टर कौशिक मेरे साइट पार्टनर थे। उन्होंने कहा डाक्टर साहब, भाई साहब, छोटा भाई महाराजा कालेज हास्टल में बीमार है दो तीन दिन से, खांसी है, बुखार है, 17 साल उनकी एज थी, माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजीशन, हम डाक्टर हंसकुमार जो हमारे बहुत प्रोमिनेंट डाक्टर थे चैस्ट के, उनको दिखाने ले गये तो उन्होंने बाहर भेजकर मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने कहा कि डाक्टर साहब, यह लड़का, 17 साल एज थी, माननीय सभापति महोदय, यह लड़का सिगरेट स्मोकर है क्या? मैंने कौशिक से पूछा कि यह छोटा भाई पीता है

(श्री जितेन्द्र सिंह)

क्या? तो वह बोले सारी जिंदगी में नहीं पी। फिर कौन पीता है? बोले कि हमारा पार्टनर जो महाराजा कालेज हास्टल में रहता है, वह रोज पांच पैकेट सिगरेट के पी जाता है। डाक्टर हंसकुमार ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि look doctor, here are the cannon ball appearance in the lungs is known as the advanced lung cancer. मुझे अफसोस है कि जो सिगरेट पी रहा था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा और जो धुआं पी रहा था, वह 17 साल का जवान लड़का कैंसर से मर गया। कल टाटा मेमोरियल हास्पिटल के डा. आडवाणी का स्टेटमेंट आ रहा था, he is the prominent in the World. वर्ल्ड में डा. आडवाणी का अपना नाम है। उनके पास एक लेडी पेशेंट आयी she was a case of lung cancer. उसने कहा सर, मेरा बच्चा भी है। उन्होंने उस पांच साल के बच्चे को देखा, सी.टी. स्केन कराया। सभापति महोदय, फेफड़ा गुलाबी होता है, उस पांच साल के बच्चे के गुलाबी फेफड़े में ब्लैक कलर के कैनन बाल्स थे, यानी एडवांस कैंसर। दुनिया में 60 लाख तो वे चले जाते हैं, जो स्मोक करते हैं और 6 लाख वह निर्दोष लोग समाप्त हो जाते हैं, जो स्मोक नहीं करते and these are the hazards, so what I have to speak और यह हमारे माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, यह बात है 1993 की, उस समय मेडिसिन एक थी। आपके वक्त में ही शुरुआत हुई कि इसमें कार्डियोलॉजी अलग बने न्यूरोलॉजी अलग बने, I was the man, मदेरणा जी उस वक्त हमारे लीडर आफ अपोजिशन थे, उन्होंने कहा डाक्टर साहब, आप बोलिए। मैं उस वक्त बोला। मुझे खुशी है कि उस वक्त से यह जो शुरुआत हुई और आज कितना बड़ा कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरोलॉजी का हो गया।

Hon’ble Minister, you are sitting here, सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में मौतें होती हैं, 10 लाख प्रति वर्ष मरते हैं। एक करोड़ लोग इसके दायरे में हैं। आपने श्वांस रोग संस्थान, टी.बी. एण्ड चैस्ट तो बना दिया। माननीय आप भी मिनिस्टर थे, टी.बी. एण्ड चैस्ट का नाम श्वांस रोग संस्थान रखा गया था। श्वांस रोग संस्थान में आपके स्पेशलिस्ट भरे पड़े हैं, बैठे हैं पर जो एम.डी. पलमोनोरि मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हैं। एक भी विशेषज्ञ, एस.एम.एस. हास्पिटल में श्वांस रोग का विशेषज्ञ नहीं हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो इतना बड़ा है, एक आप रोटेटली आउटडोर रखें,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

लेकिन एस.एम.एस. हास्पिटल में जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बना है, जैसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बना तो आपके रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए अलग से रोटेटली आप उनकी पोस्टिंग एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में कीजिए ताकि उसका फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा महत्व है, पीने वालों के साथ, मुरली देवड़ा ने 2001 में विश्व में सबसे पहले शुरुआत हुई वर्ल्ड में सबसे पहले इन-जनरल पब्लिक प्लेसेज में स्मोकिंग बंद किया केरला ने। 2008 में पूरी कंट्री के अंदर कानून बना, क्योंकि जो सिगरेट हम पी रहे हैं, जिसके लिए सारा विवरण दिया। माननीय सभापति महोदय, शार्ट में, मैं आपको बताना चाहूंगा, the hazards जो हमारे माननीय फोर्मर हैल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा कार्डियोलॉजी में 50 प्रतिशत केसेज हैं, यह घी से नहीं मरते हैं, यह स्मोक से मरते हैं। अपन बात करते हैं न कि घी से खतम होते हैं, 50 percent of the deaths are due to this smoking. ब्लैक बनता है इससे सारा और यह जो हमारे अल्जाइमर, अल्जाइमर में हमारे बड़े-बड़े नेता चले गये। अल्जाइमर ओल्ड-एज डिजीज हैं, इसमें सारी मेमोरी चली जाती है। It is due to smoke. हैमीप्लीजिया और अल्जाइमर तो हमारे माडर्न वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बीमारी है। मुर्दा जिन्दा लाश की तरह बैड के ऊपर पड़ा रहता है। This is due to smoke.

**श्री सभापति**: डाक्टर साहब, इतनी बीमारियां बता रहे हो, जल्दी ही मर जाएगा आदमी।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): I'm just finishing, Sir.

**श्री सभापति**: इतनी बीमारियों के नाम मत बताओ, डर के मारे ही मर जाएगा आदमी।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): वह तो इसलिए बता रहा हूं कि मेरी मोरल ड्यूटी है, डाक्टर हूं और यहां मंत्री बैठे हैं, बड़े-बड़े लीडर बैठे हैं।

**श्री सभापति**: अभी एक माननीय सदस्य को और बोलना है।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी): In the last Buerger's disease, यह है स्मोकर का पांव तक कट जाता है, ब्लड सप्लाई लास्ट में जाकर रूक जाती है। माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं आपको बताना चाहूंगा और अंत में स्वास्थ्य मंत्री महोदय से एक और रिक्वेस्ट है कि आप एक नई पालिसी ला

(श्री जितेन्द्र सिंह)

रहे हैं कि गांव के अंदर डाक्टर्स की जितनी भी क्लिनिक्स हैं, एक तरफ डाक्टर बनाने की बात है, उनका रजिस्ट्रेशन सारा अनिवार्य हो। यह बहुत अच्छी बात है, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, लेकिन गांवों में एक-एक, दो-दो डाक्टर्स भी बैठे रहते हैं। यह एटलिस्ट जो फोर्मर मिनिस्टर ने किया था कि ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी बैडेड हास्पिटल का इम्प्लीमेंट हो, वर्ना यह डाक्टरों ने जो कल हड़ताल की थी, यह ऐसी की ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। एक भी डाक्टर गांवों में बैठने वाला नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया और मेरा आपसे आग्रह है कि इसको पारित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्रीमती शकुन्तला रावत। दो मिनट में ही समाप्त करो आप भी।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सभापति महोदय, कहो तो मैं वैसे ही बैठ जाऊं।

**श्री सभापति**: फिर दुबारा समय बढ़ाना पड़ेगा, क्या फायदा।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): नशा एक नाश है। शिक्षा की कमी के कारण, मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री के कारण, बुरी संगत के कारण, माडर्न बनने के कारण, आजकल युवा में माडर्न बनने की चाहत है। सिनेमा का प्रभाव है, मानसिक बीमारी है। नशे के दुष्परिणाम से गरीबी, बेरोजगारी, आपराधिक प्रवृत्ति, लड़ाई-झगड़े, डकैती, बलात्कार और युवाओं में अनाचार बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में वर्तमान में नशा एक फैशन बन रहा है और फैशन के रूप में यह धारण किया जा रहा है। आज के युवा नशे की ओर एक चुंबक की तरह खिंचते जा रहे हैं और आज के युवा और युवतियां इस फैशन की दौड़ में आगे भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही आज ऐसा विधेयक लाने की जरूरत पड़ी है। अगर यह सक्रियता से क्रियाशील होगा तो निश्चित रूप से इन चीजों पर रोक लगायी जाएगी। परिवार टूटते हैं, एक-एक गांव में कम से कम दस-दस, बीस-बीस परिवार ऐसे हैं, जहां नशे के कारण परिवार बर्बाद हो गये हैं, आत्महत्याएं होती हैं, तलाक होते हैं और राजस्थान की युवा पीढ़ी को इससे रोकना पड़ेगा, भटकते हुए युवाओं को रोकना पड़ेगा। रेस्टोरेंट, होटल, जहां सिगरेट, हुक्का-बार और नशे का सामान मिलता है, ऐसे होटलों को सख्ती से बंद किया जाना

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

चाहिए। जैसे अख़बार में रोजाना पढ़ते हैं कि सड़कों पर आये दिन नशे में कितनी मौतें होती हैं, कितनी तेज गाड़ियों को दौड़ाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता नशे के अंदर कि वह किस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह अस्पतालों में मरीज भर्ती होते हैं, इसी तरह से प्रत्येक जिले में एक-एक नशा मुक्ति केन्द्र खुले जिससे कि युवाओं को सुधारा जा सके, वहां पर भर्ती कराया जा सके और जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है और ऐसे जो विज्ञापन आते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए कठोर नीति और नियम बने। विधिक सेवा संस्थानों द्वारा भी प्रभावी नीतियां बनानी चाहिए। सरकारी संस्थानों पर ही अवैध बिक्रियों पर रोक लगानी चाहिए जिससे कि भारत और राजस्थान का युवा सुधर सके।

'छा गया है नशे का मातम चारों ओर
वक्त रो रहा है, देखिए इंसान
यह मेरे देश का क्या हाल हो रहा है।'

धन्यवाद, साहब।

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री। आप कुछ बोलना चाहें, तो बोलिए।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बोल लिये। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पारित करें।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 05 अगस्त 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनंतर सदन की बैठक 19.18 बजे सोमवार, दिनांक 05 अगस्त 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

## डग में अल्पसंख्यक कल्याण योजनान्तर्गत लाभार्थी

**433. श्री कालूराम** (डग): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में गत पांच वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण की कौन-कौनसी योजनाओं में किस-किसको लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में गत पांच वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं में लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ऋण वितरण योजना (RMFDCC):- संलग्न परिशिष्ट - "अ"
2. मदरसा आधुनीकरण योजना:- संलग्न परिशिष्ट - "ब"
3. कौशल विकास प्रशिक्षण योजना:- संलग्न परिशिष्ट - "स"
4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:- संलग्न परिशिष्ट - "द"
5. मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना:- संलग्न परिशिष्ट - "य"

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना में वर्ष 2017-18 से केन्द्र सरकार के नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल पर विधान सभावार या ब्लाकवार आंकड़े उपलब्ध नहीं होकर केवल जिलेवार ही उपलब्ध है, इसलिए वर्ष 2017-18 व 2018-19 की सूचना सम्पूर्ण जिले की दी गई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में अनियमितताओं की शिकायतें

**437. श्री पृथ्वीराज** (टोडाभीम): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की पिछले पांच वर्षों में कितनी शिकायतें किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं से प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पृथ्वीराज)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के अधीन दुग्ध सहकारी समितियों को सरस पशु आहार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य किया हुआ है जबकि अध्यक्ष द्वारा किसान केसरी डेयरीटेक पशु आहार समितियों को खरीदने का दबाव डाला जाता है और दबाव में न आने पर उन समितियों को किसी न किसी आधार पर बंद कर दिया जाता है? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर डेयरी में दूध खरीद की दरें अन्य डेयरियों की अपेक्षा अधिक हैं जिसके कारण जयपुर व दौसा जिले के अलावा अन्य जिलों की डेयरियों से नियम विरुद्ध दूध खरीदा जाता है जिसमें भारी अनियमितता की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर डेयरी में अन्य जिलों से दूध खरीद मामले की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की पिछले पांच वर्षों में कुल 18 शिकायतें विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से प्राप्त हुई हैं। उक्त 18 शिकायतों पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच की गयी है। विगत पांच वर्षों से प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई जांच, जिसके जांच निष्कर्ष एवं कार्यवाही विवरण प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) आरसीडीएफ के संचालक मण्डल से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सरस पशु आहार के लक्ष्य आबंटित कर समस्त जिला दुग्ध संघों के माध्यम से समितियों को पशु आहार विक्रय के लिए पाबंद किया जाता है तथा मासिक प्रोग्रामिंग कमेटी बैठक में नियमित समीक्षा की जाती है। (छाया प्रति प्रदर्श-2 पर संलग्न)

आरसीडीएफ के उपनियम: 3.2(11), 3.2(13) एवं 3.2(26) के प्रावधान अनुसार विभिन्न जिला दुग्ध संघों से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादकता संवर्धन के लिये सरस संतुलित पशु आहार विभिन्न जिला दुग्ध संघों के माध्यम से उनकी मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता के दूध

(गोपालन मंत्री)

उत्पादन से दुग्ध उत्पादक सदस्यों की आय में वृद्धि हो सके तथा उपभोक्ताओं को उपयोग हेतु अच्छी गुणवत्ता का सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो सके। पशु आहार संयन्त्रों यथा बीकानेर, जोधपुर, पाली, लाम्बियाकलां (भीलवाड़ा), अजमेर एवं नदबई तथा जयपुर दुग्ध संघ से सम्बद्ध पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा (चौमूं) कुल उत्पादन क्षमता 1800 मै.टन प्रतिदिन के द्वारा दुग्ध समितियों से प्राप्त मांग के अनुसार सरस पशु आहार उपलब्ध कराया जाता है।

समितियों पर न तो किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है और न ही इस कारण किसी समिति को बन्द किया जाता है। किसान केसरी डेयरी टेक पशु आहार संयन्त्र से सम्बन्धित तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री बद्रीलाल शर्मा द्वारा शिकायत (प्रदर्श-3 पर संलग्न) यथा ''चौमूं क्षेत्र के ग्राम जाटावाली (चौमूं) में जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओमप्रकाश पूनिया ने डाला निजी पशु आहार संयन्त्र जिसकी जांच संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ द्वारा की गई, जिसकी जांच निष्कर्ष/कार्यवाही विवरण प्रदर्श-1 के क्रम संख्या-16 पर अंकित है जो सारहीन माना गया है।
2. जयपुर दुग्ध संघ के अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के 10 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों एवं अन्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा शिकायत (प्रदर्श-4 पर संलग्न) यथा ''जयपुर दुग्ध संघ से सम्बन्धित दुग्ध समितियों द्वारा किसान केसरी पशु आहार बेचे जाने के बाबत'' शिकायत, जिसकी जांच जयपुर दुग्ध संघ स्तर से की गई (प्रदर्श-5 पर संलग्न) एवं उल्लेखित दुग्ध समितियों पर मौका निरीक्षण किया गया, किसी भी दुग्ध समिति पर किसान केसरी पशु आहार नहीं पाया गया। सम्बन्धित दुग्ध समिति के सचिवों द्वारा यह भी लिखित में दिया गया है कि उनकी समिति पर दुग्ध उत्पादकों की मांग अनुसार केवल सरस पशु आहार ही मंगवाया जाता है। अत: शिकायत निराधार पाई है।
3. श्री शंकर कुमावत द्वारा शिकायत यथा ''सरस पशु आहार की अनुपलब्धता एवं किसान केसरी के नाम से खराब गुणवत्ता के पशु आहार की शिकायत'' जिसकी जांच जयपुर दुग्ध संघ के कार्यालय आदेश क्रमांक 15111 दिनांक 31.07.2019 द्वारा प्रभारी उप केन्द्र

(गोपालन मंत्री)

दूदू द्वारा जांच की जा रही है। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है। विस्तृत विवरण प्रदर्श-1 के क्रम संख्या-18 पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि जयपुर डेयरी में दूध खरीद की दरें अन्य डेयरियों की अपेक्षा अधिक है, परन्तु इस कारण नियम विरुद्ध दूध खरीदने एवं भारी अनियमितता करने का कोई प्रकरण नहीं है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत आरसीडीएफ को प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच करवाई जाएगी। जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों की अनुमोदित दुग्ध क्रय दर का विवरण प्रदर्श-6 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## डूंगरपुर में वन-खण्ड का परिवर्तन/अस्तित्व

**441. श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में कितने वन खण्ड हैं व उक्त वन-खण्ड कब-कब अस्तित्व में आये और उक्त खण्डों का कितना-कितना क्षेत्र है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वन-खण्डों व उनके क्षेत्र में कब-कब कितना-कितना परिवर्तन हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने आदिवासी वन भूमि पर काबिज हैं और वर्ष 1980 से अब तक कितने लोगों ने दावे पेश किये हैं? अब तक कितने लोगों को पट्टा जारी किया गया और कितनों को पट्टा जारी नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला डूंगरपुर में 91 वनखण्ड हैं, जिनका क्षेत्रफल तथा अस्तित्व में आने संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) उक्त वन खण्डों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार डूंगरपुर

(राज्य मंत्री, वन)

जिले में 7585 आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर काबिज होकर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत व्यक्तिगत वनाधिकार दावे प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें से 4688 आदिवासियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र जारी किये गए हैं। विभिन्न कारणों एवं दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से 2897 व्यक्तिगत वनाधिकार दावे निरस्त किये गये हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरस्त दावों की पुनर्समीक्षा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कर रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आबंटित खानों में अनियमितताओं के दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

**445. श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश मे वर्ष 2014 से 2018 तक नियमों का उल्लंघन कर खानें आंवटित की गई हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमितता में दोषियों को भी चिन्हित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस कारण से? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है? यदि हां, तो किस-किस का और कब-कब व नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2014 से 2018 तक नियम/प्रक्रिया का उल्लंघन कर 24 खानें आबंटित किया जाना पाया गया। उक्त आबंटित खानों को राज्य सरकार द्वारा प्रभावशून्य घोषित किया गया है। प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त 24 प्रकरणों में से 5 प्रकरणों में दोषियों को चिन्हित कर

(खान मंत्री)

लिया गया है। चिन्हित 5 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में 3 कार्मिकों के विरुद्ध 16 सीसीए में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, 2 प्रकरणों में दोषी को अलिखित चेतावनी जारी की जा चुकी है तथा 1 प्रकरण में दोषी कार्मिक को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है। शेष 19 प्रकरणों में दोषियों का चिन्हीकरण व उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) खण्ड-1 के उत्तर में अंकितानुसार नियम/प्रक्रिया का उल्लंघन कर स्वीकृत की गई खानें राज्य सरकार द्वारा प्रभावशून्य घोषित की जा चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नवलगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों का सरकारी भवनों में संचालन

**448. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निजी भवनों में संचालित उक्त केन्द्रों को राजकीय भवनों में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के अन्तर्गत परियोजना नवलगढ़ संचालित है जिसके अन्तर्गत 227 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 13 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं तथा 14 अन्य केन्द्र निजी नि:शुल्क भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों को निजी भवनों से राजकीय भवनों में संचालन

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

के लिए सरकारी भवन की उपलब्धता के आधार पर राजकीय भवनों में संचालित करने की कार्यवाही की जाती है एवं विभाग द्वारा भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## डोली भूमियों को फसली ऋण/बीमा योजनाओं से लाभ

**452. श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डोली भूमियों को फसली ऋण योजना/ फसल बीमा योजना व अन्य योजनाओं में लाभान्वित किया जाता है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भूमियों को उक्त योजनाओं में लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। डोली भूमियों को फसली ऋण योजना/फसल बीमा योजना व अन्य योजनाओं में लाभान्वित नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। फसली ऋण योजना में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

## आसींद के आगूंचा में माइन्स कम्पनी द्वारा अनियमितताएं

**453. श्री जब्बर सिंह सांखला** (आसींद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसींद की ग्राम पंचायत आगूंचा के पास वर्षों से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की माइन्स द्वारा की जा रही माइनिंग में अनियमितता बरती जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त माइन्स के स्थान पर पूर्व में स्थित ग्राम भैरव खेड़ा को भैरव खेड़ा-II नाम देकर किसी अन्य स्थान पर बसाया गया जहां वहां के निवासियों को उनके मकानों के पट्टे आज तक जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त माइन्स कंपनी द्वारा 30,000 फिट से अधिक गहराई तक खोदने से वहां की जमीनें भी खोखली हो गई हैं?

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

(4) क्या यह भी सही है कि माइन्स के आस-पास पेड़-पौधे लगाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी द्वारा प्रावधान के अनुरूप कार्य किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा ग्राम आगूंचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में स्वीकृत खनन पट्टे में खनन कार्य भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर ही किया जा रहा है। कम्पनी को खनन कार्य संचालन हेतु आवश्यक समस्त अनुमतियां प्राप्त हैं तथा वर्तमान में खनन कार्य में कोई अनियमितता नहीं है।

(2) ग्राम भैरूखेड़ा-।। खनन पट्टे से बाहर पूर्व से ही अवस्थित है। ग्राम भैरूखेड़ा-। खनन पिट के नजदीक होने के कारण वहां के निवासियों को सुरक्षा के मध्यनजर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा वर्ष 2013 में ग्राम आगूंचा में 89.11 बीघा खातेदारी भूमि खरीद कर नया भैरूखेड़ा-। के नाम से बसाया गया। नये बसाये गये ग्राम के निवासियों को मकानों के पट्टे जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा वर्तमान में खनन पट्टा क्षेत्र में सतह से लगभग 2800 फीट की गहराई तक भूमिगत खनन पद्धति से खनन कार्य किया जा रहा है जिसमें खनन से रिक्त हुए स्थान को पेस्ट फिलिंग तकनीक से पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है। इस पद्धति से खनन पट्टा क्षेत्र में जमीनें खोखली होने की संभावना नहीं होती है।

(4) भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण सहमति व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी संचालन सम्मति की शर्तों के अनुसार खनन एवं खनन संबंधित संक्रियाओं के क्षेत्रफल की एक तिहाई भूमि पर पौधारोपण किया जाना है। खनन एवं खनन संबंधित संक्रियाओं हेतु वर्तमान तक कम्पनी द्वारा 910.80 हैक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया गया है तथा अब तक 336.11 हैक्टेयर क्षेत्र में 5,05,400 पौधारोपण किया जा चुका है। प्रतिवर्ष पौधारोपण किया जाना जारी है। खनन पट्टा क्षेत्र में एवं आसपास किये गये पौधारोपण का विवरण परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## महुवा में पशु चिकित्सा हेतु मोबाइल यूनिट का निर्माण

**454. श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महुवा में पशु चिकित्सा संबंधी मोबाइल यूनिट का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त यूनिट में पशु चिकित्सा स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र महुवा में तहसील स्तरीय मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं यह भवन पशुपालन विभाग को दिनांक 5.10.2017 को हस्तांतरित भी किया जा चुका है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## पशु सम्पदा में वृद्धि हेतु कार्य योजना

**540. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमंद): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग की वेबसाइट अद्यतन की हुई है? वेबसाइट को अन्तिम बार कब अद्यतन किया गया?

(2) प्रदेश की पशु सम्पदा में गौवंश, भैंसवंश और ऊंटों का आनुपातिक भाग वर्ष 2007, 2012 और 2017 की पशु गणना में कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त की संख्या बढ़ाने के लिए विगत 10 वर्षों में क्या कार्य किये गये एवं सरकार की इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। पशुपालन विभाग की वेबसाइट को नियमित रूप से समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है, जिसे अंतिम बार दिनांक 25.06.2019 को अद्यतन किया गया है।

(2) प्रदेश की पशुगणना वर्ष 2007 एवं वर्ष 2012 अनुसार पशुधन संख्या में गौवंश, भैंसवंश और ऊंटों का अनुपातिक भाग निम्नानुसार है :-

| पशुधन की किस्म | पशुगणना वर्ष 2007 | पशुगणना वर्ष 2012 |
|---|---|---|
| गौवंश की संख्या (लाखों में) | 121.2 | 133.24 |
| कुल पशुधन एवं गौवंश का अनुपात | 1:0.213 | 1:0.230 |
| भैंसवंश की संख्या (लाखों में) | 110.92 | 129.76 |
| कुल पशुधन एवं भैंसवंश का अनुपात | 1:0.196 | 1:0.225 |
| कुल ऊष्ट्रवंश (लाखों में) | 4.22 | 3.26 |
| कुल पशुधन एवं ऊष्ट्रवंश का अनुपात | 1:0.007 | 1:0.006 |

वर्ष 2012 की पशुगणना के पश्चात् वर्तमान में पशुगणना वर्ष 2018 प्रक्रियाधीन है, जिसके परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) गौवंश एवं भैंसवंश की संख्या में पशुगणना वर्ष 2007 से पशुगणना वर्ष 2012 में वृद्धि दर्ज हुई है। गौवंश एवं भैंसवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना,

(पशुपालन मंत्री)

पशुधन आरोग्य चल इकाई योजना, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, बीमा योजना, प्रचार प्रसार व पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत हैं। वर्तमान में विभाग की पशुधन नीति को संशोधित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

जबकि ऊंटों की घटती संख्या के मध्यनजर ऊंटों की संख्या में वृद्धि के लिए संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## वल्लभनगर में संचालित पशु चिकित्सालय

**541. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में वर्तमान में पशु चिकित्सालय कहां-कहां हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील कुराबड़ में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में संचालित पशु चिकित्सालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, वल्लभनगर
2. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, भीण्डर
3. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, कानोड
4. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, खेरोदा
5. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, कुराबड़
6. पशु चिकित्सालय, बाढेड़ाकलां
7. पशु चिकित्सालय, करणपुर
8. पशु चिकित्सालय, कुण्डई
9. पशु चिकित्सालय, लुणदा
10. पशु चिकित्सालय, मेनार
11. पशु चिकित्सालय, सवना

(पशुपालन मंत्री)

12. पशु चिकित्सालय, मोडी
13. पशु चिकित्सालय, पाणुन्द
14. पशु चिकित्सालय, जगत
15. पशु चिकित्सालय, बम्बोरा
16. पशु चिकित्सालय, खरसाण
17. पशु चिकित्सालय, रूण्डेडा
18. पशु चिकित्सालय, दरोली
19. पशु चिकित्सालय, नीमड़ी
20. पशु चिकित्सालय, तारावट

(2) जी हां। नवीन पशु चिकित्सालय आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं।

## जालौर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

**542. श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले में पशुओं की चिकित्सा हेतु कितने चिकित्सालय व उपकेन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में चिकित्सकों पशुधन सहायकों, परिचारकों, सईसों आदि के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त हैं? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जिला जालौर में वर्तमान में निम्नानुसार पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं:-

| क्र.सं. | पशु चिकित्सा संस्था का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई | 03 |
| 2 | बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय | 01 |

(पशुपालन मंत्री)

| **क्र.सं.** | **पशु चिकित्सा संस्था का नाम** | **संख्या** |
|---|---|---|
| 3 | प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय | 19 |
| 4 | पशु चिकित्सालय | 37 |
| 5 | पशु औषधालय | 06 |
| 6 | पशु चिकित्सा उपकेन्द्र | 152 |
| | **कुल** | **218** |

(2) जालौर जिले की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत पद निम्नानुसार हैं:-

| **क्र. सं.** | **पदनाम** | **स्वीकृत पदों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | उपनिदेशक | 1 |
| 2 | वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी | 22 |
| 3 | पशु चिकित्सा अधिकारी | 43 |
| 4 | पशु चिकित्सा सहायक | 28 |
| 5 | पशुधन सहायक | 208 |
| 6 | पशुधन परिचर | 103 |
| 7 | जलधारी | 145 |
| 8 | सफाईकर्ता | 28 |
| 9 | गडरिया | 7 |
| 10 | सईस | 3 |
| | कुल | 588 |

(3) इन पशु चिकित्सा संस्थाओं का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## ओसियां के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

**543. सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में कितने राजकीय पशु चिकित्सालय केन्द्र व कितने उपकेन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त केन्द्रों में कितने रिक्त पद व कितने भरे हुए पद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में स्वीकृत राजकीय पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## दलहन उत्पादन का लक्ष्य

**544. श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में एनएफएसएम (दलहन), पीएमकेएसवाई एवं पीएमओओपी का वर्ष 2018-19 में कितना लक्ष्य रखा गया है तथा कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू जिले में एनएफएसएम (दलहन), पीएमकेएसवाई एवं पीएमओओपी के कितने पात्र किसानों के आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने किसानों को उक्त योजनानुसार स्वीकृति जारी हुई तथा कितनी-कितनी राशि किसानों के खाते में जमा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) एनएमओओपी योजनान्तर्गत चूरू तहसील में किसानों के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया व इनमें से कितने किसानों को अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश में एनएफएसएम (दलहन), पीएमकेएसवाई एवं एनएफएसएम (तिलहन) (पूर्व में एनएमओओपी) के लक्ष्य एवं प्राप्ति निम्नानुसार है -

(कृषि मंत्री)

| योजना | वित्तीय लक्ष्य (लाख रु.) | वित्तीय प्राप्ति (लाख रु.) |
|---|---|---|
| एनएफएसएम (दलहन) | 15747.11 | 13523.18 |
| पीएमकेएसवाई | 20023.24 | 11795.53 |
| एनएफएसएम (तिलहन) | 9100.00 | 4091.00 |

(2) चूरू जिले में एनएफएसएम (दलहन), पीएमकेएसवाई एवं एनएफएसएम (तिलहन) योजना (पूर्व में एनएमओओपी) में किसानों के प्राप्त आवेदन, उनको योजनानुसार जारी स्वीकृति एवं किसानों के खाते में जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है -

| योजना | प्राप्त आवेदन | स्वीकृति (किसानों की संख्या) | राशि (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| एनएफएसएम (दलहन) | 2207 | 589 | 20.86 |
| पीएमकेएसवाई | 1142 | 72 | 69.55 |
| एनएफएसएम (तिलहन) | 3989 | 78 | 10.91 |

कार्यक्रमवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (पूर्व में एनएमओओपी) योजना में वर्ष 2018-19 के दौरान चूरू तहसील में 510 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए तथा 141 किसानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया व इनमें से 110 किसानों को अनुदान दिया गया। कार्यक्रमवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के तहत व्यय राशि

**545. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना कब शुरू की गई? उक्त परियोजना में कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से अब तक कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई? संचालित क्लस्टर कहां-कहां है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) उक्त परियोजना में धीमे कार्य के लिए कौन उत्तरदायी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कृषि विभाग के अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का दिनांक 27 मार्च, 2012 को विश्व बैंक से अनुमोदन हुआ जिसके फलस्वरूप परियोजना शुरू होने की तिथि 1 मई, 2012 है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्षवार आबंटित बजट राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

| **वित्तीय वर्ष** | **आबंटित बजट (रुपए करोड़ में)** |
|---|---|
| 2011-12 | 0.500 |
| 2012-13 | 45.000 |
| 2013-14 | 41.250 |
| 2014-15 | 40.000 |
| 2015-16 | 85.000 |
| 2016-17 | 125.000 |
| 2017-18 | 180.200 |
| 2018-19 | 172.690 |

वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा परियोजना के री-स्ट्रक्चरिंग का निर्णय लिया गया तथा री-स्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया जून 2016 में पूर्ण हुई तथा परियोजना व वित्तीय अनुबन्ध में संशोधन माह अगस्त 2016 में हस्ताक्षरित किये गये।

(2) उक्त राशि में से अब (जून 2019) तक 17 क्लस्टर्स में विभिन्न गतिविधियों, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) (कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जल संसाधन एवं भू-जल विभागों में स्थापित) व परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.), अरावली व राजूवास में विभिन्न मदों में राशि रु. 381.31 करोड़ व्यय की गई है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(कृषि मंत्री)

| **वित्तीय वर्ष** | **व्यय की गई राशि (रुपये करोड़ में)** |
|---|---|
| 2011-12 | 0.36 |
| 2012-13 | 2.14 |
| 2013-14 | 3.58 |
| 2014-15 | 4.61 |
| 2015-16 | 8.58 |
| 2016-17 | 53.52 |
| 2017-18 | 112.85 |
| 2018-19 | 163.5 |
| 2019-20 (जून 2019 तक) | 32.17 |

परियोजना के अन्तर्गत कुल 17 क्लस्टर्स संचालित हैं:- नहरी क्षेत्र (1 जेड डिस्ट्रीब्यूटरी-श्रीगंगानगर, 2 खेरूवाला-जैसलमेर 3 फूलासर-बीकानेर 4 पलायथा-बारां), नहरी व जलग्रहण क्षेत्र (5 गुढा-बूंदी, 6 ओरई-बस्सी -चित्तौड़गढ़, 7 जाखम-प्रतापगढ), भू-जल क्षेत्र (8 पीसांगन-अजमेर, 9 बौंली-सवाईमाधोपुर, 10 सांगोद-कोटा), जलग्रहण क्षेत्र (11 लाडनूं-नागौर, 12 मोखमपुरा-जयपुर, 13 बानसूर-अलवर, 14 दूनी देवली-टोंक, 15 बाड़ी-धौलपुर, 16 कुशलगढ़-बांसवाड़ा एवं 17 मनोहरथाना-झालावाड़)।

(3) प्रारम्भिक अवधि वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान धीमी प्रगति के कारण राज्य सरकार द्वारा परियोजना की री-स्ट्रक्चरिंग का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप परियोजना की री-स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया जून 2016 में पूर्ण हो पायी जिसके कारण परियोजना की वास्तविक शुरुआत वर्ष 2016-17 में हो पायी। वर्ष 2016-17 से परियोजना में प्रगति संतोषजनक है।

## रामगंज मण्डी में पत्थर खनन लीजों पर अतिक्रमण

**546. श्रीमती कल्पना देवी** (लाडपुरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र में पत्थर खनन हेतु कुल कितनी लीज जारी की गई हैं? किस-किस लीज धारकों को किस-किस माप की लीज, कितने-कितने समय के लिए जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

(2) क्या उपरोक्त लीज धारकों को लीज सबलेट करने के अधिकार हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि कुछ लीज धारकों की लीज पर अन्य लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस लीजधारक की लीज पर किस-किस ने कितना-कितना अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र में वर्तमान में 51 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। खनन पट्टाधारी का नाम, क्षेत्रफल व खनन पट्टे की अवधि का विवरण परिशिष्ट-**1** पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 27(1) के अन्तर्गत लीज धारक को सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना खनन पट्टा किसी को भी सौंपना (assign), सबलेट करना, रहन रखना अथवा अन्य किसी भी तरह से हस्तांतरण अनुमत नहीं है।

(3) जी नहीं। कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के रिकार्ड अनुसार रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र के किसी भी खनन पट्टाधारी द्वारा उनके खनन पट्टा क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण/कब्जा किये जाने बाबत कोई परिवाद, शिकायत अथवा आई.पी.सी. की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाकर सूचित किये जाने का कोई प्रकरण नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध संघ में अनियमितताओं की जांच

**547. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध संघ में प्रबन्ध संचालक के पद पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध पद पर रहते हुए अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है? यदि हां, तो ऐसे प्रकरण में अधिकारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संघ में प्रबन्ध संचालक के पद पर

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध पूर्व में भी अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है? यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें पुन: उसी पर नियुक्ति दी गई तथा किन नियमों के तहत व किस स्तर से अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। श्री सोहन बरड़वा, उप प्रबन्धक (संयंत्र) तत्कालीन प्रबन्ध संचालक चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपराध संख्या 190/2011 दर्ज होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक- 6601-6 दिनांक 27 मई, 2011 द्वारा इन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर निलम्बन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय जयपुर किया गया।

ब्यूरो में दर्ज उक्त प्रकरण में श्री बरड़वा के पैतृक दुग्ध संघ बाड़मेर द्वारा अभियोजन स्वीकृति से मनाही किये जाने तथा श्री बरड़वा के निलम्बन काल की अवधि 3 वर्ष से अधिक हो जाने के फलस्वरूप श्री बरड़वा का निलम्बन निरस्त कर बहाल किये जाने के आदेश क्रमांक- 12095-100 दिनांक 18.06.2014 जारी किये गये।

(2) जी हां। वर्तमान में श्री सोहन बरड़वा, प्रबन्ध संचालक, दुग्ध संघ चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ के विरुद्ध पूर्व में उनके इसी संघ में प्रबन्ध संचालक पद पर पदस्थापन के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

इनकी नियुक्ति राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के उप नियम बिन्दु सं. 29.2(18) के तहत प्रबन्ध संचालक जिला दुग्ध संघ, चित्तौड़गढ़ के पद पर प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ द्वारा की गई है।

## नागौर जिले में संचालित गौशालाओं को प्रदत्त अनुदान

**548. श्रीमती मंजु देवी** (जायल): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में सरकारी एवं निजी स्तर पर कहां-कहां पर कितनी गौशालाएं कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गौशालाओं को कितना-कितना अनुदान किस-किस मद से दिया जाता है?

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल की गौशालाओं के लिए रखरखाव एवं

(श्रीमती मंजु देवी)

व्यवस्था में सरकार द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गोचर भूमि को गौशालाओं के नाम पंजीयन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) गौशालाओं की स्थापना/संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा किया जाता है।

नागौर जिले में अवस्थित 533 गौशालाओं एवं कांजी हाउस की सूचना मय स्थान तथा संचालित वर्ष का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पात्र गौशालाओं/कांजी हाउस में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु बड़े गौवंश के लिए रु. 32 व छोटे गौवंश के लिए रु. 16 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बड़े गौवंश हेतु रु. 40 व छोटे गौवंश हेतु रु. 20 प्रतिदिन की दर से सहायता राशि दिये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 09.03.2019 जारी किया जा चुका है।

सहायता राशि राज्य निधि (गौशालाओं को अनुदान) मद से दिया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल की गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा, कृमि नाशक दवा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं निकटवर्ती पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(4) जी नहीं। रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा गोचर भूमि गौशाला प्रयोजनार्थ आबंटित करने हेतु जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आबंटन) नियम, 1957 के तहत गुणवागुण के आधार पर विचार किया जाकर भूमि आबंटन की कार्यवाही की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाड़मेर शहर में नंदी गौशाला व कांजी हाउस की स्थापना

**549. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बाड़मेर शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु कोई नंदी गौशाला एवं कांजी हाउस खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद् बाड़मेर के आवारा पशुओं हेतु नंदीशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। प्रत्येक जिले में एक ही नंदीशाला खोले जाने का प्रावधान है। नन्दी गौशाला सरकार द्वारा नहीं खोली जाती है अपितु स्वयंसेवी संस्थानों/ट्रस्टों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा खोली जाती है। श्री मामडियाई गौशाला सेवा समिति, आकडली बक्शीराम, बाड़मेर में नंदीशाला संचालित की जा रही है।

(2) वर्तमान में प्रत्येक जिले में एक ही नंदीशाला खोले जाने का प्रावधान है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई है।

## राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की वसूली एवं लाभ में कमी

**550. श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 से 2018 के दौरान राज. राज्य सहकारी की भूमि विकास बैंक लि. की वसूली एवं लाभ में निरन्तर गिरावट आयी थी? यदि हां, तो कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्षों के दौरान हुई वसूली में कमी एवं लाभ में गिरावट की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि नाबार्ड के नियमानुसार किसी भी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की वसूली 25 प्रतिशत से कम होने पर उस प्राथमिक बैंक को ऋण वितरण के लक्ष्य नहीं दिये जाते? यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस-किस प्राथमिक बैंकों को ऋण वितरित किया गया? ऋण वितरित किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध मार्च 2018 में शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हां तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों एवं अब कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने उक्त अवधि के दौरान बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले वाहन ऋण एवं नगद साख सीमा को स्वयं के उपयोग में ले ली है जबकि नियमानुसार वाहन ऋण राशि का भुगतान विक्रेता को करना चाहिये था? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली में कमी के कारण राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की वसूली में गिरावट आयी है।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में लाभ में रहा तथा वर्ष 2017-18 में नाबार्ड के परिपत्र की पालना में एन.पी.ए. के प्रोविजन्स करने के कारण हानि में रहा है।

(2) उक्त अवधि में राज्य सरकार, रजिस्ट्रार कार्यालय एवं बैंक प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर वसूली की समीक्षा की जाकर प्राथमिक बैंकों को वसूली में वृद्धि हेतु उपाय किये गये हैं। भूमि विकास बैंकों की वसूली बढ़ाने हेतु एकमुश्त समझौता योजना भी लागू की गई थी।

(3) नाबार्ड द्वारा 25 प्रतिशत से कम वसूली होने पर पुनर्वित्त नहीं करने हेतु सूचित किया था, किन्तु बैंकों के एन.पी.ए. में कमी करने तथा व्यावसायिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य सहकारी भूमि

(सहकारिता मंत्री)

विकास बैंक के स्वयं के वित्तीय स्रोतों से ऋण प्रदान किया गया था। प्राथमिक बैंकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। मार्च 2018 में एक शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के क्रम में विभाग के पत्र दिनांक 16.08.2018 द्वारा प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर को वसूली प्रतिशत में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने एवं पुराने दो वाहनों के निस्तारण के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(5) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर के प्रबन्ध निदेशक को उक्त अवधि के दौरान रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक फा. 48(13)सविरा/बैंक-2/2012 दिनांक 27.01.2017 एवं बैंक में प्रचलित वाहन ऋण/नकद ऋण योजनानुसार, वाहन ऋण एवं नकद साख स्वीकृत की गई थी। वाहन ऋण नियमों में वाहन हेतु, ऋण राशि का क्रेता अथवा विक्रेता को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है तथा ऋणी से मासिक रूप से ऋण किश्त की नियमित वसूली की जा रही है। नियमानुसार ऋण वितरण एवं ऋण वसूली होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में बेलदारों के रिक्त पद

**551. श्री गोविन्द राम** (खाजूवाला): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत वर्कचार्ज कर्मचारी (बेलदार) के 90 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वर्क चार्ज कर्मचारियों (बेलदार) के पद रिक्त नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(3) वित्त/व्यय-3/93 दिनांक 20.09.1995 द्वारा वर्क चार्ज कर्मचारियों (कार्य प्रभारी कर्मकारों) के सम्बन्ध में यह प्रावधान कर दिया गया था कि जैसे-जैसे

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

कार्य प्रभारी कर्मकारों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्याग पत्र/बर्खास्तगी अथवा अन्य कारण से रिक्तियां होंगी, ये पद स्वत: ही समाप्त होते जायेंगे।

(2) पद रिक्त नहीं होने के कारण इन्हें भरा जाना सम्भव नहीं है।

## किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसान

**552. श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना प्रारम्भ करने की दिनांक से लेकर 30 जून, 2019 तक सरकार द्वारा कितने किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ करने की दिनांक से लेकर 30 जून, 2019 तक प्रथम किश्त में 14,93,023 किसानों को राशि रुपये 2,98,60,46,000/- एवं द्वितीय किश्त हेतु 49,599 किसानों को राशि रुपये 9,91,98,000/- केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी।

उक्त जारी राशि में से दिनांक 30.06.19 तक 14,82,077 किसानों के खातों में प्रथम किश्त राशि रु. 2,96,41,54,000/- एवं 49,562 किसानों के खातों में द्वितीय किश्त राशि रु. 9,91,24,000/- हस्तान्तरित हो चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## फुलेरा में समर्थन मूल्य पर खरीद

**553. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कितने केन्द्र कहां-कहां हैं? उक्त केन्द्रों पर रबी की गेहूं आदि किन-किन फसलों को समर्थन मूल्यों पर खरीद करने की स्वीकृति एवं व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) समर्थन मूल्यों पर खरीद किस तिथि से प्रारम्भ हुई एवं मार्च,

(श्री निर्मल कुमावत)

अप्रेल, मई, जून 2019 माह में कितनी मात्रा में किन-किन फसलों की खरीद की गई तथा उक्त केन्द्रों पर उक्त अवधि में कब-कब खरीद प्रक्रिया बंद रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में रबी विपणन वर्ष 2019 में गेहूं खरीद हेतु कोई केन्द्र नहीं था।

चना व सरसों की खरीद हेतु फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सांभर एवं रेनवाल दो केन्द्र स्थापित किए गए थे।

(2) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सांभर व रेनवाल क्रय केन्द्रों पर सरसों व चना की खरीद दिनांक 1.04.19 से प्रारम्भ की गई।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद केन्द्र आबंटित नहीं होने के कारण माह मार्च-जून 2019 में गेहूं की खरीद नहीं की गई।

माह मार्च-जून 2019 में सांभर व रेनवाल केन्द्रों पर क्रय किए गए चने व सरसों की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:-

**केन्द्र - सांभर** **मात्रा मै. टन में**

| माह | सरसों | चना |
|---|---|---|
| मार्च | - | - |
| अप्रेल | 304.70 | 182.10 |
| मई | 397.15 | 116.10 |
| जून | 42.10 | 7.20 |

**केन्द्र - रेनवाल** **मात्रा मै. टन में**

| माह | सरसों | चना |
|---|---|---|
| मार्च | - | - |
| अप्रैल | 742.60 | 37.20 |
| मई | 1040.80 | 3.80 |
| जून | 592.75 | - |

खरीद अवधि में रविवार को छोड़ कर खरीद प्रक्रिया निरंतर जारी रही है।

## नारायण सिंह सर्किल, जयपुर स्थित बस स्टैण्ड का स्थानान्तरण

**554. श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बढ़ती आबादी एवं दैनिक समस्या को मध्यनजर रखते हुए नारायण सिंह सर्किल जयपुर स्थित बस स्टैण्ड का संचालन अन्यत्र स्थान से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की जनहित याचिका के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर द्वारा नारायण सिंह सर्किल बस स्टैण्ड के नजदीक अन्य उपयुक्त स्थान पर राजस्थान परिवहन निगम को नि:शुल्क भू-आबंटन किये जाने के उपरान्त नारायण सिंह सर्किल बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित किया जाना संभव हो पायेगा।

## बगरू में बस स्टैण्ड का निर्माण

**555. श्रीमती गंगा देवी** (बगरू): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में बगरू मुख्यालय से होकर कहां-कहां की परिवहन बस सेवा के रूटों का निर्धारण किया हुआ है? प्रतिदिन बगरू से होकर आने-जाने वाली परिवहन बस सेवा की संख्या सूची व ठहराव का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बगरू मुख्यालय पर परिवहन बस सेवा का स्टैण्ड नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बगरू मुख्यालय पर बस स्टैण्ड व कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित वाहनों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

उक्त वाहनों में से बगरू ठहराव नहीं कर रही वाहनों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) बगरू मुख्यालय पर राजस्थान परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि नहीं है। निगम के सीमित संसाधनों के कारण बगरू में बस स्टैण्ड बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। निगम वाहनें मुख्य मार्ग पर ही यात्रियों को चढ़ाती/उतारती हैं।

(3) जी नहीं। प्रश्न का उत्तर खण्ड "2" में दिया जा चुका है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शहीद सैनिकों के आश्रितों को प्रदत्त सुविधाएं

**556. श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 10 वर्षो में कितने सैनिक शहीद हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने सैनिकों के आश्रितों को क्या-क्या मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ प्रदान किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने सैनिकों के आश्रितों को मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ आदि बकाया है? बकाया रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बकाया प्रकरणों में आश्रितों को मुआवजा, सहायता, नौकरी व अन्य लाभ आदि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में गत 10 वर्षों में 149 सैनिक शहीद हुए हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) शहीद सैनिकों के आश्रितों को कारगिल पैकेज के अंतर्गत दिये गये लाभ का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) सैनिक के आश्रितों को बकाया लाभ/सहायता का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) जी हां। बकाया प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही कर सुविधा दिलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# राजस्थान परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित ग्रेच्युटी भुगतान प्रकरण

**557. श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कर्मचारियों को उक्त लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान रोडवेज में विभिन्न संवर्गों के कितने पद वर्तमान में कब से रिक्त हैं तथा क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सेवानिवृत्त कार्मिकों को जून 2016 से परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्तीय साध्यता होने पर भुगतान किया जाएगा।

(2) जी हां। वित्तीय साध्यता होने पर भुगतान किया जाएगा।

(3) जी नहीं। वित्तीय साध्यता नहीं होने के कारण 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सका। वित्तीय साध्यता अनुकूल होने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) राजस्थान परिवहन निगम में विभिन्न संवर्गों के (गत 5 वर्षों के) रिक्त पदों की माह मार्च 2014 से पूर्व परिशिष्ट "1" एवं उसके पश्चात् 01.5.2019 की स्थिति परिशिष्ट "2" में रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

वित्तीय साध्यता होने पर रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा

**558. श्री वाजिब अली** (नगर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्थान मदरसा बोर्ड का वैधानिक दर्जा देने हेतु कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश के मदरसा शिक्षक कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश के मदरसा शिक्षक कर्मियों का नियमितीकरण नहीं होने की स्थिति में तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। अधिनियम का प्रारूप तैयार कर विभिन्न स्तर पर परीक्षण (Vetting) हेतु प्रकियाधीन है।

(2) मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्री स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।

(3) मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्री स्तरीय समिति के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।

## मदरसों के पैराटीचर्स का नियमितीकरण

**559. श्री हाकम अली खां** (फतेहपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित मदरसों में कितने पैरा टीचर कार्यरत हैं तथा उन्हें कितना-कितना मानदेय/वेतन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मदरसों में कार्यरत पैराटीचर में से कुछ पैराटीचर्स को सरकार द्वारा नियमित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन पैराटीचर को कब-कब नियमित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियमितीकरण से शेष रहे पैराटीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रदेश में संचालित मदरसों में कार्यरत पैराटीचर की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। मानदेय संबंधित सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पैराटीचर को नियमित नहीं किया गया है।

(3) मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक पत्र 5(1)मम/219 दिनांक 01.01.2019 द्वारा संविदाकर्मियों की समस्या के निवारण हेतु मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा पैराटीचर्स के नियमितीकरण का प्रकरण उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## विराटनगर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

**560. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर** (विराटनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें कितने पद स्वीकृत हैं, एवं स्वीकृत पदों में कौन-कौनसे पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जो स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं? क्या सरकार इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के तथा कहां-कहां कराये गये? कराए गए कार्यों में कौन-कौनसे कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गये हैं तथा कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नए कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व कहां? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अन्तर्गत 3 परियोजनाएं क्रमश: विराटनगर, पावटा एवं शाहपुरा संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत विराटनगर में 174, पावटा में 73 एवं शाहपुरा में 15 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उन पर कार्यरत मानदेयकर्मियों का स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। मानदेय पद रिक्त होने पर उन्हें भरने की एक सतत प्रक्रिया है। मानदेय कार्मिकों के पद रिक्त होने पर विभागीय नियमानुसार ग्राम सभाओं के माध्यम से रिक्त मानदेय पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण, व्यय की गई राशि एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विभागीय स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## महिलाओं एवं बालकों के विकास हेतु संचालित योजनाएं

**561. श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में महिलाओं एवं बाल विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु कोई योजना बना रखी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत दो विभाग क्रमश: महिला अधिकारिता विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यरत हैं, जिनके द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार उक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणात्मक सुधार के लिए निदेशालय स्तर के अधिकारियों, जिला उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षकों के लिए विभाग द्वारा मासिक निरीक्षण एवं भ्रमण के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनके प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम अनुसार निरीक्षण एवं भ्रमण किया जाता है जिससे इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

राजधरा एवं रेपिड रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों की आनलाइन रिपोर्टिंग की जा रही है।

उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनियों की कार्य क्षमतावर्धन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से बूंदी शहर के कतिपय खसरा नम्बर की मुक्ति

**562. श्री अशोक डोगरा** (बूंदी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के पास बूंदी जिला अन्तर्गत रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से बूंदी शहर के कुछ खसरा संख्या को अभयारण्य से मुक्त करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बूंदी शहर के कुछ खसरा संख्या जिन पर आबादी बसी हुई है, को रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.01.2017 से राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की अनुशंषा पर, अधिसूचना दिनांक 20 मई, 1982 के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य रामगढ की दक्षिण सीमा में परिवर्तन करते हुए कुल 424 खसराओं की 2204 बीघा 02 बिस्वा भूमि को विमुक्त किया गया। तत्पश्चात् सर्वे में भूलचूक रहने के कारण संयुक्त सर्वे करने के पश्चात् नई अधिसूचना के प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा को दिये गये जिनके द्वारा कुल 444 खसराओं की 2164 बीघा 16 बिस्वा के प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें 420 बीघा 17 बिस्वा वन भूमि भी सम्मिलित है।

(2) जी हां। उक्त प्रस्तावों के परीक्षण के उपरान्त एवं इसमें उल्लेखित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आलोक में सम्यक रूप से विचार पश्चात् दुबारा राज्य वन्यजीव मण्डल एवं राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी एवं स्वीकृति उपरांत ही प्रस्ताव में अंकित भूमि को विमुक्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

## मावली के गांवों में मवेशियों पर पैंथर के हमलों की रोकथाम

**563. श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मावली के चंदेसरा, नऊआ, नूरड़ा आदि पंचायतों के गांवों में पैंथर के आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर मवेशियों को मारने व आमजनों पर हमला की शिकयतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली में कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) अधीनस्थ क्षेत्र के चंदेसरा, नऊआ, नूरड़ा आदि पंचायतों के

(राज्य मंत्री, वन)

गांवों में पैंथर के आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर मवेशियों को मारने के अब तक 37 प्रकरण एवं मानव हमले संबंधित 1 प्रकरण प्राप्त हुआ है।

उक्त घटनाओं के क्रम में एवं इनकी रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है जिसका विवरण बिन्दु-1 की सूचना में संलग्न परिशिष्ट-ए की सूचना में समाहित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सरिस्का अभयारण्य स्थित पाण्डुपोल हनुमान जी मंदिर के श्रद्धालुओं से प्रवेश शुल्क की समाप्ति

**564. श्री संजय शर्मा** (अलवर शहर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले के सरिस्का वन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पाण्डुपोल हनुमान मंदिर में आमजन को पूजा पाठ, दर्शनार्थ हेतु क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अभयारण्य क्षेत्र में पाण्डुपोल हनुमान मंदिर में अलवर जिले की आम जनता से प्रवेश शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आमजन की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए उक्त मंदिर में जाने पर लगने वाले प्रवेश शुल्क को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अलवर जिले के सरिस्का वन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पाण्डुपोल हनुमानजी मंदिर हेतु दर्शनार्थी प्रत्येक मंगलवार, शनिवार व पूर्णिमा को अपने निजी वाहनों के माध्यम से प्रवेश कर पूजा पाठ एवं दर्शन कर सकते हैं।

(2) सरिस्का वन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पाण्डुपोल हनुमानजी मंदिर में प्रवेश हेतु अलवर जिले की आम जनता सहित समस्त भारतीय नागरिकों से मंगलवार, शनिवार व पूर्णिमा को प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है,

(राज्य मंत्री, वन)

अपितु मंदिर हेतु निजी वाहनों के प्रवेश पर निम्नानुसार प्रवेश शुल्क लिया जाता है:-

| **क्र.सं.** | **वाहन का प्रकार** | **प्रवेश शुल्क (रुपये में)** | **ईको डवलपमेन्ट (रुपये में)** | **कुल राशि (रुपये में)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बस | 110 | 330 | 440 |
| 2 | जीप/कार | 55 | 220 | 275 |
| 3 | मोटर साईकिल | 10 | 25 | 35 |

(3) अलवर जिले के सरिस्का वन्य अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पाण्डुपोल हनुमानजी मंदिर में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों से मंगलवार, शनिवार एवं पूर्णिमा को कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, अपितु मात्र वाहन प्रवेश शुल्क ही लिया जाता है। प्रवेश शुल्क समाप्त करने का विचार नहीं है।

## कपासन में संचालित कौशल विकास केन्द्र

**565. श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कौशल विकास केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? किस मानदण्ड के अनुसार संचालित हैं और उक्त केन्द्रों में अब तक कितने लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कितने को रोजगार प्राप्त हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना किसी कंपनी के माध्यम से संचालित की जाती है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में उक्त केन्द्रों के संचालन का दायित्व किसके पास है उसका कार्य क्षेत्र क्या है? संचालित केन्द्रों पर सरकार द्वारा कितनी बार विजिट किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निम्न चार योजनाओं के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं:

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

| क्र. सं. | योजना का नाम | वित्तीय सहयोग |
|---|---|---|
| 1 | रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) | राज्य पोषित |
| 2 | नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) | राज्य पोषित |
| 3 | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) | केन्द्र व राज्य पोषित |
| 4 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 2.0 Central Sponsored State Managed) | केन्द्र पोषित |

उक्त योजनाओं से सम्बंधित नियमों की मार्गदर्शिका परिशिष्ट-अ-1, 2, 3, 4 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित कौशल विकास कैंन्द्रों की सूची मय पते (address) सहित परिश्ष्टि-ब पर संलग्न है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन से संबंधित मापदण्ड निगम की उक्त मार्गदर्शिकाओं में दर्ज है।

विधान सभा क्षेत्र कपासन में निगम की उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रारम्भ से अभी तक कुल प्रशिक्षित युवाओं की संख्या 1323 है एवं प्रशिक्षित युवाओं में से 665 युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। संबंधित सूची परिश्ष्टि-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। निगम की उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन निजी क्षेत्र के कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें निगम द्वारा नियमानुसार सूचीबद्ध किया जाता है।

चित्तौड़गढ़ जिले मे प्रशिक्षण का दायित्व जिन कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को आवंटित किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उक्त संस्थाओं का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला है तथा संचालित केन्द्रों की 76 विजिट की जा चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में अनुबन्ध पर कार्यरत खेल प्रशिक्षक

**566. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के अधीन कौन-कौनसे खेलों के प्रशिक्षक अनुबंध पर लिये गये हैं तथा उन्हें अनुबन्ध के रूप में कितनी-कितनी राशि दी जाती है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कबड्डी के लिए कौनसा खेल का मैदान आबंटित है तथा उक्त खेल के लिए किस-किस प्रशिक्षक को नियुक्त कर रखा है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबाल आदि खेलों में क्या राजस्थान क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्रशिक्षक नियुक्त है? यदि हां, तो उक्त खेलों के लिए निजी तौर पर अन्य को व्यावसायिक कारण के लिए अनुबंध किया हुआ है? यदि हां, तो अनुबंध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नियुक्त प्रशिक्षकों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के अधीन जयपुर एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा तैराकी, टेनिस एवं साइकिलिंग प्रशिक्षक अनुबंध पर लिये गये हैं। सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) कबड्डी के लिए इण्डोर स्टेडियम के पूर्वी ओर मैदान स्थित है। उक्त मैदान पर राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा कोई प्रशिक्षक नियुक्त नहीं किया हुआ है।

(3) जी हां। सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबाल आदि खेलों में नियमित प्रशिक्षक नियुक्त हैं। क्रिकेट में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने हेतु निविदा के माध्यम से चयनित कर निजी संस्थान से अनुबंध किया हुआ है।

अनुबंध की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भी अल्पकालीन प्रशिक्षकों को अनुबंध पर लगाये जाने हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में 110 अल्पकालीन खेल प्रशिक्षकों को संवेदक के माध्यम से अनुबंध पर लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कौशल आजीविका विकास योजना में अनियमितताओं की शिकायतें

**567. श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कौशल आजीविका विकास निगम योजना संचालित है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में प्रारम्भ से लेकर अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, उन पर कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने युवा ऐसे हैं जिनको इस प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी स्थान पर रोजगार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो तहसीलवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में अनेकों अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में शिकायतें प्राप्त होने के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निम्न चार योजनाएं संचालित हैं:

| क्र. सं. | योजना का नाम | वित्तीय सहयोग |
|---|---|---|
| 1 | रोजगार पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) | राज्य पोषित |
| 2 | नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) | राज्य पोषित |
| 3 | दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU GKY) | केन्द्र व राज्य पोषित |
| 4 | प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 2.0 –Central Sponsored State Managed) | केन्द्र पोषित |

(2) निगम की उक्त योजनाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से अभी तक कुल 370570 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। प्रशिक्षण पर कुल राशि 466.37 करोड़ का व्यय किया गया है।

उक्त योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 138844 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर से संबंधित जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## उदयपुर ग्रामीण में श्रमिक कार्य योजना के तहत लाभान्वित श्रमिक

**568. श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में श्रमिक कार्ड योजना संचालित है? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसी सहायता दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अब तक कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं? वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक नाम, पते व गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड योजना वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक किन-किन श्रमिकों को किस-किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई गई है तथा कितने श्रमिकों को सहायता देने के प्रस्ताव लम्बित हैं? नाम सहित ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार श्रमिकों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत कर सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) असंगठित क्षेत्र में ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्ष 2015 से वर्ष 2018

(राज्य मंत्री, श्रम)

तक कुल 9,102 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नाम, पते एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2018 तक कुल 1,099 लाभान्वित श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-3 पर तथा 297 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लम्बित हैं, 43 प्रकरण विभाग के स्तर पर तथा 140 आवेदन भौतिक सत्यापन हेतु लम्बित हैं। लम्बित आवेदन की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। विभाग द्वारा नियमित रूप से 'पहले आओ पहले पाओ' पद्धति से लम्बित आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न संख्या 569

**(स्थगित)**

## कोटा संभाग में सिलिकोसिस बीमारी के उपचार हेतु सहायता राशि

**570. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत 5 वर्षों में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए कोटा संभाग में कितने खान श्रमिकों को कहां-कहां डस्ट मास्क वितरित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा संभाग में कितने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी के उपचार के लिए सहायता राशि व मृत्यु उपरान्त मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 माह में आमजन से कोटा के श्रम निरीक्षकों व अन्य अधिकारियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विगत 5 वर्षों में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए कोटा संभाग में 5777 खान श्रमिकों को कुल 51235 डस्ट मास्क वितरित किये गये हैं। प्रत्येक श्रमिक का नाम एवं स्थान सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कोटा संभाग में सिलिकोसिस बीमारी के

(राज्य मंत्री, श्रम)

उपचार के लिये 399 पीड़ितों को 4.50 करोड़ रुपये की सहायता एवं 92 मृतकों के आश्रितों को 2.625 करोड़ रुपयों का मुआवजा प्रदान किया गया। सहायता एवं मुआवजा राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध है।

(3) विगत 5 माह के दौरान कोटा श्रम विभाग कार्यालय के एक श्रम निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत दिनांक 29.07.2019 को प्राप्त हुई है। संभाग के अन्य अधिकारियों के संबंध में गत 5 माह में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**